राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या: 20

सोमवार,
27 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : नमस्कार, नमस्कार। प्रश्न काल। श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण

429. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बाड़मेर जिले के सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्टेडियम हेतु आबंटित भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंटित भूमि पर वर्तमान में अतिक्रमण हो रखा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) वर्तमान में बाड़मेर जिले के सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(2) जी हां। स्टेडियम हेतु आबंटित भूमि ग्राम पंचायत सिवाना के नाम खसरा नं.1423/893 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा गैर मुमकिन स्टेडियम दर्ज है। अतिक्रमण हटाने हेतु जिला कलेक्टर, बाड़मेर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नं. एक।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन था पूरक प्रश्न नं.1 में, उक्त स्टेडियम पर अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा? सेकंड नं. उक्त स्टेडियम पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे आबंटित किये गये हैं, किसने किये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही विचाराधीन है या क्या कार्यवाही हो रही है? नं. 3 पट्टे का रजिस्ट्रीकरण अगर पंचायत से पट्टा दिया है और रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है और उस उक्त स्टेडियम की जमीन पर मनेरगा के तहत जो आज की तारीख में हर पंचायत में स्टेडियम बन रहा है क्या उसमें काम चालू जल्दी करवा देंगे क्या?

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो उक्त भूमि है यह लगभग 6 बीघा के करीब है और इसमें पूर्व सरपंच ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर लगभग तीन बीघा पर अवैध रूप से पट्टे इश्यू कर दिये हैं। इसमें सात पट्टों में से जो दो पट्टे हैं वो जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं शेष पट्टे प्रक्रियाधीन हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन पंचायत के नाम से है। इन्होंने इस जमीन को हमारे खेल विभाग को हैंडओवर नहीं की है तो आज भी इसका मालिकाना हक पंचायत के पास है और अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय कलेक्टर, बाड़मेर को हम पत्र भेज चुके हैं हम, और यह अतिक्रमण हटाने का इश्यू हमारे विभाग खेल विभाग से हम चिट्ठी लिख सकते हैं और वो ही एक्शन लेंगे। इसके अन्दर खेल विभाग कोई डाइरेक्ट एक्शन नहीं लेगा।

इनका पहला जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, दूसरा इन्होंने कहा कि अलोटमेंट क्यों हुआ, रजिस्ट्री के बारे, यह हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, यह पंचायती राज विभाग से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न और कुछ पूछना है आपको? आ गया न जवाब। केसाराम जी चौधरी, आपका क्या है इसमें?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरा छोटा सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: यह साफ-सुथरा बाड़मेर के सिवाना का है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं, मैं तो यह पूछ रहा था

(श्री केसाराम चौधरी)

साहब कि उपखंड मुख्यालयों पर स्टेडियम खोलने के क्या-क्या नियम हैं? मैं यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। इसका जवाब नहीं आएगा। इर्रिलेवेंट है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। अगला क्वेश्चन कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा तो अगला क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: हां, अगला क्चेश्चन कीजिये यही कह रहा हूं।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारन्टी अधिनियम के लाभार्थी

430. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 को कितने लोगों को खाद्य सुरक्षा गारन्टी अधिनियम के तहत अनाज आदि प्राप्त हो रहा था? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक खाद्य सुरक्षा गारन्टी अधिनियम के तहत पात्र लोगों की सूची से कितने लोगों के नाम हटाये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त अवधि में कितने लोगों द्वारा सक्षम अधिकारी को पात्रता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन/अपील की गई तथा कितने आवेदन स्वीकार किये गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत माह जनवरी, 2014 में 5,31,05,622 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा था। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक खाद्य सुरक्षा गारन्टी अधिनियम के तहत चयनित लाभार्थियों के सत्यापन कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के पास प्रमाणित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण खाद्य सुरक्षा सूचियों से निष्कासित किये गये व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

साथ ही सत्यापन कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी.क्षेत्र) के आठ जिलों में वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 9.37 लाख पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ा गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**नाम जिला**	**टी.एस.पी. क्षेत्र में नवीन चयनित पात्र व्यक्ति**
1.	बांसवाड़ा	249139
2.	डूंगरपुर	162952
3.	प्रतापगढ़	81895
4.	राजसमन्द	5400
5.	उदयपुर	376533
6.	बारां	28773
7.	पाली	9566
8.	सिरोही	23068
	योग -	937326

(3) प्रदेश में उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी को पात्रता सूची में नाम जुड़वाने के लिए किये गये आवेदनों एवं स्वीकार किये गये आवेदनों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं.1।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या के आधार पर ये जो खाद्य दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो जवाब दिया है उसमें मैंने पूछा था उसके जवाब में परिशिष्ट-3 पर इन्होंने यह कहा है कि पूरे राजस्थान में 5 लाख 80 हजार 385 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए और 2 लाख 31 हजार 879 लोगों को हमने पात्र पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम यह है सरकार का कि 69 परसेंट ग्रामीण क्षेत्र में और 53 परसेंट शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि कहीं पर 70 परसेंट, कहीं ग्रामीण में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

80 परसेंट पंचायत में है, किसी ब्लॉक में 69 से ज्यादा है। किसी शहर में 20 परसेंट ही है शहरी क्षेत्र में। किसी में 53 परसेंट से ज्यादा है। तो जहां पर ये रेश्यो 69 परसेंट से पंचायत का या ब्लॉक का ज्यादा है। ऐसे लोगों को वो जोड़ नहीं रहे हैं उपखंड अधिकारी।

तो यह मैं पूछना चाहता हूं पहला इसमें 'अ' है कि ऐसे कितने लोग हैं, आपने आवेदन प्राप्त हुए अपीलों के वो बता दिया, आपने जो स्वीकार किये वो बता दिये, अब तक कितने पैंडिंग और हैं जिनको केवल 69 परसेंट की वजह से एसडीएम ने रोक रखा है कि वो पात्र हैं लेकिन उनको इसलिए निर्णय नहीं किया गया कि उस पंचायत में या उस ब्लॉक में रेश्यो है। तो एक तो यह बता दें। दूसरा यह बता दें कि ऐसे पूरे प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में 69 परसेंट से ज्यादा आज की तारीख में भी यह खाद्य दिया जा रहा है ऐसे कितने ब्लॉक हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, यह बात सही है कि जब यह अधिनियम लागू किया गया उस समय अधिनियम के तहत 69.09 तो ग्रामीण क्षेत्र में इसकी सीमा निर्धारित की गयी थी और 53 परसेंट शहरी क्षेत्र में निर्धारित की गयी थी। लेकिन जिस समय इस अधिनियम को लागू किया गया 2013 में, उस समय जब सर्वे किया तो सर्वे करते समय इसमें जो निर्धारित मापदंड थे अधिनियम के अनुसार उसके हिसाब से सर्वे नहीं हुआ, जो तीन-चार बातों की इसमें गलती रही। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 5 करोड़ 31 लाख की संख्या आयी है 1 जनवरी, 2014 को उसका कारण भी यही था और जब इसको फील्ड में देखा गया, जब पूरे राजस्थान से शिकायत आती रही, सलेक्शन होना था 4 करोड़ 46 लाख का, सलेक्शन हुआ चयनित सूची में 5 करोड़ 31 लाख का। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस टाइम इस अधिनियम के तहत पूरे प्रदेश में किसी लाभार्थी को या तो दो किलो गेहूं मिलता था या ढाई किलो गेहूं मिलता था और कई जगह तो इतनी परेशानी थी कि मतलब पर्याप्त मात्रा में जो अधिनियम में पाँच किलो प्रति यूनिट गेहूं दिया जाना था और अन्त्योदय परिवार को पैंतीस किलो प्रति परिवार गेहूं दिया जाना था, लेकिन जब दो-ढाई किलो गेहूं दिया जा रहा था तो ...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब आ जाए, जो मैंने पूछा वो जवाब आ जाए।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं वो ही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वो ही आ रहा है। आपकी समझ अलग है उनकी समझ अलग है पर जवाब वो ही होगा जो वो दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं-नहीं, मैंने पूछा वो ही दिलवा दीजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दिला सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं। दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने पर्टीकूलर दो ही बातें पूछी हैं एक तो मंत्री महोदय, यह बता दें कि कितनी पैंडिंग हैं और एक यह बता दें कि 69 परसेंट से ग्रामीण में पूरे प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं जो 69 परसेंट से ज्यादा मिल रहा है। इसलिए पात्र लोगों के नाम भी अब उसमें नहीं जुड़ रहे हैं, इतना सा पूछ रहा हूं।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अभी तक इसमें चयनित सूची में जो टास्क फोर्स कमेटी गठित की गयी... मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उसके तहत कुछ निर्धारित मापदण्ड तय किये गये। इसके तहत उनको कुछ दस्तावेज एसडीएम के यहां प्रस्तुत करने होते हैं। यह अपील की एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत वह अपील कर सकते हैं। 5,80,385 पूरे प्रदेश में अपील के आवेदन आये और उसमें 2,31,879 को स्वीकार कर लिया गया। जिन लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे वह या अस्वीकार कर दिये गये या वह अभी एसडीएम के पास है।

उसमें लगातार वैरिफिकेशन के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री बाबूलाल वर्मा)

माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की भी मंशा यही है कि जो भी राजस्थान प्रदेश में एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्ति है, उसको निश्चित रूप से खाद्यान्न दिया जायेगा। जैसा कि मैंने मेरे जवाब में ही कहा है कि उदयपुर संभाग में कुछ पात्र व्यक्ति रह गये थे, इसमें स्टेट को एक यूनिट माना है, स्टेट की चयनित संख्या 69.09 और 53 के हिसाब से मानते हैं। यह संख्या हमारी हर महीने बदलती है, जैसे ही अपील डिसाइड हो जाएगी उसके हिसाब से संख्या में भी परिवर्तन आ जाता है। आज की तारीख में 4,44,13,846 एनएफएसए के तहत संख्या है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब आ रहा है। बार बार नहीं। उसमें एक्प्लेनेशन काल नहीं कर सकते। जवाब गलत है या सही है उसके लिये आप दूसरे तरीके अपनाना। जवाब आ रहा है।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने अपने जवाब में बिलकुल स्पष्ट रूप से कह दिया है राजस्थान में जो अपील की गई है वह 5,80,385 है, 2,31,879 डिसाइड कर दी गई है, बाकी अभी पैंडिंग है। जैसे ही उनका वैरिफिकेशन हो जाएगा उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही करके उसको जोड़ने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सरल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: देखिए, एक बात सुन लीजिए, आपके सीधे सवाल का वह जवाब दे रहे हैं, वही आयेगा। आप चाहो इस सीधे सवाल का ऐसा जवाब आये, वह नहीं आयेगा। वह जो जवाब देंगे, वही होगा, और तीसरा पूरक प्रश्न नहीं करने दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जैसा आयेगा वैसा ही आयेगा। मैं आपसे निवेदन तो कर सकता हूं न। मैं नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आप ही दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं दिला रहा हूं न। कह दिया देंगे वह। जो वह जवाब देंगे, वही जवाब होगा। मैं थोड़े ही दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई बात नहीं, लेकिन आप फरमा सकते हैं। मेरे ब्लाक में जैसे खण्डेला है, वहां पर रूरल में 76 परसेंट है, दांतारामगढ़ में 75 परसेंट है, नीमकाथाना में 80 परसेंट है, पीपराली में 77 परसेंट है, लक्ष्मणगढ़ में 74 परसेंट है और फतेहपुर में 69 है। यह 69 से ज्यादा है। इसीलिए वहां पर एसडीएम को जो भी अपील दी जाती है उन अपीलों को पात्र होते हुए भी इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता कि इस ब्लाक में पहले से ही 69 परसेंट से ज्यादा नाम हैं। इसलिए मैंने यह पूछा। पूरे प्रदेश की यह समस्या है, प्रदेश में आधे से ज्यादा ऐसे ब्लाक हैं जिन ब्लाकों में 69 परसेंट से ज्यादा उन ग्राम पंचायतों की या ब्लाक की भी सीमा ज्यादा है। कई कई ब्लाक ऐसे हैं तो जिनकी 80-80, 90-90 परसेंट है। जब आपने सवा तीन साल में निष्कासन के नियम भी बदल दिये कि इनको निष्कासित सूची में डाला जाये, फिर भी अभी तक भी जहां 69 परसेंट से ज्यादा हैं, उस ग्राम पंचायत और ब्लाक में जो भी उपखण्ड अधिकारी है वह अपीलें ले ले कर रख रहे हैं, न तो ग्राम पंचायत को भेज रहे हैं।

इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि क्या सरकार ऐसे निर्देश देने की मंशा रखती है कि अगर किसी ब्लाक में 69 परसेंट का रेशो है, फिर भी अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो उसको जोड़ा जाये? सरकार क्या ऐसी व्यवस्था करने की मंशा रखती है? ऐसा आदेश देने की घोषणा करने की मंशा रखती है क्या? क्योंकि मेरे यहां इसलिए नाम नहीं जुड़ रहे हैं और पूरे राजस्थान में पात्र लोगों के नाम नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि आपका 69 परसेंट ग्रामीण का हो गया, 53 परसेंट शहर का हो गया। न उस जिले में जुड रहे हैं, न ब्लाक में जुड रहे हैं। कोई एसडीएम पंचायत का देख लेता है, कोई ब्लाक का देख लेता है, कोई जिले का देख लेता है, कोई किसी का जोड़ता है, तो उसकी मर्जी है; ग्राम पंचायतों में कोई भेजता नहीं, जबकि आपने 2015 में नियम निकाला था कि ग्राम पंचायत में भेजो। तो जो यह रेशो है वह ज्यादा होने के कारण से वहां के जो पात्र लोग हैं, उनको भी नहीं जोड़ा जा रहा है। तो क्या सरकार ऐसी घोषणा कर रही है, या ऐसी मंशा रखती है कि चाहे 69 हो, चाहे 70 हो, चाहे 75 हो, अगर उस ब्लाक में पात्र व्यक्ति है तो उसको निश्चित रूप से एसडीएम के माध्यम से अपील लेकर जोडा जायेगा? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसमें ब्लाक को यूनिट नहीं माना, इसमें स्टेट को यूनिट माना है। इसमें जो भी चयनित लाभार्थी होंगे वह स्टेट के हिसाब से 4 करोड़ 46 यूनिट होने चाहिये। यदि किसी ब्लाक में पात्र व्यक्ति ज्यादा हैं, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि सीमा 69.09 परसेंट है, फिर भी लक्ष्मणगढ़ तहसील में जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है वह 74 परसेंट है। 74 परसेंट को आपके लक्ष्मणगढ़ तहसील में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि निर्धारित सीमा से भी अधिक है और यही माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है। आज ट्राइबल बैल्ट में या दूसरे क्षेत्र में जहां पात्र व्यक्ति ज्यादा है और दूसरे ब्लाक में कम है, तो भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा के हिसाब से यह तय है कि पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी कुछ जिलों में कुछ स्पेशल केटेगिरी है, कुछ ऐसी जातियां हैं जो इसमें कवर नहीं होती। जैसे उदयपुर में कथौड़ी जाति है, बारां में सहरिया जाति के लोग हैं अंत्योदय परिवार के हिसाब से उनको निःशुल्क 35 किलो पर परिवार के हिसाब गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है।

हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी गरीब व्यक्ति है और जो एनएफएसए के तहत पात्रता रखता है उसको निश्चित रूप से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यदि आपके क्षेत्र में, आपकी तहसील में अभी भी कोई पात्र व्यक्ति है तो हमारे पैरामीटर्स के तहत अपने दस्तावेज दे दें, निश्चित रूप से उनको जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि अपने प्रदेश में जो खाद्य सुरक्षा योजना चल रही है, यह वास्तव में बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें किया तो किसी ने है लेकिन छींटे अपनी सरकार पर लग रहे हैं। इसमें अपन को सुधार करने की जरूरत है।

(श्रीमती द्रोपती)

मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने लोगों ने खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना में नाम जुड़वाये और वर्तमान में कितने लोग पात्र हैं? यह बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है कि जो पात्र लोग हैं वे तो बन नहीं पाते और जो अपात्र हैं वे अभी भी खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि जो अपात्र लोग हैं उनको हटाने का और पात्र लोगों को जोड़ने का कोई प्रावधान रखती है? मंत्रीजी यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में पहले भी कहा कि इसके निर्धारित मापदण्ड हैं। खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने के लिये 25.7.2016 के माध्यम से जो पैरामीटर्स तय किये गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप फर्माएं तो मैं पूरी सूची पढ़ देता हूं। क्योंकि यह सवाल कई बार आता है कि कौन पात्र हैं, कौन अपात्र है, अगर आप फर्माएं तो मैं सूची पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष: पढ़िये मत, आप तो माननीय विधायक को भेज देना।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि कई नाम गलत जुड़े गये, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं यह बात सही है कि जब इस अधिनियम को 2013 में लागू किया गया, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि उस समय न तो किसी सर्वे का बेस बनाया, न चयनित सूची में जो नाम आये, उन पर न कोई आपत्तियां स्वीकार की गई और पैरामीटर्स के हिसाब से भी तय नहीं किये गये। कई जिलों में तो ऐसी स्थिति आई, जैसे मैं डूंगरपुर जिले की बात करता हूं, डूंगरपुर जिले में 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 12,99,809 होनी थी और चयनित सूची में 14,45,140 आ गये। मतलब, आप देखिए कि जनसंख्या 12 लाख के आस पास और चयनित होते हैं 14 लाख के आस पास। उस समय तत्कालीन सरकार के समय जो बात आई ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तीन साल से क्या कर रहे हों? जिनको हटाना है, हटा दो और जिनको लाभ मिलना चाहिये, उनको तो दिलाओ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो आपका कमाल बता रहे हैं कि आप 12 की जगह 14 लाख कर सकते हो! यह कमाल है आपका !

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 5 करोड़ 46 लाख की संख्या को वेरिफाई करे, आज की तारीख में जो 4 करोड़ 44 लाख 13 हजार 846 लाभान्वित लोग हैं, उन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और आज की तारीख में आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो पात्र व्यक्ति हैं, वे निश्चित रूप से सादे कागज पर एस.डी.एम. के यहां पर एप्लाई कर दें, उनका नाम निश्चित रूप से जोड़ दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री नंद किशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें जो नामित व्यक्ति होते हैं, उनको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। जैसा कि अभी मंत्रीजी ने बताया, अभी लाखों आवेदन पैंडिंग हैं। उनमें से बहुत-से आवेदन ऐसे भी हैं, जिनके घर में कोई-न-कोई बीमार है और वह इंतजार कर रहा है कि मेरा नाम इसमें जुड़ जाए तो मुझे स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल जाए।

मैं सिर्फ यह पूछना और कहना चाहता हूं कि जो उप खंडों में एस.डी.एम. बैठे हैं, वे सालों तक इनका निस्तारण नहीं करते, तो क्या इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित है कि कितने दिनों में निस्तारण किया जाए? यदि नहीं है, तो तो समय-सीमा निर्धारित कर दें। जिससे 'हां' या 'ना' जो भी होना, कम-से-कम एक बीमार व्यक्ति इंतजार नहीं करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह बात सही है कि कुछ पैंडेंसी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन एप्लीकेंशस के साथ या तो उनके पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते या उसमें कोई कमी रहती है। इस वजह से, उन पैरामीटर्स की कमी होने की वजह से, उस पर डिसाइड करने में प्राब्लम आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एस.डी.एम. या तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बी.डी.ओ. के

(श्री बाबूलाल वर्मा)

वैरिफिकेशन के लिए भेजता है कि यदि इन दस्तावेजों के आधार पर इसमें एलिजिबिलिटी बनती है तो वह अपनी रिपोर्ट दे दें। शहरी क्षेत्र में वह अधिशासी अधिकारी के पास भेजता है। इसके बाद भी यदि एस.डी.एम. संतुष्ट है कि दस्तावेज के हिसाब से उसकी पालना पूरी करता है तो निश्चित रूप से एस.डी.एम. स्वविवेक से भी उस पर डिसीजन लेकर उसका नाम जोड़ सकता है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आप समय-सीमा निर्धारित करवा दो, प्लीज।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं अपनी तरफ से यह आश्वस्त करता हूं कि जहां ज्यादा पैंडेंसी है, उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण करेंगे।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): प्लीज, कोई समय-सीमा, दो महीने या छह महीने जो भी।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसकी कोई समय-सीमा नहीं हो सकती, फिर भी मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी से इसे करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप कह रहे हैं, जो सही है, आप विभाग के साथ बात करके समय-सीमा निर्धारित कीजिए। जरूरी है कि ये फैसले जल्दी हों।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरा प्रश्न आधा आ चुका है। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आ चुका है तो ठीक है। अब क्यों? आपने कहा जवाब आ गया।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): आधा आ गया, आधा नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आधा नहीं आया, वह दे दीजिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा के लिए जो मापदंड बने हुए हैं, उन मापदंड के आधार पर जांच हुई और जांच से बहुत से नाम हट गये। उसके बाद आपने अपील का प्रावधान किया। जिन लोगों ने अपने आप को पात्र माना, उन्होंने अपील की और अपील के साथ जो उनको लगाना था, वह लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया। संबंधित अधिकारी ने राजस्व विभाग और पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों से जांच करवाकर, वे पैंडिंग हो गए थे। वह तो आपने निर्देशित कर दिया कि उसकी समय-सीमा तय करें। लेकिन जो अपात्र लोग आज की तारीख में सूची में जुड़े हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति उनकी शिकायत करे, तो क्या उस शिकायत की समय-सीमा में जांच कर उसका निस्तारण करने का प्रावधान करने का प्रयास करेंगे? और अगर कोई गलत जांच करे तो उसकी शिकायत के लिए कोई कमेटी का गठन कर उसका भी निस्तारण करवाने का कोई विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा है कि इसमें निष्कासन और समावेशन दोनों के नियम हैं। निष्कासन में यदि अपात्र लोगों के लिए ऐसी कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उसमें जांच के आधार पर वे नाम हटाए भी जाते हैं, और हटाना और जोड़ना यह एक सतत प्रक्रिया है, जो माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): दो-दो साल से शिकायतें पड़ी हैं। शिकायतकर्ता की मजाक और उड़ती है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि इसको करेंगे।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया।

अगला प्रश्न, श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

पटवारियों की कमी के कारण फसल खराबे के अनुदान से वंचित किसान

431. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

क्या यह सही है कि प्रदेश में फसल खराबे पर देय अनुदान की सूची में पटवारियों की कमी के कारण कई पात्र किसान वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अनुदान के लिए पात्र किसानों द्वारा आवेदन करने पर अनुदान का लाभ दिलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री अमराराम): जी नहीं। राज्य में रिक्त पद वाले पटवार मण्डलों का अतिरिक्त प्रभार अन्य कार्यरत पटवारियों को दिया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाता है।

फसल खराबे की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के माध्यम से सर्वे करवाया जाकर आपदा राहत हेतु प्रभावित काश्तकारों की सूचियां तैयार करवाई जाती हैं।

राजस्व विभाग की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 33 प्रतिशत और इससे अधिक फसल खराबा होने पर पात्र किसानों को गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन डिवीजन) भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 08.04.2015 के अनुसार बजट उपलब्धता के आधार पर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

पटवारी द्वारा खड़ी फसल के नुकसान का आकलन मौके पर किया जाता है। बाद में सर्वे कराया जाना व नुकसान का आकलन किया जाना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, एक पटवारी के पास कम-से-कम एक हजार खाते होते हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभ नगर तहसील में 22 पटवारी सर्किल हैं, उनमें से 35 खाली पड़े हैं। गिरवा में कुरावड नहर तहसील में 19 पटवारी सर्किल में से 8 खाली पड़े हैं। यानी 74 में से 43 खाली पड़े हैं। तो एक-एक पटवारी के पास तीन-तीन, चार-चार पंचायतें हैं। यानी कि तीन-तीन, चार-चार हजार खाते हैं। उनसे आप दस दिन में रिपोर्ट मांगते हो। दस दिन में वे पटवारी रिपार्ट कैसे बनाते हैं? हम सब सोच सकते हैं। घर बैठे बनाते होंगे या किसी से पूछ कर बनाते होंगे। चार हजार खाते दस दिन में कवर नहीं हो सकते। जो खाते रह जाते हैं। जो किसान बाद में आते हैं, उनको पटवारी कहते हैं कि बाद में आना। अब

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

हमारे पास इस साल का तो हो गया, साहब रिपोर्ट भेज दी। तो उनके लिए आपने क्या प्रावधान रखा है और आप पटवारियों के पद कब तक भरोगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी खड़ी फसल की कराई जाती है। अगर फसल काट देते हैं, उसके बाद में। माननीय सदस्य का कहना है कि तीन-तीन सर्किल हैं और पटवारी कम होने के कारण से दस दिन के अंदर गिरदावरी नहीं हो सकती है, यह बात सही है। लेकिन सरकार यह प्रयत्न करती है कि पटवारियों के द्वारा गिरदावरी टाइम पर करवाकर..। जो खड़ी फसल है, उसी के लिए अनुदान दिया जाता है। आपकी जो चिंता है कि पटवारी कम हैं, कई नाम छूट भी जाते हैं और उन छूटने वाले नामों का वापिस सर्वे कराना..। जिनके नाम रह गए हैं, जिन खेतों में पटवारी नहीं गए हैं, तो संबंधित अधिकारी, हमारे तहसीलदार, हमारा उपखंड अधिकारी या कलेक्टर को शिकायत करे, तो तुरंत ही गिरदावरी दुबारा हो जाती है। लेकिन फसल कट जाती है। कई लोग छह महीने बाद, जब नाम लिस्ट में नहीं आता है और अनुदान नहीं मिलता है, तब कहते हैं कि साहब, हमारा नाम छूट गया। पहले नहीं करते हैं, इसी कारण ऐसा होता है।

आइंदा आपकी बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी इस प्रकार की शिकायत आएगी तो तुरंत ही सर्वे कराकर वापस रिपोर्ट ली जाएगी और उसी के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी अधिकारियों की होनी चाहिए, कृषक की नहीं कि सब खाते कवर हो गए हैं। यह जिम्मेदारी तो पटवारी और उस अधिकारी की होनी चाहिए कि सब खाते कवर हुए या नहीं हुए? किसान को क्या पता कि पटवारी कब आकलन करके चला गया? आप लोगों के पास फंड पड़ा रहता है। आपके पास हर समय रिलीफ फंड है। हर समय पाँच सौ करोड़ पड़े रहते हैं। तो आप बाद में दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बाद में नहीं दे सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि जो खाते रह जाते हैं, उसको जब

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

भी पता चले और वह आपके पास आए तो कम-से-कम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आपके क्षेत्र में ऐसे रह गए हैं। यदि कोई शिकायत रहती है तो उसका तुरंत सर्वे करवाया जाता है।

आपको पता है कि हमने 4400 पटवारियों की परीक्षा करवा दी है। मैटर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास में है। भर्ती के बारे में नियमों के अनुसार मैं कुछ नहीं कह सकता कि वे कब परिणाम घोषित करेंगे। लेकिन आशा करता हूं कि जब भी वह रिजल्ट आएगा तो जो 4400 लोगों की भर्ती होगी। तो काश्तकारों की समस्याएं हैं कि हर गांव के अंदर पटवारी मिले, पटवारी जरूर मिलेगा।

हम पूरी कोशिश करेंगे और आपने जो बात कही है, मैं आपकी भावना की कद्र करते हुए, आइंदा इस बारे में आप जैसा भी कहेंगे, यदि तुरंत शिकायत आई तो सर्वे कराकर, उनको अनुदान दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा। ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, बिना अनुमति के ही बोल रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अनुमति से ही।

श्री अध्यक्ष: हां, मैंने दी है न। पूरक प्रश्न के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय संसदीय मंत्रीजी, ऐसे क्यो करते हो? अनुमति दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पटवारियों के पास जो रिकार्ड है उसको डिजिटलाइज करने का एक अभियान आपने शुरू किया है। तो प्रदेश के अंदर अभी कितनी तहसीलों का यह अभियान शुरू हैं? आने वाले कितने समय में तहसील के जो खाते हैं उनको डिजिटलाइज करने का काम कर देंगे?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। जो भी शिकायत आती है उस समय तुरंत ही, अगर फसल खड़ी है तो उसके लिए जांच करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्शों के....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भण्डार भरपूर है, क्या करना है, भण्डार है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अभी बताती हूं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जिले के मंत्री जी इसका जवाब तो दे दो, दुनिया भर के लोग छूटे हुए हैं.......

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो। यह एक व्यवस्था है, तीन पूरक प्रश्न करने हैं। दूसरा इनका चल रहा है, इनको करने दीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि पिछली बार भी जो सर्वे हुआ था, कुछ लोग बच गए थे, जिसमें पटवारी हमारे साथ, तहसीलदार हमारे साथ,एसडीएम मेरे साथ, मैं खुद गई। कुछ लोगों को मिल गया और कुछ लोग बिना मुआवजे के रह गए थे। उनकी पूरी सूची हमने एसडीएम को दे दी, कलक्टर साहब के यहां पहुंचा दी, फिर भी उनको मुआवजा नहीं मिला। छोटे काश्तकार थे वह रह गए उनको बहुत भारी दिक्कत आई है। कई लोगों ने तो, पैसे लेकर, ब्याज देकर बच्चों की फीस जमा कराई, बिजली का बिल जमाया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से क्यों?

कह रहे हैं कि हमने दे दिया। कोई सवाल करेंगे, तो आपने यह किया, हमने यह किया। आपने दो रोटी खाई, हमने चार रोटी खाई, हिसाब बाद में कर लेना, पहले यह तो बताओ कि तीन साल में आप क्यों नहीं दे रहे। गिनाने को तो करोड़ों आंकड़े गिना देते हैं। आपके यहां पर इतने करोड़ दे

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

दिए। आधे रह गए उनको देंगे, या नहीं देंगे? ...(व्यवधान)... हमने बहुत दिया है आपको, इतना दिया है, जाकर पूछो क्षेत्र में, जनता क्या कहती है। धन्यवाद हो कांग्रेस सरकार का जो घर में बैठे बुजुर्गों की जेब में पैसा डाला। आप क्या कर सकते हो, कुछ करने लायक ही नहीं हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने चिंता जाहिर की है कि सारी रिपोर्ट वगैरह, नीचे से एसडीएम लेवल तक सारा, कोई भी इस प्रकार से, आपके जो भी प्रतिवेदन आएंगे, रिपोर्ट आएगी उसकी जांच कराएंगे और भविष्य में इस प्रकार से जो भी गलती करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री फूलचंद भिण्ड़ा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन के समय, 2010 में 800 करोड़ रुपये डिजिटल के लिए आए, उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई, उन तीन साल में और इन तीन साल में? डिजिटल के लिए 800 करोड़ रुपये आए थे, कांग्रेस शासन में। यह जानना चाहता हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह खुद वाले सवा तीन साल की बता दें तो ही बहुत है, पीछे काहे के लिए जा रहे हो। ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): भारत सरकार से डिजिटल का पैसा आया था 800 करोड़ रुपये।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 11 जिलों के लिए अभी तक पैसा भारत सरकार से आया है। उनका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। बाकी की आपकी चिंता है उनका सर्वे, रिसर्वे कराना और नक्शों में सुधार कराना, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही भारत सरकार रूरल डवलपमेंट आफ, हमारे विभाग है, वह जल्दी ही कार्य प्रारम्भ कराएंगे। हमने 2014, 2016 से कार्य शुरू किया। पहले भी जो काम शुरू नहीं हुआ था, इसके लिए हमें जो पैसे मिले थे, उनमें काम शुरू है।

(श्री अमराराम)

भारत सरकार से ज्यों ही पैसे मिलेंगे, हम दूसरे जिलों के अंदर भी यह काम पूरा करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गए तीन पूरक प्रश्न।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अध्यक्ष जी, एक सैकिण्ड...

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल।

प्रश्न संख्या 432

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीगंगानगर जिले में ग्रामीण जनता जल योजना में कार्यरत कर्मचारी

433. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या पंचायती राज मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले में ग्रामीण जनता जल योजना के संचालन हेतु कहां-कहां पर कितने-कितने कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक के स्थान पर मात्र रु. 500/- प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को न्यूनतम पारिश्रमिक देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) श्रीगंगानगर जिले में ग्रामीण जनता जल योजना के संचालन हेतु कार्यरत

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। किसी भी कर्मचारी को प्रतिमाह 500/- वेतन/मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जनता जल योजना के अंशकालीन श्रमिकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एस़एलपी नम्बर 3517/13 में अन्तरिम आदेश दिनांक 18/02/2013 की पालना में वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी दर रुपये 201/- की 50 प्रतिशत राशि की दर से रुपये 2613/- का पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 11355/13 में पारित निर्णय दिनांक 21/09/2016 एवं इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अपील संख्या 15098/2012, 5613/2013, 7663/2013, 8079/2013 व 19253/2013 में दिये गये निर्णय दिनांक 02/11/2016 में न्यूनतम मजदूरी दर की राशि देने के निर्देश दिये गये है, जिनकी क्रियान्विति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, कामिनी जी।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी जनता जल योजना में कार्यरत कर्मचारी है, न्यूनतम पारिश्रमिक नियमित रूप से देने की प्रक्रिया हम कब तक पूर्ण कर लेंगे? ये 2013 से लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, अभी 2016 में इसका फैसला आया है, तो इस मामले के लिए कितना समय और इन कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना में काम करने वाले श्रमिकों को 2008 से पहले 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलते थे, 2008 के पश्चात् 500 रुपये प्रति माह राज्य वित्त आयोग से और मिलने प्रारम्भ हो गए। यानी एक हजार रुपये इनको मिलना प्रारम्भ हुआ।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय हुआ जिसमें यह कहा गया कि 8.2.2013 को न्यूनतम मजदूरी दर का 50 परसेंट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का भुगतान हम इन पम्प चालकों को करें। तदनुसार ज्यों-ज्यों मजदूरी की दरों का संशोधन होता रहा उसके 50 परसेंट का भुगतान इन श्रमिकों को किया जाता रहा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है वह 21.9.2016 को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूनतम दर पर जितना इनका विजिट बनता है उतना भुगतान करें।

अध्यक्ष महोदय, अभी प्रक्रियाधीन है। मैं समझता हूं कि आने वाले एक महीने में हम इन सारे श्रमिकों को, सर्वोच्च न्यायालय से हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार और उस आदेश की मंशा के अनुसार, अगर आदेश की मंशा यह रही कि हमें रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से, जब से रिट दायर हुई, तब से अगर इनका न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा, तो उसकी भरपाई करेंगे। वरना उस आदेश के अनुसार हम एक महीने के अंदर न्यूनतम वेतन देना प्रारम्भ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): मैं मंत्रीजी से यह भी जानना चाहूंगी कि जनता जल योजना में कर्मचारियों द्वारा कहीं तो एक ही गांव, कहीं पर तीन-चार गांवों में काम किया जा रहा है। उन्हें पेयजल सप्लाई करनी पड़ रही है। क्या मंत्री जी प्रति ग्राम, प्रति स्रोत, मानदेय देने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, यह मानदेय प्रति व्यक्ति है। गांव और प्रति स्रोत के हिसाब से मानदेय देय नहीं है। इसलिए प्रति व्यक्ति जो श्रमिक है, उसका मानदेय मैंने निवेदन किया, न्यूनतम मजदूरी का सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त हुआ है, उसकी गणना हम कर रहे हैं और जल्दी ही करके उसको हम लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सर, आ गया जवाब।

श्री अध्यक्ष: आ गया जवाब।

पब्बाराम जी, पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी

(श्री पब्बाराम)

से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता जल के अंदर कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको 2500 और 2800 के लगभग राशि मिल रही है। श्रमिक का पैसा मिलता है वह 197 मिलता है। नरेगा के श्रमिक का अभी अप्रैल से 192 होने वाला है...

श्री अध्यक्ष: यह गंगानगर का सवाल है। जनरल सवाल नहीं है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि श्रमिकों की मजदूरी इतनी है, अर्द्ध कुशल की 300 रुपये है। तो क्या आप अर्द्ध कुशल के, इनको किस श्रेणी में रखकर इनको मानदेय देना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): कम से कम उनके श्रम का शोषण तो न हो। ...(व्यवधान)... मात्र 2526 में वह पूरे महीने का अपना जीवन कैसे गुजारेगा?

श्री अध्यक्ष: ये गंगानगर से सम्बन्धित है, आप विराजिये। मैं जवाब दिला देता हूं। माननीय मंत्री महोदय। यह गंगानगर का स्पेसिफिक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पहले न्यूनतम मजदूरी का 50 फीसदी इनको मानदेय मिलता था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने, जो रिट इनके पास लगी हुई थी, उसका अंतिम निस्तारण कर दिया और आदेश दे दिया कि न्यूनतम मजदूरी के बराबर इनको हम मानदेय दें। न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से इनका मानदेय, जो पहले 50 प्रतिशत के हिसाब 2613 था, अब बढ़कर 5216 हो जायेगा, 5226, क्षमा चाहूंगा, यह इस हिसाब से मानदेय निश्चित तौर पर देंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री शंकर सिंह।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार गंगानगर में जो 2008 में प्रदेश में नरेगा का कार्य चला था, उसमें काफी भुगतान बकाया रहा हुआ है, जिससे अन्य जिलों में भी, 08 ग्राम पंचायतें पंचायत समिति जवाजा की भी हैं। उनका अभी तक भुगतान नहीं मिला। पिछले 05 साल के कार्यकाल में मैंने विधान सभा में क्वेश्चन भी लगाया। माननीय मंत्री महोदय से कहा भी था।

श्री अध्यक्ष: गंगानगर का है। जवाजा का आप अलग सवाल कर लेना, बात भी कर लेना। जवाजा का उनके पास जवाब होगा नहीं। इसलिये जवाजा का अलग सवाल कर लेना और बात भी कर लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नरेगा का है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं, गंगानगर का था। लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ, हुकूम।

श्री अध्यक्ष: जवाजा से सम्बन्धित पूछ रहे हैं आप। विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पंचायती राज मंत्री बोल रहे हैं, इसलिये मेरा निवेदन था।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री श्रीराम भींचर, अगला सवाल।

गच्छीपुरा पुलिस थाने को वृत्त कार्यालय मकराना के अधीन करने की कार्ययोजना

434. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के कुछ गांव पुलिस थाना परबतसर व पीलवा के अधीन हैं? यदि हां, तो कितने-कितने गांव इन दोनों पुलिस थानों में आते हैं? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को पुलिस थाना परबतसर व पीलवा से हटाकर पुलिस थाना मकराना व गच्छीपुरा के अधीन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में पुलिस थाना गच्छीपुरा विधान सभा क्षेत्र मकराना के अंतर्गत होने के साथ-साथ पुलिस वृत्त डेगाना के अधीन आता है?

(4) क्या सरकार उक्त पुलिस थाने को वृत्त कार्यालय मकराना के अधीन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के 05 गांव थाना परबतसर व 02 गांव थाना पीलवा के अधीन है। थाना परबतसर के अधीन ग्राम बिल्लु, मोरड, निम्बडी, लाडोली व मामडोली तथा

(गृह मंत्री)

थाना पीलवा के अधीन ग्राम बाजोली व रतनास आते है, जो समस्त गांव तहसील मकराना के हैं।

(2) राज्य में नये पुलिस थाना/चौकी के सृजन/पुनर्गठन करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

ये समस्त गांव तहसील मकराना के होने से इनको तहसील मकराना के पुलिस थाना, थाना गच्छीपुरा व नवीन प्रस्तावित थाना सदर मकराना (बोरावड) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति को प्रेषित किये जा चुके हैं। समिति की अभिशंसा के आधार पर उक्त गांवों को पुलिस थाना परबतसर व पीलवा से हटाकर पुलिस थाना मकराना व गच्छीपुरा के अधीन करने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) पुलिस थाना गच्छीपुरा का अधिकांश क्षेत्र विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्तर्गत आता है। पुलिस थाना गच्छीपुरा के अन्तर्गत कुल 71 गांवों में से 63 गांव विधान सभा क्षेत्र मकराना व 08 गांव विधान सभा क्षेत्र परबतसर के अन्तर्गत आते हैं तथा पुलिस थाना गच्छीपुरा वर्तमान में पुलिस वृत्त डेगाना के अन्तर्गत आता है।

(4) समिति की अनुशंसा के आधार पर पुलिस थाना गच्छीपुरा को पुलिस वृत्त कार्यालय मकराना के अधीन करने पर विचार किया जा सकेगा, जब रिपोर्ट फाइनल होगी, तब।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नम्बर एक, भींचर साहब।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो ग्राम पंचायत बोरावड़ है यह दूसरे नम्बर पर, जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायतें हैं उनमें ग्राम पंचायत बोरावड़ का दूसरा नम्बर है। वहां पर अभी वर्तमान के अन्दर पुलिस चौकी संचालित है। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि इस पुलिस चौकी को जो ग्राम पंचायतों में दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी है, इसको क्या आप पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं?

(श्री श्रीराम भींचर)

दूसरा यह है कि पुलिस थाना गच्छीपुरा के जो 08 गांव हैं, वे डेगाना वृत्त के अन्दर आते हैं, उन 08 गांवों को आप वृत्त मकराना में करने का विचार रखते हैं?

तीसरा...

श्री अध्यक्ष: हो गये न, इन दो का तो जवाब आने दीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चौकी को थाने में परिवर्तित करना, यह परमेशचन्द्र कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद और सरकार के संसाधनों को ध्यान में रखकर फैसला करना पड़ेगा। हमने आपका नीतिगत प्रस्ताव यूं का यूं माना है। उसी के अनुसार हमने अपने सुझाव उस कमेटी के सामने भी दिये हैं, जो आप जिस तर्क के आधार पर कह रहे हो, उसी को उसके आधार पर हमने करने के हिसाब से दिया हुआ है। हम लोगों ने इस बात के जो प्रस्ताव हैं कि जो मकराना आपका सर्किल है, उसमें मकराना, पीलवा और परबतसर तीन थानें हैं। इनकी वर्तमान कोर्ट भी मकराना और परबतसर है। डेगाना का जो गच्छीपुरा है, इसका सर्किल तो डेगाना है। लेकिन गच्छीपुरा का अधिकांश क्षेत्र आपके मकराना विधान सभा क्षेत्र में आता है। लेकिन इसकी भी कोर्ट तो मकराना ही है।

इस कमेटी का गठन ही इसी आधार पर हुआ कि कोर्ट, एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर, सर्किल, थाना, और विधान सभा, ये एक ही लाइन में कैसे आ सकते हैं। उसी के आधार पर ये सारी की सारी प्रक्रिया हुई है। यह उसी को सोच करके मुख्य मंत्रीजी ने 22.01.2014 को इसका गठन किया है। उनकी रिपोर्ट अभी 09.03.2016 को प्राप्त हो गई है। उसका एनालिसिस करके, क्या-क्या बनेंगे, कितने बन सकते हैं और कितने नहीं बन सकते हैं और कितने संसाधन हमें उपलब्ध होंगे। उनको ध्यान में रखकर...।

आपका प्रस्ताव सही है, उस सही प्रस्ताव को ही हमने आगे फारवर्ड किया है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): मेरे विधान सभा क्षेत्र के 05 ग्राम पुलिस थाना परबतसर में आते हैं और दो गांव पीलवा में आ रहे हैं, क्या आप इनको मकराना में करने का विचार रखते हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिसमें आर्थिक कोई प्रभाव नहीं होगा, और कोर्ट और हमारा थाना और सी.ओ. सर्किल एक किया जा सकता है, ऐसे जो गांव हैं, उसमें हैं वास्तव में, जिनको आसानी से मिलाया जा सकता है। उनकी कोर्ट भी वही है, विधान सभा भी वही है, उन प्रस्तावों को, जब तक हमारी यह रिपोर्ट और नये गठन होने की स्थिति नहीं आयेगी, लेकिन जिनको केवल छोटा-मोटा परिवर्तन करने से ही थाना, चौकी और सब एक स्थिति में आ जाता है, उसके आदेश हम बहुत जल्दी निकाल देंगे, ताकि राजस्थान की कम से कम एक समस्या, जो बिना किसी आर्थिक भार के भी हम हल कर सकते हैं, उस ओर हमने अपनी प्रक्रिया को शुरू किया हुआ है। मैं सोचता हूं कि आपके भी प्रस्ताव में से ये जो पीलवा के दो गांव हैं, उनको हम आसानी से कर सकते हैं, तो उनके तो हम आदेश जारी कर देंगे। बाकी तो सारा गठन के बाद, जितने हमारे पास आर्थिक साधन उपलब्ध होंगे, उसके अनुसार ही कर पायेंगे।

पर पूरे राजस्थान में आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को, जिसमें किसी भी प्रकार का आर्थिक वज़न न आते हुए, थाने के एरिये को गांव के साथ जोड़ा जा सकता है और कोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है, उनका तो हम आने वाले कुछ समय में अपने लेवल पर ही प्रयास करके उसको ठीक करेंगे।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, हमीरसिंह भायल। आप कहां आ गये, यहां। ये तो मकराना है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): यह पुलिस थाना वाला ही मामला है, हुकुम।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। यह मकराना है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): निवेदन है, मेरी भी विधान सभा में।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। मकराना है यह तो।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): यही है, हुकुम।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री अशोक।

दबलाना (बूंदी) में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

435. श्री अशोक (हिण्डौली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(श्री अशोक)

(1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत 132 के.वी. जी.एस.एस. दबलाना की स्वीकृति कब जारी की गई थी एवं उक्त के निर्माण कार्य पूर्ण होने की समयावधि क्या थी?

(2) सरकार उक्त जी.एस.एस. निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन दबलाना के निर्माण हेतु दिनांक 22.06.2015 को स्वीकृति जारी की गई थी। परन्तु 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन केशोरायपाटन के प्रस्ताव के प्राप्त होने पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के निदेशक मण्डल ने दिनांक 16.08.2016 को 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन केशोरायपाटन की स्वीकृति जारी की एवं इसके साथ ही 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन दबलाना की स्वीकृति निरस्त की गई है।

(2) उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर, एक, अशोकजी।

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 22.06.2015 को 132 के.वी. जी.एस.एस. दबलाना में स्वीकृत हुआ। वहां पर 12000 कृषि कनेक्शन थ्री-फेस के हैं। उसकी वजह रही कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज नहीं मिल रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए उसकी स्वीकृति हुई। जवाब मुझे मिला कि केशारायपाटन में 18000 उपभोक्ता हैं और उनकी डिमाण्ड आने के ऊपर दबलाना का 132 के.वी. जी.एस.एस. खारिज कर दिया। क्या इससे वे 12000 दबलाना के कृषि कनेक्शन वाले किसान हैं, क्या उनकी बिजली आपूर्ति की जो समस्या है, वोल्टेज कम आने की समस्या है, क्या केशोरायपाटन में बनाने से वह खतम हो जाएगी।

इसके उपरांत भी मैं माननीय मंत्री महोदय से सीधा-सीधा एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप दबलाना को भी फिर से 132 जी.एस.एस. देने की इच्छा रखते हैं? हां या ना।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि दबलाना जी.एस.एस. हमने 2015 में स्वीकृत किया है परंतु केशोरायपाटन का जब हमने 132 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत किया, जब हमने देखा कि जितने कंज़्यूमर्स मतलब, 18903 कंज़्यूमर्स हमारे इस केशोरायपाटन जी.एस.एस. में ज्यादा उपभोक्ता हैं और दबलाना में मात्र 11794 इसके उपभोक्ता है।

मैं फिर भी माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि नियामक आयोग के जो मापदंड हैं, उसके अनुसार दबलाना जी.एस.एस. भी बनना उचित है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले जो 2017-18 में जो हमको मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 16 जी.एस.एस., 132 के.वी. जी.एस.एस. दिये हैं, निश्चित रूप से सबसे पहले मैं दबलाना को स्वीकृत करके, क्योंकि इसके जो लौसेज हैं रेगुलेटर, जो नियामक आयोग के जो मापदंड हैं, उसके अनुसार इनका जो इन्होंने बताया कि कम से कम 6 एम.वी.ए. का लोड होना चाहिए, वहां दबलाना का 25 एम.वी.ए. का लोड है। इसके अलावा जो 9 प्रतिशत वी.आर. लौसेज हैं, वह भी इनके लौसेज ज्यादा है। तो सब इनके मापदंड के अनुसार निश्चित रूप से, मतलब, दबलाना को हम 2017-18 में स्वीकृत करेंगे। यह मैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम बहुत जल्दी आपका यह शुरू करवा देंगे।

श्री अशोक (हिण्डौली): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: कोई दूसरा सवाल।

श्री अशोक (हिण्डौली): हो गया।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री संदीप शर्मा।

कोटा जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्ययोजना

436. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 2 वर्षों में कोटा जिले में नये उद्योगों की स्थापना के लिये कोई भूमि बैंक बनाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या रीको ने लैन्ड टू लैन्ड स्कीम के तहत कोटा के लखावा, फूट तालाब, आवंली रोजड़ी अन्नतपुरा में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या?

(श्री संदीप शर्मा)

(3) सरकार की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत गत 2 वर्षों में प्रदेश के कितने युवाओं को स्वयं का उद्यम लगाने के लिये प्रोत्साहन राशि/ऋण मंजूर किया गया तथा उनमें से कितने युवाओं ने अपने उद्यम स्थापित कर लिये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) नये उद्योगों की स्थापना हेतु विगत 2 वर्षों में कोटा जिले में ग्राम फतेहपुर गुण्दी, तहसील रामगंजमण्डी में 66.19 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। जिसका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 10.02.2016 को जारी किया जा चुका है।

(2) लैण्ड टू लैण्ड स्कीम के तहत कोटा के लखावा, फूटातालाब, आंवली रोजडी, अन्नतपुरा में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) -

वित्तीय वर्ष	युवा उद्यमिता में संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (लाखों में)	स्थापित उद्योग
2014-15	33	2233.55	12
2015-16	64	5100.16	32
2016-17	67	5637.00	23
(15 फरवरी तक)			

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि रिसर्जेंट राजस्थान के तहत कोटा जिले में नए उद्योगों हेतु 16 एम.ओ.यू. साइन हुए थे लेकिन उनमें से एक भी उद्योग अभी प्रक्रिया में नहीं है। माननीय उद्योग मंत्रीजी ने उस समय भी यह आश्वस्त किया था कि उद्योग लगेंगे तो क्या ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लगेंगे भी नहीं डेढ़ साल आगे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): तो राज्य सरकार कोटा में रिसर्जेंट राजस्थान के तहत नए उद्योग कब तक लगा देगी तथा प्रदेश में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन नियमों में आपने कुछ परिवर्तन किये। आपने आवेदक की उम्र 40 से 45 की लेकिन इसमें आपने आवेदक की शैक्षणिक योग्यता आई.टी.आई. और डिप्लौमा ग्रेजुएट कर दी। राजस्थान में साक्षरता की स्थिति क्या है, हम जानते हैं। आप मुझे यह बतायें कि जो गांव का बड़ा आदमी है, थोड़ा कम पढ़ा-लिखा है ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उसके पास जमीन है और आपने पूरे राजस्थान में स्किल डवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए हैं, इसमें आई.आई.टी. डिप्लोमा की बाध्यता क्यों की जा रही है? स्कील डवलपमेंट के प्रशिक्षण को शैक्षणिक मान्यता मानकर उन लोगों को इस योजना में लाभान्वित किया जा सके। दूसरे इस योजना में लोन की प्रक्रिया काफी जटिल है, उसको सरल बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कोटा में नए इंडस्ट्रियल एरिया लगाने से संबंधित है। माननीय सदस्य ने रिसर्जेंट राजस्थान के तहत हुए एम.ओ.यू. की चर्चा भी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करना चाहता हूं कि रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से जो एम.ओ.यू. हुए हैं उन एम.ओ.यू. के कंवर्जन के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में ही जमीन अलॉट की जाए, यह जरूरी नहीं है, या जो इंडस्ट्रिलय एरिया है, वहीं कोई रिजर्सेंट राजस्थान के इंवेस्टमेंट आएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए यह कहना कि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगने से जितने एम.ओ.यू. कोटा के मामले में रिसर्जेंट राजस्थान में हुए थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, सही नहीं है। कोटा के मामले में जितने एम.ओ.यू. हुए हैं, उनमें ज्यादातर एम.ओ.यू. का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है।

मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में चर्चा की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अंदर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। अगर सिवायचक भूमि उपलब्ध हुई होती तो जिन गांवों की चर्चा आपने की है उन गांवों में इंडस्ट्रियल एरिया लगाना आसान हो जाता। लेकिन क्योंकि वहां पर सिवायचक जमीन नहीं है। इसलिए वहां पर वन की भूमि को किस प्रकार से हम इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी कोशिश करने के लिए हमने लखावा की 353 हैक्टेयर भूमि, आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब 280 हैक्टेयर भूमि, इस प्रकार से कुल 634 हैक्टेयर वन भूमि के ड्राइवर्जन के प्रस्ताव आरंभिक स्तर पर विचाराधीन हैं। हमने इन प्रस्तावों को Ministry of Environment and forest के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और वन विभाग के संदर्भ के लिए कुछ जानकारी मांगी गयी, जिन जानकारियों की सूचना हम जल्दी से भिजवाएंगे। उसके बाद इस दिशा में हम कार्यवाही कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राज्य में युवा उद्यमिता को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए जो युवा उद्यमिता योजना है उसके बारे में भी कहा है कि हमने जिस प्रकार की योग्यता में संशोधन किये हैं, उनसे युवा उद्यमिता को उसका फायदा मिलने में तकलीफ हो रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्यमिता के तहत किसी भी उद्यम को लगाने के लिए या तो शैक्षणिक योग्यता जिसकी है, उसकी सफलता की गुंजाइश ज्यादा है या फिर जिसमें स्किल ज्यादा है, उस आदमी के उद्यम की सफलता की संभावना ज्यादा है। सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि जो उद्यमी सक्षम है, जो उद्योग लगा सकता है और उद्योग लगाकर सफलता प्राप्त भी कर सकता है, उस उद्यमी को किस प्रकार से हम सहायता दे सकते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उम्र का संशोधन करके 45 वर्ष कर दिया। युवा का मतलब केवल 22 साल, 24 साल, 25 साल ही नहीं रखा, 45 साल तक के आदमी को हमने युवा माना है। साथ में हमने कहा कि जिसने आई.टी.आई. का डिप्लोमा कर लिया हो, जो स्नातक योग्यताधारी हो और जिसके पास उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि या ऐसा उद्योग, होटल, अस्पताल, आई.टी. आदि के लिए भूमि उपलब्ध है, उन सबको हम लोन देंगे और लोन के साथ-साथ हम ब्याज के अंदर अनुदान भी देंगे, इंट्रेस्ट सब्वेन्शन देंगे।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, इस योजना के तहत पहले केवल 90 लाख रुपये तक के ही ऋण, जो 90 लाख रुपये तक के ऋण पर ही हम इस ब्याज का, ब्याज का जो इंट्रेस्ट सब्वेन्शन देते थे। इस 90 लाख को बढ़ाकर हमने 1 करोड़ 50 लाख रुपये किया है और 1 करोड़ 50 लाख रुपया करने के बाद मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर, इस साल के अंदर तकरीबन 500 करोड़ रुपये का निवेश इस योजना के माध्यम से राजस्थान के युवा उद्यमी कर पाएंगे और जिसमें लगभग कम से कम पांच हजार लोगों को राजस्थान में रोजगार मिलेगा।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना की सफलता के लिए, इस योजना को और अधिक प्रोडेक्टिव बनाने के लिए माननीय सदस्य जिस भी प्रकार का सुझाव देंगे, उन सुझावों का हम स्वागत करेंगे और उन सुझावों को भी इनकॉरपेट करते हुए इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक लोगों को उद्योग-धंधे लगाने का अवसर मिले, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी हम कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-दो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी में है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शहरी क्षेत्र में वन विभाग की जमीनें हैं, उनकी बड़ी जटिल प्रक्रिया है, काफी समय लग जाता है, कई सालों तक इस प्रक्रिया को सरकारें करती रहती हैं। मेरा यह निवेदन है कि इसमें राज्य सरकार कुछ करे।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ऐसा इश्यू है जो कोटा का प्रमुख उद्योग है आई.एल., वह बंद हो गया है। उसके कर्मियों की आज, परिवार के पालन के लिए भी वह परेशान हैं, भीषण आपदा, संकट से वह लोग गुजर रहे हैं। उनके लिए हजारों बीघा जमीन वहां पर है, काफी सारे असेट्स वहां पर हैं, राज्य सरकार इसके लिए कोई योजना बनाए, उनका पुनरुद्धार करे, उन कर्मियों का परिवार का भी पालन हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्षः विराजिए, जवाब आ जाएगा, नहीं तो प्रश्न काल समाप्त हो जाएगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सही है कि वन भूमि के ड्राइवर्जन के बाद में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का जो प्रोसेस है, वह बड़ा ड्वेलिंग है और उसके अंदर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की लिमिटेशन है लेकिन हम पूरी इस बात की कोशिश करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि किस प्रकार से जल्दी से जल्दी इस वन भूमि का ड्राइवर्जन करके इंडस्ट्रियल एरिया में लाया जा सकता है।

आपने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का सवाल किया है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, माननीय अध्यक्ष महोदय ....(व्यवधान)....

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त। बाकी जवाब आप उनको दे दीजियेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कतिपय ग्राम पंचायतों में विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेड़ी के ग्राम बबाई में स्थित डेयरी संयत्र हेतु अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से कोलायत पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध स्थानान्तरण करने एवं स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को लम्बे समय से भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी में चल रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को

(श्री अध्यक्ष)

रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से झुन्झुनूं शहर में सीवरेज सम्बन्धी कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बालेरा बाँध का पुनर्निर्माण किये जाने सम्बन्ध में।

(7) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा आवासीय क्षेत्रों में बिना व्यावसायिक पट्टों के आबकारी दुकानों के लाइसेंस जारी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत निकाली गयी जी.एन.एम. भर्ती परीक्षा में राजस्थान उच्च न्यायालय के र्णिय के बाद भी नियुक्तियां प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, श्री मेवाराम जैन, श्री नन्दकिशोर महरिया एवं श्रीमती सोनादेवी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के माइनिंग व वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राज़ी का वास बांध की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा में अतिवृष्टि एवं सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में

(श्री अध्यक्ष)

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बनाये गये शौचालयों की अनुदान राशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 की बर-बिलाड़ा-जोधपुर सड़क को फोर लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की कतिपय सड़कों को बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जे.एल.एन. मार्ग से मोती डूंगरी के लिए मिसिंग लिंक रोड़ को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से कपासन शहर के लिए कपासन तालाब से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(9) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में सहकारिता विभाग (कॉन्फेड) द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता सामग्री खरीद में घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में बिजली कम्पनी द्वारा विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड पीपलू की ग्राम पंचायत गहलोद में रपटे की जगह पुलिया निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार व लालफीताशाही पर अंकुश लगाये जाने हेतु न्यायिक आयोग का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 295 को आज पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्योंकि इसमें लम्बी सूची है और पंचायती राज पर काफी लोग बोलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए? प्रतिपक्ष के नेता की भी है।

(स्वीकृत)

295 पढ़े हुए मान लिये गये।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 38 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1.	श्री सुखराम विश्नोई	सांचौर विधान सभा क्षेत्र में गोशाला, नन्दीशाला को अधिक अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री ज्ञानदेव आहूजा	विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विभिन्न कस्बों के नाम परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री बनवारी लाल सिंघल	प्रदेश में चरागाह भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में।
4.	श्री जगदीश नारायण	जमवारामगढ़ झील में पानी लाये जाने के सम्बन्ध में।

इस पर तो आप मांग थी तब बहुत बोल चुके हैं। जगदीश नारायण जी, सारी चर्चा उस वक्त हो चुकी है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

झुन्झुनूं शहर में सीवरेज कार्य

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

माध्यम से माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा। झुन्झुनूं शहर जो एक जिला मुख्यालय भी है, वहां 2009 में सीवरेज प्लान स्वीकृत हुआ, सीवरेज कार्य के लिए स्वीकृति जारी की गयी और उसके बाद काम भी शुरू हो गया। उसमें मुख्य लाइन डलनी थी, घरों से और घरों को जोड़ने के लिए गलियों से भी लाइन डलनी थी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनना था और, अध्यक्ष महोदय, सात-आठ साल की अवधि गुजर जाने के बाद भी वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और अब तो स्थिति यह है कि वो कार्य बंद पड़ा है।

इससे न केवल वहां की सड़कें टूटी-फूटी हैं बल्कि इस सीवरेज के कार्य के पूर्ण होने से जनता को जो लाभ होना था, जो जनता को सुविधाएं मिलनी थीं, उससे भी वो वंचित हो गयी है और इस कार्य के लिए जो सरकारी धन खर्च हुआ वो भी एक तरह से नकारात्मक श्रेणी में आ रहा है क्योंकि जहां लाइन डाल दी वो काम में नहीं आयी, गलियों में डाल दी, मुख्य लाइन डाल दी, उनमें मिट्टी भर गयी, कोई चैम्बर नहीं बने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी कुछ काम हो गया, वो भी पूरा नहीं हुआ, उससे इन पाइप लाइनों को जोड़ा भी नहीं गया।

तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि कितनी लम्बी पाइप लाइन, कितने किलोमीटर डालनी थी, उसमें से कितनी कितनी डाल गयी, कितनी बकाया है? मुख्य लाइन कितनी डल गयी, कितनी बकाया है?

इस कार्य में जो देरी हुई उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या संवेदक जिम्मेदार है? अब सरकार इस कार्य को कब तक पूरा करा कर जनता को इसकी सुविधा दे देगी? माननीय मंत्रीजी विराजे हुए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, उनसे रेस्पोंड कराएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है इसमें मेरा यह निवेदन है कि आर.यू.आई.डी.पी. के अधीन झुन्झुनूं शहर के लिए

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के तहत 2009-10 में सीवर लाइन का कार्य स्वीकृत किया गया थ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्य मैसर्स रामस्वरूप इंडस्ट्री लिमिटेड, कोलकाता को आबंटित किया गया जिसकी कार्य प्रारम्भ तिथि 30.07.2009 एवं कार्य पूर्णता तिथि 29.01.2012 थी। इस परियोजना की कुल लागत 32.69 करोड़ रुपये में से लगभग 15.82 करोड़ रुपये का कार्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ण किया जा चुका है एवं कुल स्वीकृति 105 किलोमीटर सीवर लाइन में से 62 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं। इधर आपसी चर्चा नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, चार-चार एक सीट पर नहीं, आपसी चर्चा नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): संवेदक के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण इस कार्य का अनुबंध दिनांक 27.04.2015 को निरस्त कर दिया गया तथा उसकी बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गयी। आर.यू.आई.डी.पी. के अधीन यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के शेष बचे हुए कार्यों को आर.यू.आई.डी.पी. के फेज थर्ड में करवाये जाने वाले कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि आर.यू.आई.डी.पी. फेज थ्री के अन्तर्गत हम झुन्झुनूं शहर में सीवरेज एवं पेयजल कार्यों हेतु राशि, जो 237.50 करोड़, जिसका अनुबंध मैसर्स एल. एण्ड टी. लिमिटेड, चेन्नई के साथ किया गया है, जिसके अन्तर्गत झुन्झुनूं शहर में एक 7 एम.एल.डी. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 562 किलोमीटर वाटर लाइन, 127 किलोमीटर सीवर लाइन एवं 62 किलोमीटर पुरानी डाली हुई सीवर लाइनों की टैस्टिंग व कमीशनिंग प्रस्तावित है।

संवेदक मैसर्स एल एंड टी लिमिटेड को कार्यादेश दिनांक 26.12.2016 को दिया गया है। संवेदक द्वारा सर्वे, पाइपों की खरीद और संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही कार्य समाप्ति हेतु 27 माह का समय दिया गया है। उसके पश्चात् 10 वर्ष तक उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

संवेदक को दी गई है। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा काम आपका कर दिया है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष: बस जवाब आ गया। प्रश्न आप पूछ लेना। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर के बालेरा बाँध का पुनर्निर्माण

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत जो मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे यहां एक बालेरा गांव जो कि पहाड़ों के बीच में आया हुआ है। 1980 में वहां एक बाँध बना। वह पूरा पानी से लबालब भर जाता था। उससे पेयजल की पीएचईडी ने योजना बनाई। करीबन 5-6 पंचायतों के 25 से 30 गांवों के लोग बालेरा के उस खडीन से जो बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा था, पानी पीते थे। 1990 में भंयकर बाढ़ आई और वह बाँध टूट गया। 1990 से आज तक वह बाँध बना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बाँध है। आसपास जो कुएं इसमें खोदे गए थे वाटर वर्क्स की स्कीम के लिए, वह सूख गए हैं। आप इस खडीन को, जो यह बाँध है, उसका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, कोई ढाई, तीन करोड़ के अंदर यह बाँध बन जाएगा। यह जो आपकी महत्वपूर्ण स्कीम है जल स्वावलंबन योजना, जिस जल को हम बचाना चाहते हैं, इससे यह जल बच जाएगा और कम से कम 30 गांवों को मीठा पानी इस योजना के तहत मिलेगा। आप नरेगा की बात कर रहे थे कि नरेगा से बनाएंगे। लेकिन नरेगा से क्या यह बाँध बन सकता है? आपकी कल मांग पर भी चर्चा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और इसकी घोषणा करावें। यह एक महत्वपूर्ण बाँध हैं। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में आया हुआ है। पूरा बाँध पानी से लबालब भर जाता

(श्री मेवाराम जैन)

है। इससे आस पास के गांवों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता रहा है। कृपया इस बांध को बनाने की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, रेस्पोंड करेंगे?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): करो न।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह जो खडीन हैं वह पंचायती राज की है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन एक बहत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसको हम दिखवाकर के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इसको सही करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

आवासीय क्षेत्रों में बिना व्यावसायिक पट्टों के आबकारी दुकानों के लाइसेंस

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे नियम 50 के तहत प्रस्ताव रखने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी लाटरी के द्वारा अलॉट हुई आबकारी विभाग की जो दुकानें हैं, उनके आबकारी विभाग द्वारा लाइसेन्स और अनुज्ञा-पत्र जारी किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में दुकानें हैं। खास तौर से शहरी क्षेत्रों में मैं बताना चाहूंगा कि ताबड़तोड़ तरीके से जो दुकानें कामर्शियल कन्वर्टेड नहीं हैं, जो प्रिमिसेज कामर्शियल नहीं हैं उनमें भी अनुज्ञा पत्र जारी किए जा रहे हैं।

आज कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है खास तौर से शराब जैसा व्यवसाय तो उसको वहीं लाइसेंस दिया जाए जो प्रिमिसेज कामर्शियली कन्वर्टेटेड हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आवासीय कॉलोनियों में और बाकी जगहों पर यह लोग दुकानें खोलेंगे और उससे रोजमर्रा में, जैसे लास्ट ईयर भी कई जगह समस्याएं आई थी, हड़तालें होंगी, धरने होंगे, मटके फूटेंगे, यह नियम विरुद्ध भी होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े ही सख्त आदेश इस

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

संबंध में दिए जाएं कि सिर्फ कॉमर्शियली कन्वर्टेटेड प्रिमिसेज में ही शहरी क्षेत्र में यह दुकानें लगें। अन्यथा लाइसेंस जारी नहीं किए जाएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अंदर शराब की दुकानों की लोकेशंस तय होती है। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें यह प्रावधान हैं कि कहां पर शराब की दुकानों के लिए लोकेशंस तय नहीं की जा सकती है। उसके बहुत स्पष्ट प्रावधान है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि-

"A shop for the retail sale of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor shall not be located within a distance of 200 meters of Collegiate Educational Institutions, Senior Higher Secondary School, Girls School, Any standard Hospital, Place of Worship or Place of Public Entertainment, a Factory or a Labour or Harijan Basti"

कहां-कहां पर शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं इसके स्पष्ट प्रोहिबिशन हैं। उसी के आधार पर किसी आदमी के नाम पर अनुज्ञा पत्र जारी करने से पहले उसकी लोकेशंस तय करने के लिए एक चैक लिस्ट है। उसके अंतर्गत जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पहले एग्जामिन कर लिया जाता है और उसके बाद में इंस्पेक्टर उसकी ताइद करता है, उसकी रिपोर्ट पेश करता है और उसके बाद वहां पर उस आदमी को दुकान खोलने की अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद जैसे कि माननीय सदस्य ने चर्चा की कि कई जगहों पर विरोध होता है। यह सही है कि कई जगह दुकान की लोकेशन तय करने के बाद लोकल आदमियों का विरोध होता है। उस विरोध का एग्जामिनेशन किस प्रकार से किया जाए इसका मैकेनिजम भी कानून में शामिल है। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक भी है और संबंधित क्षेत्र के विधायक भी उसके सदस्य हैं। अगर वहां पर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है कि अमुक-अमुक दुकान की लोकेशन को बदलाव किया जाना चाहिए तो उस लोकेशन के बदलाव के लिए कमेटी की रिकमंडेशन होती है और उसके आधार पर उस दुकान की लोकेशन को बदल दिया जाता है। इसलिए यह मानना कि लोकेशन के गलत

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

चुनने पर जनता का विरोध होने पर, कोई आपत्ति होने पर तो उस रिड्रेसल का इलाज है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अगर दुकान को चाहते हैं क्लोजर तो उसके भी प्रावधान हैं। किस वार्ड के अंदर या किस पंचायत के अंदर शराब की दुकान खुलनी ही नहीं चाहिए तो उसके लिए वोटिंग का प्रोविजन है। वोटिंग के प्रोविजन के तहत दुकानें हटाई भी गई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कानून पिछले कई सालों से चल रहे हैं उनके आधार पर सरकार अनुज्ञा पत्र जारी कर रही है। अनुज्ञा पत्र के अंदर जो सारी कंडीशंस हैं उनके आधार पर लोकेशंस तय की जा रही हैं। इसमें मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की आपत्ति होने के जरूरत नहीं है। किसी भी कंडीशन में पब्लिक ग्रिवेंस रेज होने पर, पब्लिक ग्रिवेंस के रिड्रेसल का फुल प्रूफ सिस्टम लोकेशन के बदलाव से लेकर के उस जगह पर बंद करने तक के कानून में प्रावधान हैं। मैं समझता हूं कि यह चिंता बहुत ज्यादा आधार युक्त नहीं है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय दोनों विभागों के खूब जानकार हैं, विद्वान हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कॉमर्शियली कनवर्टेड जगह में होगी या नहीं होगी, यह आप स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया। जवाब आ गया। विराजिए। श्रीमती सोना देवी।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): यह स्पष्ट कर दें प्लीज।

श्री अध्यक्ष: स्पष्ट आप मिलकर के करवा लेना।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन था कि जो समिति बताई है माननीय मंत्री जी ने, उस समिति में आज तक किसी विधायक को नहीं बुलाकर किया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती सोना देवी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत जीएनएम की भर्ती

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और संबंधित मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में जीएनएम की भर्ती निकाली गई थी। भर्ती प्रक्रिया में अपारदर्शिता व अनियमितता के कारण प्रभावित जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने

(श्रीमती सोनादेवी)

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान में जन हित याचिका संख्या 6207/09 में राजकुमार बनाम राज्य सरकार दायर की थी।

(12:19 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दिनांक 7.12.2016 के अंदर राज्य सरकार को निर्देशित किया कि प्रकरण से प्रभावित जो भी अभ्यर्थी हैं, 2007-08 में, उन आवेदकों को जिला स्तरीय मैरिट के आधार पर एक माह के अंदर-अंदर नियुक्तियां प्रदान की जावें। लेकिन आज 3 माह से भी अधिक समय हो चुका है। आवेदक अभी तक दर-दर भटक रहे हैं। सरकार के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: Do you want to react on it?

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मिशन, निदेशालय एनआरएचएम द्वारा अनौपचारिक टिप्पणी दिनांक 30.01.16 के द्वारा जीएनएम की 1789 पद भरे जाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती का आयोजन करा लिया गया, परिणाम घोषित किए जाने के पूर्व ही 2007 में जीएनएम भर्ती के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय ने लम्बित मुकदमों में चल रहे न्यायालय प्रकरणों की इस भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन करवा दिया गया। इसके बाद वृहद पीठ जोधपुर के निर्णय 30.11.15 की पालना में एकल पीठ द्वारा माह मार्च 2016 में और मई 2016 में दिए गए निर्णय में एनआरएचएम भर्ती के तहत जिला स्तर पर ही वरीयता बनाने के निर्देश के क्रम में उक्त विज्ञप्ति में 1789 पदों की माह जनवरी 2017 में जिला स्तरीय वरीयता सूची तैयार कर परिणाम घोषित कर दिया गया। जिस पर पुन: माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा स्टे माह जनवरी, 2017 में प्रदान किए जाने से कार्यवाही पुन: लम्बित हो गई। अब दिनांक 24.03.17 को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त स्टे को वैकेट किए जाने की जानकारी मिली है। निर्णय की प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, शीघ्र ही उक्त भर्ती को प्रक्रियानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): समय बता दें, 'शीघ्र'? 'शीघ्र' का समय?

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): अभी तो प्रति ही नहीं आई, प्रति आने के बाद जल्दी कर देंगे।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): 'शीघ्र' का मतलब समय नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय। चार पर्चियां हैं। जगदीश नारायणजी, आपकी जो पर्ची है इसकी बहस पर आप जब मांग पर बहस थी उसमें यह विषय आ चुका है इसलिए I am disallowing it. तीन पर्चियां हम अलाउ करेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: इनको आप कम्पलीट होने दो, When I'll call your name.

पर्ची के माध्यम से उठाए गये मुद्दे

सांचौर की गौशाला को अनुदान

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4 दिसम्बर, 2016 को सांचौर स्थित नंदी गौशाला, जहां करीब 20 हजार नंदी हैं, उनकी प्रशासन के साथ दो महीने से हड़ताल चल रही थी, वह नंदीशाला पूरा प्रशासन चला रहा था, तो जो समझौता हुआ, पशुपालन राज्य मंत्री वहां 4 दिसम्बर को मौजूद थे, जिले के एसपी मौजूद थे, कलेक्टर मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में एक समझौता हुआ, समझौते की चार लाइनें हैं कि जो भी बीमार गौवंश है, अपंग गौवंश है उनको और जो नर गौवंश है, इनको 12 मास अनुदान दिया जाएगा, 32 रुपए और 16 रुपए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समझौते पर सरकार की तरफ से पशुपालन राज्य मंत्रीजी के हस्ताक्षर हैं, जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर हैं और जो नंदीशाला चलाते हैं, उनके हस्ताक्षर हैं। उस समझौते की आज दिन तक पालना नहीं हुई, जो अनुदान सामान्य रूप से गौशाला को 90 दिन का दिया जा रहा है, उन्हीं नंदी गौशाला को दिया जा रहा है, जो बीमार और अपंग गाएं हैं उनको 12 महीनों के अनुदान की लिखित में घोषणा की थी, उनकी पालना नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो 16 हजार नर गौवंश है, नंदी

(श्री सुखराम विश्नोई)

कहते हैं, उनके सामने चारे का संकट है और वह जो स्थिति गौशाला के सामने बनी हुई है चारे के अभाव में रोज दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह नंदी मर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से जानना चाहूंगा कि जो समझौता सरकार की मौजूदगी में किया गया राज्य मंत्री ने हस्ताक्षर किए उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है? धन्यवाद।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की वर्तमान सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए कटिबद्ध है, देश में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर अलग से गौपालन विभाग का गठन किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): काम क्या कर रहे हो?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार गौवंश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है, अलग से निधि का प्रावधान किया गया है। पहली बार 2015-16 के बजट में स्टाम्प ड्यूटी के कुछ डाकूमेंट पर सरचार्ज लगाया गया और उससे हमें 103.62 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और पूरी राशि सभी जिलों को आबंटित कर दी गई है। वर्तमान में 1148 पात्र गौशालाएं हैं और अभी माननीय सदस्य जिस गौशाला, गोलासन, जालौर जिले की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि वहां पर जो पशुओं की संख्या है, वह दस हजार से कुछ अधिक है। हमने पूरे अभी 6 करोड़ 44 लाख रुपए जालौर जिले में आवंटित कर दिए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: लैट हिम स्पीक, एक बार उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 6 करोड़ 44 लाख 62 हजार 640 रुपए हमने जालौर जिले में आबंटित कर दिए हैं और अभी लगभग 2 करोड़ रुपए जिले में पड़े हुए हैं जो इनसे खर्च भी नहीं हुए हैं और सभी गौशालाओं को हमने तीन माह का अनुदान दिया है पहली बार। इसके लिए माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह पहली बार वर्तमान सरकार में अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। अगर पिछले पांच सालों को देखें तो कांग्रेस सरकार के समय केवल 83.80 करोड़ का अनुदान आपके द्वारा दिया गया था और हम 103 करोड़

(श्री अजय सिंह)
रुपए का जारी कर चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2017-18 के बजट में यह प्रावधान किया है कि जो कतिपय दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज लगाया गया था, अब सभी दस्तावेजों पर सरचार्ज लगाया गया है जिससे हमे निश्चित रूप से 60 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे और वित्तीय संसाधनों को आगे देखते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक गौशालाओं को अनुदान दिया जाए। वर्तमान में हम 3 महीने का सभी गौशालाओं को दे रहे हैं और पहली बार 7 काजी हाउस है उनको भी हमने अनुदान जारी किया है। इसके अलावा पहली बार जो सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1958 के तहत जो गौशालाएं पंजीकृत थी जिनको पिछली बार अनुदान नहीं दिया गया था उनको भी हम अनुदान दे रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समझौते की कॉपी मेरे पास पड़ी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नर गौवंश को और अपंग गौवंश को 12 महीने अनुदान दिया जाएगा और पशुपालन राज्य मंत्री और जिलाधीश के हस्ताक्षर हैं, उसकी पालना की बात कर रहा हूं, उसकी पालना करोंगे कि नहीं करोगे, स्पष्ट कहो कि करेंगे या नहीं करेंगे, यह बात करो, बाकी बात क्यों करते हो? हमने नहीं दिया है, यह बात क्यों करते हो, देंगे या नहीं देंगे यह बात करो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर महोदय से हमें प्रस्ताव मिले हैं उन पर हम विचार करेंगे। जब देने की बात आ रही है तो गोलासन भी पहले वही था, आपके समय कभी दिया गया क्या अनुदान?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): दिया कैसे नहीं, दिया ही है। ...(व्यवधान)... हमने गौ निदेशालय खोला। 120 करोड़ रुपए दिए, आपने तो उसके बाद से लिया है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): ऐसा है कि माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपके समय में केवल 83.80 करोड़ रुपए जारी हुए पूरे पाँच साल में, वह भी अंतिम वर्ष में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह भी अंतिम वर्ष में आपने जारी किए हैं। यह पहली बार हुआ है कि हमने अलग से बजट की व्यवस्था की है। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्यों ताली बजा रहे हो?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बजट को बढ़ाया जाए। अभी जो सरचार्ज लगाया गया है, आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कलेक्टर से जो प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन पर विचार करेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप बात को घुमा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दिलाओ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह जो समझौता किया, राज्य मंत्री ने उसकी पालना करेंगे या नहीं करेंगे, बात स्पष्ट कहो न? नहीं करो तो मुकर जाओ, नहीं करेंगे। नहीं है तो वह कह दो, सीधी बात कह दो। गायों की बात करने वाले हो। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप खड़े हो, वह सक्षम नहीं है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उनका मेरे से भी जुड़ा हुआ है, दो अलग-अलग भाग हैं। आपदा राहत के तहत 90 दिन का जारी करते हैं, जहां आपदा में जिला आता है और यह आपदा के अलावा है, यह पहली बार हुआ कि आपदा की सहायता तो हम हर साल करते ही हैं जो भी आपदा में जिले आते हैं, लेकिन यह जो है वह आपदा के अलावा है, यह हमने पहली बार जनवरी, फरवरी और मार्च, यह तो पशुपालन विभाग इसके लिए सहायता जारी करता है। अप्रैल, मई और जून, हमारा आपदा राहत विभाग करता है। इनका पेमेंट है वह 16-32 है, हमारा पेमेंट 35-70 है, अभी तक तो संकट की बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि तीन महीने इनके होंगे और तीन महीने हमारे होंगे, तब जून तक आ जाएगा और तब तक नर गौशालाओं को और बीमार गौशालाओं को और अतिरिक्त क्या साधन हमारे पास जुटेंगे और क्या हम कर सकते हैं वह करने का प्रयत्न करेंगे। मैं अकेली आपकी जिस नंदीशाला की बात कर रहे हो पिछली बार अकेले ही एक ही गौशाला को मैंने 14184 पशु को 35-70 के हिसाब से 5 करोड़ 37 लाख तो आपदा राहत से किया है।

यह तो अतिरिक्त है। जैसे ही आपका जून आ जाएगा और जून आने के बाद आपको लगेगा कि नंदी गौशाला और बीमार गौशालाओं को और आर्थिक, आज की तारीख में तो आपको मिल रहा है, तीन महीने ये दे रहे हैं, दो महीने आगे का हम दे रहे हैं। जून के बाद आपको लगेगा कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नंदीशालाओं को जो कुछ भी आपके साथ लिखित समझौता किया, बीमार पशुओं और नंदीशालाओं को तीन महीने का अतिरिक्त देने की बात है सरकार उस पर विचार करेगी। आज तो मिल रहा है पैसा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ के कस्बों का नाम परिवर्तन

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो पर्ची के माध्यम से विषय रखा है, आपने बोलने दिया है, धन्यवाद। हमारे विधान सभा क्षेत्र की जनता की इच्छानुसार, सम्पूर्ण जनता के आदेश पर ही मैंने 5 कस्बों के नाम परिवर्तन के लिए आज पर्ची के माध्यम से विषय रखा है। मेरा विधान सभा क्षेत्र के तीन कस्बे देवताओं के नाम पर या ईश्वर के नाम पर है, एक किशनगढ़ है, वो मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं है, जिले में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र हैडक्वार्टर रामगढ़ को ''श्रीरामगढ़'', गोविन्दगढ़ कस्बे को ''श्रीगोविन्दगढ़'', लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति भी मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी है उसको ''श्रीलक्ष्मणगढ़'' और एक बड़ौदामेव कस्बा है उसका नाम ''बड़ौदामेव मंदिर'' और साथ ही किशनगढ़ का नाम ''श्रीकिशनगढ़'' किया जाए। इसमें सरकार का कोई बजट नहीं लग रहा, सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा। सिर्फ कस्बों का नाम परिवर्तन करने की जनता की इच्छा और भावना है। इस नाते इस पर्ची को रखा है। आगे कुछ और गांवों के नाम परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वे कलेक्टर व संभागीय आयुक्तों को अनुमति दें, अधिकार दें कि उन गांवों के भी नाम परिवर्तित करें। अभी मैंने सिर्फ 5 कस्बों का नाम रखा है जिसके लिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रस्ताव लेकर आये हैं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, माननीय सदस्य, आपके नाम के आगे भी, ज्ञानदेव के आगे कुछ लगाये जाने का प्रस्ताव भी ले आओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप करवा दें, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लंकेश का अगर नाम आगे आ जाए तो अच्छा लगेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप करवा दें तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इनकी मजाक क्यों उड़ा रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आहूजाजी को कई दिनों से कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके नाम के आगे कुछ लगे, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरी जितनी हिम्मत है उतनी जाटों की नहीं। आप जाट हो, मैं डबल जाट हूं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 5 कस्बों के नाम परिवर्तन के लिए आपके माफर्त सदन में बात रखी है। भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो 11 अप्रैल, 2005 Change in the names of villages and towns, के बारे में प्रोसिजर है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव आप अपने कलेक्टर को पेश करेंगे, कलेक्टर हमारे रेवेन्यू बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजेंगे इन कस्बों के नाम परिवर्तन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आएगा, हम होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार को भेजेंगे। उनके बाद स्वीकृति आने पर जो 5 नाम आपने कहे हैं, भारत सरकार के होम मंत्रालय से जब भी हमें अनुमति मिलेगी आपका टॉप प्रायरटी के आधार पर इन नामों को जल्दी से जल्दी परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। आपने जो 5 नाम बताये हैं, अभी तक हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया है। मैं कलेक्टर को आज ही, अगर आपने वहां प्रस्ताव दे दिये हैं तो हम आज ही मंगाने का प्रयास करेंगे कि आप रेवेन्यू बोर्ड में भेजकर हमारे पास जल्दी भेजो, यह पूरा प्रयास करूंगा। आपने यह कहा श्रीरामगढ़, श्रीगोविन्दगढ़, श्रीलक्ष्मणगढ़, श्रीकृष्णगढ़वास, चार के तो आपने श्री लगाया है और बड़ौदामेव की जगह मंदिर बताया है, आपकी भावना की बिलकुल कद्र की जाएगी। प्रस्ताव शीघ्र आने पर उनका परीक्षण कराया जाएगा और भारत सरकार के परिपत्र 11.4.2005 के अनुसार नाम परिवर्तन करेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है ये प्रक्रिया के तहत पेपर आपके पास पहुंचे, इसको शीघ्रातिशीघ्र कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: दुबारा बताएं क्या कहा आपने?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरा यह निवेदन है कि जो प्रक्रिया का माननीय मंत्री महोदय ने कहा है उस प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए कलेक्टर साहब को पत्र भेजकर आपके पास आ जाय और इसकी प्रक्रिया को जल्दी पूरा करवाकर उन कस्बों का नाम परिवर्तन करने का कष्ट करें, यह निवेदन है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मैंने कह दिया कि हम कलेक्टर से जल्दी ही प्रस्ताव मंगाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारीलाल सिंघल।

प्रदेश में चरागाह भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर तहसील के कुछ गांवों में, अलवर जिले में जिस तरह से चारागाह भूमि पर कब्जे करके सरकारी भूमि पर लोग इमारतें बनाकर खड़ी कर रहे हैं और जो इनको देखने की, कार्यवाही करने की एजेंसी है वह मूकदर्शक की भांति देखते हुए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस बाबत मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का, सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ग्राम श्योदानपुरा, तहसील अलवर में खसरा नम्बर 276 और 277, जिसमें 4400 मीटर जमीन पर कब्जा करके होटल का निर्माण हो गया। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार में जो अभी सतर्कता समिति बनी हुई है, उसके एक माननीय सदस्य के द्वारा जब सरकार का ध्यान 2016 में आकर्षित किया गया तो सरकार के पटवारी, कानूनगो ने रिपोर्ट बनाकर दे दी 18.12.2016 को कि 276, 277, ग्राम श्योदानपुरा में 4400 मीटर जमीन पर कब्जा है। इसके बाद यह रिपोर्ट तहसीलदार साहब को चली गयी। तहसीलदार साहब ने मान लिया कब्जा है। तहसीलदार साहब ने एसडीएम साहब को दे दिया। एसडीएम तो हमारे यहां आईएएस लग रहा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर-विजिलेंस को दे दी। कलक्टर विजिलेंस को जाने के बाद, तीन-साढ़े महीने बीत जाने के बाद प्रमाणित कब्जा जो चारागाह भूमि पर है उसको हटाने की दिशा में, हटाना तो दूर की बात है कोई कार्यवाही आज तक अंजाम में नहीं।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

इसके अलावा दूसरी बात, जब यह कार्यवाही चलने लगी तो मुझे लगता है जिला कलक्टर महोदय ने जल संसाधन विभाग की जानकारी में भी डाला। जल संसाधन विभाग ने भी अपने अधिकारियों को भेजा। वहां से भी रिपोर्ट आ गयी कि जल संसाधन विभाग की जमीन पर भी इस चारागाह के साथ-साथ कब्जा है। कैसे हमारे पशु बचेंगे, कैसे गाय बचेगी, चारागाह भूमि पर इस तरह से अगर भूमाफिया लोग होटल खड़ा करेंगे, बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे।

इसके बाद एक समाचार-पत्र मेरे हाथ में है। 28.1.2017 का राजस्थान स्तर का समाचार-पत्र है जिसमें बड़ी-बड़ी खबर छपी हुई है ''चारागाह पर बन गया आलीशान होटल, अब ढूंढ रहे अतिक्रमियों को''। इस समाचार में अख़बार के खबरनवीस ने हमारे तहसीलदार से सूचना प्राप्त की तो तहसीलदार का वर्जन भी छपा है, ''जिला कलेक्टर सतर्कता की ओर से प्रकरण प्राप्त होने के बाद भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी से जांच करायी गयी। मामले में स्वयं मौका निरीक्षण किया, स्वयं तहसीलदार ने। इसमें श्योदानपुरा में चारागाह भूमि पर दो व्यक्तियों के नाम हैं, कब्जाधारियों का, इन लोगों का अवैध कब्जा पाया गया। इस मामले में दोनों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वर्तमान सरकार बहुत पारदर्शी है, संवेदनशील है। इस पारदर्शी, संवेदनशील सरकार में अगर इस तरह की नाकारा कार्यवाही कोई अधिकारी करते हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस कब्जे को भी तुरन्त हटाया जाय और तीन महीने तक इस कार्यवाही को नहीं करने वाले जो गैर-जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने के आदेश से आपके माध्यम से फरमाये जाऐ, यह मैं मांग करता हूं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि आपने जो चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में, जो भी भूमाफिया हो, काश्तकार हो, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही संबंधित तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार द्वारा की जाती है।

इसके तहत बेदखली व 50 गुना शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। पश्चातवर्ती अतिचारी के होने पर अतिक्रमी को 3 माह तक की

(श्री अमराराम)

सिविल कारावास की सज़ा दी जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भी उक्त अधिनियम की धारा 91 (6) के परन्तुक (क) में यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के किसी भूमि पर दखल कर लिया गया है तो तहसीलदार द्वारा लिखित नोटिस के 15 दिवस के भीतर बेदखल करने व हटाने में विफल रहता है तो दोषी पर ऐसे साधारण कारावास से जो एक माह से कम नहीं होगा किन्तु 3 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माना जो 20 हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अलवर जिले के बारे में चिंता जाहिर की है कि इस प्रकार से होटल का निर्माण किया है, इसके बारे में कानूनी तौर से सरकार बिलकुल ही जो भी अतिक्रमी है या भूमाफिया है या काश्तकार है, जो भी कोई कब्जा करता है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब बिलकुल गोलमोल कर दिया। आप उसको 50 गुना पैनल्टी लगायेंगे या आप उसको 10-20 हजार रुपये दण्ड दे देंगे, मैं यह कह रहा हूं कि आपकी एस.डी.एम. जो आई.ए.एस. है उसकी रिपोर्ट मैं पढ़ देता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: इसकी कन्क्लूडिंग लाइन पढ़ दें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कनक्लूडिंग लाइन ही पढ़ रहा हूं और दूसरे जो लोग हैं उनको नहीं पढ़ रहा। तहसीलदार, अलवर ने अवगत कराया कि पटवारी हल्का पैंतपुर द्वारा 06.01.2017 को ग्राम श्योदानपुरा के खसरा नम्बर 276 रकबा 0.42 हैक्टेयर व 272, खसरा नम्बर 277 रकबा 0.02 किस्म चरागाह की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत रिपोर्ट सच एण्ड सच पर्सन, दो व्यक्ति हैं, क्योंकि जैसा आसन हमेशा यह निर्देशित करता है कि बाहरी व्यक्तियों का नाम नहीं लिया जाए, के विरुद्ध कार्यालय में प्रस्तुत की गई तथा इन खसरा नम्बरान 276/426 में आंशिक पक्का निर्माण व पार्क आदि बनाकर होटल, किसी भी नाम का है यह, के साथ जोड़कर एक, किसी नाम का होटल है इसके संचालक दो व्यक्ति के द्वारा गैर कृषि उपयोग करते हुए होटल का संचालन किये जाने की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 90 के पेश की गई। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन-तीन, चार-चार पटवारी से लेकर, कानूनगो, तहसीलदार, एस.डी.एम., कलेक्टर, विजिलेंस और उसके बाद सरकार और इसके साथ-साथ आज की तारीख में चौथा स्तम्भ कहे जाना वाला मीडिया, सब शामिल हो गये, राजस्थान सरकार की सतर्कता समिति के सदस्य ने मामले को उठाया और उसके बाद हम 10-20 हजार पैनल्टी दे दें तो आराम से फिर यह काहे के चरागाह की हम बात करेंगे, किस बात के अतिक्रमण की इस सदन में बात करेंगे। मंत्रीजी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह विश्वास दीजिये कि जिन लोगों ने लापरवाही की है पूरी रिपोर्ट आने के बाद, प्रमाणित होने के बाद यह अतिक्रमण, उनके खिलाफ तुरन्त प्रभाव से, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन, दस दिन में कार्यवाही कराई जाएगी, यह आप दीजिये। इसमें किसी प्रकार का कोई कोर्ट का काम नहीं, किसी प्रकार की दूसरी कोई पैण्डेंसी नहीं। अतिक्रमण हटाओ और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराकर उनको बन्द कराने का काम करो। यह मेरी सीधे-सीधे मांग है और आप कानून का बता रहे हैं तो मैंने इस रिपोर्ट को यहां रखने से पूर्व पढ़ लिया है और पढ़कर उस कानून के अन्तर्गत इसको रख रहा हूं। मैं तो कार्यवाही की मांग कर रहा हूं, आप मुझको यह मत बताओ 10 हजार खाली।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा अब आप विराजो। आप इतना क्रोध न करें, क्रोध क्यों कर रहे हैं यहाँ?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्रोध नहीं है साहब, हम तो आपके साथ हैं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, यह रिपोर्ट मंगायी जाएगी और रिपोर्ट मंगायी जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई? पर्ची लगने के बाद माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं तो यह विभागीय कार्यवाही का नमूना है कि आप मंत्री महोदय पर्ची के माध्यम से जवाब दे रहे हैं और रिपोर्ट मंत्री महोदय के पास नहीं आई।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। मैं सदन से यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि पर्ची पर मंत्री का जवाब देना अनिवार्य नहीं है। आपकी वेदना और मंत्रियों की और सरकार की संवेदना पर ये अपना उत्तरदायित्व निभाने की चेष्टा करते हैं। आप जबरदस्ती मंत्रिमण्डल के सदस्यों को कठघरे में खड़ा करने का क्यों कृत्य करते हैं। मंत्री महोदय हैं, मंत्री महोदय ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाही करूंगा। जैसे मंत्री महोदय नियम से बंधे हुए है, वैसे यह आसन भी नियम से बंधा हुआ है और जैसे मंत्री महोदय और आसन नियम से बंधा हुआ है वैसे आप भी नियम से बंधे हुए हैं। तो नियमानुसार मंत्री महोदय, कार्यवाही करके सदस्य को सूचित कर दीजियेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह अंदाज पसंद आया, उपाध्यक्ष महोदय, क्या अंदाज है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण जी। एक मिनट आप विराज जाएं। अध्यक्ष जी का यह निवेदन है कि क्योंकि कल पेयजल और सिंचाई की मांग पर वैसे भी चर्चा है और आपका विषय उसी से लगता हुआ है। आप उचित समझें तो आज आप फरमा दें और अगर आपको ठीक लगे और कल मांग पर आप बोलना चाहें तो आप विस्तृत रूप से बोल सकेंगे वरना मैं आपको चार मिनट से ज्यादा यहां दूंगा नहीं। आसन आपकी इच्छा शक्ति और आपकी इच्छा पर छोड़ता है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी मर्जी हो जाए....

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये फरमाओ।

जमवारामगढ़ बांध में यमुना की बाढ़ के पानी को लाने के उपाय

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची पर मुझे बोलने की इजाजत दी इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

(श्री जगदीश नारायण)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समस्या के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जिससे समूचा जमवारामगढ़ ही नहीं, जमवारामगढ़ के आस-पास का बहुत बड़ा भू-भाग समस्याग्रस्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ बाँध, यह काफी लम्बे समय से जयपुर शहर का मुख्य पेयजल स्रोत रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वो जमवारामगढ़ बाँध है जिसमें 1982 में एशियाड के तहत नौकायन प्रतियोगिता हुई है और उस नौकायन प्रतियोगिता के बाद से यह जमवारामगढ़ संसार के मानचित्र में उभर कर सामने आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह झील वो झील है जिस झील के माध्यम से जयपुर से लेकर ठेठ भरतपुर तक के बहुत बड़े भू-भाग का जलस्तर प्रभावित होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 20-25 सालों से बरसात के कम होने से और इस झील के बहाव क्षेत्र में जगह-जगह अतिक्रमण होने की वजह से इस झील में पानी नहीं आ पा रहा है और आज देखा जाए तो इस झील में एक बूंद भी पानी की नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर का यह मुख्य पेयजल स्रोत के रूप में रहा है, जयपुर शहर में तो आज बीसलपुर से भी पानी लाया जा रहा है। लेकिन मैंने निवेदन किया है कि जमवारामगढ़ और जमवारामगढ़ के आस-पास का एक बहुत बड़ा जो भू-भाग है ठेठ भरतपुर तक का, उसका वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और आज हालत यह बन चुकी है कि इस क्षेत्र में जितने भी हैण्डपम्प थे, जितने सिंगल फेस ट्यूबवैल थे या जितने थ्री फेस ट्यूबवैल थे, सारे के सारे लगभग या तो ड्राई हो चुके हैं या ड्राई होने के कगार पर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मय से सदन से और सरकार से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि यमुना नदी जिसमें हर साल लगातार दो महीने तक बाढ़ चलती है और बाढ़ में इतना पानी आता है कि वो बाढ़ का पानी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके में तबाही करता हुआ आगे निकल जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा अलग से बात नहीं कह कर इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि उस यमुना नदी का जो बाढ़ का पानी है, अगर उस बाढ़ के पानी को लिफ्ट के जरिये इस क्षेत्र में लाया जाए, इस रामगढ़ बाँध तक लाया जाए तो मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान भी होगा और उधर जिन गांवों में तबाही होती है उन गांवों को उस तबाही से राहत भी मिलेगी, वो पानी व्यर्थ चला जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: कैसे लाया जाए? लिफ्ट कहां से किया जाए, किस रास्ते से लाया जाए? बताइये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो भी मैं सुझाव दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान से यमुना नदी की दूरी अगर देखें तो मात्र 150 से 200 किलोमीटर के मध्य पड़ रही है। कहीं 150 किलोमीटर, कहीं 153, कहीं 160 किलोमीटर भी है... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये खतरे के निशान से ऊपर हमेशा, हर साल बहती है और उस पानी को अगर लिफ्ट करके इधर लाया जाता है तो उसके लिए सुझाव देना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यमुना नदी से झज्झर(हरियाणा) तक पानी स्वत: ही बहकर आने की स्थिति है। वहां पानी का बहाव क्षेत्र है और इसके बाद 55 किलोमीटर नहर के जरिये नारनौल तक पानी लाया जा रहा है तथा इसके बाद मात्र 16 किलोमीटर राजस्थान बचता है। उसके बाद राजस्थान में कांवट, थोई, गढ़ टकनेत और सुराणा, एक अपने आप में ऐसा क्षेत्र है...

श्री उपाध्यक्ष: सुराणी। सुराणा नहीं, सुराणी।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): सुराणी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ज्यादा जानकारी है...

श्री उपाध्यक्ष: यह सीकर वाला नीमकाथाना है। श्रीमाधोपुर वाला है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): मैं इसमें सुधार करता हूं। सुराणी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने आपमें झीलनुमा क्षेत्र है। प्रकृति की तरफ से प्राकृतिक रूप से यह ऐसा बना हुआ है कि इस क्षेत्र से पानी बहकर चारों दिशाओं में जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र मात्र झज्झर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र से, जैसा मैंने निवेदन किया, चारों दिशाओं में पानी जाता है तो पहला मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र से अगर बुचारा बाँध को जोड़ दिया जाये तो बुचारा बाँध भरकर सोता नदी से बहरोड, नीमराणा होता हुआ...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो रामगढ़ में लाओ इस पानी को। अभी तक तो,

(श्री उपाध्यक्ष)

जब तक ये श्रीमाधोपुर तहसील के इन गांवों को क्रोस करके, मनोहरपुर के उत्तरार्द्ध में नहीं आएगा, तब तक यह रामगढ़ में नहीं आएगा। वरना यह तो वापस साबी में चला जायेगा। (व्यवधान) अब आप विराज जाओ। मंत्री महोदय का जवाब सुनते हैं इसमें। विराजो। हो गया न आपका। (व्यवधान) रामगढ़ में पानी लाना चाह रहे हैं न आप?

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): रामगढ़ की चर्चा तो कर दूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। देखें, रामगढ़ के लिए सरकार के पास में क्या जवाब है? ले लेते हैं जवाब। मंत्री महोदय।

एक माननीय सदस्य: सर, बुचारा तक आने दो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनोहरपुर तक ये लेकर आ जायेंगे, फिर मनोहरपुर के आसपास डाट आप लगा देना रामगढ़ में आने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे कैसे होगा? ग्रेवेटी का फ्लो तो आपके पास में नोर्थ-ईस्ट में है, तो नोर्थ-ईस्ट में तो फ्लो में जायेगा ही नहीं। यह तो वापस मनोहरपुर से त्रिवेणी होकर साबी में चला जायेगा। बात पानी को जमवारामगढ़ में लाने की है। इसका एक काम करते हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि कल जब पेयजल की मांग है, उस पर इसकी विस्तृत जानकारी दें, अगर कोई इस पर जानकारी है तो। आज आपने एक विषय रख दिया। मंत्रीजी से कल के लिए निवेदन करते हैं कि कल मांग के ऊपर इसका भी जवाब दें। ठीक है। विराजो।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। थोड़ी-सी एक मिनट अगर आप मुझे दे दें तो...

श्री उपाध्यक्ष: अब क्या रह गया?

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): एक मिनट अगर मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: रामगढ़ का पानी तो देखिये, आने से ही आएगा।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ का ही जिक्र करूंगा। वैसे तो आप उदारदिल हैं और आपको देखकर मुझे हिम्मत बंध जाती है कि मेरी बात सुनने वाले आप बैठे हैं पर जब लगातार

(श्री जगदीश नारायण)
आप मेरी तरफ देखते हैं तो मेरी याद की हुई बातें भी सारी गुम हो जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन इतना सा करना चाहता हूं...

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी के सुनने से पानी आ जाये, क्या पता।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सा निवेदन अगर मुझे करने की आप छूट दे दें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जमवारामगढ़ के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पानी अजीतगढ़ मानगढ़ होकर माधवबेणी नदी से होता हुआ बाणगंगा नदी में समाहित होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा चलिये, कोई बात नहीं। अब मंत्रीजी से निवेदन करेंगे इस पर जवाब देने के लिए। अब आपके पास में जो विस्तृत ब्ल्यूप्रिंट है न, वह भी आप मंत्रीजी को दें।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): ...जो जमवारामगढ़ को भरता है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो भरोसा है कि यह पानी आपकी कांस्टीट्यूएंसी को पार करता हुआ रामगढ़ में आता है।

श्री उपाध्यक्ष: यह विराटनगर के बाणगंगा से चलता है और मेदोवेणी इसके साथ मिलकर ताला में ही एक जगह होकर फिर आगे बहते हैं। (व्यवधान) इन दोनों के शुरुआत में ही यह पानी आएगा तो उधर बहेगा।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की मैं पालना करूंगा। मैं तो निवेदन यह करना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ बाँध में यह पानी आता है और जमवारामगढ़ बाँध से ओवरफ्लो होकर यह बस्सी, दौसा, बांदीकुई, सिकराय, टोडाभीम, वैर, भुसावर और भरतपुर पार करता हुआ वापस यमुना नदी के रास्ते चला जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े भू-भाग को प्रभावित करने वाली यह समस्या है। जमवारामगढ़ बाँध में आप अगर पानी लाकर छोड़ते हैं तो उससे भरतपुर तक का भू-भाग प्रभावित होता है। इसका वाटर लेवल भी ऊपर आता है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अगर इस क्षेत्र में कदम उठाती है तो आपके सामने मैं वादा करता हूं कि मेरा जो विधायक कोष है,

(श्री जगदीश नारायण)

मेरा जो एमएलए फण्ड है, उस एमएलए फण्ड की सारी की सारी राशि इस पुनीत कार्य में देने के लिए मैं अपने आपमें तैयार हूं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) माननीय सदस्य बनवारी लालजी, मुझे जो जितना पीछे मिला है, वह तो लगभग उसमें बहुत सारा भाग खर्च हो चुका, जो जितना शेष है और आगे जो मिलने वाला पैसा है, वह सारा का सारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कार्य में खर्च करने के लिए आपसे वादा करता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सदन और आप मिलकर इस संकल्प को अगर पारित कर दें तो मुझे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

सरिस्का के माधोगढ़ वन क्षेत्र में पैंथर ट्रैंकुलाइज करने गये वनकर्मियों पर हमला

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को बाघ परियोजना, सरिस्का के आसपास के गांवों में एक.. (व्यवधान) आज ही का है इसलिए रीसेंट आकरेंस है। 18 मार्च को माधोगढ़ वन क्षेत्र में एक पैंथर था, उसको मारा। ट्रैंकुलाइज करने गये तो उस समय उस पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद वनकर्मियों को और वन के अधिकारियों को भी पीटा। उनके चोट लगी और राजकार्य में बाधा पहुंचाई। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसमें अब दबाव डालने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई है कि इनका हुक्का-पानी बंद, इनको राशन वहां से नहीं मिले। मंत्रीजी को शायद सूचना नहीं है। अगर इस प्रकार से कार्यवाही हुई तो यह टाइगर प्रोजेक्ट और पैंथर प्रोजेक्ट कहीं लग नहीं सकेगा। वनकर्मियों को वास्तव में प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर सोजत की माननीय सदस्या।

सोजत में रामपुरा के बेरा रामसागर में दम्पत्ति की हत्या

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्रीमती संजना आगरी)

माध्यम से पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में रामपुरा के बेरा रामसागर पर शनिवार रात अज्ञात हमलावरों ने अपने बेरे पर खाना बना रही महिला व उसके पति अमराराम सिरवी, 55 वर्ष पुत्र सूराराम सिरवी व उनकी पत्नी सुमती देवी की धारदार हथियारों से अज्ञात लोगों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई। वारदात के बाद लुटेरे मकान को खंगालकर सोने-चाँदी के जेवरात व नकदी समेत कई कीमती सामान भी लूटकर फरार हो गये। माननीय गृह मंत्री महोदय, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभाग मौके पर पहुंचा। कार्यवाही भी चल रही है। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करवाकर, उनके परिवार वालों को उचित न्याय और संरक्षण प्रदान करायें और राज्य सरकार की ओर से जो भी सहायता राशि, सहयोग व संरक्षण हो, उनके न्याय की मैं आपसे प्रार्थना करती हूं और ग्रामवासी एक्चुअली पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं हैं। गृह मंत्रीजी, आप अपना जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। एक मिनट। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर आपसे मैं निवेदन करता हूं, उस विषय की जानकारी, जिस भी विभाग का वह विषय है, मंत्री तक बस पहुंचनी चाहिए। बाकी आपको विस्तार से चर्चा करनी है तो आप मंत्रीजी से स्वयं मिलकर कर सकते हैं। इस वक्त आपको आसन इजाजत देता है, वह सिर्फ उस इन्फोर्मेशन को मंत्री तक पहुंचाने के लिए या उनकी जानकारी में लाने के लिए है। हनुमानजी बेनीवाल, आप भी इसको वहां तक ही रखें जो आपका विषय है। Just a moment.

जोधपुर के हरियाढ़ाणा ग्राम में युवती की हत्या

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह कल जोधपुर जिले के बोरूंदा के पास की घटना है उपाध्यक्ष महोदय। हरियाढ़ाणा गांव के अंदर एक ब्राह्मण समाज की लड़की ललिता का वहां नरेगा के सीमांकन को लेकर झगड़ा चल रहा था और उसके खेत के जब वृक्ष काटे जा रहे थे तो उसने कहा, मैं वृक्ष नहीं काटने दूंगी। सरपंच और प्रशासन की मौजूदगी के अंदर इस लड़की को जिंदा जला दिया गया और रात को जोधपुर के अस्पताल के अंदर इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

महिला आयोग के संज्ञान के अंदर भी यह मामला आ गया। महिला आयोग की टीम भी वहां गई है और मृतका के पिता भी नहीं है और बहुत गरीब युवती थी और पेड़ काटने से रोकने को लेकर इसका संघर्ष चला और प्रशासन की मौजूदगी के अंदर इस युवती पर पैट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। यह अत्यन्त गम्भीर घटना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय और गृह मंत्रीजी निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही के निर्देश देंगे। राजस्थान की विधान सभा चल रही है। जोधपुर जिले के अंदर पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई थी। ऐसी गम्भीर घटनाएं अगर सदन चलते हुए हो तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। गृह मंत्रीजी को इस मामले में विशेष निर्देश देकर इन आरोपियों को गिरफ्तारी करवानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपका भी कोई पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सेम ही था। वह हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, ऊर्जा राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

निजी कोलोनाइजर्स द्वारा विकसित कॉलोनियों में विद्युत शुल्क में की गयी वृद्धि की वापसी

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के बड़े-छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा बसाई गई पट्टाशुदा भूखण्ड एवं कृषि भूमि पर काटे गये भूखंड पर विद्युत संबंध की राशि में अत्यधिक वृद्धि की ओर माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(13:00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अकृषि, कृषि और डवलप्ड कॉलेनीज के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

विद्‌युतीकरण के संबंध में बात रखी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8.4.2015 से पहले जो भी कॉलोनी हम विद्‌युतीकृत करते थे उस पर उसका एक्चुअल खर्चा जो लाइन कोस्ट और ट्रांसफार्मर कोस्ट होता था उसके अनुसार उसको जो भी भूखंड है या जो भी कॉलोनी है या कृषि भूमि पर लोगों ने जो प्लॉट काट कर बेचा है उस पर आम तौर पर उनके प्लॉट के साइज के अनुसार उसका डिमाण्ड रेज करते थे। हमने यह देखा कि कई जगह कॉलोनाइजर या कृषि भूमि पर जिसने कॉलोनी काटी है या कॉलोनाइजर जिसने आम उपभोक्ता को वहां प्लॉट बेचा है, उन्होंने कभी भी अपना नक्शा विद्‌युत विभाग को देने की चेष्ट की नहीं इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती थी और उनको बिजली का कनेक्शन मिलता नहीं था। हमने यह भी देखा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि एक कॉलोनी के विद्‌यतीकरण में तो कुछ पैसा आता था प्रति वर्ग गज और एक कॉलोनी उसी शहर में उसका अलग रेट पर वर्गगज हम निर्धारित करते थे। इस सबको ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए हमने 8.4.2015 में एक ऐसा आदेश निकाला जिसमें अगर कोई कॉलोनाइजर अपना नक्शा पेश नहीं करता है तो पहली बात तो उस कॉलोनाइजर को या जो कृषि भूमि पर अपने प्लॉट्स बेचता है उसको स्वयं को डवलप्ड करके उपभोक्ता को देना चाहिए, परंतु मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में आज दिन तक जितने भी कॉलोनाइजर हैं उनमें से बहुत कम ऐसे कॉलोनाइजर हैं जो विद्‌युतीकृत करके और सही तरीके से उस कॉलोनी को आम उपभोक्ता को देता है। तो इस पर उपभोक्ताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए 8.4.2015 में हमने एक ऐसा आदेशा निकाला कि प्रति वर्ग गज 200 रुपये हम लेंगे उपभोक्ता से उसके प्लॉट साइज के हिसाब से और ये उन लोगों के लिए है जिन कॉलोनीज में पचास परसेंट से कम कनेक्शन हुए हैं अगर पचास परसेंट से ज्यादा कनेक्शन हो रखे हैं किसी कॉलोनी में तो जो भी उसका रेट बनता है उसके अनुसार हम पैसा लेते हैं। ज्यादा कनेक्शन हो रखे हैं अगर किसी कॉलोनी में तो जो भी उसके रेट बनते हैं उसके अनुसार हम उसका पैसा लेते हैं परंतु पचास परसेंट से कम अगर किसी कॉलोनी में कनेक्शंस जारी हुए हैं उनके लिए हमने 200 रुपये वर्ग गज का मापदंड रखा है जो लगभग पूरे राजस्थान में हमने लागू किया है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना है कि ऐसी कई कॉलोनीज हैं जो कच्ची बस्ती हैं जहां प्लॉट की कीमत ही चालीस-पचास हजार रुपये हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन की कोस्ट भी चालीस हजार रुपये आ रही है तो निश्चित रूप से मैंने मेरे निगम के अधिकारियों से बात की है और हम इस पर विचार कर रहे हैं कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और ग्राम पंचायत समिति और पंचायतों में एक रूप से जो रेट हम ले रहे हैं, हकीकत की बात तो यह है कि हम तो एक्चुअल कोस्ट लेना चाह रहे हैं कि जो विद्‌युत मंडल पैसा खर्च कर रही है पोल, लाइन, टांसफार्मर का जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हम डिवाइड करके कंज्युमर से ले रहे हैं। हमारा निगम का तो पैसा लग ही रहा है परंतु उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए चूंकि यह जनहित का मामला है और कई ऐसे गांव हैं छोटे गांव हैं जहां प्लॉट की कीमत भी नहीं है और जयपुर नगर निगम के प्लॉट के साइज और एक छोटे से गांव के प्लॉट की कीमत अगर हम देखें तो जयपुर में एक प्लॉट हो सकता है पचास-साठ लाख का आता होगा परंतु गांव में वो ही प्लॉट आपको पचास हजार में मिलता है और अगर उसके इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट अगर एक ही होती है तो गांव में रहने वाले और जयपुर में रहने वाले आम उपभोक्ताओं में काफी डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से मेरे अधिकारियों से मैं बैठ करके हमारे निगम में इस पर चर्चा करके एक महीने के अन्दर-अन्दर हम इस पर कोई उचित कार्यवाही करके और यह काफी लंबे समय से हमारे काफी विधायकों की मांग है कि ये रेट्स काफी ज्यादा हैं इस पर हम इसको नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति और पंचायत में अलग कैटेगरी बना कर इसकी नयी रेट लायेंगे। यह मैं आपको विश्वास देता हूं। धन्यवाद।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 30 बाई 60 का एक भूखंड होता है न उसको यदि नया विद्‌युत संबंध लेना है तो 43,000 का डिमाण्ड उसका बनता है। यह 43,000 रुपये लेना वाजिब है क्या? पहले क्या प्रावधान था मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस समय चाहे सरकार ने कोई बस्ती बसाई हो या किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर ने कोई बस्ती बसाई हो एक ही रेट

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

थी सबकी। बस छोटा अन्तर यह था उस समय कि यदि किसी निजी कॉलोनाइजर ने बस्ती बसाई है या कृषि भूमि पर किसी ने प्लॉट काटे हैं तो दो से ज्यादा यदि पोल लगते हैं तो हर पोल पर अतिरिक्त चार्ज लेते थे वरना दो पोल तक तो वो ही रेट थी। उसके बाद में पूर्ववर्ती सरकार के काल में कृषि भूमि या कच्ची बस्ती पर जो भी भूखंड है और विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है तो उन्होंने रोक लगा दी थी कनेक्शन देने ही बंद कर दिये। हां विधायक कोष से यदि हम वहां काम करवाना चाहें तो हमको यह मंजूरी थी। कोई व्यक्ति अपने खर्चे से कोई कनेक्शन लेना चाहे तो उस पर रोक थी। बाद में ज्यों ही ये सरकार आई मैंने पहले ही सत्र में यह विषय उठाया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस समय आधे घंटे की चर्चा इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इसी सदन में रखी थी और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी ने उस सयम ये घोषणा की कि हम प्रो रेटा रेट पर जो हमारी लागत आती है वो बराबर-बराबर बांट कर कनेक्शन दे देंगे तो उसके बाद में ये रेट जो 43 हजार आ रही है वो लगभग 13-14 हजार तक आई। 13-14 हजार में लोगों को कनेक्शन मिलने चालू हो गये तो उसके बाद में सीधा जम्प मारा और 13-14 हजार से सीधा 43 हजार और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह भूखंड की कीमत बीस-पच्चीस हजार रुपये है और वो कनेक्शन लेना चाहता है तो डिमाण्ड मिलता है उसको 43 हजार का 40 हजार का। एक तरफ तो हम दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अपने खर्चे से पोल लगा कर बिजली की लाइन खींच कर ट्रांसफार्मर लगा कर उसको एक सामान्य दर पर कनेक्शन दे रहे हैं और ये जो कॉलोनी कट गयी और उसमें कोई भूखंड पर कनेक्शन लेना चाहे तो इतनी रेट, तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि मेरी मांग उचित है और इस सदन को उचित लगती है तो ऐसा कोई आप फार्मूला बनायें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, कच्ची बस्ती में कृषि भूमि वाले प्लॉट्स में और ऊंची बस्तियां जो हैं जिनके भूखंड की कीमत वाकई में 25-50 लाख है वहां ज्यादा रेट ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है पर जिसके भूखंड की कीमत ही एक लाख से कम है वहां अगर चालीस हजार वो कनेक्शन का देगा तो दे कैसे पायेगा वो। अगर उसके पास पैसा होता तो आलीशान प्लॉट लेता वो।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

वो फिर छोटा प्लॉट लेता नहीं। आग्रह है कि आप इसको थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से देखें और बिलकुल एक वाजिब तरीके से इसकी दर तय करें और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहर में कई बस्तियां ऐसी हैं कि एक खसरे में यदि पचास परसेंट भूखंडों पर मकान बन गये तो वहां तो डिमाण्ड आता है 5400 का और उससे लगता हुआ कोई खसरा है बिलकुल बाजू में ज्यादा दूरी भी नहीं पचास-सौ मीटर की दूरी है उससे लगता हुआ कोई खसरा है और उस खसरे में यदि पचास परसेंट से कम भूखंडों पर मकान बने हैं तो वहां 5400 की बजाय सीधा 43 हजार। इतना बड़ा अन्तर ठीक नहीं है। मेरा ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है, वैसे कह दिया कि एक महीने में कर देंगे, लेकिन करते समय थोड़ा आप रियायत कर दें। अपनी सरकार वैसे ही दयालु है, हमारी मुख्य मंत्रीजी वैसे ही दयालु हैं, गरीबों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं दी। हम गरीबों को मकान फोकट में दे रहे हैं पर बिजली कनेक्शन के चालीस हजार ले रहे हैं तो थोड़ा वाजिब रेट आप कर दो यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री बनवारी लाल सिंघल।

समिति प्रतिवेदन

प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति (क्रम संख्या 21 से 31)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2016-2017 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्व, वक्फ, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कार्मिक, नगरीय विकास एवं आवासन तथा विधि एवं विधिक कार्य विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 21वां प्रतिवेदन;
2. देवस्थान, ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारण्टी योजना, कृषि, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, खान, ऊर्जा, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 22वां प्रतिवेदन;

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

3. शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 23वां प्रतिवेदन;

4. खान, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्मिक, उद्योग, ऊर्जा, विधि एवं विधिक कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, वित्त तथा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 24वां प्रतिवेदन;

5. अल्पसंख्यक मामलात, आयुर्वेद, उद्योग, उपनिवेशन, ऊर्जा, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खान, ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारण्टी योजना तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 25वां प्रतिवेदन;

6. आयुर्वेद, उपनिवेशन, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारण्टी योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन, विधि एवं विधिक कार्य, सार्वजनिक निर्माण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 26वां प्रतिवेदन;

7. उच्च शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, वन, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 27वां प्रतिवेदन;

8. अल्पसंख्यक मामलात, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, आयोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योग, उपनिवेशन, ऊर्जा, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, कृषि, कार्मिक, कारागार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारण्टी योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, वित्त, शिक्षा तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 28वां प्रतिवेदन;

9. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, पंचायती राज, प्रशासनिक सुधार, परिवहन, पशुपालन, भू-जल, भ्रष्टाचार निरोधक, युवा मामले एवं खेल, वन, विधि एवं विधिक कार्य, श्रम एवं रोजगार, सार्वजनिक निर्माण तथा देवस्थान विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 29वां प्रतिवेदन;
10. अल्पसंख्यक मामलात, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, आबकारी, ऊर्जा, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, कार्मिक, कारागार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना), गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मत्स्य, युवा मामले एवं खेल, वन, विधि एवं विधिक कार्य, श्रम एवं रोजगार, सूचना एवं जन सम्पर्क, सम्पदा, संस्कृत शिक्षा, आयुर्वेद, आयोजना, देवस्थान, वित्त, शिक्षा एवं सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 30वां प्रतिवेदन; एवं
11. चिकित्सा शिक्षा, जन अभाव अभियोग निराकरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, डेयरी, देवस्थान, नागरिक उड्डयन, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भाषा, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, वित्त, शिक्षा, सैनिक कल्याण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2016-17 का 31वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 अनुदान की मांग। श्री राजेन्द्र राठौड़।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2018 को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,53,13,64,000/- (ग्यारह अरब तिरपन करोड़ तेरह लाख चौंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: मांग संख्या 49

मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,19,000 (उन्नीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 49 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन से यह निवेदन करना है कि करीब 26 सदस्य बोलेंगे, मेरा आपसे यह निवेदन है कि प्रत्येक सदस्य 10-12 मिनट में अपनी बात अभिव्यक्त कर दें और 10-12 मिनट का बड़ी कड़ाई से पालन हो। वरना होता यह है कि जो बाद वाले सदस्य हैं उनको कुछ समय ही नहीं मिलता। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान दिवस का कार्यक्रम भी है।

श्री उपाध्यक्ष: आज शाम को राजस्थान दिवस का कार्यक्रम भी है। हालांकि यह बहुत जरूरी है लेकिन इसमें अवसर सबको मिल जाएगा, अगर समय की सीमा का ध्यान रखें। इसलिए मैंने शुरू में ही यह बात कर दी। शुरू के 5 से 7 सदस्य अगर समय सीमा का ध्यान रखेंगे तो बाकी सबको भी अवसर मिल जाएगा।

मांग संख्या 28 व 49 पर विचार

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की ¾ आबादी गांवों में निवास करती है और देश का यदि विकास करना है, हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है जब तक हम गांवों का समुचित विकास नहीं कर लेंगे हमारे विकास की कल्पना अधूरी रह जायेगी, हमारी धारणा पूरी होगी नहीं। यह महसूस भी किया गया है कि ग्रामीण लोगों का भी शहर की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। आजादी के समय जो ग्रामीण जनसंख्या थी, शहरी क्षेत्रों में जितनी बढ़ोतरी हुई उसकी तुलना में नाम मात्र की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि आज का पढ़ा लिखा युवक जिसको हर प्रकार की सुविधा चाहिये वह गांव में अपने आप को बेबस या लाचार महसूस करता है और शहर की ओर भागता है। उसी का परिणाम है कि हमारे जो भी शहरी क्षेत्र हैं वहां जनसंख्या का दवाब निरंतर बढ़ रहा है। शहर की तुलना में गांवों में न तो विकास है, न सुविधा है, न रोजगार के पर्याप्त साधन है। बिजली पानी जैसी आम आवश्यकता भी गांव में शहर की तुलना में कम मिलती है। चाहे शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा हो उसमें भी शहर की तुलना गांव बहुत पीछे है। हमारी सरकार जब जब भी आई है, चाहे केन्द्र में आई, चाहे प्रदेश में आई, हमने ग्रामीण विकास को पहली प्राथमिकता दी। चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, आपने समय सीमा बाँध दी इसलिए ज्यादा विस्तृत नहीं करूंगा, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमने प्रयास किया। हमारी वर्तमान सरकार ने तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से काम किया है, ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। अपना खेत, अपना काम, कोई व्यक्ति अपने खेत में चाहे मेढ़बंदी कराना चाहे, चाहे टांका निर्माण कराना चाहे, चाहे और काम कराना चाहे, व्यक्तिगत लाभ की योजना, एक परिवार को इस काम के लिये तीन लाख तक की राशि स्वीकृति नरेगा के अंदर। कितने परिवार लाभान्वित हुए, कभी जाकर अपने क्षेत्र के लोगों से पूछना, कई लोगों को इसमें बहुत बड़ी राहत मिली है। पिछले वर्ष जो हमने पशुओं के लिये केटल फीड के निर्माण का प्रावधान इस नरेगा के तहत किया है, वह भी कोई मामूली काम नहीं है। 1 लाख 70 हजार की राशि, एक परिवार को अपने बाड़े में जो अब तक खुला पड़ा है, उसमें केटल फीड का निर्माण। प्रधान मंत्री आवास योजना

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

में भी हमने सीधी दोगुनी राशि का प्रावधान किया। किसी व्यक्ति के कच्चा मकान है, पक्का करना चाहता है और चाहे किसी व्यक्ति के एक कमरा पक्का है, उसको भी इसमें छूट दी और 1.47 लाख की राशि इस योजना में एक परिवार को हमारी सरकार द्वारा दी जा रही है। संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत तो हमने रिकार्ड कायम किया है। हमारे ग्रामीण भाई, बहनें, महिलाएं, बेटियां जो शौच के लिये बाहर जाती थी, हमने आगे बढ़कर उनके शौचालय के निर्माण के लिये खुले हाथों राशि दी है। जिसके घर में शौचालय नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को 12 हजार, प्रत्येक परिवार को 12 हजार रुपये, इतना बड़ा काम किया। साथ ही हमने जो नरेगा के श्रमिक हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके परिवार को ध्यान में रखते हुए, जिस श्रमिक ने साल में 90 दिन नरेगा के तहत काम किया उसका श्रमिक कार्ड बनवाकर जो लाभ मिलता है, जिसके बहुत सारे प्रावधान है, उसकी शुरुआत भी हमारी सरकार ने की। एक गांव में 300-400-500 लोग ऐसे होंगे जो श्रमिक कार्ड की पात्रता रखते हैं और कार्ड बन जाने के बाद आने वाले कल में जब लाभ उनके पास पहुंचेगा तो हमारी सरकार को बहुत दुआ देगा, धन्यवाद देगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने हर तरीके से प्रयास किया है। मैं मात्र ग्रामीण विकास की ही बात करुंगा, यूं तो लाइट की बात भी बहुत हुई है, पानी भी बहुत दिया है हमने, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करुंगा, आपने समय सीमा बांधी है, हमने कोई काम में कमी नहीं रखी। नरेगा के बारे में जब विधान सभा के चुनाव हुए थे तो हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं ने गांवों में यह भ्रांति फैलाई थी कि इनकी सरकार आयेगी तो नरेगा बंद कर देंगे, इनकी सरकार आयेगी तो पेंशन बंद कर देंगे। हुआ क्या, हमारी सरकार आने के बाद हमने जितने रोजगार के अवसर नरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को दिये वह मैं नहीं, आंकड़े बता देते हैं कि पहले की तुलना में हमने दोगुने से ज्यादा ग्रामीण जनता को काम करने के अवसर दिये हैं। हमने काम के मामले में जो प्रयास किया अगर यही गति लगातार बनी रही तो यह जो भेदभाव की बात आती है न दिमाग में कि शहरों में काम ज्यादा होता है, शहरों में सुविधा ज्यादा होती है, हर चीजें शहर में ज्यादा और गांव में कम है, हमारी सरकार जिस दिशा में चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम शहरी और ग्रामीण विकास के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अंतर को समाप्त कर देंगे और आज नहीं, बहुत कम समय में यह मौका हम सबको देखने को मिलेगा। जो शहर में सुविधा है वही सुविधा गांव में, ग्रामीण गौरव पथ की कभी किसी ने कल्पना की थी क्या, कि गांव में सीमेंट की सड़कें होंगी।

कोई कल्पना नहीं करता था, पर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दिया है कि जैसी शहर में सड़कें बनी, उसकी तुलना में गांव में सड़क बनाकर दे दी। यह कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता हो कि कुछ गांव वंचित हों, लेकिन हमने इसमें बहुत काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बहुत काम किए, लेकिन अभी भी बहुत काम की आवश्यकता है। मेरा ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि नरेगा में कच्चे काम बहुत हो गए। तालाब खोदना, नाड़ी बनाना। अब पक्के कामों की आवश्यकता ज्यादा है, पर जैसा प्रावधान है कि मजदूरी 60 परसेंट, सामग्री 40 परसेंट। इसलिए चाहते हुए भी ज्यादा पक्के काम नहीं करवा पाते। मेरा आग्रह रहेगा, यदि सामग्री मद में राज्य बजट से कोई प्रावधान करना पड़े तो आप प्रावधान करो और गांव में पक्के काम की जो-जो आवश्यकता महसूस होती है। एक के बाद एक उन पक्के कामों का निर्माण कराओ।

कई माननीय सदस्य इस मुद्दे को उठा चुके हैं। हर किसान की मांग रहती है कि उसकी खेती सुरक्षित रहे और खेती सुरक्षित रखने के लिए तारबंदी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि आप तारबंदी नरेगा के माध्यम से कैसे करवा सकते हो? आप यह प्रावधान करो। तारबंदी का कार्य यदि हर किसान का हो जाएगा तो गांव में कभी हमको कोई अलग करने वाला नहीं हो सकता, हमको कमजोर करने वाला कभी नहीं हो सकता। मेरा आग्रह रहेगा कि तारबंदी का काम निश्चित रूप से करवाएं।

मैं माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा। आप हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं। पाली में इन्होंने नरेगा के नवाचार का काम शुरू कर दिया। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी एक ओर राज्य मद से ग्रामीण गौरव पथ दे रही हैं और हमारे मंत्रीजी ने भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो ग्रामीण गौरव पथ नरेगा के माध्यम से..। मैं उसके लिए मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और आग्रह भी करुंगा, क्योंकि वे थोड़े कम पड़ते हैं। पंचायतें बड़ी-बड़ी हैं। जितना माननीय मुख्य मंत्रीजी देती हैं, उसका आधा आप दे दो,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हम काम चला लेंगे। अगर आठ मुख्य मंत्रीजी देती हैं तो आप चार दे दो। आप हमको मात्र दो तक सीमित मत करो। जितने गौरव पथ सरकार देती है, उसके आधे आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से अलग से हो जाए तो हमारे लगभग सारे गांव उसमें कवर हो जाएंगे और एक अच्छा काम ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाएगा।

मेरा इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद रहेगा कि आपने 'सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन' के अंतर्गत आबादी के अनुपात में सफाई कर्मी लगाने की भी सहमति दे दी है। अब तक क्या होता था कि शहरी क्षेत्र में तो सफाई के लिए सफाई कर्मी हमको मिल जाते थे। अब गांव में नाले-नाली बन गए। गांव में सीमेंट की सड़क बन गई। गांव में गौरव पथ बन गए और उनकी सफाई करने वाला कोई नहीं था। अब गांव में शौचालय भी बन गए। आपने जो यह नई शुरुआत की है। आदेश कर दो कि आबादी के अनुपात में जल्दी से जल्दी लगा दे। आपने कह तो दिया है कि वे अभी लगे नहीं है, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

सड़कों की मांग भी सभी माननीय सदस्यों की रहती है। ग्रेवल सड़क नरेगा के माध्यम बनती है। ये कच्चे काम, जैसा मैंने आपको कहा कि नाली और तालाब तो बहुत खुद गए। इन पर रोक लगाकर आप ग्रेवल सड़कों पर थोड़ा और ज्यादा प्रावधान कर देंगे तो बाद में उनके डामरीकरण में सरकार का खर्चा कम आएगा। जिन-जिन सड़कों का माननीय सदस्य या सरकार बाद में डामरी करण करना चाहती है, उनको नरेगा के तहत आप पहले ग्रेवल तक बना दो। जो राशि बच जाएगी, वह बाद में हम एम.एल.ए. को जाने देना आप, सड़कों के रूप में। डामर हम करवा देंगे। यह भी हम कर देंगे। ग्रेवल तक आप करवा दो।

एक माननीय सदस्य: विधायक कोष से..।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हां, हम विधायक कोष से करवा देंगे। यह सारे माननीय सदस्य कह रहे हैं और ग्रेवल में आपका कोई ज्यादा खर्चा आने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन डामर सब्सिडाइज रेट पर आएगी, वरना आप डामर नहीं करा पाओगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): दिला देंगे वह तो। सरकार भी करती है न डामरीकरण, उससे भी सरकार का खर्चा बच जाएगा। नीचे ग्रेवल का खर्चा बच जाएगा।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने 'जल स्वावलंबन योजना' के तहत एक अच्छी शुरुआत की है, जिसका परिणाम भी हम सब ने महसूस किया है और मेरा क्षेत्र तो बहुत ज्यादा जल के संकट में रहता है और पिछली बार जो बारिश हुई और जो परिणाम देखा। हमारी आकांक्षा भी थोड़ी बढ़ गई है। जिन पंचायतों को आपने लिया, बाकी जो शेष हैं, उनमें लंबा समय लग जाएगा। तालाबों को विकसित करने का काम भी आप नरेगा के माध्यम से कराओ। 'आदर्श तालाब योजना' में आप तालाब देते हैं। जितने तालाब देते हैं वे मिलते हैं। उसमें भी प्रावधान करो कि जो भी जल के स्रोत हैं, जल खराब नहीं हो। हमारे जितने भी तालाब हैं, जहां पर पानी रहता है। वे सारे के सारे तालाब पक्के और अच्छे बन जाएं। उनकी आवक के रास्ते भी नरेगा के माध्यम से दुरुस्त हो जाएं। जो आगोर है, वह भी ठीक हो जाए। माननीय मंत्री महोदय, मेरे देखते-देखते ही मेरे क्षेत्र के कई तालाब जो पहले मीठे पानी के थे। नरेगा में जो बेढंग से खुदाई की गई, वे मीठे पानी के तालाब खारे पानी के तालाबों में परिवर्तित हो गए। उनको ठीक किया जा सकता था, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। नीचे कोई फिल्म बिछाकर या कोई नई मिट्टी डालकर उनको दुरुस्त किया जा सकता है। वरना ऐसे कई तालाब हैं, जिनमें साल-डेढ़ साल का पानी है, लेकिन पीने का काम का नहीं है। वह हमें उलटा खर्चा करके खाली करवाना पड़ा। आप अधिकारियों से बात करके उनको निर्देश देकर ये सारे तालाब चिह्नित कराओ और उनको कैसे ठीक किया सकता है, उसके लिए आप कोई-न-कोई एक योजना बनाकर, इसमें आप थोड़ा आगे कदम बढ़ाओ। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि आपके जो वाटर शेड के काम हैं, वे आपके मंत्री होने के बाद भी कछुए की चाल से चल रहे हैं। एक मीटिंग में तो बाकायदा डाट पड़ी थी। अब तक 80 परसेंट काम हो जाना चाहिए था, 8 परसेंट काम हुआ है। यह मामूली बात नहीं है। कोई ढिलाई करता है, कौन लापरवाही करता है? उसके खिलाफ आप जब तक कठोर कार्यवाही नहीं करोगे, तो हमारा जो पैसा स्वीकृत हो चुका है, वह

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जनता के उपयोग में नहीं आएगा। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि आप थोड़ा अपना राठौड़ी रूप दिखाओ और यह काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो जाए, यह निवेदन है। इसमें भुगतान में भी कुछ देरी हो रही है। भुगतान बाकी था, मैंने विधान सभा में क्वेश्चन लगाया तब जाकर पैसा मिला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर की मजदूरी तो उसका पसीना सूखने से पहले ही मिलनी चाहिए। एक-एक भुगतान के लिए विधान सभा में क्वेश्चन लगाना पड़ता है। मीटिंग में उठाना पड़ता है, उसके बाद भुगतान होता है। पैसा तो आपके पास पड़ा ही था। भुगतान की देरी के लिए जो जिम्मेवार हैं, आप जब तक उन पर नकेल कसोगे, तब तक यह ठीक नहीं होगा।

माननीय मंत्री महोदय, अभी भी कई गाँवों में श्मशान भूमि की व्यवस्था नहीं है। एक बार नहीं, अनेक बार जिला कलेक्टर या एस.डी.एम. को कह चुके हैं। मीटिंग में उठा चुके हैं। हां, भी भरते हैं, लेकिन भूमि आबंटित नहीं होती। सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की कमी नहीं है। पता नहीं, लापरवाही है कि वे भूमि आबंटित नहीं करते हैं। जिस-जिस गांव से इस बात का ज्ञापन आया हुआ है कि हमको भूमि चाहिए। वहां एक ही आदेश से कि सबको इतने समय भूमि देनी है, वह भूमि आबंटित कराओ। 'गुरु गोलवलकर योजना' में जिन गांव वालों ने अपने हिस्से की 10 परसेंट राशि जमा करा दी है और 90 परसेंट राशि सरकार को देनी है। जो भी आपके लंबित पड़े हैं, वे भी सारी स्वीकृति जारी कराओ, यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी गड़बड़ सर्वे सूची बनाने में हुई है। 2011 के सर्वे को आधार मानकर ऊपर से सूची आ गई कि 'इन परिवारों के मकान नहीं हैं, इनकी स्वीकृति जारी करो। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छी स्वीकृतियां जारी की हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्वीकृतियां जारी हुई हैं, लेकिन उस समय सर्वे में कहीं न कहीं गड़बड़ हुई और 2011 का तो आपको पता ही है। 2011 में गड़बड़ें ही गड़बड़ें होती थीं।

काम तो बहुत कम होता था। उस समय ज्यादा गड़बड़ ही हुई। कई पात्र परिवार भी जिनके वाकई में कच्चे मकान है, उस सर्वे सूची में उनका नाम नहीं आया। सूची दिल्ली से दुरूस्त होगी। जिन लोगों ने इस बात का

आवेदन दे दिया कि मेरा कच्चा मकान है, एक बार उसकी जांच करवा दें। वाकई में कच्चा मकान है तो राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को वह सूची भिजवाकर, वह सूची दुरूस्त करवा दें, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। वरना कई परिवार वंचित रह जाएंगे।

शौचालय में भी गड़बड़ हुई है। कई परिवारों के नाम बेस लेन सर्वे में नहीं आए। तो उनका तो आपने नरेगा के माध्यम से भुगतान का निर्देश दे दिया लेकिन उसके बाद भी जो भुगतान नहीं हुआ है। कहीं से भुगतान करवाना पड़े। हमारे प्रधान मंत्रीजी की मंशा है कि एक भी परिवार ऐसा नहीं होने दें जहां शौचालय नहीं हो। कोई वंचित नहीं रहे। 2011 की सूची बनाने में गड़बड़ की होगी, जिन लोगों के जिम्में शासन था, पर उसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता नहीं भुगतेगी। वह पात्र व्यक्ति नहीं भुगतेगा। ...(व्यवधान)... सिर्फ पांच मिनट

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सांचौर की ही तो बात कर रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं पांच मिनट और लूंगा ।

उजाला योजना में भी हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने जिनके घर में गैस कनेक्शन नहीं है, दिल्ली से सूची भेजकर सबको गैस कनेक्शन देने का बहुत बड़ा काम किया है। उसमें भी 2011 में गड़बड़ करने वालों ने गड़बड़ कर दिया और कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया। राशन कार्ड बहुत सबूत है, गवाह है जिसमें लिखा है कि इसके पास गैस कनेक्शन नहीं है। उसमें लिखा होता है। वह सूची भी आप बनवा दें। प्रधान मंत्रीजी हमारे है, हम वहां भेजेंगे तो मना नहीं करेंगे, वह तो बहुत दयालु है, वह तो पूरे देश की जनता को देना चाहते हैं। तो आप सूची जरूर भिजवा दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातें और कहूंगा, क्योंकि समय वाकई में बहुत कम है। इसकी पीड़ा मैंने पहले भी आपको बताई। योजनाएं हमारी, सरकार हमारी और ग्राम सेवक ठान लें कि मुझे इसको लाभ नहीं पहुंचाना है, तो उसको वंचित रख देता है। अगर कोई पात्र व्यक्ति है और ग्राम सेवक मनमानी करता है, या किसी दुराचरण की वजह से, जानबूझकर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उसको वंचित रखता है तो पाबंद करो। उस योजना में कोई पात्र व्यक्ति पात्रता रखता है यदि किसी ने गड़बड़ की तो उसके विरुद्ध आप निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। आपने पाली में दो ग्राम सेवकों को मेरे निवेदन पर सस्पैण्ड करवाया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

जब तक आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक बीच का घपला, पुरानी सरकार के टाइम की परम्परा बनी हुई थी गड़बड़ करने की, वह चलता रहेगा। हमको ठीक करना है। जो पैसा दिल्ली से, जिस व्यक्ति के लिए आया है, वह पूरा का पूरा पैसा उस व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंच जाए। आपको गर्दन हिलाने की जरूरत है। आपके पूर्व प्रधान मंत्रीजी +++ ने खुद ने यह स्वीकार किया था कि....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कि हम एक रुपया भेजते हैं, पन्द्रह पैसे पहुंचते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप किसकी बात कर रहे हो?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपके पूर्व प्रधान मंत्रीजी की। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह इस तरह से बात करेंगे तो फिर यह हाउस कैसे चलेगा आप बताओ।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पूर्व प्रधान मंत्री..

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय, एक मिनट विराज जाओ आप। सम्माननीय सदस्य, एक मिनट आप विराजो। मैं आदरणीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, आपको किसी सदस्य का उपनाम लेने की कहां आवश्यकता है। आप पद नाम ले लें, अगर किसी के नाम पर रेफर करना चाहते हैं। इस प्रकार के नाम का उच्चारण सदन में उचित भी नहीं है। इसको मैं अपलिखित भी कराता हूं। जो देश के प्रधान मंत्री रहे हुए हैं, हमारे प्रधान मंत्री रहे हुए हैं, हमारे सबके लिए आदरणीय है। कृपया इसको मर्यादित आचरण से ही अभिव्यक्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। एक्चुअली वाट्सएप पर दिन भर यही पढ़ते हैं इसलिए दिमाग में घूमता रहता है। मैंने मांफी मांग ली।...(व्यवधान)... कोई हंसने वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप पर आप उठाकर देख लीजिए, मैं थोड़े कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैंने माफी मांग ली, मैंने क्षमा मांग ली।

श्री उपाध्यक्ष: आगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैंने सदन से क्षमा मांग ली है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कनक्लूड कर लें। 30 मिनट हो गए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): दो मिनट। ठीक है कनक्लूड, लास्ट में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो यह गृह विभाग का मैटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे उप सचेतक जी भी बैठे हैं, इनका खुद का गांव है, पाली के पाँच किलोमीटर दूर निम्बाहेड़ा। वहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का काम हो रहा है। पुलिस अपना काम करती है, आपका ग्राम सेवक, सरपंच, बीडीओ बाकायदा वहां पर नजर रखे कि वहां पर कैसे कैसे परस्युएशंस दिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां बढ़ गई। चूंकि शहर में एक्टिव हो गए। हमारा मगरा क्षेत्र है वहां देख लो पूरा का पूरा रायपुर क्षेत्र। मगरा क्षेत्र में बाकायदा धर्मान्तरण का काम खुले आम चल रहा था। मैं विश्व हिन्दू परिषद, जन जागरण मंच, बजरंग दल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रयास किया और उनके इरादे को नाकाम कर दिया। वरना जो हालात वहां बनते यह हम सब के लिए शर्मनाक बात होती।

ग्रामीण क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे नहीं है कि सड़के बना दी, नालिया बना दी, वह भी कर दिया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां वहां पर नहीं पनपे उसके लिए आपकी टीम को भी आप सक्रिय करो, यह मेरा आग्रह है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल जी शर्मा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इतनी-सी उम्र में बहुत नाम कमाया, आज तो गुलाबी रंग में है, पूरे डिपार्टमेंट को बहुत कुछ दे देंगे। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के

(श्री रामलाल शर्मा)
बहुत बड़े भू-भाग से जुड़ी हुई आज की मांग है। पंचायती राज विभाग के काबिल माननीय मंत्री महोदय जो राजनीतिक क्षेत्र में भी अजातशत्रु हैं। अजातशत्रु विश्वविद्यालय से लेकर अब तक, इनकी काबिलीयत पर कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): काबिलियत से अजात शत्रु का शब्द नहीं है। अजातशत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। युधिष्ठिर का नाम था अजातशत्रु। तो इनके तो बहुत मित्र है भैय्या, इनकी सेवा करने वाले।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो जानकारी नहीं थी इनके कोई शत्रु भी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज राज्य और केन्द्र सरकार ने सबसे अधिक बजट, विकास के लिए ग्राम पंचायतों को सीधा पैसा भेजना शुरू किया है। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास दिखाई भी देने लगा है। मेरा एक निवेदन है कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान बनता है, उनके विकास की एक डीपीआर तैयार की जाती है, उसके बाद विकास का पथ शुरू होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आज राजस्थान की एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिस ग्राम पंचायत में 20 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का पैसा उपलब्ध नहीं हो। यदि राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक डीपीआर इस प्रकार की बने, विकास का मॉडल इस प्रकार का तय हो, डीपीआर के अंदर यह चीजें आए कि यहां सुविधा क्षेत्र यह रहेगा, सड़क यहां से लेकर यहां तक बनेगी, सड़क की चौड़ाई इतनी रहेगी, इसमें नालियां यहां रहेगी, नालियों का डिस्पोजल इस जगह पर होगा, तो मैं समझता हूं कि विकास को एक नया आयाम मिल सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविक बात करूं तो मेरे ख्याल से सारे माननीय सदस्य इस बात के लिए सहमत होंगे कि वर्तमान की ग्राम पंचायत है वह 500 मीटर सड़क स्वीकृत करके गांव के अंदर सड़क बनाती है। जब एक ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा होता है, दूसरी ग्राम पंचायत आती है तो वह उसके आगे 500 मीटर की सड़क स्वीकृत करती है। जब वह 500 मीटर की सड़क स्वीकृत करती है तो उस सड़क की ऊँचाई वह 4 अंगुल ऊपर लेती

(श्री रामलाल शर्मा)

है। पीछे सड़क बनाकर गए थे उस पर पानी भरा हुआ रहता है। जो नई सड़क बनती है वह ठीक रहती है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे राजस्थान में एक साथ आप यह तय कर दें कि आगामी छह महीने के अंदर अंदर एक भी ग्राम पंचायत या गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर डिस्पोजल की व्यवस्था पहले नहीं करें। मुझे पता नहीं है कि ग्राम पंचायत प्राथमिकता नालियों की क्यों नहीं रखती है, सड़कों की क्यों रखती है। सड़क से पहले यदि नाली की व्यवस्था हो जाए तो मेरे ख्याल से सड़क एक-दो साल के अंदर टूट जाती है वह टूटना बंद होगी और सरकार के पैसे का अपव्यय होता है वह भी बचेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इतना और निवेदन करूंगा कि यदि पूरे गांव की डीपीआर बन जाती है, उसके अनुसार विकास के काम शुरू होते हैं तो मेरे ख्याल से पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक गांव के अंदर आप तय कर दें कि इस स्थान पर सौलर प्लांट लगेगा, यह जमीन जीएसएस के लिए आरक्षित की जाती है, कोई सब सेंटर खोलना है तो उसके लिए जमीन आरक्षित की जाती है, विद्यालय के लिए जमीन है उसको आरक्षित की जाती है, यह सब चीजें अभी तय हो जाए।

मुझे लगता है कि आने वाले समय के अन्दर जब जमीन नहीं बचेगी, जमीन का दूसरे क्षेत्रों के अन्दर आबंटन होकर चला गया। जिस प्रकार से आज जे.डी.ए. क्षेत्र के अन्दर जो ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उन ग्राम पंचायतों में आबादी का विस्तार हो रहा है, लेकिन उन ग्राम पंचायतों के पास जमीन ही नहीं है कि वह उसका बैठ करके निर्णय कर सकें। आज से 30 साल पहले जब जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर वे ग्राम पंचायतें शामिल हुई थीं, उस समय उनकी आबादी कम थी। आज उन ग्राम पंचायतों की आबादी बढ़ गई लेकिन ग्राम पंचायतों के पास एक इंच जमीन नहीं है। फैसेलिटी डवलप करने के लिये भी जमीन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों के सुविधा क्षेत्र के लिये आप जमीन आरक्षित कराने का काम करें ताकि वहां के लोगों को उससे लाभ मिल सके।।

(श्री रामलाल शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन करुंगा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, लगभग 150 की आबादी के ऊपर सफाई कर्मचारी रखने की नरेगा से स्वीकृति मिली है, लेकिन वास्तविकता के अन्दर, धरातल के अन्दर इसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई और ग्राम पंचायतों के अन्दर आज भी अगर वास्तविकता में देखें तो सफाई नगण्य है। अगर ग्राम पंचायतों के सरपंचों के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो वे अपने व्यक्तिगत प्रयासों से करवा देते हैं। बाकी इस प्रकार से, मद से ग्राम पंचायतें सफाई करा सकें, यह सम्भव नहीं है। तो, मैं आपके माध्यम से एक मांग यह भी रखूंगा कि इनकी भर्ती जल्दी से जल्दी करें। एक, ग्राम पंचायतों की जो पेयजल योजना है, उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा संकट है, अब हमें मंत्रीजी के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्रीजी काफी मजबूत हैं, इनकी प्रशासनिक पकड़ भी है, इनकी राजनीतिक पकड़ भी है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता के अन्दर जिला परिषद के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा, पंचायत समितियों के द्वारा बोरिंग किये हुए पांच-पांच साल हो गये। बोरिंग का पानी सूख गया, लेकिन उसका कनेक्शन अब तक नहीं हुआ है और जिन ठेकेदारों ने बोरिंग किये थे, वे पैसा उठा कर चले गये। ठेकेदार बोरिंग करके चला जाये और वह किसी काम के न हों, उपयोगी न हों तो वह उस पैसे की बरबादी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहूंगा कि जिन ग्राम पंचायतों के अन्दर पांच साल हो गये, ऐसे ट्यूबवैल पड़े हैं, नकारा पड़े हैं, जिनका अभी तक कोई उपयोग नहीं है, ठेकेदार पैसे उठा कर ले गये, तो जिन ग्राम पंचायतों ने यह काम किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करें, ताकि कहीं न कहीं आकर अंकुश तो लगे। एक दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा संकट यह है कि पी.एच.ई.डी. से कहते हैं कि आप बिल जमा करो, वे कहते हैं कि ग्राम पंचायतों को हमने हेण्ड-ओवर कर दिया, ग्राम पंचायतें बिल जमा कराएं। ग्राम पंचायतों से बात करते हैं, वे कहते हैं कि बिल पी.एच.ई.डी. के नाम से आ रहा है, और आने वाले समय में यदि हमने पैसा जमा करा दिया तो उसका आडिट आब्जेक्शन हमारे यहां लगेगा। इसलिये जो भी हो, प्रदेश स्तर के ऊपर बैठ कर इसका एक बार निस्तारण कर लें कि पी.एच.ई.डी. बिल जमा करायेगी या ग्राम पंचायतें बिल जमा करायेंगी। अगर ग्राम पंचायतें बिल जमा करायेंगी तो बिल उनके नाम से

(श्री रामलाल शर्मा)

आये, ताकि वे उसका पैसा जमा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक मैं निवेदन करूंगा कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो फोरेस्ट से हैं, कई नगर पालिकाओं से हैं, कई अन्य विभागों से पंचायत राज के अन्दर आये थे। वे पूरी 60 साल की नौकरी करके चले गये। लेकिन अभी तक भी उनके पेंशन के प्रकरण लम्बित हैं। उनके कई बेटे ऐसे हैं कि जिनकी उम्र हो गयी, वे उनकी शादी नहीं कर पा रहे। वे अपना मकान नहीं बना पा रहे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करुंगा कि ऐसे कर्मचारी, जिनके पेंशन के प्रकरण अभी तक भी लम्बित हैं, उनको तत्काल दिखवा करके आप निस्तारण करवायें, जो भी नियमानुसार कार्यवाही हो, वह करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी ग्राम पंचायतों के अन्दर सचिवों की कमी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां 5-5, 6-6 पी.ओ. उन पंचायतों के अन्दर है। एक-एक पी.ओ. को एक-एक ग्राम पंचायत देकर वह अपना काम करें, 5-6 ग्राम पंचायतें पी.ओ. के अण्डर में रहती हैं। लेकिन किसी न किसी एक ग्राम पंचायत का काम उसको सौंप के वे काम पूरे करायें, ताकि जो राज्य सरकार की, केन्द्र सरकार की योजनायें हैं, उन योजनाओं को धरातल पर हम ला सकें। एक, मकानों के पट्टे, उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या है कि ग्राम पंचायतों के अन्दर मकानों के पट्टे मिलने में दिक्कत है। मैं तो मंत्रीजी से आग्रह करुंगा कि राजस्थान के अन्दर एक अभियान चला कर, ग्राम पंचायतों के जो भी आवेदन आये हुए हैं, उन आवेदनों का निस्तारण करवाने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक, कम से कम सौ साल पहले आबादी बसी हुई है। लेकिन आज राजस्व रिकार्ड के अन्दर वह मन्दिर माफी के नाम जमीन बोल रही है। ऐसे कई प्रकरण हैं कि जिनका निस्तारण नहीं हो सका। इसके ऊपर भी राज्य सरकार कोई निर्णय करे कि सौ साल से जो आबादी बसी हुई है, उस आबादी के अन्दर क्या रास्ता निकल सकता है, उसको हम कराने का काम करें।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी श्मशान का मुद्दा उठाया था कि श्मशान के लिये जमीन आबंटित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कई

(श्री रामलाल शर्मा)

घटनायें अखबारों के अन्दर आप देखते और पढ़ते होंगे कि श्मशान के नाम से जमीन भी आबंटित है, श्मशान वहां मौजूद भी है लेकिन श्मशान में जाने का रास्ता नहीं है। कई बार जब काश्तकार की फसल रहती है, वह अपनी फसल के नुकसान की वजह से श्मशान तक जाने का रास्ता भी नहीं देता। ऐसे कई प्रकरण ग्राम पंचायतों के अन्दर अभी भी मौजूद हैं कि श्मशान में जाने तक के रास्ते नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड के अन्दर वे इन्द्राज नहीं हैं। तो इस तरीके के प्रकरणों का भी आप निस्तारण करने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करुंगा कि गोचर जमीन राजस्व विभाग के अधीन है। लेकिन ग्राम पंचायतों को देख-रेख करने का अधिकार है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि गोचर जमीन, मैं यह नहीं कहता कि आप गौशालाओं के नाम आबंटित करें, लेकिन कम से कम ग्राम पंचायतों को इतना अधिकार तो मिले कि वे उस जमीन को गौशालाओं के लिये आरक्षित करके वहां पर जो अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण करने वाले लोगों को बेदखल करके कम से कम गौ माता को बचाने का काम हम सब करें। यह काम आसानी से हो सकता है। अगर स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत में जमीन आरक्षित होती है तो ग्राम पंचायत के मद से कुछ विकास हो जाये, कुछ एम.एल.ए. और सांसद कोष से उसका विकास हो सकता है। पी.एच.ई.डी. वहां पानी की व्यवस्था कर दे, तो इस तरीके से जोंइट अभियान करके, गौ माता को बचाने का काम भी आपके माध्यम से, जो गोचर जमीन है, उसकी खुद का अधिकार है। क्योंकि वह पढ़ी-लिखी तो है नहीं, गाय एप्लीकेशन लिख कर ग्राम पंचायत के अन्दर सरपंच साहब के पास जा नहीं सकती कि वह यह एप्लीकेशन लगाये कि गोचर के ऊपर मेरा अधिकार था और मेरी गोचर जमीन के ऊपर अमुक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: एप्लीकेशन कौन लगाये?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि गाय पढ़ी-लिखी तो है नहीं। वह एक एप्लीकेशन लेकर ग्राम पंचायत के पास जा नहीं सकती कि मेरी गोचर जमीन, जिसके ऊपर मुझे चरने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: कही शिक्षित गौ वंश मिलता हो तो उनका आयात कर लिया जाये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं कह रहा हूं कि वह चरने के लिये कहां जायेगी, उसको पेट भरने के लिये भगवान ने जब इस जमीन के ऊपर भेजा है तो वह कहां जायेगी अपना पेट भरने के लिये। तो माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि जितनी भी गोचर जमीन है, एक साथ अभियान चलाकर उनको खाली करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, 'गाय और गौरी' एक फिल्म आई थी, जिसके अन्दर गाय बिलकुल शिक्षित थी। आपको स्मरण होगा, बहुत पुरानी बात है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): गाय पढ़ी-लिखी भी आ गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करुंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 'मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन अभियान' चलाया। एक पंचायत समिति में कम से कम दो-तीन सौ नकारा हैण्ड पम्प पड़े हैं। नरेगा योजना के अन्दर, शामिलाती योजना भी शामिल की गई है। जब शामिलाती योजना के अन्दर व्यक्तिगत लाभ भी हम दे सकते हैं तो कम से कम इनका कोई ऐसा सिस्टम डवलप करें, ऐसे कई बोरिंग नकारा पड़े हुए हैं कि उनको वाटर रिचार्ज के लिये उसमें बजरी, कंकरीट, क्या मापदण्ड है, वह डाल कर किसी भी तरीके से वाटर रिचार्ज सिस्टम हम लागू कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करुंगा कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर विकास के काम करने हों, चाहे एम.एल.ए. लेड फण्ड से हो, चाहे ए.पी. लेड फण्ड से हो, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से हों। यह वास्तविकता है कि उनके काम कम्पलीट होने के बावजूद भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर उनकी यू.सी., सी.सी. नहीं हो पाती। इसकी वजह से दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच साल तक यू.सी., सी.सी. पैंडिंग पड़ी रहती है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि एक निर्धारित सीमा आप तय करें कि इतने महीने में, दो महीने में, चार महीने में, छह महीने के अन्दर-अन्दर प्रत्येक काम की यू.सी., सी.सी. वे जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करूंगा कि

(श्री रामलाल शर्मा)

व्यक्तिगत लाभ की योजना है 'अपना खेत-अपना मकान'। इसके अन्दर मापदण्ड यह है कि पहले एस.सी., एस.टी., फिर बी.पी.एल. और फिर लघु सीमांत। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि न बी.पी.एल. के आवेदन आते हैं, न एस.सी.एस.टी. के आवेदन आते हैं, इनके आवेदन नहीं आने की वजह से जो लघु सीमांत किसान हैं, इस योजना के तहत उनको भी लाभ नहीं मिल पा रहा। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो आप उनकी निर्धारित सीमा तय करें कि इतनी तारीख तक उनके आवेदन प्राप्त हो जायें और यदि बी.पी.एल., एस.सी., एस.टी. के आवेदन नहीं आते हैं, कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि वहां पर जो आबादी रहने वाली है, वहां पर इन मापदण्डों के व्यक्ति रहते ही नहीं हैं। तो कम से कम एक निर्धारित समय के अन्दर अगर उनके आवेदन प्राप्त नहीं हों तो जो व्यक्तिगत लाभ की योजना है उनके अन्दर लघु सीमांत को भी शामिल करके दिया जाये।

एक आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर करुंगा कि जिस तरीके से मुक्तिधाम योजना है, श्मशान की, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, कई खेल-मैदान हैं, तो इनको भी, जो खेल-मैदान नरेगा के माध्यम से हो सकते हैं लेकिन जमीन आबंटन नहीं होने की वजह से वे नहीं हो पाते।

एक अन्तिम, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि अब पॉलीथीन की समस्या, यह सिर्फ शहरों की समस्या नहीं रही, शहर की नालियों को ब्लॉक करने का काम ही नहीं करती, यह पॉलीथीन अब गांवों के अन्दर भी, गांव की नालियों को ब्लॉक का काम करती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवदन करुंगा कि जिस तरीके से देश के अन्दर एक रात के अन्दर नोटबंदी लागू की गई थी, उसी तरीके से पूरे राजस्थान के अन्दर यह पॉलीथीन के ऊपर बैन लगाओ। अगर किसी भी गांव के अन्दर गौ-माता खतम होती है, उसके पेट से आठ से दस किलो पॉलीथीन निकलती है। यह वास्तविकता है। गांव के अन्दर सीवरेज को ब्लॉक करने का काम यह पॉलीथीन कर रही है, गौ-माता को मारने का काम यह पॉलीथीन कर रही है। गांव के अन्दर किसान के खेत में चली गई तो उसकी उर्वरा क्षमता को ही खतम करने का काम यह कर रही है।

(श्री रामलाल शर्मा)

जब इस तरीके से नुकसान, अगर इसको जलाने लगे तो प्रदूषण का काम यह कर रही है तो जिस तरीके से इस पॉलिथीन का कोई लाभ नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा, सदन के सभी सदस्यों से यह मांग करूंगा कि एक ही दिन के अंदर इस प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त बनाने का एक अभियान चलाये, इसके ऊपर रोक लगाये। यह नहीं हो कि पॉलिथीन का अभियान चलाया और किसी के यहां से एक किलो पॉलिथीन जब्त कर ली और किसी के यहां से दो किलो पॉलिथीन जब्त कर ली। जो भी पॉलिथीन की फैक्ट्रियों को अनुमति मिली हुई है, जो निर्धारित मापदंड के अनुसार पॉलिथीन बनाने का काम नहीं कर रही और जिसकी वजह से पर्यावरण को भी नुकसान है, जिसकी वजह से पशुओं को भी नुकसान है और जिसकी वजह से आम आदमी, चाहे नालियां ब्लॉक होती हो या चाहे सीवरेज ब्लॉक होती हो तो इसके ऊपर पाबंदी लगाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका मैं आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-28 और मांग संख्या-49 पर बोलने की आज्ञा प्रदान की, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश और देश का, देश की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांव का चहुंमुखी विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश के चहुंमुखी विकास की बात करना बेमानी है। हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय गांव, गरीब, किसान के बारे में बहुत बातें की जाती थीं लेकिन कॉन्क्रीट कुछ भी धरातल पर नहीं किया गया था और अगर कुछ योजनाएं भी बनाई थीं तो उनकी मानीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए जो वास्तविक लाभ ग्रामीणजन को, किसान को, गरीब को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया।

हमारी सरकार ने, हमारी माननीय मुख्य मंत्री के विजन का फर्क है कि उन्होंने गांव के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जन-कल्याणकारी योजनाएं बनाईं और यह सुनिश्चित किया कि उसका वास्तविक लाभ जिस व्यक्ति के लिए वह योजनाएं बनाई गयी हैं, वह लाभ उस तक पहुंचे।

(श्रीमती अलका सिंह)

इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया। केन्द्रीय बजट भी ग्रामीण विकास का बढ़ा है और हमारे राजस्थान का 43.24 परसेंट बजट इस बार ग्रामीण विकास के लिए बढ़ाया गया है। यह अंतर है विजन का और वास्तविक रूप से काम करने की मंशा का। हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता चालू की थी और उसी का यह ठोस परिणाम आया है कि अब जो मठाधीश थे, उनका राज समाप्त हो गया और नए-नए जो शिक्षित युवा आए हैं या जो शिक्षित लोग आए हैं आगे एक तो जो महिलाएं पहले जन-प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत आती थीं, उनके परिवार वाले सरपंच-पति, पंचायत समिति सदस्य पति और प्रधान पति यह नई डेफिनेशंस आ गयी थीं। क्योंकि महिलाएं शिक्षित नहीं होती थीं लेकिन शिक्षा का राइडर आने के बाद जो भी जन-प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं वह शिक्षित हैं और वह काम करने की मंशा रखते हैं और वास्तविक रूप से जो महिलाओं का विकास और ग्रामीण विकास की जो भावना हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी लेकर आई हैं, उसके अनुरूप कार्य हो रहा है।

इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण एक और राइडर लगाया गया था, पांच लाख शौचालयों का निर्माण इन पंचायत चुनावों के दौरान हो चुका है और अब हमारी सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी और जो मेट है या पचास हजार से ज्यादा ऋण लेने वाले जो किसान हैं, उनके लिए भी शौचालय निर्माण आवश्यक कर दिया है तो यह ग्रामीण स्वच्छता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास पर 3 वर्ष में खर्च किया 163 करोड़ रुपये और पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्ष में खर्च किया 72.47 करोड़ रुपये तो यह फर्क है जनता के बारे में सोचने वाली सरकार का, गांव के विकास के बारे में सोचने वाली सरकार का और इसके अतिरिक्त कांग्रेस के समय केन्द्र प्रवर्तित जो योजनाएं आती थीं उनका जो पैसा आता था उसका 60 परसेंट से ज्यादा पैसा पिछले पांच वर्षों में एक बार भी खर्च नहीं हुआ तो यह सीरियसनेस बताती है कि ग्रामीण विकास के बारे में यह लोग कितने चिंतित थे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आकड़े देना चाहूंगी। पंचायती राज विभाग में कांग्रेस के पांच साल में 2159 करोड़ का काम हुआ और हमारी

(श्रीमती अलका सिंह)

सरकार के तीन वर्ष में 6260 करोड़ का खर्च हुआ। 1 लाख 51 हजार 431 कार्य पूर्ण करवाये कांग्रेस ने पांच साल में, हमारी सरकार ने काम करवाये 2 लाख 50 हजार 940, तकरीबन यह बैठता है तीन गुणा। केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जो कांग्रेस ने पांच साल में यह कार्य करवाये एक हजार 539 करोड़ और हमारी सरकार ने तीन वर्ष में करवाये 5 हजार 287 करोड़ रुपये, करीब चार गुणा, पांच गुणा ज्यादा तो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को विकसित करने का, गांव के लोगों के विकास का जो काम हमारी सरकार ने किया उसी का यह परिणाम है कि 80 परसेंट पंचायत आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है और एक विजन जो हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देखा है, गांवों के विकास का उसके अनुरूप गांवों में काम हो रहा है।

वर्तमान समय में ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में अगर मैं तुलनात्मक रूप से बताना चाहूं तो कांग्रेस ने पांच वर्षों में 5070 करोड़ खर्च किया और हमने तीन वर्ष में 5108 करोड़ खर्च किया, बहुत अंतर है और अभी धौलपुर उप चुनाव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग वहां जा-जाकर बड़ी-बड़ी योजनाएं बता रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हम यह कर देंगे और हमने यह-यह काम कर दिये थे तो थोड़ा-सा आइना इनको दिखाना चाहूंगी।

डांग क्षेत्र विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस ने पांच वर्ष में 72 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च किये और हमारी सरकार ने तीन वर्ष में 173 करोड़ 29 लाख खर्च किये, करीब दुगना पैसा।

मगरा विकास केन्द्र की बात करे तो कांग्रेस के पांच वर्ष में 54 करोड़ 78 लाख रुपये और हमारे तीन वर्ष में 166 करोड़ 83 लाख रुपये, यह भी तकरीबन तीन गुणा।

मेवात विकास कार्यक्रम में कांग्रेस के पांच वर्ष में 55 करोड़ 80 लाख और हमने तीन वर्ष में किये 149.22 करोड़, यह भी तीन गुणा।

गुरु गोलवलकर जन-भागीदारी योजना के अंतर्गत कांग्रेस ने पांच साल में 86 करोड़ 4 लाख रुपये खर्च किये और हमने किये 340 करोड़ रुपये, करीबन चार गुणा ज्यादा तो यह अंतर है सोच का ही नहीं काम करने की मंशा का और वास्तविक परिणाम देने का।

अभी तीन वर्षों में ही हमारी सरकार ने कांग्रेस से तकरीबन तीन से चार गुणा ज्यादा काम ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किया है।

(श्रीमती अलका सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नरेगा के बारे में यह कहना चाहूंगी कि इनके समय में नरेगा की डेफिनेशन थी- मिट्टी डालो, मिट्टी खोदो और पैसा उठा लो। कोई मानीटरिंग नहीं थी। इनके समय में इनके जो पूर्व प्रधान मंत्री थे हमारे माननीय मनमोहन सिंहजी उनके नाम भी जॉब कार्ड असम में था। यह मानीटरिंग का फर्क है लेकिन हमारे समय में सारी चीजें ऑन-लाइन कर दी गयी हैं और हमने नरेगा को कृषि से जोड़ा, हमने नरेगा को पक्के कामों से जोड़ा और इसी का फर्क है कि कृषि से जोड़ने से जो आम कृषक हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी और पक्के कामों से जोड़ने से परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त सारा पेमेंट ऑन-लाइन होता है तो जो भ्रष्टाचार है, वह करीब-करीब समाप्त हो चुका है और महात्मा गांधी की आत्मा जो गांव में बसती थी, जो गांव के विकास के लिए वह काम करना चाहते थे, वह हम लोगों ने किया है।

इन्होंने गांधीजी को जिस तरह से जोड़ा था, जो नोट पर फोटो दी है, उससे तो इन्होंने नरेगा को जोड़ा, हमने गांधी की आत्मा से गांधी को जोड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा का बजट पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 48 हजार करोड़ रुपये रखा गया है जो कि आज तक का सबसे ज्यादा बजट है। नरेगा में कन्वर्जन्स के अंतर्गत ग्रामीण विकास की योजनाएं जो हमारे यहां पर स्वीकृत हुई हैं, उसमें दो हजार आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने की योजना है, वह कार्य प्रगति पर है। दो हजार मुख्य मंत्री खेल मैदान योजना, एक हजार मुक्ति-धाम विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र और फिफ्टी थाउजेंड केटल-शेड्स, यह इस तरह की योजनाएं हैं ताकि गांव का विकास भी हो, परिसम्पत्तियों का निर्माण भी हो और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी लोगों को उपलब्ध हो जिससे, कौशल विकास केन्द्र उसी में एक कड़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा के अंतर्गत रिकार्ड मानव दिवस 2341.25, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने जो लक्ष्य दिया था, उससे बहुत ज्यादा है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का भी 145 परसेंट पैसा पिछले वर्ष खर्च हो चुका है और अभी जो काम है, वह चल रहा है। इनके समय में कम्प्लीशन रिपोर्ट तक केन्द्र सरकार में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए नहीं भेजी जाती थीं इसलिए अधिकतर समय पैसा लैप्स हो जाया करता था क्योंकि कोई सीरियसनेस नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई मानीटरिंग नहीं थी।

(श्रीमती अलका सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वास्तविक, जो पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके लिए यह योजनाएं बनाई गयी हैं उसको पूरा लाभ पहुंचे, उसके लिए एक और योजना चालू की दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर। यहां बैठे हुए सारे माननीय सदस्य उन कैम्प्स को अटेंड करते हैं, यह दो पड़ोसी पंचायतों में लगते हैं और 17 विभागों की 70 सेवाएं इसके अंदर है। गांव का आम नागरिक उन कैम्प्स में जाकर सुविधाओं का लाभ ले सकता है और जहां भी उसे परेशानी हो वह सारी चीजें, वहां उसका निराकरण हो जाता है।

डिजीटलाइलेशन भी किया गया। आज 40 हजार ई-मित्र केन्द्रों पर 270 सरकारी सेवाएं आम आदमी को उपलब्ध हो रही हैं और उसकी रिसीप्ट भी उन्हें दी जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा जो भुगतान किया जाता है, वह भी चैक के बजाए आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डाइरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो रहा है।

(14.00 बजे)

तो भ्रष्टाचार की और लीकेज की जो संभावना है वो करीब-करीब समाप्त हो चुकी है।

इस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है जो कि पांच हजार की आबादी पर स्मार्ट विलेज बनेंगे और उसके अन्दर स्ट्रीट लाइट्स, ई-पुस्तकालय, वाई-फाई, उद्यान, खेल मैदान, कचरा प्रबन्धन और ए.टी.एम., इन सबकी व्यवस्था करने की योजना है। सबसे बड़ा एक काम है कि हमारे यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बन जाती हैं और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है लेकिन इस स्मार्ट विलेज में यह प्रोविजन किया गया है कि बिना जल निकासी की व्यवस्था देखे सड़कों का निर्माण नहीं होगा।

पंचायतों को अधिकार हमारे ही समय में दिया गया है और आज सरपंच भूमि का विनियम कर सकता है, सरपंच आबादी भूमि को अगर पर्यटन के हिसाब से चेंज करना है, कन्वर्ट करना है वो कर सकता है, सिनेमा बनाना हो या और कोई व्यवसाय हो।

इसके अलावा जल स्वावंलबन अभियान, यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके बारे में काफी डिटेल में सदन में डिस्कस हो चुका है। इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगी अभी तक जल स्वावलंबन ग्रामीण क्षेत्रों में था अब

(श्रीमती अलका सिंह)

जल स्वावलंबन शहरों में आ गया है और इसमें एक करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य भी लिया गया है और सारी चीजें ऑनलाइन हैं। कहां कितना काम हुआ, कहां से कितना पैसा आया, किसने क्या सहायता की, क्योंकि जल स्वावलंबन योजना नहीं इसे अभियान का नाम दिया है ताकि आम जनता का जुड़ाव इस योजना के साथ हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की समुचित मोनीटरिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो जनरली यही शिकायतें आती हैं कि व्यक्तिगत शौचालय बने नहीं हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं, पेमेंट हो गया है तो उनकी जरूर मोनीटरिंग की जाए।

पंचायतें जब ओ.डी.एफ. होती हैं तो उसमें मापदण्ड रखा जाता है 2011 की जनसंख्या का तो जनरली जब वहां जाते हैं तो लोग यही एतराज करते हैं कि गांव में सब जगह तो शौचालय बने नहीं हैं और ओ.डी.एफ. घोषित हो गया है। इसके बारे में मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें यह देखें कि अगर पर हाउस होल्ड एक शौचालय के निर्माण के हिसाब से ओ.डी.एफ. घोषित किया जाए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा।

जल स्वावलंबन के कार्यों के लिए कई बार टेण्डर्स किये जाते हैं, उसमें थोड़ी पारदर्शिता रखी जाए ताकि जनता संतुष्ट रहे।

इसके अलावा अभी जो जनप्रतिनिधि इलैक्ट होकर आये हैं वो ज्यादातर कम एज के भी हैं, तो उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चालू किया जाए, उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए और उनको काम करने का तरीका बताया जाए कि कहां से, किस तरह से योजनाओं की जानकारी लेकर आम जनता को उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर इस तरह का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वो काम करने की मंशा रखने वाले जनप्रतिनिधि इसमें काम कर सकेंगे।

एक सिंगल फेस ट्यूबवैल, मेरे पूर्व वक्ता भी बता चुके हैं, पी.एच.ई.डी. को अगर हस्तांतरित किये जाएंगे तो उनका अच्छी तरह से काम होगा।

एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम लोग जो एकल बिंदु लगाते हैं सिंगल फेस के, इसके लिए पंचायत के पास बिल पुनर्भरण का कोई पैसा नहीं आता है। तो मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि

(श्रीमती अलका सिंह)

हम इस तरह की कोई व्यवस्था कर दें कि कोई कमेटी बना दी जाए, जो रजिस्टर्ड कमेटी हो और वो अपने लैटरपैड पर कि इसके पुनर्भरण की और रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी होगी और जहां से यह प्रक्रिया पूरी होकर आ जाए वहीं पर हम सिंगल फेस ट्यूबवैल्स का निर्माण करें तो उसका रखरखाव भी होगा और जो सरकारी पैसा है, उसका भी उपयोग होगा नहीं तो यह बन जाते हैं, बिल जमा नहीं होते हैं या रखरखाव नहीं होता है तो यह बंद होकर एक शो-पीस बन जाते हैं।

ई-पंचायत हमारी सरकार की एक नई योजना है, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उसकी प्रगति पर नजर रखें क्योंकि अगर आप उसके बारे में कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से नीचे के लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, हमारा ग्रामीण विकास पूरी तौर से भ्रष्टाचार मुक्त हो जायेगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम ग्रामीण विकास और पंचायती राज की मांग के ऊपर चर्चा कर रह हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सब के लिए, पूरे प्रदेश के विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा जो 70 परसेंट की आबादी गांवों में रहती है उसके विकास के नये आयाम स्थापित किये जाते हैं। पंचायती राज की स्थापना कांग्रेस ने ही की थी और जब-जब भी कांग्रेस की सरकार चाहे प्रदेश में स्थापित हुई हो, चाहे केन्द्र में स्थापित हुई हो, पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया है। ...(व्यवधान)...

बहुत अच्छी बात है। उस वक्त आप भी कांग्रेस में थे। ...(व्यवधान)... उस वक्त आप भी कांग्रेस में थे। ये देखो, जो सही मायने में कांग्रेसी होता है न वो कहीं भी बैठा रहे उसका दिल कांग्रेस के प्रति जब बात आती है तो जरूर मचलता है। ...(व्यवधान)...

निश्चित रूप से आज सवा तीन साल में जिस प्रकार से ग्रामीण विकास और पंचायती राज का भट्टा इस सरकार ने बैठाया है, मंत्रीजी, आप तो अब आये हैं इसलिए आपको ज्यादा उलाहना नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने प्रयास भी किये थे लेकिन मंत्री करें क्या जब सरकार की यह प्राथमिकता ही नहीं हो ग्रामीण विकास तो फिर उसका धनी धोरी कोई नहीं होता।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं, एक तो मनरेगा की बातें की जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने सदन में खड़े होकर के यह कहा था कि यह मनरेगा कांग्रेस पार्टी की असफलताओं का स्मारक है और उसी मनरेगा के ऊपर आज माननीय सत्ता पक्ष के लोग मेजें थपथपा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, कह रहे हैं मनरेगा में इतना काम कर दिया। मनरेगा का एक्ट हम लाये, कांग्रेस पार्टी की यह सोच थी कि हर गरीब को, हर गांव के व्यक्ति को मजदूरी मिलनी चाहिए, काम का अधिकार उन्होंने दिया। प्रधान मंत्रीजी कुछ कहते हैं और यहां खड़े होकर आप मेजें थपथपाते हो कि हमने मनरेगा में इतने रोजगार प्रदान कर दिये, इतना पैसा खर्च कर दिया। यह सारा का सारा कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की प्रत्येक गरीब के प्रति सोच और ग्रामीण विकास की सोच के कारण से ही संभव हुआ है। ...(व्यवधान)...

एक इन्होंने चलायी मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, विधायकों को कहा गोद ले लीजिए, ले ली, साहब, गोद में उठा लिया हमने तो ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हालांकि बीच में बोलना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा की यह बात कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि मनरेगा में किसान और उद्योग को बरबाद कर दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बंद करो न। बंद करो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): नहीं बंद क्या। करेंगे हम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बंद करो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): करेंगे हम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज मंत्रीजी से घोषणा करवा दो न।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आपने जो पाप किये उसको चला रहे हैं मजबूरी में।

उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यही है। यह माननीय सदस्य भी किसान के बेटे हैं, मनरेगा से आज किसान बरबादी की ओर है, किसान खेती करना बंद करने की स्थिति में आ गया। लघु उद्योग बरबाद हो गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका नम्बर आये तब बोल लेना, महाराज।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): यह एक बहुत बड़ी साजिश है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आपका जब नम्बर आये तब बोल लेना। आपका नम्बर नहीं आ रहा है क्या?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): नहीं, मैं थोड़ासा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विराजो।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप विराजो। यह मनरेगा के लिए क्या कहना चाहते हैं, सुनें तो सही। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मेरा यह मानना है कि हर आदमी के स्वाभिमान को, उसका स्वाभिमान खतम हो गया है, आदमी काम चोर हो गया है, किसान की खेती बरबादी हो गयी है, लघु उद्योग सब बरबाद होने की स्थिति में आ गये परन्तु करें क्या। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या करें, इसको स्मारक के रूप में चलाना पड़ेगा। बाकी मैं और बताऊं, आप भी जान रहे हो, मनरेगा से ...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराज जाएं, मेरे ख्याल से ठीक हो गया इसका विश्लेषण। अब आप फरमाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह इतने विद्वान हैं माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष: अब समस्त सदस्यों को यह निवेदन है कि बीच में कोई व्यवधान नहीं डालेगा, कम से कम धैर्य से सुनने की भी कोशिश करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, गोद दी, पैसा एक दिया नहीं केवल मनरेगा में आपने मैटेरियल की थोड़ी-बहुत छूट दी। इसके अलावा अगर एक फूटी कौड़ी किसी भी योजना में सरकार के द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत योजना में दी हो तो आप बता दीजिए। एम.पी. गोद ले रहे हैं, एम.एल.ए. गोद ले रहे हैं और जब हमने गोद ली न तब, मंत्रीजी, हमें कहा गया पता नहीं उस ग्राम पंचायत में क्या-क्या हो जायेगा। हमारे यहां तो तीन साल से कुछ भी हुआ नहीं, 40 लाख रुपये मनरेगा में, जिसको हमने गोद लिया था उसमें मैटेरियल का पैसा जरूर ज्यादा मिला है, वो भी आप पूरा खर्च नहीं करा पाये।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन की बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गयी हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का इस तरह से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जैसे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जल में हमारा प्रदेश तो आत्म स्वावलंबन हो जायेगा और हमें शुद्ध तो पेयजल मिल जायेगा, पानी की कभी कमी नहीं रहेगी, पता नहीं क्या हो जायेगा। यह जो वाटरशैड था न, मंत्री महोदय, केन्द्र सरकार की योजना थी और उसमें जो पैसा बचा हुआ था उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए आपने एक तरह का नाम दिया लेकिन ढिंढोरा इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का इतना पीट दिया और इतने ऑब्जर्वर लगा दिये, इतने जांच करने वाले लगा दिये, एस.डी.एम. भी वहीं उसी दो पंचायतों में जा रहा है, उसी में आपका ए.ईएन. जा रहा है, उसी में बी.डी.ओ. जा रहा है, उसमें तहसीलदार जा रहा है, उसी में पता नहीं सारे के सारे अधिकारी जा रहे हैं और अपना भत्ता उठा रहे हैं और तेल जला रहे हैं गाड़ियों का, इसके अलावा कुछ नहीं।

अनटाइड फंड का पंचायती राज में वैसे ही लग रहा था। वह अनटाइड फंड आपने उसमें कर दिया। एमएलएज को पाबंद कर दिया कि उसके विधान सभा क्षेत्र में जो 2 पंचायतें जल स्वावलंबन में हैं, उसमें 25 परसेंट पैसा आपके एमएलए लैड का 1 साल का दें। आपका क्या है? आपकी फूटी कौड़ी नहीं है। कोई योजना नहीं। वाटर शैड का पैसा था। अनटाइड फंड का पंचायतों का पैसा था। एलएलए लैड का पैसा था, इसके अलावा दिया क्या? ढिढोंरा ऐसा पीट दिया कि जैसे राजस्थान पानी के मामले में आत्म स्वावलंबन हो गया। इसमें आप कुछ नहीं कर पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज में हमने 5 विभाग दिए थे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग दिया था। प्रारंभिक शिक्षा में आज एक बाबू के ट्रांसफर के लिए भी पंचायती राज मंत्री को पूछते हों तो बता दो। एक थर्ड ग्रेड के टीचर के ट्रांसफर के लिए पूछते हों तो बता दो। उसके पदस्थापन में ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद के माध्यम से जाता है। लेकिन पूरी तरह से पंचायती राज मंत्री से प्रारंभिक शिक्षा खतम कर दी गई है। आप देखिए, 15 हजार से ज्यादा प्रारंभिक और अपर प्राइमरी स्कूलें बंद की। पंचायती राज मंत्री ने की क्या? पंचायत डिपार्टमेंट के पास कोई बात ही नहीं। शिक्षा विभाग कर रहा है। धड़ाधड़ बंद कर रहा है। पंचायती राज को समाप्त करने का काम किया है। आप खर्चे में कहीं नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जैसे माननीय सदस्या कह रही थी कि इतना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, पंचम राज्य वित्त आयोग में 2016-17 में 2770.13 करोड़ रुपए मिले थे और आप 1206.08 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। निर्बंध राशि में 2010.70 करोड़ रुपए मिले थे और 1176.70 खर्च कर पाए। केन्द्र से पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए 2227 लाख रुपए मिले थे। उसमें से एक रुपया आपने खर्च नहीं किया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो शिविर लगा रहे हैं उसमें अधिकारी ठाले बैठे रहते हैं। वहां ना तो कोई जनता आती है और ना उनमें कोई सुविधा मिलती है। केवल करने के लिए कि यह पंडित दीनदयाल जी का नाम आरएसएस से जुड़ा हुआ था, इसलिए इनके नाम से अभियान चलाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस की सरकार जब थी तब गांवों में जाकर के जन समस्याओं के समाधान का अभियान चलाते थे। इस तरह का रेला निकलता था और लोग आते थे। उनकी समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन आपके इन दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविरों में नाम मात्र के काम मंत्री महोदय, हो नहीं रहे हैं। मिड डे मील का हाल बुरा है पंचायती राज के अधीन। कल परसों हमने देखा था कि सवाई माधोपुर में पंचायती राज के अधीन जो स्कूल है, उसमें मिड डे मिल में बच्चों के साथ में कुत्ते भोजन कर रहे थे। यह हमारे प्रदेश के लिए शर्मनाक है।

उपाध्यक्ष महोदय, एमएलए लैड, एमपी लैड इसकी कोई मोनीटरिंग है? कोई पूछता है हम लोगों को? 3, सवा 3 साल में एक मीटिंग जिला कलेक्टर ने एमएलए लैड और एमपी लैड के लिए ली हो तो बता दें। समय पर काम होते नहीं, यूसी, सीसी आती है कि नहीं, उनका समायोजन होता है कि नहीं? अगर कोई पूछ लेता तो हम आपको आज धन्यवाद भी दे देते। सवा 3 साल में तो हमें पूछा नहीं। एमएलए लैड का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। समय पर स्वीकृतियां जारी होती नहीं हैं। एमपी रोजाना चिल्लाते हैं। हमारे जो सुमेधानंद जी महाराज हैं, आपकी महाराजों की पार्टी भी है, उनकी भी कोई नहीं पूछ रहा है। वह भी कहते हैं कि एक स्वीकृति के लिए मैं 3 साल से रोजने रो रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एमएलए लैड को बढ़ाना भी चाहिए। सारे डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि पैसा दे दीजिए। हॉस्पिटल में एम्बूलेंस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
लानी है तो पैसा दे दीजिए। चारपाई लानी है पैसा दे दीजिए। स्कूल में कमरे बनाने हैं पैसा दे दीजिए। फिर आप क्या करोगे? यह तो बताओ। सारे का सारा पैसा अगर एमएलए लैड से ले लेंगे तो 2, सवा 2 करोड़ में होता क्या है? उसमें से जो एससी, एसटी का है वह फिक्स है, वहां लगना है। 25 परसेंट आपने जल स्वावलंबन में बुक कर दिया। अब बाकी क्या बचता है? लेकिन इसकी भी मोनीटरिंग ठीक तरीके से हो नहीं रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने मनरेगा में जो संविदा कर्मी थे उनको नियमित करने का काम किया। 7 हजार के लगभग नियमित कर दिए। आपने उसके बाद में 1 परसेंट भी कोई काम किया हो तो बताओ। उनका मानदेय दिया हो तो बताओ। आज 12 हजार से ज्यादा कर्मचारी जो मनरेगा के तहत संविदा कर्मी हैं, उनको अगर स्थाई आपने किया हो तो बताओ। ग्राम सेवक आपके पास आधी पंचायतों में हैं नहीं। पूरे प्रदेश का भट्टा बैठा हुआ है। एलडीसी का आपने 2-2 का प्रोविजन कर रखा है एक पंचायत में और एक-एक एलडीसी भी पूरा नहीं है। एलडीसी आप दे नहीं सकते, ग्राम सेवक दे नहीं सकते। आप राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति किस प्रकार से करवाना चाहते हो? यह मेरे समझ के बाहर की चीज है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सहायक की आप भर्ती की बात कर रहे हो। यह भर्ती केवल विद्यार्थी मित्रों को उल्लू बनाने के लिए आपने निकाली है। यह भर्ती ग्राम पंचायत की नहीं है। शिक्षा विभाग मार्गदर्शन जारी कर रहा है। प्रिंसिपल इंटरव्यू ले रहा है और ग्राम सेवक उसका नियुक्ति पत्र देगा। यह किस तरह से बेवकूफ बनाने का काम यह सरकार कर रही है। यह मेरे समझ में नहीं आया। वह बच्चे पढ़ाएंगे तो स्कूल में क्योंकि वह बीएड भी हैं और एमएससी भी हैं, प्रिंसिपल देगा नियुक्ति करके और सी.ओ. अनुमोदन देगा और डीईओ साथ में रहेगा और फिर ग्राम सेवक नियुक्ति पत्र देगा, अस्थाई रूप से होगा, ग्राम सेवक के पास में वह काम नहीं करेगा तो 2 दिन में छुट्टी कर देगा। वह कोई नहीं रखने वाला है। उसमें न तो रिजर्वेशन का प्रावधान और न कुछ और प्रावधान? ऐसे होती है कि भर्ती? एक फोर्थ क्लास की भी भर्ती होती नहीं और आप इस तरह से मजाक बना रहे हो। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी भवन जो हमारी सरकार ने बनाए थे,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उनके अंदर पत्थर लगे हुए हैं उद्घाटन के, आपमें से भी कोई माननीय सदस्य होंगे, राजीव गांधी भवन फलानां, ग्राम फलानां, जो भी हैं, अब आपने उसमें कबूतरिया कलर लगाकर के, हजार, पांच सौ रुपए खर्च करके अटल सेवा केन्द्र कर दिया। आज उन राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की मंत्री महोदय स्थिति क्या है? आप अब आए हैं। हमें आपसे उम्मीद है कि आप उसको ठीक करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो भी यूसी, सीसी है उसमें एक में भी डेट नहीं आती है। जब जेईएन यूसी, सीसी बनाता है तो कोई डेट देता नहीं है। यह इंजीनियर बेस्ड पूरा का पूरा सिस्टम हो गया है। इंजीनियर जैसा चाहता है वैसा करता है। बीडीओ तो केवल मोहर हो गई। इंजीनियर चाहता है जिसका मूल्यांकन ठीक करना है तो ठीक करेगा और नहीं करना है तो नहीं करेगा। अगर उसका लेन देन हो गया तो उसका ठीक कर देगा। अगर उसका लेन देन नहीं हुआ तो वह ठीक नहीं करेगा। यूसी, सीसी पर डेट नहीं होने से वह जिला परिषद में आ जाती है और पड़ी रहती हैं। उनका समायोजन होता नहीं है। आगे से पैसा आता नहीं है इसलिए इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि लगभग 300 कर्मचारी थे जो विभिन्न विभागों से पंचायती राज विभाग में आए थे। पंचायती राज विभाग में आने के बाद जो सेवानिवृत्त हो गए, उनमें से किसी को भी पेंशन नहीं मिल रही है। इनका 2010 में समायोजन कर दिया। 2010 में ग्राम सेवकों के पद पर नियमानुसार समायोजित किया गया, उसके बावजूद भी इनको ग्रेच्युटी, जीपीएफ वगैरह का कोई परिलाभ नहीं मिल रहा है। इसको भी दिखवाने की आवश्यकता है। यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें से 2-3 व्यक्तियों को तो पता नहीं कैसे दे दिया, भगवान जाने। लेकिन बाकी को नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मनरेगा चलने के बाद में या उससे भी पहले ग्रेवल सड़कें बनी थी। अब वह सड़कें बनने को तो बन गई, लेकिन उसकी रिपेयरिंग का कोई प्रावधान ही नहीं। जब भी प्रभारी मंत्री हमारे जिलों में गए तो हमने बार-बार कहा कि 2007-08 में जब मनरेगा चली थी, तब से यह ग्रेवल सड़कें हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आप सीसी सड़कें जो अभी ग्रामीण गौरव पथ की बना रहे हो, उसका तो गारंटी पीरियड 3 साल है। 3 साल के बाद में आप उसको वापिस बना सकते हो। अगर डामर सड़क तो पहले 5 साल और अब शायद 3 साल कर दिया। कही पीडब्ल्यूडी बनाएगा तो 5 साल बाद में दुबारा उसको बना सकता है। लेकिन 2007 से लेकर के 10 साल हो गए और उनमें इतने गड्ढ़ पड़ गए, पहली बात तो यह कि सरपंचों ने भी उनको ठीक से बनाया ही नहीं। रोलर, पानी की व्यवस्था सही रूप से की ही नहीं। लेकिन उसके बाद में जो हैं उनके ऊपर हम बार-बार मांग रहे हैं तो केवल एक निर्देश आया है कि आप 3 लाख रुपए एमएलए कोटे से इसमें कर सकते हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें चाहे आपको केन्द्र से बात करनी पड़े, चाहे यहां से करनी पड़े, इन मनरेगा के तहत बनी हुई ग्रेवल सड़कों को दुबारा रिपेयर करने की अनुमति देनी चाहिए। अगर आप हर बात में ही यह सोचने लगेंगे कि भ्रष्टाचार हो जाएगा, पता नहीं सरपंच पैसे उठा लेंगे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। यह वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का आप समाधान करने की चेष्टा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक यह जो आरडीएस हैं, इनको भी 5-5 साल हो गए, इनको भी पदोन्नति के नियम बनाकर के जिस प्रकार से हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में जिस प्रकार से कैडर बनाकर के पदोन्नति दी जाती है।

क्योंकि यह सारी योजनाओं का, ग्रामीण विकास का सारा का सारा काम यह विकास अधिकारी करते हैं तो इन आरडीएस की भी अपने को सुध लेनी पड़ेगी। ग्राम सेवकों की भर्ती भी आपको करनी पड़ेगी और पंचायती राज विभाग चूंकि आपको मिला है यह तो मैं समझता हूं कि इसको आप और ज्यादा ठीक तरीके से कर पाओगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा मुद्दा रह जाता है, बीएसआर के ऊपर। हम अन्य योजनाओं में तो टेंडर कर सकते हैं लेकिन मनरेगा में बीएसआर से नहीं करके टेंडर करने पड़ते हैं, दोनों में फर्क आ जाता है तो अधिकारी कान पकड़ते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से जो बीएसआर रेट आप बना रहे हो, जिसमें आजकल जन प्रतिनिधियों को भी, एक-दो सरपंच को भी रखा है तो जब बीएसआर बन गई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तो बीएसआर पर काम करने की छूट मैं समझता हूं कि मिलनी चाहिए इसमें जहां भी टेक्निकली कमी खामी है तो उसको आप ठीक करने का काम करेंगे।

स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय बन रहे हैं, उसमें यह बात सही है कि जिस समय सर्वे हुआ, कई गलत नाम जुड़ गए, कई के बने हुए हैं उनके नाम भी नहीं बने हुए की लिस्ट में आ गए, उनका थोड़ा बहुत एडजस्ट तो किया है कि मान लीजिए एक ग्राम में पचास है और उसमें से दस नहीं बन रहे हैं तो दस दूसरे जोड़ लो, अब तक तो किया है लेकिन इसको भारत सरकार को लिखकर वास्तव में दुबारा सर्वे करवा कर इसको वास्तविक रूप से किस प्रकार से स्वच्छ भारत पूरी तरह से सफल रहे यह प्रयास होना चाहिए हम भी यह चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि केन्द्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है पर यदि ग्रामीण विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए आप अच्छा काम करते हैं तो हम आपकी मदद करते हैं, आपने कहा कि पंचायतों को गोद ले लीजिए, हमने ले लिया, स्व्च्छ भारत में आपने कहा कि सहयोग कीजिए, हम सहयोग कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय शिविर हैं उनमें जाने की बात कर रहे हैं, सारी बातें ठीक है। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन कार्यक्रमों में मैं खुद गया हूं, प्रत्येक कार्यक्रम में जाता हूं पर सवाल यह है कि जो कमियां हैं उनको ठीक करने का काम आपको करना पड़ेगा।

ग्रामीण निर्देशिका 2010 लागू है, 2015 में आपने लागू की, पता नहीं इतनी मोटी थी उसको एक दफा तो रोक दिया लेकिन उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। उसमें भी कई बातें ऐसी हैं मैं समय अभाव में ज्यादा नहीं कह पाउंगा लेकिन उसको भी ठीक करके इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की जरूरत है। एक आपके साथ में ठीक बात है कि अभी आपका जो सिस्टम है पंचायती राज का, वह मुझे ठीक लगा। मैं कहूंगा कि आपका कैडर में लगे जो अधिकारी काम कर रहे हैं, वह अच्छी मानसिकता से काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं उनकी रेपूटेशन भी अच्छी है। ग्रामीण विकास, गांवों में विकास में उनका और आपका को अनुभव, आपकी विद्वता है, उसका भी लाभ गांवों के लोगों को मिले तब वास्तव में यह लगेगा कि अच्छी तरीके से यह सरकार काम करना चाह रही है और काम करने की मंशा रखती है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(14:22 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, विधायक कोष चूंकि सारे डिपार्टमेंट वाले चिट्ठियां लिखते हैं कि विधायक कोष से पैसा ले लो, विधायक कोष से पैदा दे दो, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात करके इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्राम सेवकों की कमी है यह वास्तव में तकलीफदेह है। पटवारी भी नहीं, ग्राम सेवक भी नहीं, तो फिर गांवों का विकास होगा कैसे? उन योजनाओं को संभालेगा कौन? हम किससे बात करें? एक-एक ग्राम सेवक को हमने तीन-तीन पंचायतें दे रखी हैं। उसको तीन साल जहां रह गया, आपने नियम बना दिया कि तीन साल पहले रह गया उसको आप दे नहीं सकते, बाबू को आप जो है चार्ज दूसरी पंचायत का दे नहीं सकते तो मैं समझता हूं कि कई तरह की दिक्कतें हैं इसलिए उन दिक्कतों को भी आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में व्यक्तिगत काम कम लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको फंड जनरेट करके और इसमें और व्यक्तिगत काम करने चाहिए क्योंकि हमारे यहां लक्ष्मणगढ़ में आधे से ज्यादा एरिया फ्लोराइड का एरिया है जहां वास्तव में जल कुंडों की आवश्यकता है। वाटरशैड का पैसा अगर कहीं बचा हो तो ठीक है, काम में ले रहे हैं, बाकी व्यक्तिगत कुंडों की वास्तव में आवश्यकता है वहां पर बरसात के पानी पर अधिकतर लोग निर्भर रहते हैं इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा फंड मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी।

पंचायती राज में 2012 के और 2013 के शिक्षकों की भर्ती की बात है, आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ में है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अधिकार मांगने से नहीं मिलते तो छीनकर ले लेने चाहिए। जब पंचायती राज आपके पास में आ गया तो पंचायती राज के वो तमाम अधिकार आपके हैं, हम आपके साथ हैं, पूरी जनता आपके साथ में है, हम उम्मीद करते हैं कि आप ग्रामीण पंचायती राज का विकास करेंगे। इस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में केवल एक और निवेदन करना चाहूंगा कि क्वालिटी की जो बात है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह चाहे हमारे सरपंच हों, जनप्रतिनिधि हों, कुछ भी हों, लेकिन सवाल यह है कि हम काम करें नहीं और उससे पहले खराब की शिकायत आ जाए, टूट जाए, सीसी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रोड टूट जाए, इंटरलोक टूट जाए तो मैं समझता हूं कि सारा का सारा जो दोष है वह चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो जो जनप्रतिनिधि होता है उस पर आता है, चाहे प्रधान हो, चाहे वह एमएलए हो, इसलिए हम खुद चाहते हैं कि जो भी काम सैंक्शन हो, वह क्वालिटीवाइज सैंक्शन हो। ग्रामीण और पंचायती राज के अंदर जितने भी जो काम हो रहे हैं उनकी मानीटरिंग ठीक ढंग से होकर अच्छे काम हो, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

ग्राम सेवक वाला जो मैं कह रहा था उसमें माननीय मंत्रीजी, आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, सेवानिवृत्त लगभग 300 कर्मचारी हैं, उनको उपार्जित अवकाश का, ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिल रहा है, 28.06.2016 से वित्त विभाग में पत्रावली लंबित होने की बात कह रहे हैं, 300 के लगभग है, इसमें 2011 में पीवी माथुर ग्राम सेवक और 2013 में राकेश कुमार गुप्ता, इन दो को तो वित्त विभाग ने सहमति देकर पेंशन परिलाभ दे दिए और 300 आदमी उन्हीं के कैडर के उन्हीं के साथ लगे हुए, वह भी दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए हैं इन लोगों को वन विभाग से कई विभागों से उन लोगों को यह पेंशन का लाभ चार-चार, पांच-पांच साल से सेवानिवृत्त हो गए, कई खत्म हो गए, मर भी गए, उनको नहीं मिल रहा है, यह लाभ भी आप दिलाने की चेष्टा करेंगे तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, बाकी करीब-करीब मेरी बातें आ गई, केवल इतनी सी बात निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, आज तो आप मेरे पास खुश हैं और हमेशा आसन खुश रहता है तो मैंने मेरी अपनी बात करीब-करीब कही लेकिन एक बात जो विशेष रूप से मनरेगा वाला आप जवाब में क्लीयर करें अधिकारियों से बात करके कि इसमें ग्रेवल सड़क का कोई न कोई समाधान माननीय मंत्रीजी आपको करना पड़ेगा वरना हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल गुर्जर।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने मांग संख्या 28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर बोलने का जो अवसर दिया आपका हार्दिक आभार। सबसे पहले मैं सरकार को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर की 14 अक्टूबर, 2016 से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए जो

(श्री राम लाल गुर्जर)

शुरुआत की है, बहुत ही शानदार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर में 15-16 डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और बहुत शानदार काम होता है और गांवों के काफी काम पूरे हुए हैं। ग्रामीण एरिया की ज्यादातर जन संख्या को गांवों में ही राहत पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी आ जाते हैं तो आम जनता को राहत मिलती है। कई जगह कई पंचायतों में बहुत सारे पट्टे दिए, जिन्होंने मकान बना रखे है, उनका नियमितीकरण भी किया गया। यह बहुत अच्छा काम है, इसके सिवाय हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो जल स्वावलम्बन योजना चालू की है वह बहुत ही शानदार काम है, सराहनीय है इसके लिए सरकार और मंत्रीजी, सब बधाई के पात्र हैं। जल स्वावलम्बन का काम बहुत शानदार हुआ है, जिन-जिन पंचायतों में काम हुआ, आम पब्लिक ने, भामाशाहों ने भी योगदान दिया क्योंकि जल बगैर मनुष्य रह ही नहीं सकता है, जानवर रह ही नहीं सकता है और कुछ पैदा भी नहीं हो सकता है इसलिए इसको बचाने के लिए पानी का जो यह जल स्वावलम्बन के तहत कार्य हुआ है, बहुत शानदार हुआ है, इससे जल स्तर भी काफी ऊपर आया है। इससे आने वाले समय में राजस्थान में पानी की काफी सारी किल्लत मिटेगी। इसके सिवाय प्रथम चरण में 9593 ग्राम पंचायतों में 3529 गांवों में जो प्रथम दौर चालू हुआ और अब 2016 से यह 4217 काम सैकिण्ड चरण में भी चालू कर दिए हैं। इसके सिवाय इसमें काफी काम जल के लिए आज भी कई जगह जाकर देखो, मेरे यहां पर जो काम हुए हैं बहुत शानदार काम हुआ और सभी जगह ऐसा काम होगा तो राजस्थान में पानी की समस्या से आने वाले समय में निजात मिलेगी। इसके सिवाय ग्रामीण क्षेत्र में कंवर्जन से नरेगा के लिए जो महिलाओं के लिए सामुदायिक स्नान घर यह व्यवस्था की है यह भी सराहनीय है। इसके सिवाय ग्रामीण क्षेत्रों में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना के तहत भी काफी काम हुए हैं, यह 125 करोड़ का प्रावधान बढ़ाया है इसमें भी।

स्वच्छता मिशन के लिए बहुत शानदार काम हुआ है। हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने भी स्वच्छ और स्वस्थ का जो नारा दिया उसके तहत और यहां पर स्वच्छता को लागू किया गया।

बहुत शानदार काम चालू हुआ। 1348 की तुलना में 2715 ग्राम पंचायतें तो ओडीएफ भी घोषित हो गई। इसके सिवाय जिन गांवों की 5 हजार से ऊपर

(श्री राम लाल गुर्जर)

आबादी है उनको स्मार्ट विलेज बनाने के लिए काफी सारी योजनाएं गांवों को मिलेंगी जिसमें सौर ऊर्जा है, स्ट्रीट लाइटिंग, ई-पुस्तकालय, नॉलेज सेंटर, वाई-फाई नेटवर्क, उद्यान, खेल मैदान एवं चारागाह विकास के भी कई कार्यक्रम होंगे। इसके सिवाय कई कंवर्जेंस द्वारा भी डवलपमेंट होगा। गांवों में जो अटल सेवा केन्द्र हैं ये बहुत ही शानदार हैं। इनके द्वारा आने वाले समय में काफी सुविधाएं और भी मिलेंगी, जो बने हैं वे बहुत शानदार बने हैं।

इसके सिवाय सरकार ने श्रमिक कार्ड योजना चालू की है यह गरीब के लिए बेहतर है। 90 दिन या 90 दिन से ऊपर जो काम करे, चाहे वह कमठे पर भी क्यों न काम करें, उसके लिए श्रमिक कार्ड की योजना में श्रमिक कार्ड दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने पर और बीमा का शुल्क देने पर करीब 85 रुपये में इतना सस्ता और कौनसा काम हो सकता है। इसमें मृत्यु होने से, चाहे वह एक्सीडेंट से हो, चाहे सामान्य मौत भी हो, चाहे उसकी बच्ची की शादी हो, चाहे उसकी पढ़ाई-लिखाई का काम हो, उसको रेगुलर छात्रवृत्ति मिलेगी। यह बहुत ही शानदार काम है।

इसके सिवाय ग्रामीण गौरव पथ जो गांवों में बने हैं वे बहुत ही ऐतिहासिक बन रहे हैं। पीडब्ल्यूडी वाले यह बताते हैं कि 20 साल से 50 साल तक यह रहेगा, डामर की सड़कें तो टूट जाती है। इसकी थिकनेस बहुत ही शानदार है और क्वालिटी को अच्छा मेंटेन किया जा रहा है। इसलिए गौरव पथ के कार्य बहुत शानदार हो रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा आदर्श योजना 4.2.2015 से प्रारंभ की गयी। मेरे क्षेत्र में इसके तहत मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत मोटास, जो ओडीएफ हुई है, यह जिले व तहसील की तो है ही, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं प्रदेश की पहली पंचायत है मोटास, क्योंकि 11 दिन में ओडीएफ हुई है। (व्यवधान) सबसे बड़ी बात यह है कि पोलिथीनमुक्त भी इमिडिएट हुई। इसके सिवाय उसमें कई विकास कार्य भी कराये गये। उसमें चाहे रोड हो, हाईमास्क लाइट हो, नालियां हो, कुएं को गहरा कराना हो, पाइप लाइन हो, गांव वालों को अहसास हुआ कि हमारा गांव चमचमाहट हुआ। यह गौरव पथ के कार्य बहुत सराहनीय है।

इसके सिवाय सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसमें कई काम हो रहे हैं। मेरे यहां तो पंचायतों में

(श्री राम लाल गुर्जर)
2-2 करोड़ से 3-3 करोड़ के पंचायत में काम हुए, ऐतिहासिक हुए हैं। आज लोग कहते हैं कि पहली बार हमारे इतना काम हुआ, इतना शानदार हुआ है। यह सबसे अच्छा कार्य है।

इसके सिवाय मेरी माननीय मंत्री महोदय जी से मांग भी है कि स्कूल मैदान, श्मशान घाट की बाउण्ड्री, स्कूल मैदान की बाउण्ड्री, विश्रान्ति गृह पर जो पाबंदी है वह हट जाय तो आम गांवों को राहत मिलेगी। इसके सिवाय गांवों में जो रोड बनता है वह 3 मीटर ही बनता है। पहले 2.5 मीटर बनता था, फिर 3 हुआ, जबकि पीडब्ल्यूडी की सड़क 3.75 मीटर की है। इसको भी .75 मीटर और बढ़ाया जाय ताकि यह भी 3.75 मीटर हो जाय।

इसके सिवाय इंदिरा आवास योजना है, डांग क्षेत्र के लिए काफी सारा बजट आया है। मगरा विकास के लिए भी पिछली बार से राशि बढ़ायी है। चाहे एसएफसी ले लो, टीएफसी ले लो, इसकी राशि भी बढ़ायी है। इसके सिवाय मिड डे मील। मिड डे मील बहुत शानदार चल रहा है। मिड डे मील में कोई कमी नहीं है, अगर कहीं कमी हो तो माननीय विधायक भी जाएं और संबंधित अधिकारी भी जाएं, बराबर चौकसी रखें, बहुत शानदार हो रहा है।

इसके सिवाय सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी टेक्निकल अड़चन जरूर बताना चाहता हूं। इसमें जिला परिषद के द्वारा या छोटे-मोटे कागजी कार्यवाही के अड़ंगे लगा देते हैं, काम पैंडिंग पड़ा रहता है। कम से कम समय पर काम हो, इसके लिए ज्यादा अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करे। चाहे कोई सा भी काम क्यों न हो इसमें डिले न हो।

इसके अलावा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना है, जलग्रहण विकास योजना है, भू-संरक्षण का कार्य है यह बहुत अच्छा है। इसमें जिन पंचायत समितियों में जो-जो भी कार्य चलते हैं उनकी पूरी देखरेख होकर अच्छे काम हो। इससे सबको राहत मिलती है।

इसके सिवाय मेरा सजेशन है कि इस समय गांव के लोग शहरों की ओर नहीं जा रहे हैं जबकि पहले गांव के लोग शहरों की ओर जा रहे थे। मेरी सोच तो यह है कि शहरों के लोग गांवों में आएं। आजकल जाने भी लगे हैं क्योंकि शहरों का वातावरण शुद्ध नहीं रहता है और गांवों का वातावरण शुद्ध रहता है, शुद्ध हवा मिलती है।

(श्री राम लाल गुर्जर)

मेरा सजेशन है कि लम्बे समय तक किसी पंचायत में सचिव न रहे। वे चेंज होते रहें ताकि उनका एकाधिकार न हो और सबको पूरी राहत मिल सके। इसके सिवाय यूसी और सीसी समय पर आ जाय ताकि कोई समस्या ही नहीं रहे। सरकार ने एजुकेशन वाला काम शानदार किया। पहले अंगूठा टेक सरपंच होता था, कितना पेमेंट उठा, क्या उठा, उसके खाली हस्ताक्षर हो जाते थे। कम से कम एक पढ़ा-लिखा है तो उससे फायदा हुआ। क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो।

मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस ने भी पिछली बार एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सरपंचों को यहां बुलाया, सरपंचों ने धरना दिया और सरपंचों की ऐसी पिटाई की कि आज तक वे याद करते हैं कि हमारी उस समय जो पिटाई हुई वह बहुत ही अलग ढंग की थी। हमारी सरकार ने बहुत शानदार कार्य किये हैं इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक आभार। आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए हार्दिक आभार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, आपने अपनी बात खत्म की उससे पहले आपने कहा, पिटाई किस-किस तरह की होती है, पिटाई के क्या-क्या प्रकार है, सदन जानना चाहता है।

श्री सभापति: श्री सुरेश धाकड़ (अनुपस्थित) श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, देश के प्रजातांत्रिक ढांचे के गठन के बाद कई विभाग क्रियाशील हुए। उन सबमें एक महत्वपूर्ण विभाग बना जिसका नाम था पंचायती राज विकास विभाग। इस कृषि प्रधान देश का विकास गांव और खेतों से होकर गुजरता है और गांव में रहने वाले किसान और जनता का विकास करने के लिए कोई विभाग है तो उसका नाम है पंचायती राज विभाग। मुझे आज उस विभाग के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला, आपने मुझे इसके लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, गांवों में चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे कच्चे रास्तों का मामला हो, गांवों में सफाई का मामला हो, चाहे शौचालय बनाने का मामला हो, गांवों में नरेगा के माध्यम से ग्रेवल का निर्माण करने का मामला हो, पहली बार इस विभाग के माध्यम से सरकार ने ऐसी ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है, हरेक किसान अपने घर में जाना चाहता है, अपने खेत में जाना चाहता है,

(श्री शुभकरण चौधरी)

अपने खेत में जाने के लिए रास्ता चाहिए। 70 साल में किसी सरकार ने इस बात के लिए सोच पैदा नहीं की कि किसान अपने खेत में जाएगा कैसे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विभाग को, हमारी सरकार को, हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्री महोदय को कि सरकार ने तय किया है जहां कहीं से बैलगाड़ी गुजरती है, जहां गाड़ी जाती है, पैदल कोई व्यक्ति जाता है, जहां कहीं भी पटवारी को रास्ता नजर आता है उस रास्ते को कटान में शामिल किया जाय, यह बहुत अच्छी बात है। यह बहुत अच्छी पहल शुरू की गयी है।

सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग के अधीन कुछ दूसरे विभागों का काम भी दिया गया था, चाहे वह शिक्षा विभाग का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो।

मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज विभाग में उन विभागों को शामिल तो किया गया पर अभी तक इस बात के लिए मुझे खेद है कि उसका प्रभावी नियंत्रण पंचायती राज विभाग के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। उसका नियत्रण न होने का कारण बड़ा स्पष्ट है। पंचायती राज विभाग के पास, स्वयं के पास इतना काम है और उस काम के अनुपात में वहां कार्मिक इतने कम हैं कि वो दूसरे काम नहीं कर पाते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चाहे वो विकास अधिकारी हों, चाहे वो इजीनियर हों, चाहे आपके जे.टी.ओ. हों, चाहे बाबू हों, चाहे ग्राम सेवक हों, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, उनको उस अनुपात में बढ़ाया जाए कि वो अपने विभाग से अलग जाकर के दूसरे विभागों की देखरेख करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर स्वयं अपने विभाग की मॉनीटरिंग करें ताकि पंचायती राज विभाग में होने वाले कामों की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़े।

'सरकार आपके द्वार' योजना के माध्यम से पहली बार राजस्थान की सरकार ने जो जनता के कामों को संभालने का काम किया, गरीब जनता की मंशा के अनुसार उनको सहायता करने का जो काम शुरू किया है और न्याय प्रणाली के तहत जो गांव-गांव में जाकर गांव के लोगों को न्याय देने का काम शुरू किया है वह एक ऐतिहासिक पहल है। लोग छोटे-छोटे कामों के लिए, अपने मुकदमों के लिए, राजस्व प्रकरणों के निपटारों के लिए पंचायत समितियों में, तहसीलों में, जिलों में जाते थे पर पहली बार 17 विभागों के लोग गांव की

(श्री शुभकरण चौधरी)

पंचायत में, चौपाल पर जाकर बैठते हैं और एक ही जगह बैठकर सारे विभाग मिलकर गांव की समस्याओं का समाधान करते हैं तो इससे लोगों में विश्वास बढ़ने लगा है। लोग कहते हैं कि वाकयी कोई सरकार है जिसने तय किया है कि लोगों को चलकर जयपुर नहीं आना है, लोगों को चलकर जिले में नहीं आना है, सरकार चलकर आपके बीच में जाएगी, मैं इस बात के लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी अनूठी योजनाओं की शुरुआत की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक समस्या जरूर सरकार से भी और मंत्रीजी, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि रोजाना हर महीने में होने वाली आपकी वी.सी. से लोगों के काम बाधित होते हैं। शनिवार, रविवार की छुट्टी होती है और उसके बाद सोमवार को लोग अपना काम कराने के लिए कार्यालयों में जाते हैं और वहां जाते हैं तो पता चलता है कि आज वी.सी. है इसलिए इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए और मेरा मानना है कि दो-तीन महीने में एक बार हो जाए। कई बार वी.सी. लेने वाले अधिकारी जयपुर में होते नहीं, अधिकारी वहां से लौटकर आते हैं पर लोगों का काम बाधित होता है इसलिए आपके जो नम्बर ऑफ वी.सी. का जितना समय आपने दिया है उससे थोड़ा सा कम करके मैं समझता हूं कि क्वार्टरली या दो महीने में एक बार करें तो यह ठीक रहेगा। इससे अधिकारियों की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, जो गांवों से चलकर लोग आते हैं उनको वापस लौटना नहीं पड़ेगा और उनका काम होगा।

सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा विभाग आपके अधीन है पर मेरा निवेदन आपसे यह है कि इस प्राथमिक शिक्षा विभाग में पहले तो इस प्रकार की व्यवस्था है उसके अनुसार पंचायती राज का प्रभावी नियंत्रण हो नहीं पाता और उसके बाद पंचायती राज विभाग में पिछले दिनों हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने एक आदेश निकाला है कि प्रिंसिपल्स को पी.ई.ओ. बनाया जाएगा। मैं पंचायती राज मंत्री महोदय से इसलिए इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए सक्षम हैं, आप इस फैसले को कर सकते हैं। पहली बार हमारी सरकार ने शिक्षा के मामले में इतनी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी है कि लोगों का हम पर भरोसा बढ़ा है। लाखों-लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने आये हैं, नामांकन बढ़ा है और इसका अगर कोई सही कारण है तो आपके प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपलों ने अनुशासन बढ़ाया है। वो सारे काम सरकार के देख रहे हैं, पढ़ाई में गुणवत्ता वाला काम कर रहे हैं, अध्यापकों पर भी नियंत्रण किया है और आपने

(श्री शुभकरण चौधरी)

अगर यह फैसला किया कि वो पी.ई.ओ. बनकर गांवों की स्कूलों में जायेंगे, पूरे गांव का दौरा करेंगे, स्कूलों में जाकर चैक करेंगे, अध्यापकों को छुट्टी देंगे, उनका नियंत्रण करेंगे तो उनको स्कूल छोड़नी पड़ेगी और स्कूल छोड़ने के बाद उनका जो अपनी स्कूल पर नियंत्रण है वो सारा खतम हो जाएगा। यह मेरी आवाज नहीं, राजस्थान की जनता कह रही है। लोगों से मैंने पूछा है, लोग यह कह रहे हैं कि जो आदमी एकदम गुणवत्ता वाली पढ़ाई शुरू करवा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी थी और उसके साथ ही उसके पास काम कितने हैं? आपकी वी.सी. को अटेंड करना है, जिले के नोडल्स का काम देखना है, महीने में एक बार जिले की मीटिंग में जाना है, स्कूल में उसको एक सब्जैक्ट पढ़ाना है क्योंकि हमने तय किया है कि वो अपना सब्जैक्ट पढ़ायेगा और हमने सब्जैक्ट के हिसाब से ही प्रिंसिपल बनाये हैं तो मेरा निवेदन आपसे है, चाहे शिक्षा मंत्री महोदय करें और चाहे पंचायती राज मंत्री महोदय करें पर इस पी.ई.ओ. वाले काम को बन्द करके वो ही प्रारम्भिक शिक्षा का बी.ई.ई.ओ. का मामला चलता है उसी से आप प्रभावी ढंग से नियंत्रण करवायें और इन प्रिंसिपल्स को उस काम से फ्री करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नियंत्रण वाला मामला था इसको तो निवेदन कर ही दिया। इसके अलावा पहली बार किसान को समर्पित इस सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक पहल की है कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से जो आप किसान को अनुदान प्रदान कर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति, 1 लाख 16 हजार से लेकर सवा 4 लाख रुपये तक का अनुदान किसान को अगर कोई सरकार देने का काम कर रही है तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज से पहले किसान के फायदे के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनी, आज तक किसी सरकार ने किसान के लिए ऐसी योजना नहीं बनाई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार किसान को इतना पैसा अनुदान के रूप में कोई सरकार दे रही है। लास्ट के दिनों में जाते-जाते इन्होंने थोड़ा सा एक फसली ऋण पर ब्याज माफ क्या कर दिया पूरे राजस्थान में बड़ा हल्ला मचाया। हमारी सरकार उस किसान के फसली ऋण का ब्याज भी कर रही है और पहली बार वो काम कर रही है जिसके बारे में कभी कांग्रेस के मित्रों ने सोचा तक नहीं।

(श्री शुभकरण चौधरी)

अभी आप कह रह थे कि जल स्वावालम्बन योजना। मैं इन मित्रों से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन कोई योजना नहीं है जो आप पैसे की चर्चा कर रहे हैं। यह एक अभियान है और हम राजस्थान के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हम राजस्थान की जनता को समझाना चाहते हैं कि पानी का महत्व है, इसे बेकार मत जाने दीजिये, इसे बचाइये, इसका दोहन रोकिये ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमको गालियां न दें और उनके लिए पीने के लिए पानी बच जाए इसलिए यह अभियान हमने शुरू किया है। इस अभियान के अन्दर हरेक व्यक्ति, राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को हमने आमंत्रित किया है। आप तो मात्र ढ़ाई करोड़ एक साल में मिलने वाले 25 परसेंट पैसे के लिए चिंता करने लग गये। बहुत से धन्ना सेठों ने, बहुत से साहूकारों ने, बहुत से भामाशाहों ने हमारी मदद की है और पूरे राजस्थान के हरेक व्यक्ति से हम इस बात के लिए निवेदन करना चाहते हैं कि आओ, इस अभियान में हमारा सहयोग करो ताकि जल का स्तर हम बढ़ायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इसके बहुत सार्थक परिणाम आने वाले हैं। मैंने जहां-जहां, जिन-जिन पंचायतों में विजिट की है उन पंचायतों का जल स्तर पिछली साल के बजाय एक मीटर बढ़ा है। हजारों पेड़ लगेंगे, कुण्ड बनेंगे और कुण्ड बनने के बाद उनमें जो पानी इकट्ठा होने वाला है उस पानी का महत्व, उसका मूल्य वो लोग जानते हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। बाड़मेर में जाइये, चूरू में जाइये, नागौर में जाइये जहां बारह महीने लोग कुण्ड का पानी, बरसात का पानी पीते हैं। उनका स्वास्थ्य, देखिये हमारे राठौड़ साहब इस उम्र में भी कितने हृष्ट-पुष्ट और फर्स्ट क्लास, न पेट है, न चर्बी है, न कोई और बात है और उसके बाद भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि वो इन्द्र भगवान का दिया हुआ अमृत पीते हैं। वो पानी जब संग्रहित होता है, उस पीने के पानी में जितनी शुद्धता है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग तो चर्चा कर रहे हैं सवा चार लाख रुपये की, मैं उस कुण्ड का मूल्य बताना चाहता हूं सभापति महोदय। जो 40 हजार लीटर पानी का कुण्ड हम बनाने जा रहे हैं उस कुण्ड में 40 हजार लीटर पानी, भगवान इन्द्र के द्वारा बरसाया गया अमृत एकत्रित होगा। तो, सभापति महोदय, एक लीटर पानी की बोतल की कीमत 20 रुपये कीमत है और 40 हजार लीटर पानी किसान इकट्ठा करके बोतल में भरकर बेच भी देगा तो

(श्री शुभकरण चौधरी)

आपकी बिसलरी से बढ़िया पानी होगा और बीस रुपये से ज्यादा में बिकेगी तो आठ लाख रुपये का पानी बिकेगा। हम लोगों को समझाना चाहते हैं, हम लोगों में यह जागृति पैदा करना चाहती है और हमारी यह योजना नहीं है, हमारा यह अभियान है जिसके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि पानी को बचाओ, इसका सुदपयोग करो, सरकार आपके साथ है, पंचायती राज विभाग आपके साथ है, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, आप तो मात्र काम करके इस योजना को बचा लो।

वर्मिंग कम्पोस्ट के लिए खाद तैयार करना, कैटल शैड बनाना। बहुत से गरीब किसान हैं जिनके रहने के लिए मकान नहीं है। वो उस पशु के लिए ही अगर कैटल शैड बनायेंगे तो अपना आसरा भी वहां बना सकते हैं, फलदार पौधे लगा सकते हैं।

मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले भी यह निवेदन किया था और मैं मानता हूं कि राठौड़ साहब इस बात को वाकयी लागू करवा सकते हैं। आप भी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में आप मेहरबानी करके किसान के खेत की जो बाउण्डरी है उसको सुरक्षित कर दें। चाहे इस योजना में तारबंदी शामिल करें, चाहे कच्ची-पक्की दीवार शामिल करें। मंत्री महोदय, किसान रात-दिन बहुत परेशान है आवारा पशुओं को चराते-चराते। पहले वो अपने बच्चों को पढ़ाने, पालन-पोषण का काम करता है, घर का काम देखते हैं, फिर खेत में रात को जाता है और आवारा पशु जब उसके खेत में घुसते हैं तो पूरी रात उसको जागना पड़ता है, पूरा परिवार एक ही काम में लगा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप केन्द्र सरकार से गुहार करें, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें पर किसान के खेत की मेड़बन्दी करके उसके खेत को सुरक्षित करें। चाहे वह तारबंदी हो, चाहे वह मेड़बंदी हो, पर इस योजना में एक काम को आप और शामिल करें।

मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपकी जनता जल योजना और टीएसएस की स्कीम, जो वैसे तो पीएचईडी का मामला है, पर जब से सरकार ने इनको पंचायतों को संभलाया है, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, पैसा सरकार का लगना है, न सरपंच घर से पैसा लेकर आता है, न विधायक घर से पैसे लेकर आता है, न कोई

(श्री शुभकरण चौधरी)
प्रधान घर से पैसे लेकर आता है। वह पैसा ग्राम पंचायत को अगर आप जितना देते हैं, उस पैसे को रोककर पुन: आपके विभाग के माध्यम से या पीएचईडी के माध्यम से इस योजना का रख-रखाव, इसकी मेंटीनेंस, सारा का सारा काम उसी प्रकार अगर अपन नहीं करेंगे तो आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, गांवों की स्थिति तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूं, मेरा तो ऐसा कोई कद ही नहीं है कि मैं इस बात पर चर्चा करूं पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच को जिसने वोट नहीं दिया, उसके मौहल्ले का कुआ ठीक नहीं कराना। सरपंच के सामने जो बोल गया, उसकी मोटर को रीवाइंड नहीं कराना। जिस व्यक्ति ने उसका साथ नहीं दिया, उसके कुए का बिल नहीं भरना तो गांवों में पानी की त्राहि-त्राहि मची होगी। बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए मेरा निवेदन इसमें है कि इस योजना को अपन वापस चेंज करें।

ओडीएफ हमने बहुत से गांवों को किया। बहुत से शौचालय हमने बनाये। जिस तरह जल स्वावलम्बन अभियान था, हमारे प्रधान मंत्री महोदय का यह भी एक अभियान था कि पूरा राष्ट्र शौच-मुक्त हो, खुले में शौच-मुक्त होना चाहिए, ओडीएफ होना चाहिए पर इसमें एक अनियमितता है। जो लोग आपस में, राजनीति के क्षेत्र में आप लोग जानते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं और फिर पंचायती राज की स्थिति आपके सामने है। एक बार मैं आया हूं, अगली साल पता नहीं क्या रिजर्वेशन होगा। सरपंच बनूंगा कि नहीं बनूंगा? 2011 के सर्वे के बाद भी लोग पेमेंट नहीं कर रहे, भुगतान नहीं कर रहे। जो सरपंच को पसंद नहीं, ग्राम सेवक का जो कहना नहीं मानता, उनका भुगतान नहीं हो रहा। भुगतान करने के लिए आपको एक प्रभावी मॉनीटरिंग पंचायत समिति स्तर पर करनी पड़ेगी और उन लोगों का दुबारा सर्वे करवाकर इस बात को हमें देखना पड़ेगा कि लोगों का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोगों के शौचालय, क्योंकि एक चर्चा और है। शौचालय जिनके बन गये, उनको तो कहते हैं कि आपने तो पहले ही बना लिये, भुगतान क्यों करेंगे? और जिनके नहीं बने, उनको कहते हैं कि आपका सर्वे में नाम नहीं है। इसको भी आप देखें।

नरेगा में सफाईकर्मी का ऐलान किया। पूरा राजस्थान आपको इस बात के लिए बधाई दे रहा है पर अभी तक इसकी क्रियान्विति गांवों में हुई नहीं है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, उसमें एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है गुढ़ा-गौड़जी, नगरपालिका बनने लायक है। लाखों रुपया हमने लगाया। कई बार

(श्री शुभकरण चौधरी)

मैंने चंदा किया। सेठ-साहूकारों से लिया। कोशिश कर रहा था कि भई, विधायक कोष से भी दिया जाये, संभव नहीं हो पाया, पर वहां दो लाख रुपये लगने के बाद भी सफाई नहीं हो पा रही है। उसके लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश आप जारी कर दें और उसमें आप कार्यवाही करें, यह मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

एक बहुत बड़ी गम्भीर समस्या, यह आपके सरपंचों की टैण्डर प्रक्रिया है। मैं मानता हूं, पंचायतों की टैण्डर प्रक्रिया है, सरकार इसमें भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। मैं आपकी मंशा को मानता हूं। मंत्री महोदय इस बात को मुझसे बेहतर जानते हैं माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप जानते हैं इस टेण्डर प्रक्रिया का मामला है? फिर आप मेरी तरफ देखकर, किसी और का नाम लेकर इशारा करेंगे, आज मैं सोचता हूं वह तो ना कहेंगे। लोग ठेकेदारी वाले इस सिस्टम के अंदर जाते हैं। ग्राम पंचायत में से टेण्डर कापी खरीदते हैं और बाजार जाकर बोली लगाते हैं। दे रहा है क्या 5,000 रुपये? दे रहा है क्या 10,000 रुपये? और ऐसा नहीं करता है तो वह रेटें लेकर जाते हैं जिन रेटों में ग्राम पंचायतों का काम कतई गुणवत्ता वाला संभव नहीं है। माननीय सदस्य लक्ष्मणगढ़ से आने वाले कह रहे थे कि गुणवत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए। होगा कहां से? एक रुपये का काम 40 पैसे में, 60 पैसे में कराना चाहोगे तो नियंत्रण नहीं हो सकता।

गौरव पथ की चर्चा तो कर रहे हैं। गौरव पथ के सामने जो पंचायती राज का पैसा लग रहा है ग्राम पंचायतों का, शाम को सड़कें बनती हैं, सुबह पहले ठोकर से उखड़ती हैं, इस काम पर नियंत्रण करना ही चाहिए। बीएसआर वाली रेट, बहुत ठीक बात है और वरना तो जो पुराना तरीका चल रहा था, उसमें होना चाहिए और मैं तो आपसे निवेदन इतना करना चाहता हूं मंत्री महोदय, सभापति महोदय के माध्यम से, कि यह जो पैसा आप पंचायत समितियों में और ग्राम पंचायतों में डाइरेक्ट भेज रहे हैं, आप इस एमएलए फण्ड में उसी पैसे में से काटकर थोड़ा-थोड़ा और, ढाई-तीन-चार-पाँच करोड़ रुपये कर दें तो मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं, एमएलए और एमपी कोटे से जो काम होते हैं, उनकी गुणवत्ता पंचायतों के काम से हजार गुना बेहतर है। सरकार का पैसा, राजस्थान की जनता का पैसा, इसका मिसयूज ना हो, फिजूलखर्ची ना हो और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, इस बात के लिए हमको मॉनेटरिंग करनी चाहिए और

(श्री शुभकरण चौधरी)

इसको रोकना चाहिए और इस टेण्डर प्रक्रिया के ऊपर एक बार चर्चा करनी चाहिए।

एक बहुत बड़ी बात है। 60-40 का रेशो जो हमारा नरेगा में है। काम नहीं हो पा रहे हैं। 40 परसेंट अगर हम उसमें मैटेरियल का डालते हैं तो काम नहीं हो पाते। अभी कह रहे थे कि 10 साल पुरानी नरेगा की सड़कों को ठीक करो, ग्रेवल सड़कों को ठीक करो, इस काम को ठीक करना है तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्र सरकार को चिट्ठी भेजें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, पर इसको उलटा करें। 60 परसेंट सामग्री में हो और 40 परसेंट लेबर हो, क्योंकि राजस्थान में लेबर की कमी है। दो-चार-पाँच-सात जिलों को छोड़कर, बाकी जगह मजदूर उपलब्ध नहीं होते इसलिए सामग्री को 60 परसेंट और लेबर को 40 परसेंट होना चाहिए।

एक समस्या और है। हम जहां से आते हैं, वहाँ डार्क जोन है। इस डार्क जोन में हम पीने के पानी के लिए कुआ खोदें, चाहे किसी भी काम के लिए हो, चाहे ग्राम पंचायत करे चाहे पंचायत समिति करे चाहे पीएचईडी करे, सरकार से बार-बार, जिला कलक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। माननीय सभापति महोदय, इस परमिशन को लेने में एक महीना लगता है। गांवों के हालात यह हैं कि पानी आज सूख गया, कल शाम को मेरे क्षेत्र से चार फोन आये। पता नहीं, अचानक क्या हुआ, चार ट्यूबवैल एक साथ चार पंचायतों में सूख गये। सुबह पहले कुआ ना खोदूं तो पानी के बिना लोग प्यासे मरे और कुआ खोदूं तो मुझे परमिशन चाहिए क्योंकि मैं डार्क जोन से आता हूं। इसलिए इसमें कोई प्रावधान करें। अगर कोई अनियमितता करता है, अगर कोई आदमी पीने के पानी का नाम लेकर सिंचाई के लिए कुआ खोदता है तो जो चाहे सज़ा दें, हम वह भुगतने को तैयार हैं, पर इसके लिए आप स्पष्ट निर्देश करें कि पीने के पानी के लिए चाहे डार्क जोन हो, चाहे कहीं भी हो, उसमें व्यक्ति पीने के पानी का कुआ सूखे, तो उसको खोदने का अधिकार होना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मात्र दो-तीन बातें और करूंगा। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बहुत बड़ी गम्भीर बात है...

श्री सभापति: थोड़ा संक्षेप में कर दें आप।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं संक्षिप्त में ही कर रहा हूं। आपको बस धन्यवाद ही देता हूं। धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं काम हो। जिनकी मंशा काम करने की हो, जिनकी मंशा राजस्थान का विकास

(श्री शुभकरण चौधरी)

करने की हो, वह अपने आप उपाय निकाल लेते हैं, अपने आप योजनाएं बनाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप विद्वान हैं। पहली बार राजस्थान में बी.एड. की ट्रेनिंग करने वाले बच्चों को हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा है। कल-परसों मैं एक ग्राम पंचायत में साइकिल वितरण करने गया था। वाकई मंत्री महोदय, 38 बेटे और बेटियां वहां बी.एड. की ट्रेनिंग करने वाले भोड़की जैसे गांव में पढ़ा रहे थे। मैं वाकई में इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को, इस प्रकार की योजनाएं हम लोग बना रहे हैं, पर इन सब योजनाओं में कुछ लोग हैं जो पैर में कांटा चुभा रहे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के पड़ौस में पंचायत समिति है नवलगढ़। आपके इस पद को संभालने से पहले एक ऐसी अनियमितता हुई जिसको सुनकर दिल में दु:ख होता है कि हमारी सरकार के रहते लोग इस प्रकार का दुरुपयोग करते हैं। एक बीडीओ ने रात को अपनी सरकारी गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट करके वह राजगढ़, आपके जिले में ले गया। किसी की परमिशन नहीं ली। सरकार का कोई व्यक्ति इस बात को जानता नहीं। रात को गाड़ी चोरी हो गई या उस बीडीओ ने बेच दी, यह मैं नहीं जानता पर सुबह पहले आया और थाने में पहुंचा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, आप लोग एक एफआईआर दर्ज करें। पुलिस ने कहा, देखते हैं, एक बार देख तो लें। वहां गये तो देखा कि वहां गैराज का ताला नहीं टूटा हुआ। कोई वहां गाड़ी के निशानात नहीं। जब पुलिस ने दबाया, बीडीओ साहब, सच बोलो तो बोला, साहब क्या करूं, गलती हो गई। रात को चला गया था बिना परमिशन के और गाड़ी चोरी हो गई। मंत्री महोदय, आप जैसे दबंग और ईमानदार मंत्री के रहते हुए आज तक उस बीडीओ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा ही हम करेंगे तो पंचायती राज में कहीं विकास की ओर, कहीं अनियमितताओं की बात हम लोग कर नहीं सकते। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोग उनको बचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से उस बीडीओ को सस्पैण्ड करना चाहिए और गाड़ी की रिकवरी करनी चाहिए, उसका पैसा जमा होना चाहिए, तब तो हमारे काम करने का मजा है और आपके रहते हुए ऐसा नहीं हो, यह बात समझ नहीं आती। पहले चाहे कुछ भी रहा हो, पहले भी बहुत प्रभावशाली और ईमानदार मंत्री रहे, पर आप जब आये थे तो मैं समझ

(श्री शुभकरण चौधरी)

रहा था कि स्वत: ही यह काम, बिना कहीं चर्चा के ही पूरा हो जायेगा, पर अभी तक यह काम हुआ नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि साहब, यह क्या हो रहा है। अभी तक उस बीडीओ के खिलाफ कुछ हुआ नहीं।

श्मशानों के रास्ते बनाने का काम आपको करना चाहिए। रास्तों के कटान वाला काम तो आपने कर दिया।

एक बात और कहना चाहता हूं। इस पंचायती राज विभाग में हर पांच साल में सरपंच बदलते रहते हैं। बदलते तो हम लोग भी रहते हैं पर हमारे लिए ऐसा कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। एक बार कोई ग्राम पंचायत का सरपंच चुनाव में हार जाता है, उसके 10-15-20 लाख रुपये रह जाते हैं तो आप जानते हैं कि दूसरा सरपंच उसको हराकर आया है, सभापति महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में आज तीन साल, साढ़े तीन साल हो गये, ढाई साल हो गये इस सरंपच को बने, यूसी और सीसी जमा करा दी, फिर भी वह सरपंच चूंकि चैक पर साइन उसके होते हैं, वह उनका भुगतान नहीं करता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कोई प्रभावी नियंत्रण पैदा किया जाये। कोई ऐसा अंकुश लगाया जाये और बीडीओ को सीधा-सीधा इस बात के लिए अधिकृत किया जाये कि जिसकी यूसी और सीसी आ गई, ग्राम पंचायत की बजाय सीधा बीडीओ उस पर हस्ताक्षर करे और उन सरपंचों को भुगतान मिले ताकि उन लोगों को भी राहत मिले। वह भी किसी पार्टी से संबंधित हैं। उन्होंने तो भी अपनी जेब से पैसा लगाया है। ऐसे लोगों को भी हमें राहत पहुंचानी चाहिए। मैं आपकी नजरों के खौफ को सभापति महोदय, सहन कर नहीं सकता, इसलिए अपनी वाणी को मात्र विराम दूंगा। अब मात्र मैं तो इतनी सी हमारे मंत्री महोदय से एक बात क्योंकि लोग जो चर्चाएं करते हैं, उसके लिए आप एक बात सुन लें, आज और कुछ नहीं कहूंगा कि-

‘तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की,
यहां जरुरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं।
अपने गुनाहों पर सौ पर्दे डाल कर, हर शख्स कहता है
जमाना खराब है।’

धन्यवाद।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-28 और 49 पर बोलने का आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

प्रदेश का विकास ग्रामीण अंचल के विकास के बिना संभव नहीं है, यह हम सब जानते हैं और राजस्थान सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कई अच्छी-अच्छी योजनाएं चलायी जा रही हैं, लेकिन योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि प्रशासन के साथ-साथ पंचायत स्तर पर भी रेगुलर मोनीटरिंग हो, प्रभावी मॉनीटरिंग हो और उसमें भी उससे ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच में लगातार तालमेल हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि कम्युनिकेशन गेप रह जाता है। कई बार मीटिंग्स का हमें पता ही नहीं चलता है। तो इस पर भी गौर किया जाए कि प्रोपर जनप्रतिनिधियों को मीटिंग्स के बारे में बताया जाए, जिला परिषद में जो मीटिंग होती है और होती हैं, ताकि इन योजनाओं में हम सहयोग कर सकें।

मनरेगा योजना, इसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। बहुत अच्छी योजना है। रोजगार के अवसर इसमें लोगों को दिये जा रहे हैं पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जॉब कार्ड धारी परिवारों और कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या में भारी अन्तर पाया गया है। तो मैं मंत्रीजी से चाहूंगी कि इस विषय पर भी आप ध्यान दें और इसकी जांच करायें।

प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब का अपना घर बनाने का सपना साकार होता नजर आ रहा है, पर जैसा कि पात्रता की सूची 2011 के सर्वे के हिसाब से बनायी गयी है, तो इसके लाभ से काफी लोग वंचित रह गये हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र गंगानगर है वह श्रीगंगानगर जिले की हैडक्वार्टर का विधान सभा क्षेत्र है और यह बात समझ से परे है कि इस विधान सभा क्षेत्र में यह सबसे कम लाभार्थियों का चयन किया गया है। तो यह किस आधार पर चयन किया गया है इसकी भी जांच की जाए और साथ ही साथ इसमें सर्वे भी दुबारा करवाया जाए। यह मैं मंत्री महोदय से मांग करती हूं।

स्वच्छ भारत मिशन एक रेवोल्यूश्नरी कदम है जो पूरे भारत में हमारे प्रधान मंत्रीजी ने लिया है और इसमें पाँच साल पहले सर्वे हुए थे तो काफी जो आबादी है उसमें परिवर्तन आ गया है। तो काफी लोग इस लाभ से वंचित रह

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

गये हैं। मेरे यहां ग्राम पंचायत हिरणावाली में एक पूरी कॉलोनी में आप यह मानें कि पंचायत का तीस हिस्सा, उस पंचायत को हालांकि ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन तीस प्रतिशत से ज्यादा मकानों में आज भी हम शौचालय नहीं बना पाये हैं। तो इसमें भी सर्वे दुबारा कराया जाना चाहिए।

श्रीगंगानगर जिला बॉर्डर का जिला है और यहां पर बीएडीपी योजना के तहत करणपुर, रायसिंहनगर, गंगानगर, पदमपुर, हनुमानगढ़ को लिया गया है, परंतु बीएडीपी प्लान के अन्दर जो गंगानगर विधान सभा क्षेत्र है उसके अन्दर कोई एकाध काम ही हुए हैं, ज्यादा काम नहीं हुए हैं और मुझे लग रहा है कि 2017-18 के जो बीएडीपी योजना के अन्दर जो कार्य होने हैं उसकी भी प्रशासन लिस्ट बना चुका है जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया। तो ये जो बार-बार विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की अनदेखी हो रही है प्रशासन द्वारा इस पर भी मंत्रीजी मैं आशा करती हूं कि आप गौर फरमायेंगे।

एमएलए लैड से जो काम कई योजनाओं में नहीं हो पाते हैं उसके काम भी हम विधायक अपने कोटे से देते हैं। तो इसी में पंजीकृत संस्था को एमएलए कोटे से यदि किसी योजना में दस लाख रुपये पहले दिये जा चुके हैं तो सम्पूर्ण योजना अवधि में वो कार्य हम दुबारा नहीं दे सकते हैं। पंजीकृत संस्था में गौशालाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है जबकि गौशालाओं को कालांतर में बहुत विकास की आवश्यकता है। गौधन भी बढ़ गया है नंदीशालाओं को बनाने की भी आवश्यकता महसूस हो रही है, परंतु उक्त नियम के चलते एमएलए लैड से राशि स्वीकृत नहीं की जा सकती है। कई यहां सम्मानित विधायक हैं, वो भी इस बात को समझते होंगे, चाहते होंगे कि यह काम किया जाए तो मैं मंत्रीजी से यही आग्रह करूंगी कि उक्त नियम में पंजीकृत गोशालाओं को मुक्त करें, ताकि विधायक कोटे से भी इसमें हम राशि दे सकें और इसमें काम कर सकें।

एमएलए लैड से पहले जैसे कि एक नियम है उसके तहत हमारा जो पूरा एनुअल फंड होता था उसमें बीस प्रतिशत राशि हम मरम्मत के कार्यों में दे सकते थे, लेकिन अब चूंकि यह नियम स्पष्ट नहीं है तो जिला परिषद हम लोगों को अलाऊ नहीं करता है कि हम उसमें राशि दे पायें तो इस नियम को भी स्पष्ट करें, ताकि जो मरम्मत के कार्यों में हम राशि दे सकें, अपना सहयोग दे

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

सकें और जो जर्जर हो चुकी सड़कें हैं, चाहें जो हैं उनमें हम अपना पैसा लगा सकें।

महोदय, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने कई योजनाएं चलायी हैं और हमारा गंगानगर जिले में सिख सबसे ज्यादा जनसंख्या में है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यरत हैं पर इस विभाग ने पूरी तरह से जनता से आम जन से सिख समुदायों से हमसे दूरी बनाई हुई है, किसमें किस तरह का बजट आ रहा है, इसमें क्या-क्या योजनाएं हैं, क्या-क्या काम हो रहे हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवययकता है, ताकि जिस मंशा से यह काम कर रहा है बोर्ड, उसका लाभ हमारी जनता को मिल सके।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विकास की राह की तलाश तो हम सब कर रहे हैं परंतु यह राह कठिन है, लेकिन मिल सकती है अगर हम एकजुट होकर काम करें और मंत्रीजी जैसा कि हम जानते हैं कि नयी सोच के साथ आये हैं और हमेशा सुधार की सोच रखते हैं तो इनसे मैं यही आशा करूंगी कि आप इसी तरह चलते जाएंगे और जो हमने आपको आज यहां सजेशन दिये हैं उन पर आप गौर फरमाते हुए इसे और बेहतर बनायेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति जी, आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज की मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार।

पंचायती राज की अवधारणा हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गयी। माननीय सभापति जी, पंचायत राज की स्थापना से पहले देश में पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय कम्युनिटी डवलपमेंट की स्थापना की गयी थी देश के चुनिंदा हिस्सों में और आगे चल कर के उस समय के जो कम्युनिटी डवलपमेंट मिनिस्टर थे वो रहने वाले तो वेस्ट बंगाल के थे, पर वो नागौर से एम.पी. बन कर गये थे, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर, 1959 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिन पर पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई और उस समय का जो पंचायती राज अधिनियम बना उसमें पंचायत राज में मुख्य तत्व उसी कम्युनिटी डवलपमेंट से लिये गये थे, उसमें प्रसार अधिकारियों की महती भूमिका दी गयी थी। एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर, कोओपरेटिव

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

एक्सटेंशन ऑफिसर, एनिमल हस्बेंडरी एक्सटेंशन ऑफिसर, इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री डवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, ये सारे एक्सटेंशन ऑफिसर उनमें लगाये गये थे। शुरुआत में तो सुखाड़िया साहब चीफ मिनिस्टर थे और भगवत सिंह जी मेहता चीफ सेकेट्री थे, तो विकास अधिकारी भी जो हमारे नये आईएएस आते थे उनको लगाया और उन विकास अधिकारियों में से बीवीएल माथुर चीफ सेकेट्री बने, अनिल बोरदिया जी बने, आपके नरेश चंद जी तो हिन्दुस्तान के केबिनेट सेकेट्री भी बने। उस सरकार का यह सोच था कि सबसे अधिक महत्व हम पंचायती राज को दें और वहां कम्युनिटी डवलपमेंट से जो डवलपमेंट होकर आये, उसको ऊपर ले जाते रहें। उस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि आप किसी भी एक्सटेंशन ऑफिसर को पंचायत समिति से बदलेंगे या जिला परिषद से विकास अधिकारी को बदलेंगे या किसी भी कर्मचारी को बदलेंगे, तो ग्रामीण विकास विभाग, जिसका नाम कम्युनिटी डवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग था, वो उस संबंधित प्रधान या प्रमुख को तार देते थे कि हम इसको बदल रहे हैं, आपकी सहमति है कि नहीं है।

उसके बाद धीरे-धीरे वो पंचायत राज कमजोर हुआ। लंबे समय तक चुनाव नहीं हुए। देश में कई तरह की अलग-अलग पंचायत व्यवस्थाएं थी उस पर मंथन करके जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो एक संविधान संशोधन बिल लाये संसद में और उस में यह अवधारणा की थर्ड टायर और गवर्नमेंट, एक यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक जिला सरकार, पर दुर्भाग्य से वो विधेयक संसद के ज्वाइंट सेशन में एक वोट से गिर गया।

उसके बाद जब दुबारा हमारी सरकार आई दिल्ली में नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में तो 73वां संविधान संशोधन किया गया। उस 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को देने की राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई, पहले वाले में बाइंडिंग थी, इसमें अपेक्षा की गई। पहले वाले में तो यह भी व्यवस्था थी कि धन भी एक रेश्यो से उनके पास आया।

उसके बाद चाहे आपकी सरकार आई, चाहे हमारी सरकार आई, व्यवस्था में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। हमारी सरकार ने कभी 11 विभाग दिये, कभी 5 विभाग दिये, आपकी सरकार आई तो उनमें से कभी कुछ विभाग ले लिये, कभी कुछ कमजोरी कर दी।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आज मुझे कहते हुए बहुत पीड़ा है कि चूरू से आने वाले जैसे सक्षम मंत्रीजी के विभाग की शक्तियों का उपयोग माननीय शिक्षा राज्य मंत्रीजी कर रहे हैं। यह पंचायती राज की स्थिति हमने कर दी। ठीक है, आप जो विभाग हैं, मत दीजिए, वापस ले लीजिए, लेकिन यह दोहरी व्यवस्था क्यों है कि मंत्री तो माननीय राठौड साहब हैं और शिक्षा के लिये उपभोग के लिये कर रहे हैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्रीजी। शायद ऐसी व्यवस्था भी नहीं करते, पर हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिये कि अमूक तरह के कार्य पंचायती राज विभाग ही कर सकता है। इसलिए उनके पदनाम के साथ पंचायती राज राज्य मंत्री भी जोड़ दिया। यह आज हमने पंचायती राज की व्यवस्था कर दी।

पुराने विधेयक में जिला परिषद में जो अधिकारी होता था उसका पदनाम था सचिव जिला परिषद और अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी। गांव में जो काम करता था उसका था विलेज लेवल वर्कर, ग्राम सेवक और पंचायत समिति में उसका था विकास अधिकारी। अब जो नया एक्ट 1994 में हम लाये, उसमें जो जिला परिषद का सचिव था उसका पदनाम बदल कर कर दिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसमे एक ब्यूरोक्रेसी की बू आती है। आप इन तीनों नामों को एक जैसा ही रखते उसको कर देते सचिव जिला परिषद या जिला विकास अधिकारी ...(व्यवधान)... डीआरडीएम पीडी होता था वह। मंत्रीजी, इसमें आपका कोई धन भी खर्च नहीं होगा, आप इन तीनों के पदनाम एक जैसे करें। उसको चाहे जिला विकास अधिकारी कह दे, इसको ब्लाक विकास अधिकारी कह दें, ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी कह दें। इसमें न कोई धन का इन्वाल्वमेंट है, न कोई और है। इससे एक संदेश नीचे तक जायेगा कि अधिकार जनप्रतिनिधियों के पास हैं, अधिकारियों के पास नहीं है।

आपको जो सिस्टम मिला है मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। अब तो कुछ स्थिति सुधरी है, शायद आरडीएस के नये अधिकारी आपके पास आये हैं, नहीं तो आप एईएन को विकास अधिकारी बनाते थे, किसी को एजुकेशन से बनाते थे, किसी को एनिमल हसबेंड्री से बनाते थे। आपके पास बहुत सारे पद ही खाली रहे हैं। बीच में आपके पास ग्राम सेवक कोई तो नाकेदार आ गया, कोई फोरेस्ट से आ गया, जिनको सरप्लस किया, कोई कहीं और से आ गया जिनका पंचायती राज विभाग से कुछ लेना देना ही नहीं था। जो अभी मेरे से पूर्व वक्त लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके पेंशन के मामले

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

अटके हुए हैं। अब आपकी स्थिति यह है कि आपके पास बहुत सारे ग्राम सेवकों की कमी है, आपके पास ग्राम सेवक नहीं है। आपके पास तकनीकी स्टाफ की बहुत कमी है। आपके पास बीडीओ की भी कमी है, अभी भी कुछ दूसरे काम कर रहे हैं। आरडीएस का गठन हुआ, पर उनके लिये आपने शायद आगे प्रमोशन की चेन नहीं खोली है। आपको उनके लिये प्रमोशन के एवेन्यूज भी शुरू करने चाहिये। आप उनको सीनियर बनाये, फिर जिला परिषद का उप सचिव उसको बना दे, पंचायती राज विभाग में उसको असीस्टेंट सेक्रेटरी बना दें, डिप्टी सेक्रेटरी बना दें, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक तो आप उनको ले कर जाये और जिला परिषद में भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं बनाये, तो एडिशनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक उनको लेकर जाये। जिससे जो अधिकारी आपके यहां काम कर रहे हैं उनको यह रहेगा कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें आगे जाने का मौका मिलेगा, नहीं अगर उनमें यह रहेगा कि हमें तो इसी पद पर रहना है जैसा कि आपके सप्लाई डिपार्टमेंट है, डीएसओ से आगे उसका कोई प्रमोशन नहीं है। आपको यह भी एवेन्यूज खोजनी चाहिये।

ग्रामों में जो डवलपमेंट के काम होते थे, सभापति महोदय, पहले स्थिति यह थी कि कई नगर पालिकाएं भी पंचायतों में परिवर्तित होना चाहती थी, क्योंकि गांवों में फंड ज्यादा आते थे और शहरों में कम आते थे। अब रिवर्स हो गया, शहरों में पैसे ज्यादा आते हैं और गांवों में कम आते हैं। इसलिए आपको गांवों की तरफ फंड का फ्लो करना चाहिये।

आपके कामों की क्वालिटी के लिये आपको बहुत मजबूरी से अपने डिपार्टमेंट में यहां एक संगठन बनाना चाहिये। कई राज्यों में तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, यह भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ही इम्प्लीमेंट करता है। आप मध्य प्रदेश को ले लें, अपने पड़ौसी हैं, आप गुजरात को ले लें, आप हरियाणा को ले लें, पर चूंकि अपने यहां जब यह योजना आई तो पंचायती राज विभाग में इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो अपन ने उसको पीडब्ल्यूडी से ही इम्प्लीमेंट कराना चाहिये। आप यहाँ चीफ सैक्रेटरी ग्रामीण विकास विभाग की पोस्ट क्रियेट कराएं और जो गांवों में काम हो रहा है उसकी मोनीटरिंग कराएं और उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। अब केन्द्रीय वित्त आयोग से सीधे गांवों को पैसे भेजते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन से भी आप सीधे पैसे भेजते हैं और देखा गया है कि दो साल में ही सड़क खराब हो जाती

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)
है, दो साल में ही नाली टूट जाती है, दो साल में ही कुआं धंस जाता है। तो बहुत बड़ा फंड जो आप गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिये आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप जैसे प्रभावशाली मंत्री के होते हुए ही यह काम हो सकता है।

यहां नरेगा की बात आई, सभापति महोदय, हम उस राज्य से आते हैं जहां सबसे ज्यादा अकाल पड़े हैं और मैं जिस जिले से आता हूं वह हरियाणा से सीमा बनाता है। हमारी वहां रिश्तेदारियां हैं, वहां के लोग हमारे यहां आते हैं, तो हम से वह मजाक करते हैं कि अकाल से अकाल की मां ने पूछा कि बेटा मैं कहीं अस्वस्थ हो जाऊं तो तेरे को कहां ढूंढे, तो उसने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, राजस्थान में आ जाना, वहां मिल जाऊंगा। यह स्थिति अकाल की थी। नरेगा आने के बाद और नरेगा एक्ट आने से पहले जो अकाल राहत मंत्री होते थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जो मुख्य मंत्री होते थे, अकाल ग्रस्त गांव होते ही उनके लिये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता था कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को मजदूरी कहां से देंगे। नरेगा आने के बाद जो उन लोगों को रोजगार देना उसके लिये निश्चित कर दिया। अमूमन अकाल में यह अवधि 100 दिन के आस पास ही चलती है, फिर नरेगा में यह छूट भी मिल गई कि आप अकाल ग्रस्त अगर इलाका है तो उसमें ड़ेढ़ सौ दिन भी कर सकते हैं, पशुओं के लिये भी बढ़ा सकते हैं। तो नरेगा ने सबसे बड़ा काम तो यह किया है कि जो अकाल के लिये हम चिंतित रहते थे कि कैसे संसाधन जुटायेंगे, उसका बहुत बड़ा हल नरेगा ने किया है। उसके अलावा नरेगा के तहत कुछ एसेट्स भी क्रियेट हुई हैं। यह बात ठीक है कि शुरू-शुरू में जैसे अकाल राहत चला, ऐसे ही नरेगा चला था। वही मिट्टी खुदाई के काम हुए, उसी तरह मस्टररोल थे। हमारे समय में भी इसको ऑन लाइन करने का काफी काम हुआ। अब जो मुख्य मंत्रीजी के सचिव हैं वह उस समय नरेगा के सचिव थे, काफी काम हुआ। हम नहीं कहते कि आप भ्रष्टाचार रोकने के लिये कोई काम नहीं करे, आप निश्चित रूप से करें। उसमे जितने सुधार हो सकते हैं, उतने करें। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसको बंद कर देना चाहिये, यह उनकी सोच हो सकती है... मैं नहीं समझता कि आपकी यह सोच होगी। आप नरेगा को किसान के हित में भी जोड़ सकते हैं। कुछ काम अभी गाइडलाइन में आए भी हैं। आप उसको यह भी अनुमति दे सकते हैं किसान के खेत पर अगर कोई काम करे तो अमुख राशि किसान दे दे और अमुख राशि

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

उसको नरेगा से मिल जाए। इस तरह की सोच पर भी आप विचार कर सकते हैं।

अभी बजट में स्मार्ट विलेज की घोषणा हुई है। ठीक है, अच्छी बात है। स्मार्ट शहर बन रहे हैं तो स्मार्ट विलेज भी होने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कई गांव बहुत बड़ी आबादी के हैं। उनमें आपको सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। उन गाँवों को आपको अलग से कोई बजट देना चाहिए। स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था करनी चाहिए। आपको उन में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आप जायेंगे तो.. शहर में तो आपके पास में सफाई कर्मचारी हैं, पर आप किसी बड़े गांव में जाते हैं, जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसमें आपको सब जगह कचरा पड़ा मिलेगा। आप उसकी भी एक व्यवस्था करें।

आपकी जो नालियां बनती हैं, इस घर से उस घर तक चली गई, लेकिन लास्ट में डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं। आप नाली दें, तो आप उसके साथ यह भी इन-बिल्ट करें कि उस पानी का या उस अवशिष्ट का कहां डिस्पोजल होगा? उसका भी स्ट्रक्चर उसके साथ बने, यह व्यवस्था भी करें। नहीं तो, कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं समझता कि आपकी पंचायतों.. मेरी जानकारी में नहीं है। यह मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन शायद आपकी पंचायत को नोटिस देने का अधिकार है। आजकल हम लोग घर से बाहर पानी निकाल दें, फिर हमारी जिम्मेदारी खतम है। जो गांव में सड़कें हैं, उनको हम नाली की तरह काम में लेते हैं। इस बारे में भी आपको बिना किसी बात पर कि हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जो अपने घर से पानी निकालता है, वह या तो उसको अपने घर में करे या कोई सोकपिट कुई वगैरह के लिए आपको काफी फंड मिलता है, आप वहां पर उसको डिस्पोजल करें। कई गांव में आप जायेंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम डार्क जोन में आ गए और दूसरी तरफ उन गाँवों में ऐसे पानी चल रहा है जैसे नदिया बह रही हैं।

यहां जल स्वावलंबन की बात आई। ठीक बात है। जल स्वावलंबन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसमें आप एक जैसा काम नहीं कर सकते। आपके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें तो आपको इकट्ठा करने के लिए भी पानी मिल जाएगा, आपके एनिकट के लिए भी और आप जो वॉटर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके लिए भी, पर चूरू और झुंझुनूं में कहीं बहकर पानी नहीं आता है। जो जल स्वावलंबन वाली बात है, इसमें और तरह के काम आपको लेने पड़ेंगे।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

अभी लोक सभा में बात आई कि देश में पांच लाख तालाब नरेगा के तहत बना दिए। जब मंत्रीजी जवाब दें तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान में कितने तालाब बन गए? क्योंकि लगभग पांच लाख के लगभग ही गांव हैं या सात लाख हैं। तो इतनी बड़े तालाब सारे देश में बन गए, यह तो बहुत बड़ा काम हो गया। अपने यहां पर कितने तालाब बने हैं, यह भी आप बताने की चेष्टा करेंगे?

अपन इंदिरा आवास में आवास देते थे और 2003 से पहले सब लोगों को राजस्थान में आवास दे दिए हैं। पर 2003 के बाद जिन लोगों को जिनके नाम इसमें जुड़े हैं। मंत्रीजी, शायद उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास नहीं दिए जा रहे हैं, जो बी.पी.एल. में 2003 के बाद जुड़े हैं। पहले जब हम बी.पी.एल. को देते थे, उनकी सूची एक्जास्ट हो गई। उसके बाद या तो हमें उनके नाम नहीं जोड़ने चाहिए थे। सारी प्रक्रिया से गुजरकर वे नाम आए हैं। अगर वे जुड़े हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करना चाहिए।

पहले एक 'निर्मल ग्राम योजना' प्रोग्राम चलता था और उसमें ओ.डी.एफ. वाले काम थे। पहले नाम 'निर्मल भारत योजना' था और अब उसका 'स्वच्छ भारत मिशन' कर दिया। कहते हैं, ये बेस लाइन से बाद के हैं, इनको नहीं मिलेंगे। ये ऐसे हैं, इनको नहीं मिलेंगे। हम जब जिला परिषद और दूसरी मीटिंगों में जाते हैं तो पंचायत समिति वाले कहते रहते हैं कि हमारे यहां पर इतने शौचालय बन गए। वहां जिला स्तर के अधिकारी कहते हैं कि ये बेस-लाइन में नहीं है, यह उस में नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सीमित कर दें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

प्रधान मंत्रीजी की भी सोच है कि भारत स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ भारत तो तभी होगा जब हम सबको शौचालय की सुविधाएं प्रदान करें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहूंगा कि राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदला गया और उस व्यक्ति पर रखा गया जिसका across the political party हम सब सम्मान करते हैं और अगर आज वाजपेयी जी इस स्थिति में होते। क्योंकि वे अस्वस्थ हैं तो वे भी इस काम को पसंद नहीं करते। हम यह जो परम्परा डाल रहे हैं, आप आते हो नाम बदलते हो हम आते हैं फिर नाम

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

बदलते हैं। यह परम्परा हमको खतम करनी चाहिए और राजीव गांधी जी तो वे व्यक्ति थे। उनकी श्रीलंका में लिट्टे वालों से क्या दुश्मनी थी? देश की अखंडता के लिए ही तो उन्होंने अपने प्राण दिए। ऐसी बातों पर भी हमको गहनता से विचार करना चाहिए। वे तो स्वर्गवासी हो गए। अटलजी तो अभी हमारे बीच में हैं और भगवान करे वे और हमारे बीच में रहें। इस तरह की बातों से भी हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए।

पंचायती राज के जो अधिकारी हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपने चुने हुए प्रतिनिधियों की क्वालिफिकेशन तय कर दी है और आप उसका बहुत श्रेय ले रहे हैं कि हमने अनपढ़ लोगों को इस सिस्टम से बाहर कर दिया, पर मंत्रीजी आप यह दिखावाएं कि कितने लोग फर्जी डिग्रियां लेकर उसमें आ गए और कितने मामले कोर्ट में चल रहे हैं। सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक उसमें अयोग्य घोषित हुए हैं। वे कोर्ट के सहारे बैठे हैं। एक तरह से यह सिस्टम के नाम पर कोई अच्छी बात नहीं है।

सभापतिजी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सभापति: श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम स्थानीय निकाय और मांग संख्या-49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस देश के चहुंमुखी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना अत्यंत आवश्यक था। इस पर समग्र विचार करते हुए 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में पहली बार पंचायती राज पर एक समग्र चर्चा हुई और इस पंचायती राज व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। इसके बाद संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से 23 अप्रैल, 1994 को पंचायती राज अधिनियम की विस्तृत व्याख्या करते हुए राजस्थान में पंचायती राज नियम, 1996 बनाया गया और उक्त नियम में आवश्यक संशोधन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं। समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली, परिपक्वता में निरंतरता आती रही और ग्रामीण विकास को गति मिलती रही।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त एवं गाँवों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास के कई कार्यक्रम हाथ में लिए गए। जैसे संबल ग्राम विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास योजना, माडा कलस्टर योजना, मनरेगा एस.एफ.टी.एफ.सी., विधायक कोष, सांसद कोष, इस प्रकार की अनेक योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया। संबल ग्राम विकास योजना की आधारभूत संरचना के लिए विकास एवं विस्तार हेतु प्रत्येक संबल गांव को एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया, लेकिन हमें जितना बजट चाहिए, उतना बजट हमें प्राप्त नहीं हो पाता।

जहां हम डांग की बात करें, आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से वहां सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, संबंधित परियोजनाओं के सृजन हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी प्रकार माडा में कलस्टर, बिखरी जाति योजना के अंतर्गत भी ऐसी जनजाति बस्तियों में सामुदायिक लाभ के लिए, नियंत्रित करने के लिए यह कार्यक्रम हाथ में लिए। जिसमें विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण, हैंडपम्प लगाना, और भी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं प्रारम्भ की गईं, उन योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है। हम आज महसूस करते हैं कि ग्राम पंचायतों में राजकीय कार्यालय, खेल मैदान, उद्यान, योग भवन आदि हेतु भूमि आबंटन की प्रक्रिया चलाई है उसे निरन्तर चलाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों में पट्टे देने की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया हमारे एक्ट के अनुसार सतत प्रक्रिया है। यह सतत प्रक्रिया न चलकर, इस प्रक्रिया को भी शिविर लगाकर चलाने की आवश्यकता है। आज गांवों में जिस प्रकार अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, गांवों का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए हमें निश्चित रूप से ग्रामीण विकास में पट्टे देने वाली प्रक्रिया पर कुछ मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का हम स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करें, इस पर भी समग्र कार्य करने की आवश्यकता है।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं कि समस्त करों को सख्ती से लागू कर वसूली की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसके फलस्वरूप पंचायतों की निजी आय बढ़नी चाहिए वह निजी आय प्राप्त नहीं हो रही है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हमें सहभागी योजनाओं पर पंचायतों में विशेष बल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की योजनाएं भी हाथ में लेनी चाहिए कि जो पंचायत जितनी आय करेगी उसके अनुरूप उतने ही हिस्से में राज्य सरकार उसको अंशदान देगी। पंचायतों में जिस प्रकार के प्रावधान बने हुए हैं उन प्रावधानों पर इच्छा शक्ति उत्पन्न हो और उस पर कार्य करने की मंशा पंचायती राज के प्रतिनिधियों में उपजे।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय कार्यालयों का समय, हमने सहायक सचिवों की व्यवस्था की है। पंचायती राज व्यवस्था में उनको सुसज्जित भवन देने की व्यवस्था की है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि पंचायत राज भवन जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अंग है, उसमें जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए, वह कार्य नहीं हो पा रहा है। मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है कि इसमें पोस मशीन लगाकर, सुबह 9.30 बजे कार्यालय खुले और 6.00 बजे कार्यालय बंद हो। पंचायत राज में पद स्थापित अधिकारी कर्मचारी समय पर आने की आदत डाले।

ग्राम पंचायतों द्वारा वर्तमान में मस्टररोल पर अथवा सम्पूर्ण कार्य टेंडर से करवा कर दो तरह की कार्य प्रणाली संचालित कराई जा रही है। इसके स्थान पर यह उचित होगा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं को तकनीकी विभाग की तरह सम्पूर्ण कार्य को टेंडर के माध्यम से करवाया जाए। गलत बिल वाउचर, मस्टररोल का आना और समय पर जो मैटेरियल मिलना चाहिए वह नहीं मिलने के कारण पक्के कार्य प्रभावित होते हैं। उन पक्के कार्यो को समयबद्ध कराने के लिए हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन में कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। उन सभी विभागों की अलग-अलग बीएसआर रेट है, जिसके कारण उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठता। इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी इकाई की बीएसआर रेट तय कर दें। जिसके आधार पर उसकी सारी की सारी लाइन विभाग में, पीडब्ल्यूडी के

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माध्यम से काम कर सकते हैं। लाइन विभाग की बीएसआर लागू होने से 10 प्रतिशत का लाभ ठेकेदार की लाभ कटौती से कराया जा सकेगा। काम को उचित समय पर करवाया जा सकता है।

पंचायती राज विभाग के ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन किया जाए। विभागीय पद्धति के अनुसार ही कार्य सम्पादित किए जाए। नये अभियंताओं की आवश्यकतानुसार पोस्टिंग दी जाए। आज देश में चाहे हम केरल, गुजरात, महाराष्ट्र की बात करें, वहां इन राज्यों ने ग्रामीण विकास अभियांत्रिकी विभाग पृथक से बनाया हुआ है। उसके कारण वहां कार्य का निष्पादन, जो भी मूल्यांकन होना चाहिए, वह समय पर हो पाता है।

यहां मैं महात्मा गांधी नरेगा की बात करूं। अलग-अलग विचार माननीय सदस्यों के निकलकर आ रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि पक्के निर्माण कार्यों में अलग-अलग सामग्री। आंतरिक सड़कों, सीसी, इंटरलोकिंग सड़कों के निर्माण में, नरेगा में हमने 30 मीटर की चौड़ाई बढ़ाई हुई है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं उसके बाद अपनी बात कहूँगा।

श्मशान, कब्रिस्तान और खेल मैदानों के लिए पक्की दीवार बनाना अनुमत नहीं किया हुआ है। उसको भी अनुमत करने की आवश्यकता है। भूमिहीन जरूरतमंद श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार, जिसे अधिकतम रोजगार की आवश्यकता है,ऐसे लोगों के लिए इस रोजगार की सीमा को समाप्त करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले में आठ वर्ष से नरेगा योजना का क्रियान्वयन, जिन गांवों में अनुमत कार्य, कच्चे-पक्के कार्य, तालाब आदि के रूप में करवाया जा रहा है वहां पर उन्हीं कार्यों पर वापिस वही कार्य लेकर उन पर मिट्टी डलवाई जाती है या उन पर काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम यह प्रावधान डाले कि इसको खेती के साथ जोड़ते हुए, जैसे जुताई, बुवाई, खरपतवार हटाने, सिंचाई, फसलों की कटाई, आदि कामों में भी इसे अनुमत करें, तो बार-बार एक ही काम पर पैसा, हम कहते हैं कि इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग कर नरेगा को बहुआयामी बनाने का प्रयास कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री स्वच्छ गांव योजनान्तर्गत ओडीएफ पंचायत के साथ-साथ अन्य सभी ग्राम पंचायतों में भी उक्त योजना के प्रावधान लागू किए जाने का हमें प्रयास करना चाहिए।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय सभापति महोदय, महानरेगा में हम और सभी प्रयास करते हैं। मेरे जिले की स्थिति यह है, आज मैं यह कह सकता हूं कि महानरेगा में राजस्थान में तो प्रथम स्थान बनाया हुआ है ही। भारत सरकार की टीम लगातार तीन बार कोटा आकर हमारे सारे कार्यों का विश्लेषण कर रही है। आने वाले समय में महानरेगा में कोटा जिला अपना प्रथम स्थान भी बना सकता है। इसका प्रमुख कारण है कि जहां आधार सिटिंग की बात आती है, कोटा जिले में इस योजनार्गत 95 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों के आधार नम्बर का नरेगा सॉफ्टवेयर में इन्द्राज किया जा चुका है। कोटा राज्य में प्रथम स्थान पर है वहीं बैंक खातों के निस्तारण में भी हमने योजन्तार्गत 100 प्रतिशत कार्य करके राज्य में प्रथम स्थान बनाया हुआ है।

श्रम बजट उपलब्धि की बात करें तो कोटा जिला इस योजना के अन्तर्गत, 2015-16 में श्रम बजट लिया गया था उसमें 166.28 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतिशत 97.57 एवं राज्य सरकार का प्रतिशत 110.50 रहा है। पिछले सम्पूर्ण दृष्टिकोण से जिला श्रम बजट की उपलब्धि अर्जित करने में प्रथम स्थान पर है। औसत मानव दिवस में भी कोटा जिला योजनातंर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में औसत मानव दिवस 59.85 प्रतिशत रहा, जबकि राष्ट्रीय 48.87 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर 58.47 प्रतिशत मानव दिवस रहा है। इसके लिए कोटा जिला औसत मानव दिवस में अग्रणी प्रथम स्थान रखता है।

जहां महिला मानव दिवस की बात करें तो कोटा जिले में इस योजना के अन्तर्गत, 2015-16 में महिला मानव दिवस की उपलब्धि भी 66.90 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपलब्धि 55.25 प्रतिशत और राज्य स्तर पर 59.05 प्रतिशत महिला मानव दिवस ही है। परिवार रोजगार की उपलब्धि में जिले की वित्तीय वर्ष 2015-16 में पारिवारिक रोजगार उपलब्धि के अन्तर्गत भी 48 प्रतिशत के साथ कोटा अग्रणी रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि 37 प्रतिशत और राज्य स्तर पर इसकी उपलब्धि मात्र 45 प्रतिशत ही रही है। जहां हम कंवर्जेस की उपलब्धि की बात करें तो कोटा जिले में 2015-16 में महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत 6594 आवास कार्यों के लिये स्वीकृति जारी की गई, जिसमें कोटा जिले सम्पूर्ण प्रदेश में कंवर्जेस में अग्रणी रहा। सामग्री मद में कोटा जिले में, समग्र सामग्री अनुपात 60:40 रखते हुए सामग्री मद की राशि

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए प्रयास किया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जब तक श्रम मद में 5902 लाख तथा सामग्री मद में 2494 लाख रुपये राशि व्यय कर उक्त राशि गांव के अंतिम छोर तक मय नाली निर्माण कार्यों में व्यय की गई है। जो गांवों को मॉडल बनाने के निर्माण में जिला सबसे अग्रणी है।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जहां हम जिले में, प्रदेश में सबसे अग्रणी हैं, वहां जिले में भी मेरा विधान सभा क्षेत्र सारे ही मापदण्डों में सबसे अग्रणी है। हमने गत वित्तीय वर्ष में भी सात करोड़ रुपये की राशि इसी नरेगा के अन्तर्गत गलियों में सी.सी. रोड बनाने के लिये 31 मार्च तक उपयोग की और इस वित्तीय वर्ष में भी हम जिस प्रकार से योजना के साथ काम कर रहे हैं, लगभग आठ करोड़ की राशि का उपयोग इस आने वाली 31 मार्च तक हम गलियों में इण्टर-लॉकिंग और सी.सी. रोड बनाने में कर लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जहां समनुदेशन की बात आती है, पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 63 के अन्तर्गत राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन जो कर लगाने की शक्तियां हमें प्रदान की गई हैं उनका सरलीकरण के साथ-साथ राज्य सरकार की इच्छाशक्ति हमारे साथ काम करे, तो जो-जो कर हम लगा सकते हैं, उनकी वसूली हो सके। जो-जो कर हमें लगाने के अधिकार दिये गये हैं, उनमें राज्य सरकार अगर भागीदारी अपनाये, तो पंचायतें सशक्त बन सकती हैं।

जहां देश में छोटे राज्य इस पंचायती राज के विकास में अग्रणी स्वरूप में काम कर रहे हैं, अगर हम उनको मॉडल मानते हुए भी काम करें तो पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान में भी सशक्त बन सकती है। जहां केरल पंचायती राज में अपने-आप में एक मॉडल स्टेट के रूप में काम करता है, अगर राजस्थान में आज हमें एक मजबूत मंत्री के रूप में, एक सशक्त मंत्री के रूप में दायित्व निभाने वाले व्यक्तित्व को काम करने का अवसर मिला है, आज हम पंचायती राज में इस प्रदेश में उन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए सशक्त बनाने में आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 28 और 49 पर बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की क्या, देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। गांवों में किसान, मजदूर, दलित, हर वर्ग का, कैसे सुचारु रूप से जीवन यापन करे, कैसे अच्छी तरह से अपना जीवन सुचारु रूप से चलाये, उसके लिये नीचे की एक सरकार बनायेगी। सरकार का नाम जैसे ग्राम पंचायत रखा गया, ग्राम पंचायत से ही गांव की सरकार, छोटी सरकार उनके पानी का, बिजली का, सड़क का उनके स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सभी का ख्याल रखे और जो भी उनकी उन्नति हो और किस तरह से काम सुचारू रूप से चले, इसके लिये ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। 02 अक्टूबर, 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से यह लागू की गई।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों में हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने कई योजनाएं चालू कर रखी हैं। उसमें जल स्वालम्बन भी है, नरेगा भी है, अन्नपूर्णा भण्डार भी है, आदर्श गांव की योजना भी है, दीनदयाल उपाध्यायजी की ग्रामीण विद्युत योजना भी है। इस तरह से कई योजनाएं ऐसी चला रखी हैं जिससे कि ग्रामीणों का जीवन सुचारु रूप से चले सके।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर नरेगा में जो कामकाज हो रहे हैं, अच्छी बात है। परन्तु मैं इस मामले में कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि गांव में गरीब, दलित वर्ग काम करते हैं। उनके पास कोई उद्योग धंधा नहीं है। कहीं कोई मजदूरी के अलावा और खेती के अलावा उनके पास कोई काम-धंधा नहीं है। इसलिये उनके सुचारु रूप से जीवनयापन करने के लिये, अपनी खेती और खेत को सुरक्षित रखने के लिये या कृषि का काम सुचारू रूप से करने के लिये, उनके लिये आप नरेगा में तारबंदी को या दीवार को बनाने का शामिल कर दें तो अच्छा होगा। साथ में जैसे वह बुआई करता है, निनाणी करता है, कटाई करता है, ये सारे काम कृषक अपने खेत में करता है, अगर इसको भी आप नरेगा में शामिल कर लें तो उसके खेत का काम भी हो जायेगा, उसकी खुद की मजदूरी भी हो जायेगी और वह खुद अपने खेत

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)
को कर लेगा। क्योंकि आजकल खेती में कोई कमाई नहीं है। भगवान की मर्जी हो जाए, रामजी राज़ी हो जायें तो खेती हो जाये, वरना अब खेती में तो खेत बेचने के बाद दो पैसा किसान कमा सकता है, खेती से कोई कमाई नहीं कर सकता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें शामिल किया जाए।

साथ ही में ग्रामीण विकास के लिये, ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में जो पट्टे दिये जाते हैं, मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पट्टे दिये गये, पट्टों को ऑन लाइन कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि जो सरपंच बन करके आता है, वह सरपंच पट्टे बनाता है, सरपंच पट्टे काट कर अपने साथ ले जाता है, दूसरा सरपंच उसी जमीन के पट्टे काट देता है, तीसरा आता है उसी जमीन के पट्टे काट देता है। उन पट्टों से पता ही नहीं कि यह जमीन किसके नाम है और किसके नाम नहीं है। अगर ऑनलाइन इन पट्टों को कर दिया जाए, तो न कोई इसको बेच सकेगा, न कहीं और इसका दुरुपयोग हो सकेगा। इसलिये पट्टों को ऑनलाइन कर दीजिये।

आठ माह के बाद में पट्टों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे किसी दादा के नाम था, फिर उसके पिताजी का नाम, फिर उस पोते के नाम, ये पट्टे ट्रांसफरेबल नहीं हैं। अगर कोई उसका दादा, आगे औलाद तो बढ़ती जायेगी, अगर ये पट्टे ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, तो उस पोते का नाम कैसे आयेगा। इसलिये पट्टों को आप ट्रांसफरेबल भी बनायें। यह व्यवस्था लागू करें। नहीं तो उसका दादा खतम हो गया तो वह जमीन ही खतम हो गई। जमीन ही खतम हो गई तो वह उस पोते का नाम कैसे आयेगा। यह ट्रांसफर कराने की भी व्यवस्था करायें, जिससे कि यह सुचारु रूप से चल सके।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि नरेगा में जितने भी काम करते हैं, 90 प्रतिशत औरतें काम करती हैं। आप कहीं देख लीजिये, मैं क्षेत्र में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं। आदमी लोग सारे दिन बीड़ी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। कोई काम नहीं करता। आप इसमें रेशो बढ़ाइये ताकि ये आदमी भी काम करने जाएं। कोई औरतों का ठेका थोड़ी कि सुबह रोटी-सब्जी भी बनाएगी, वहां नरेगा का काम भी करेगी, शाम को आकर फिर रोटी-सब्जी बनाएगी और शाम को पता नहीं, और क्या-क्या, दुनिया भर के काम। इन आदमियों का भी इसमें रेशो बढ़ाया जाये कि ये भी नरेगा का काम करें। सारे

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

दिन भर राजनीति करते रहते हैं। कोई आदमी नरेगा में काम करने नहीं जाता है। थोड़ा इसमें भी रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपका पुरुष विरोधी चेहरा सामने आ रहा है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): महिला समर्थक चेहरा आ रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): साथ में मैं यह कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप इनको पहचानते नहीं हैं। इनका कोई और दर्द बोल रहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): साथ में मैं यह कहना चाहूंगा कि बिना सचिवों के सारा मामला, जो सुचारु रूप से चलना चाहिये था, वह चल नहीं पा रहा है। आपने साफ-सफाई के लिये पैसे, 14वें वित्त आयोग में पैसे तो आ गये, परन्तु सफाई कराने के लिये इसकी बी.एस.आर. रेट नहीं है। बी.एस.आर. रेट के बिना बड़ी प्राब्लम आ रही है कि किस रेट पर रखें, कहां रखें, कैसे उसका भुगतान करें। गांवों में सफाई की व्यवस्था की, इसके लिये तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु जब तक बी.एस.आर. रेट आप इसमें लागू नहीं करेंगे तब तक यह सफाई का कार्य पूरी तरह से लागू नहीं हो पायेगा। इसलिये इसकी बी.एस.आर. रेट लागू करवायें।

एक, नरेगा के अन्दर जो भी कोई रास्ते दिये जाएं, जो भी कोई सड़क बनाई जाए या रास्ता बनाया जाये, या कुछ भी बनाया जाये, वह तभी स्वीकृत हो, जबकि वह रेवेन्यू रिकार्ड के अन्दर रास्ता हो। एस.डी.एम., तहसीलदार और प्रापर्टी डीलर मिलकर, चारागाह में वह जमीन ले लेता है, चारागाह में रास्ता लेने के लिये वह रास्ता स्वीकृत करा लेता है और जहां रास्ता नहीं होता, जहां आवश्यकता नहीं है, प्रापर्टी डीलर मिलकर रास्ता बना लेते हैं, जो जमीन कौड़ियों में खरीदते हैं, करोड़ों में बेच कर उसका फायदा उठाते हैं। जबकि किसी गरीब को या किसी किसान को चरागाह में से कोई रास्ता नहीं देते, जबकि वह प्रोपर्टी डीलर है वह नरेगा में रास्ता स्वीकृत करवाकर वह रास्ता अपनी प्रोपर्टी तक ले जाता है। मैं चाहता हूं कि रास्ता तब ही स्वीकृत हो जब रेवेन्यू रिकार्ड

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

के अंदर रास्ता हो, अदरवाइज कोई रास्ता चारागाह जमीन के अंदर नहीं किया जाए।

एक मैं यह कहना चाह रहा था आपको मंत्रीजी, कि गांव में जनसंख्या तो बढ़ रही है पर जमीन नहीं बढ़ रही है। डे बाई डे यह प्राब्लम आती जा रही है। शहर के अंदर जयपुर में टीला नम्बर एक, दो से लेकर आठ तक का आप पट्टा दे रहे हो, पट्टा देने के बाद में उसकी फोटो खिंचवा रहे हो, पर गरीब कहां जाएगा? गरीब वहां या तो शादी ही नहीं करे, या गांव छोड़ कर चला जाए, कहीं और चला जाए जहां जब कोई वह, अब जमीन तो उतनी की उतनी है, आबादी बढ़ रही है तो चारागाह के अंदर मकान बना लेगा। वह गरीब मकान बनाएगा तो उसका गरीब का मकान तहसीलदार और एस.डी.एम तोड़ने चला जाता है। इसलिए थोड़ा, अगर जहां कोई आबादी की जमीन नहीं हो और कोई चारा नहीं हो, तो चरागाह में भी पट्टे दिलवाने की व्यवस्था गरीबों को दिलवाए जिससे कि वह वहां पर रह सके और अपना जीवन यापन कर सके।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह एक जो योजना प्रधान मंत्री आवास योजना चलाई, बहुत अच्छी योजना चलाई। एक गरीब का और एक दलित का सपना होता है, हरेक आदमी एक सपना होता है कि उसका पक्का मकान हो। एक गरीब कई पीढ़ियों से सोचता चला आता है, कच्चा घर होता है, कभी आग में, कभी तूफान में, कभी किसी में वह बरबाद हो जाता है। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने एक योजना चलाई है, प्रधान मंत्री आवास योजना। 25 वर्ग मीटर के अंदर यह मकान बनेगा। इसमें दो कमरें, एक किचन और एक बॉथरूम होगा और साथ में ही इसमें एक साल में बनाने का इसका टाइम होगा और डेढ़ लाख रुपये के करीब इसमें मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में हमारी नगरपालिकाओं में भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अफोर्डेबल हाउस की स्कीम लाकर गरीबों को मकान देने की योजना बनाई। दोनों ही योजना हमारे गरीबों के लिए सार्थक है, अच्छी हैं और इसमें गरीब आदमी एक पक्का बनाकर रहने का एक अपना सपना पूरा करेगा।

साथ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने गौरव पथ दिया, किसानों के लिए, गांवों के लिए, गरीबों के लिए यह बहुत अच्छी योजना है। सारे के सारे गांवों में इसकी बड़ाई है और सब ही इसकी सराहना कर रहे हैं, पर साथ में इनकी नालियों का बनना और इसकी चौड़ाई सुनिश्चित करने की कृपा करें

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

जिससे कि गांवों में आवाजाही ठीक ढंग से हो सके।

साथ में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारे इस नरेगा के अंदर श्मशान की चारदीवारी है, स्कूल की चारदीवारी है, स्कूल के कमरे हैं, स्कूल में लैट्रिन-बॉथरूम है, यह बच्चों के और हमारे आगे के भविष्य के लिए, इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए, स्कूलों के लिए और इनके लिए अगर यह 40:60 का रेशो इनमें भी कर दिया जाए तो यह आराम से बन सकेगी। एम.एल.ए. लैंड से हम 40 परसेंट मैटीरियल का पैसा दे देंगे, 60 परसेंट नरेगा का मिलकर स्कूलों में चारदीवारी बन जाएगी, आपके स्टेडियम की चारदीवार बन जाएगी, कमरें बन जाएंगे, लैट्रिन-बॉथरूम बन जाएगी तो एक बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। अगर आप यह योजना इसमें भी लागू करवा दें तो मेहरबानी होगी।

साथ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि गांवों की जो भी जनता जल योजना है, 90 परसेंट जनता जल योजनाएं गांवों की इसी से चल रही हैं और आज वह सारी की सारी मतलब फिफ्टी परसेंट बंद पड़ी है, क्योंकि इसका बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा। गांव वालों को वह पानी नहीं मिल रहा। यह जनता जल योजना भी वहां पंचायत के सरपंच से चालू होती है। तो आप इसका भी कुछ निराकरण करें जिससे कि यह जनता जल योजना किसी के भी जिम्मे लगाए पर बिजली का बिल तो जिम्मे लगाए जिससे कि गांवों को सुचारु रूप से पानी मिल सके।

श्री हीरालाल (निवाई): जनता जल योजना में सरपंच है जो राजनीति करते हैं और लोगों को, जो वोट नहीं देता, उसकी तरफ वह काम नहीं करते।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी की सोच थी कि हमारा राजस्थान सूखाग्रस्त प्रदेश है। पूरे देश का 1.6 परसेंट हमारे राजस्थान में पानी है। 1.6 परसेंट पानी है। कोई बात नहीं, 1.16 परसेंट पानी है और देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की जनता को पीने के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, रोजाना के काम के लिए पानी कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, इसके लिए एक जल स्वावलंबन योजना लागू की और यह ऐसी योजना लागू की माननीय सभापति महोदय, आजकल गांवों के अंदर एक तरह से यह पीढ़ियों तक इस योजना को जनता याद करेगी। सारे तालाब हैं, सारे एनिकट्स हैं, सारे

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

नदी-नाले पानी से भर गये। अब इससे गांवों में जानवरों को पीने का पानी भी है, सिंचाई का पानी भी है, गांवों का जल स्तर जो गांवों में नीचे था, वह भी ऊँचा हो गया, खारा पानी की जगह मीठा पानी आ गया। तो इस तरह से हमारी यह कई चीजें जो डार्क जोन था, वह भी खतम होता जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी योजना है। जल स्वावलंबन योजना बहुत अच्छी योजना चलाई गांवों में और यह हमारे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अपनाई जा रही है और देश में ही नहीं, विदेश में भी अपनाई जा रही है। यह योजना हमारे लिए बहुत कारगर है और यह अच्छी योजना है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना में आप जो वाटर-शैड के हमारे जो अधिकारी हैं, वह इस योजना में सर्वे करके इसको फाइनलाइज कर देते हैं। मैं यह चाहता हूं कि जिस पंचायत में काम चालू हो, जिस पंचायत में यह काम कराना हो, या जिस-जिस पंचायत की एक मीटिंग हो, उसमें एम.एल.ए. भी जाए, अधिकारी भी बैठे और बाद में देखकर इसको फाइनलाइज करे कि यहां-यहां वाटर-शैड के काम होने चाहिए या जल स्वावलंबन के काम होने चाहिए। वह अपनी तरह से इसको फाइनलाइज कर देते हैं। यह मेरा निवेदन है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भंवर सिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 28 और 49 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज से करीब दस साल पहले 2006 में नरेगा योजना शुरू की गयी और उस योजना का इतना बड़ा असर पूरे देश में पड़ा कि जहां पहले गांवों से पलायन होता था और लोग अकाल के समय या जब काम नहीं होता था, तो शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता था, लेकिन माननीय सभापति महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गयी और उस योजना की वजह से आज गांव में रहने वाला जो गरीब है, जो मजदूर है, जो दलित है, जिसके पास काम नहीं है उस व्यक्ति को मांग के अधिकार पर और तत्काल एक रोजगार उपलब्ध करवाने की यह योजना हुई और उसकी वजह से आम जो गांव का व्यक्ति है, उसकी मजदूरी भी बढ़ी, उसके रोजगार के दिन भी बढ़े और उसका पलायन भी रुका।

(श्री भंवरसिंह)

माननीय सभापति महोदय, इस योजना के तहत पिछले वर्षों के हमारे कार्यकाल में ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद के स्तर पर इस योजना का एक स्थाई ढांचा विकसित करने के लिए गांवों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये गये। पंचायत समिति स्तर पर करीब पचास लाख रुपये की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये गये और जिला परिषद के स्तर पर जिला मुख्यालय पर भी करोड़ों रुपये लगाकर राजीव गांधी योजना का एक स्ट्रक्चर विकसित किया गया। नरेगा का सही संचालन करने के लिए माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार बनने के बाद, सामने जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, नरेगा की बात करते हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने इस नरेगा योजना में जो विकास या एक ढांचागत सिस्टम हमारे द्वारा विकसित किया गया, उसमें सिर्फ आपने आपकी सरकार बनते ही सबसे पहले नाम बदलने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों से, साथियों से कि कम से कम हमने 15 लाख रुपये का एक भवन बनाया पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर पचास लाख रुपये का भवन बनाया, जिला परिषद के स्तर पर करोड़ों रुपये की लागत से भवन बनाया, अच्छा तो यह होता कि आप उस भवन के ऊपर कोई अपना उसको विकसित करते, उसका विस्तार करते। लेकिन आपने सिर्फ इन भवनों का एक राजनीतिक संकीर्ण सोच रखते हुए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रीजी के नाम से बहुत ही निंदनीय कार्य किया कि अटल सेवा केन्द्र का नाम रखा।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो पूरे देश में और राजस्थान में बीकानेर जिले को सबसे पहले ओ.डी.एफ. जिला घोषित किया गया लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपका, मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज भी बीकानेर जिले को ओ.डी.एफ. हुए और माननीय प्रधान मंत्रीजी के द्वारा बीकानेर जिले की कलक्टर साहिबा को सम्मानित किये जाने के बावजूद बीकानेर जिले में ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण करवा लिया और निर्माण करवाने के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा सी सी जारी कर दी गयी लेकिन

(श्री भंवरसिंह)

जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, मैं विशेष कर मेरे पंचायत समिति कोलायत के कुछ गांवों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां शौचालय निर्माण को एक वर्ष से भी ज्यादा हो गये, पंचायतों द्वारा सूचियां दे दी गयीं लेकिन जो लाभार्थी होते हैं, जिनके खातों में सीधा पैसा डाला जाता है वो पंचायत समिति के द्वारा डाला जाता है लेकिन वहां के पंचायत समिति के जो कर्तव्य विमुख अधिकारी हैं, जो एक शौचालय के भुगतान में भी एक संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, ऐसे अधिकारियों की वजह से पिक एण्ड चूज के आधार पर आज भी वो उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत कोलायत में 350 परिवारों को आज तक शौचालयों का भुगतान नहीं मिला सी सी लगाने के बावजूद। ग्राम पंचायत बज्जू में पांच परिवारों को, अक्कासर में 55 परिवार, माणकासर ग्राम पंचायत में 86 परिवार, सुरजड़ा ग्राम पंचायत में 80 परिवार, दासूड़ी में 137 परिवार, गुड़ा में 50 परिवार, कोटड़ी में 100 परिवार, खारिया पातावतान में 370 परिवार, बेडू में 167 परिवार। इस प्रकार से, सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी की जो एक योजना है स्वच्छ भारत अभियान, एस.बी.एम., बड़ी संख्या में उसके पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसके लिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप चाहें तो इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवा सकते हैं और उसमें जानबूझ कर के पैसा पंचायत समिति में उपलब्ध होने के बावजूद इन परिवारों को विकास अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, यदि हम जलग्रहण योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का ढिंढोरा आज आपकी सरकार पूरे राजस्थान में पीट रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय जो जलग्रहण योजना का काम चलता था, राजस्थान की लगभग हर पंचायत समिति की आठ-दस ग्राम पंचायतों में आई.डब्ल्यू.एम.पी. के माध्यम से क्लस्टर बना कर के ग्राम पंचायतों में, एक-एक ग्राम पंचायत में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ रुपये के काम करवाये जाते थे। लेकिन, सभापति महोदय, आपकी सरकार ने जो काम किया है, एक पंचायत समिति में दस ग्राम पंचायतों में यदि जलग्रहण का काम चल रहा है तो आपने दस में से नौ ग्राम पंचायतों में वो जलग्रहण का काम बंद कर दिया, पिछले दो-तीन सालों से ठप्प कर दिया। उन

(श्री भंवरसिंह)

नौ पंचायतों में यदि उस क्लस्टर का पैसा भी है तो सारे के सारे पैसे को आपने उस पंचायत में शिफ्ट कर दिया जहां आपकी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चल रही है। आपने इतना ही नहीं किया, बीकानेर ही नहीं राजस्थान के तमाम सरपंचों को जिनको हमारी सरकार ने अनटाइड फंड के तहत, निर्बंध योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में एक निश्चित राशि देने की निर्बंध के तहत योजना शुरू की थी। उस निर्बंध का पैसा पंचायत में सीधा जाता था और उस निर्बंध के पैसे से एस.एफ.सी., एफ.एफ.सी. के अलावा अनटाइड एक ऐसी योजना थी, सभापति महोदय, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को काम करने का दायरा, जो अधिकार है वो ज्यादा दिया गया था लेकिन आपने तमाम राजस्थान की पंचायतों के सरपंचों का और पंचायतों का जो पैसा है वो एक पंचायत समिति की एक या दो पंचायतों तक सीमित कर दिया और उसकी वजह से तमाम ग्राम पंचायतों का विकास का कार्य अवरुद्ध हुआ है।

सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया, उसमें निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, सरकार पर आरोप लगाना चाहूंगा कि आपने उसमें भी भारी भेदभाव किया। उस समय के जो भी पंचायती राज मंत्री रहे, हमारे द्वारा बारबार यह कहा जाता रहा कि हमारे जिले में, हमारे विधान सभा क्षेत्रों में नई पंचायत समितियां बनाइये, नयी पंचायतों का गठन किया जा सकता है लेकिन जानबूझकर वहां पंचायत समिति नहीं बनायी गयी। मेरे बज्जू में भी पंचायत समिति बनने की पूरी-पूरी पात्रताएं थीं लेकिन नहीं बनायी गयीं और कई जिले ऐसे हैं जहां एक-एक जिले में बारह-बारह पंचायत समितियां नई बना दी गयीं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो सोच थी उसकी वजह से हमारे क्षेत्र के लोगों का, पंचायतें नई बनतीं तो ज्यादा विकास होता, उसकी वजह से काफी पीछे हो गये।

(16.06 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद आपने चुनाव में जो शिक्षा का प्रावधान किया, आनन-फानन में आप शिक्षा की योग्यता का कानून लेकर के आये और उस कानून की वजह से पूरे राजस्थान में हजारों सरपंच ऐसे बने जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन जिनकी शैक्षणिक योग्यता का उनको पता नहीं था, ऐसे में वो फर्जी टीसी लेकर के आये और फर्जी टीसी की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके ऊपर मुकदमें बनाये गये। कई सरपंचों को

(श्री भंवरसिंह)

और विशेषकर हमारी प्रदेश की जो मातृ शक्ति है, जो महिलाएं हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था लेकिन ग्राम पंचायत के दबाव में उन्हें सरपंच का चुनाव लड़ना पड़ा और उसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हजारों फर्जी टीसी के मुकदमे थानों में चल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपने राजस्थान में 900 से भी ज्यादा नई पंचायतें बनायीं लेकिन उन पंचायतों के गठन के बाद आज दो साल का समय बीत गया कोई पंचायत किसी सामुदायिक विकास केन्द्र में चल रही है, कोई पंचायत किसी प्राइवेट हॉल में चल रही है। सभापति महोदय, यदि ग्राम पंचायतों का गठन करना था, राजस्थान में नई पंचायतें बनानी थीं तो, मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपने बजट में पंचायत समितियों के भवन बनाने का प्रावधान कर दिया लेकिन ग्रामीण विकास की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो ग्राम पंचायत होती है, आपने अभी तक ग्राम पंचायतों के भवन बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं कहना चाहूंगा कि अतिशीघ्र ग्राम पंचायतों के भवन बनाये जाएं जिससे गांव के लोगों को लगे कि नहीं, हमारी नई ग्राम पंचायत बनी है।

सभापति महोदय, 2013 में पंचायती राज की भर्ती की गयी, उसमें करीब 26 हजार 535 पदों पर कनिष्ठ लिपिक और राजस्थान अधीनस्थ सेवा, एस.एस.आर. हेतु भर्ती निकाली गयी, 7 हजार 765 पदों पर कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति भी दे दी गयी लेकिन शेष पद, कोर्ट में लम्बित होने की वजह से वो पद नहीं भरे गये। लेकिन, सभापति महोदय, 29.11.2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि राजस्थान की सरकार ने जो फैसला किया था उस फैसले के अनुसार शेष बचे हुए लोगों को नियुक्ति दे दी जाए। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी मंशा स्पष्ट कीजिए कि लम्बे समय से संविदा पर लगे हुए जो लोग हैं, जो दस-दस सालों से राजस्थान की सरकार के निर्देश पर बहुत ही कम मानदेय पर पंचायती राज संस्थाओं का काम कर रहे हैं, पंचायती राज के जो बचे हुए कर्मचारी हैं, उसमें चाहे जे.ईएन. हैं, चाहे कनिष्ठ लिपिक हैं या जो कम्प्यूटर आपरेटर हैं, उन तमाम लोगों को आप कब तक भर्ती देंगे? मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उसमें स्पष्ट करें। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय, यदि इनको आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको दो साल तक उनको कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उनका यह प्रोबेशन पीरियड होगा।

(श्री भंवरसिंह)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपने 2015-16 में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना लागू की, नरेगा के तहत कुछ पैसा पहले साल दिया लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत होते ही, सभापति महोदय, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं लेकिन आपने इस योजना के तहत पिछले साल एक पैसा नहीं दिया और मैं समझता हूं कि इस साल भी बजट में इस योजना के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के नाम की योजना और एम.एल.ए. यदि उस ग्राम पंचायत को गोद लेता है और ऐसी स्थिति में यदि उसको एक पैसा भी उस गांव के और उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा अन्याय होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपने हर वर्ष एक-एक ग्राम पंचायत गोद लेने की बात कही थी। पिछले साल आपने एक भी ग्राम पंचायत को गोद नहीं लिया और एक भी ग्राम पंचायत को इस साल गोद लेने का प्रावधान नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में निवेदन करना चाहूंगा कि 'अपना खेत अपना काम' योजना चल रही है। आज नरेगा में सामग्री मद का 6 महीने से भुगतान बकाया है। पूरे राजस्थान में करीब 400 करोड़ रुपए बाकी चल रहे हैं। 220 करोड़ रुपये अभी पिछले दिनों आए और उसके बाद 165 करोड़ रुपए आए। 10 मिनट के लिए यह साइट खुलती है और उसमें जिस पंचायत का पैसा ले लिया गया उसको तो मिल जाता है और बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि नरेगा में जो पंचायतों का सामग्री मद का भुगतान है, उसको समय पर किया जाए ताकि डवलपमेंट के काम आगे चल सकें।

सभापति महोदय, आपकी सरकार के जब 2 साल पूरे हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जयपुर में जश्न मना रहे थे और यहां पूरे राजस्थान के सरपंच आए थे कि जो यह टेंडर प्रक्रिया है इसको हटाया जाए। तब माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि सरपंचों को टेंडर की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। लेकिन या तो सरकारी अधिकारी, सरकारी मशीनरी मंत्रीजी के कहने में नहीं हैं या इनकी खुद की मंशा नहीं है सरपंचों को राहत देने की। सरपंच, ग्राम पंचायत के विकास की

(श्री भंवरसिंह)

कड़ी होती है और उसको यदि हम प्रक्रियाओं में उलझा देंगे तो निश्चित रूप से गांव का विकास नहीं होगा इसलिए इस टेंडर प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। आज से पूर्व में भी बीएसआर रेट पर काम होते रहे हैं। बीएसआर रेट जो सरकार द्वारा तय की जाती है उसके अनुसार ग्राम पंचायतों को काम करने की छूट दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह बताया कि नरेगा में तारबंदी के काम की बहुत मांग है। 'अपना काम अपना खेत' के तहत यदि हम किसान के खेत की तारबंदी करने का काम नरेगा में ले लेते हैं तो इससे किसान की आय दुगुनी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से किसान को भारी फायदा होगा।

सभापति महोदय, एमएलए, एमपी लैड के कार्यों की मोनीटरिंग के बारे में लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारे कोटे से जो काम दिए जाते हैं उसमें दुनिया भर की अड़चनें पैदा की जाती हैं। पिछले 3 सालों में हमने समय पर स्वीकृतियां जारी कर दी लेकिन फिर भी अधिकांश हमारे काम लंबित पड़े हैं। कहीं पंचायत में पैसा दे दिया तो पैसा पंचायत में अटका पड़ा है। कहीं पंचायत समिति से रिपोर्ट नहीं आई। कहीं जिला परिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

सभापति महोदय, हमारे विधायकों का जो क्षेत्र होता है, वह लंबा-चौड़ा होता है। आज इस महंगाई को देखते हुए जो सवा 2 करोड़ रुपए विधायक निधि का पैसा है, वह बहुत ही कम है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि एमएलए लैड में जो कोटा स्वीकृत है, उसको बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, मेरा सीमावर्ती क्षेत्र है। उसमें कहना चाहूंगा कि बीएडीपी का जो काम होता है, सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, वह सिर्फ बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर इन 3 जिलों में ही है। इसके काम स्वीकृत करने के लिए एमएलए की देखरेख में पहले कमेटी होती थी। लेकिन पिछले दिनों कोई इस प्रकार का आदेश किया गया जिसकी वजह से बीएडीपी की जो सैंक्शन कमेटी होती है उसमें से एमएलए को हटा दिया गया है। जो बीएडीपी के काम स्वीकृत होते हैं, उसमें एमएलए की पूरी-पूरी भागीदारी रखी जाए। जिससे कि क्षेत्र के डवलपमेंट के जो जरूरी काम हैं, वह पूरे कराए जा सकें।

(श्री भंवरसिंह)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो पीने के पानी की डिग्गियां हैं वह पंचायतों को सुपुर्द कर दी। आज पंचायतें उन डिग्गियों का संधारण नहीं कर पा रही हैं। वह तमाम डिग्गियां, विशेषकर आईजीएनपी नहरी क्षेत्र की सूखी पड़ी हैं। मेरा इस संबंध में निवेदन रहेगा कि या तो इन डिग्गियों के संधारण के लिए, इनकी देखरेख के लिए, मंत्री महोदय अलग से कोई पंचायती राज के माध्यम से बजट का प्रावधान करें अन्यथा इन डिग्गियों को पुन: पीएचईडी विभाग को सुपुर्द कर दी जाए।

सभापति महोदय, एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान में ग्राम सेवकों के हजारों पद रिक्त हैं। मेरी पंचायत समिति कोलायत में भी 48 में से करीब 25 पद ग्राम सेवकों के रिक्त हैं। लेकिन इन ग्राम सेवकों के रिक्त पदों का चार्ज एलडीसी को दिया गया है। एक-एक एलडीसी को 3-3, 4-4 पंचायतों का चार्ज दिया गया है। जबकि सरकार के द्वारा साफ-साफ यह निर्देश दिए गए कि एक एलडीसी को एक से अधिक पंचायत का चार्ज नहीं दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि जो नियम विरुद्ध आदेश किए गए हैं, मनमर्जी से किए गए हैं, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो आदेश किए गए हैं, उनको वापिस किया जाए। इसके अलावा पंचायत समिति कोलायत में जो एलडीसीज को चार्ज दिए गए हैं उनकी जांच करवाई जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेन्द्र सिंहजी भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम में मांग संख्या 28 और मांग संख्या 49 में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज यह दोनों विभाग आज विकास के पर्याय बन चुके हैं। जिस तरह से इनके द्वारा गांवों में विकास के कार्य शुरू करवाए गए हैं और प्रत्येक पंचायत में 2-2, 4-4 करोड़ के कार्य शुरू हो चुके हैं, वह अपने आपमें बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के बाद में जिस

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

तरह से गांव की गलियों को जोड़ने का काम चाहे वह इंटरलॉकिंग से हो, चाहे वह सीसी रोड से हो, यह अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस काम को लेकर के ग्रामीणों में बड़ा उत्साह है। हर जगह सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है1

सभापति महोदय, आज जिस तरह से महात्मा गांधी नरेगा के तहत गांव के विकास शुरू किए जा चुके हैं, वह भी अपने आपमें बहुत बड़ी बात है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें 29 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के, कुछ स्माल मार्जिनल और अनुसूचित जाति के लोगों में से भी 22-23 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि है। लेकिन किसी न किसी कारण वश वह अपने खेत में ठीक ढंग से लेवलिंग का काम, कुंड बनाने का काम या अन्य जिस तरह के भी काम वह करवाना चाहते थे, वह आज से पहले नहीं हो पाए।

लेकिन महात्मा गांधी नरेगा की 'अपना खेत अपना काम योजना' के तहत खेतों में विकास के कार्य शुरू हुए हैं। कुंड बनाने के काम शुरू हुए हैं। कैटल शैड बनाने के काम शुरू हुए हैं। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत देने का काम है। जब आम किसान के खेत में इस तरह का काम होता है तो उससे वह खूब प्रगति करता है और उससे खुशहाली आती है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सभी तरह की सिंचाई योजनाओं चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, भाखड़ा नहर परियोजना हो, गंग कैनाल हो या घग्घर बहाव का क्षेत्र हो, हमारे टयूबवैलों के साधन हों सभी से पानी लगता है। गंग कैनाल और भाखड़ा क्षेत्र में सरकार द्वारा पक्के खालों का निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण का कार्य 30-40 वर्ष पहले हुआ और अब वह पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं। वह पक्के खाले टूट चुके हैं। अभी इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई योजना पक्के खाले बनाने की नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो पक्के खालों का काम है वह महात्मा गांधी नरेगा के तहत हो तो रहे हैं लेकिन उनमें बहुत देरी हो जाती है।

हमारे पास में, पंचायत समिति के पास में, जिला परिषद के पास में

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

जिस तरह की अभियंताओं की आवश्यकता है, जिस तरह से वहां एस्टीमेट बनाने की जरूरत रहती है, प्रत्येक खाल को चैक कर, उसके लिए किस तरह से उसको नाकारा घोषित करके नया बनाया जाए या मरम्मत का उसके लिए कार्य कराया जाए, इन सारी बातों को लेकर बड़ी असुविधा रहती है। पंचायत समिति के पास में, हरेक ग्राम पंचायत के पास में इतना काम है कि वह उन कामों को करने में थोड़ी देरी भी होती है और विशेष रूप से जो जिला परिषद द्वारा भेजे गए संविदा पर हमारे जेईएन हैं, वह भी इस काम को ठीक और बखूबी तरीके से नहीं निभा सकते।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा पिछले दो-तीन सालों के अंदर हमारे जन उपयोगिता संगम का गठन किया गया है। प्रत्येक नहर के प्रत्येक चक के ऊपर, गठन करके वहां का अध्यक्ष बनाया गया, कमेटी बनाई गई, चुनाव कराए गए और यह सारा का सारा काम सिंचाई विभाग की देखरेख में हुआ, सरकार द्वारा ऐसी सूरत में ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, डिमांड तो पंचायतीराज की है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज नहीं। आप विराजें, रिकार्ड नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): सुन लें माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)... जिस बारे में कह रहा हूं उस मामले की गम्भीरता को समझें। जो मैं बात कहना चाहता हूं उसकी गम्भीरता को आप पहले समझ लें। मैं माननीय सभापति के माध्यम से माननीय मंत्रीजी निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के खाळों के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं होने और ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम अधिक होने से यह सारे के सारे काम पंचायतों के पक्के खाळे का काम है वह महात्मा गांधी नरेगा के तहत उन किसानों को दे दिया जाए, उन जन उपयोगिता संगमों को दे दिया जाए तो निश्चित रूप से किसानों को इसमें बड़ी राहत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इंदिरा गांधी नहर के अंदर हजारों किलोमीटर लम्बे पक्के खाळों का निर्माण आज से 35 साल पहले हुआ था, उनके पुनर्निर्माण

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

की आवश्यकता है।

मानननीय सभापति महोदय, एक-दो बातें कहना चाहूंगा। पंचायतों के माध्यम से हमने जगह-जगह एनओसी लेकर हमारे पीने के पानी के लिए ढाणियों में गांवों में पाइप लाइनें डलवाई लेकिन आज की तारीख में 90 प्रतिशत के लगभग हमारी वह पीने के पानी की पाइपें नाकारा साबित हो चुकी है, किसी भी जगह ठीक ढंग से पीने का पानी नहीं पहुंच पाता, पूरा पानी नहीं पहुंच पाता तो भविष्य में जब भी एनओसी जारी करें तो यह भी सुनिश्चित करें कि पानी आगे वाली ढाणी में ठीक ढंग से पहुंच रहा है या नहीं। इसके अलावा जो सड़कों का निर्माण है चाहे वह सीसी रोड है या इन्टरलॉकिंग का काम है वह पंचायतों के द्वारा कराया जाए तो उसमें पारदर्शिता होना जरूरी है, उनके निर्माण में गुणवत्ता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि कई दफा ऐसी घटिया सड़क का निर्माण हो जाता है उससे बड़ा नुकसान रहता है।

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा के अंदर जितने मजदूर लगाए जाएं और जिस तरह का काम करने की जरूरत है, 100 दिन उन मजदूरों के कम से कम एक साल के अंदर पूरा होना चाहिए। फार्म नम्बर 6 भरने के लिए हम जब फील्ड में जाकर बात करते हैं, वहां का जो ग्रामीण रोजगार सहायक है, वहां का मैट है या उससे सम्बन्धित ग्राम सेवक है, ये लोग फार्म नम्बर 6 भरवाते हैं उसमें हमारे श्रमिकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ-साथ हमारे श्रमिकों को समय पर इसके टास्क की जांच नहीं होने के कारण, जब तक हम पूरी पैमाइश नहीं कराएंगे तो उसमें मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिलती। कई बार मजदूर को इतनी कम मजदूरी मिलती है, मैं मेरी सूरतगढ़ पंचायत समिति की बात कर रहा हूं, 40 मेरी वहां ग्राम पंचायतें हैं लेकिन कई दफा इतनी कम मजदूरी आती है, चालीस, पचास, साठ रुपए मजदूरी रह जाती है। तो निश्चित रूप से वह मैट, वह हमारा ग्राम सेवक और हमारा जेईएन इस बात को सुनिश्चित करे कि उसकी टास्क समय पर जाकर देखे और देखने के बाद उसका काम पूरा करे।

मानननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारी जो नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। अभी हमारे माननीय सदस्य, कोलायत से आने वालों ने

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

कहा कि हमारे ग्राम पंचायतों के अंदर पंचायत भवनों का निर्माण नहीं हुआ। मेरी सूरतगढ़ पंचायत समिति के अंदर 8 ग्राम पंचायतों का नवगठन किया गया जिनमें 7 के पंचायत घर बन कर तैयार हो चुके हैं, छह का करीब-करीब सबके भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। एक का जमीन नहीं मिलने की वजह से दिक्कत रही, वह भी अब जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन ग्राम पंचायत को नव गठित हैं उनके भी कार्य हैं उनको वह सारी सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री नवीनजी पिलानिया। माननीय सदस्य, श्री नवीनजी पिलानिया। (अनुपस्थित)।

माननीय सदस्य, श्री गोरधनजी।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 और 49, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा विभाग पंचायतीराज है। पंचायतीराज एक ऐसा विभाग है, जिसका मैं सोचता हूं कि गांवों का लगभग 50 परसेंट विकास पंचायतीराज के द्वारा ही होता है। इसमें हमारी सरकार में एक काबिल मंत्रीजी को जिम्मेदारी दी गई है, मैं समझता हूं कि ये जिस विभाग में भी जाते है तो वहां अपने कुछ नए नवाचार उसमें दिखाते हैं तो मैं सोचता हूं कि ग्रामीण विकास और अच्छा इसमें काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामों में किया जा रहा है, उसमें विशेष कर उन ग्राम पंचायतों को सलैक्टेड भी किया जाता है जहां पर पानी का बहाव हो या पानी की अधिकता हो, बारिश से हो या और हो, तो मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है और जो भी बड़ी ग्राम पंचायतें होती हैं और उनमें पानी की निकासी के लिए और उसको स्टोरेज करने के लिए जिस प्रकार की योजना

(श्री गोरधन)
बनाई जाती है, गांव में बारिश का पानी तो एक अच्छी जगह संग्रहित होता ही है, इसके अलावा गांव का वेस्टेज पानी, जो लगातार बारह महीनों तक बहता रहता है, उस पानी को भी स्टोरेज किया जाता है जिससे पानी का लेवल तो बढ़ता ही है। इसमें मेरा निवेदन है कि उस पानी से आज हम देखते हैं कि शहरों में और नगरपालिकाओं द्वारा बहुत सारे ऐसे गार्डन भी तैयार किए जातें हैं उनमें पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं, लेकिन उस पानी से यदि गांवों में भी मैदान, गार्डन या बगीचे तैयार किए जाएं, अच्छे पेड़ पौधे लगाए जाएं तो गांवों में भी अच्छी जगह सौन्दर्यीकरण के रूप में देखी जा सकती है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन को मनरेगा योजना से जोड़कर क्योंकि आज हम देखते हैं कि 200 पेड़ लगाए जाते हैं तो 1 व्यक्ति नरेगा के अंतर्गत उसमें काम किया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि ऐसी योजना बनाकर इसमें गांवों का भी सौन्दर्यीकरण करना चाहिए और वहां पर भी अच्छी जगह विकसित करनी चाहिए अच्छे पेड़-पौधे लगाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से पंचायती राज में और पंचायतों के विकास में नरेगा योजना का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें मैं सोचता हूं कि अपना काम-अपना खेत के अंतर्गत उन सभी एससी/एसटी व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है। उसके अंतर्गत यदि हम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी भी नहीं होती है कि नरेगा के अंतर्गत क्या काम किये जा सकते हैं, क्या काम हो सकते हैं, उसमें यदि ग्राम पंचायत उस व्यक्ति को जिसको लाभ देना होता है या एक क्रमबद्ध रूप से सभी व्यक्तियों को लगभग 15-20 दिनों का एक नोटिस या जानकारी के रूप में उनके पास भेजें कि आप नरेगा के अंतर्गत ये कार्य करवाये जा सकते हैं और ये आपको इसमें डाकूमेंट चाहिए तो मैं सोचता हूं कि उन सभी व्यक्तियों के पास सूचना पहुंच सकती है जिनको जानकारी नहीं हो। वह व्यक्ति उसमें काम भी करवा सकता है और उसको यदि 15-20 दिन के बाद में उस नोटिस की पालना हो जाय और यदि उसको अच्छा लगे कि मुझे इसमें काम कराना चाहिए तो वह करवा ले। यदि नहीं होता है तो दूसरे व्यक्ति को उसी क्रमबद्ध रूप से उसको देना चाहिए। मैं सोचता हूं जिस प्रकार से गांवों में ऐसी कई रास्तों की दिक्कत भी आती है और कई रास्ते

(श्री गोरधन)

ऐसे होते हैं जिनमें रास्ता तो वहां मौजूद रूप में होता है, लेकिन वह रास्ता कटान में नहीं होता है। उस रास्ते को कटान में कराने के लिए, चाहे तहसील स्तर पर या एसडीएम स्तर पर या जिला कलक्टर स्तर पर व्यक्ति को जाना पड़ता है। यदि वह पावर ग्राम पंचायत को दे दिया जाय क्योंकि यदि रास्ता सही है तो ग्राम पंचायत उसकी जांच करके या अपनी ग्राम सभा में रखकर उस रास्ते को कटान में कर दिया जाय जिससे व्यक्तियों को कहीं जो अन्य खर्च होते हैं या कोर्ट के पास भी ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं जिनके कारण से कोर्ट भी प्रभावित होते हैं। यह अधिकार ग्राम पंचायतों को देने चाहिए और जो डोटेड रास्ते होते हैं उन डोटेड रास्तों पर ग्रेवल सड़क या नरेगा का कार्य होना चाहिए जिससे इसमें काफी सहायता मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी भर्ती पंचायती राज विभाग में ग्राम सहायकों की की गई है जो प्रक्रियाधीन है। उसमें 27 हजार के लगभग सहायक ग्राम सेवक लिये गये हैं। मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी भर्ती की गयी है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी या महिलाओं का कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया, न उसमें कोई आरक्षण दिया गया। मैं सोचता हूं यह भर्ती जब भी नियमित होगी तो मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत बड़ी कमी होगी। इसमें भी थोड़ा विचार करना चाहिए।

हमारे जो एमएलएम व एमपी लैड के पैसे होते हैं उनमें धार्मिक स्थलों को (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं केवल तीन मिनट का समय लूंगा। एमएलए और एमपी कोटे से जो पैसे दिये जाते हैं उनमें धार्मिक स्थलों पर कार्य नहीं कराया जा सकता। इसमें भी पंचायती राज विभाग में छूट मिलनी चाहिए ताकि हम भी वहां के स्थानों का सौन्दर्यकरण कर सकें और उनमें जरूरत की जो चीजें हैं वे भी उनमें बना सकें।

जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायती राज विभाग, क्योंकि हम जब देखते हैं कि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल होते हैं उनमें बजट के पैसे नहीं लग सकते इसलिए उनको पावर देना चाहिए। हम भी देखते हैं जिला परिषद काम कराना चाहती है, पंचायत समिति उसमें काम कराना चाहती है तो काम कराने में कहां दिक्कत है? उसको क्यों मना किया जाता है कि जिला परिषद का पैसा सैकण्डरी स्कूल में नहीं लग सकता या पंचायत समिति का पैसा सीनियर सैकण्डरी स्कूल में नहीं लग सकता। इसमें छूट

(श्री गोरधन)

मिलनी चाहिए जिससे विकास को थोड़ी गति मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य केवल जिला प्रमुख और प्रधान बनाने का काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि उन पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों को कुछ राशि दी जानी चाहिए जिससे वे अपने क्षेत्र में भी विकास करा सकें। इसके अलावा उनको जिले में कम से कम जो भी टोल नाके होते हैं उनके लिए भी एक कार्ड जारी होना चाहिए जिससे वे उससे अपना आवागमन कर सकें, अपने क्षेत्र में भी जा सकें, जिले की दूसरी पंचायतों को भी देख सकें।

माननीय सभापति महोदय, अस्थायी रूप से जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं उनको भी 24 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। उनको 3822 रुपये दिये जाते हैं। मैं सोचता हूं कि उनमें भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि एक नरेगा मजदूर को भी लगभग 165 रुपये दिये जाते हैं। इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद, जयहिन्द, वन्देमातरम।

श्री सभापति: माननीय श्री सुखरामजी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। आज मांग संख्या 28, 49 पर चर्चा हो रही है। जब-जब कांग्रेस की सरकार बनी है पंचायती राज को मजबूत किया है। पिछले 5 साल में ग्राम स्तर के 5 विभाग थे, चाहे जलदाय हो, चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे प्राइमरी स्वास्थ्य हो, आंगनबाड़ी हैं, ये तमाम पंचायत के, प्रधान के, जिला परिषद के अधीन थे। एक अहसास होता था वाकई में गांव की सरकार है। इस उद्देश्य को, मंशा को लेकर पंचायती राज की स्थापना की गयी थी, वह कुछ फलीभूत होती दिख रही थी। जैसे ही बीजेपी का राज आता है, न तो प्रधान कोई बदली कर सकता है, न जिला प्रमुख कर सकता है। पूरे के पूरे अधिकारों का केन्द्रीयकरण कर लिया जाता है। राठौड़ साहब के लिए सभी कह रहे हैं कि पावरफुल मंत्री हैं। चिकित्सा विभाग में रहे तब तो सभी जगह, जिस भी हॉस्पिटल में गये तो यह कहते थे कि मैं बड़ा आहत हूं। मंत्रिमण्डल बदलने के बाद यह आहत वाली आवाज कहीं से आयी नहीं है, पता नहीं ये अपने काम से संतुष्ट होंगे,

(श्री सुखराम विश्नोई)

परन्तु जो व्यवस्था है, आम जनता जिस मकसद के लिए उस सरपंच को, उस प्रधान को, जिला प्रमुख को, डेलीगेट को चुना है उनके जो मन की बातें हैं, उनके जो अधिकार हैं, लोग चाहते थे कि सरपंच बनाकर हम यह काम कर लेंगे, प्रधान बनकर ये काम करेंगे, वे काम कोई आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सुराज संकल्प यात्रा, जो 2013 में निकली, उसमें बिन्दु संख्या 5 में नरेगाकर्मियों को नियमित करने की घोषणा 2013 में की गयी थी जो भाजपा शासनकाल 2003 से 2008 के बीच रखे गये थे। आज सभी विधायकों को उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। 2013 में पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कुल 27333 थे उनमें से 18770 पद अभी भी खाली पड़े हैं। मैं आपकी मार्फत मंत्री से चाहूंगा कि 2003 से 2008 के बीच आपने रखे और फिर घोषणा-पत्र में पेज नम्बर 3 पर बिन्दु संख्या 5 में लिखा। कम से कम इनकी जो मांगें हैं वे मांगें पूरी करें। छोटे स्तर पर बहुत कम तनख्वाह में दिन भर के लिए अपना समय देते हैं उनका परिवार पल सके, वे भी आगे बढ़ सके।

अभी जल स्वावलम्बन की बहुत बड़ी-बड़ी बात हो रही थी। माननीय मंत्रीजी आपको अवगत कराना चाहता हूं ऐसे तालाब बना दिये, ठेकेदार को ठेके पर दिये, उसे तो कोई लेना-देना नहीं था, उसे तो केवलमात्र अपनी कमाई से मतलब था। उस तालाब की भराव क्षमता है, जल संग्रहण की क्षमता है, जल संग्रहण का एरिया है ही नहीं, गांव के पास बना दिया। गांव का गंदा पानी अंदर आएगा। आज उन तालाबों की हालत यह है कि वही जूलीफ्लोरा, बबूल अंदर खड़े हैं। न पानी आया, न कुछ किया। पहले सदस्य यह बोल रहे थे कि 10 फीट पानी ऊँचा आ गया। तालाब में ही पानी नहीं आया, 10 फीट कहां से ऊँचा आ गया?

मतलब आप पूरे राजस्थान का सर्वे करवा लो, 10 फीट तो क्या एक इंच ही पानी ऊँचा नहीं आया। जब तालाब में ही पानी नहीं आया तो किस हिसाब से ऊँचा आयेगा। तो जल स्वावलम्बन के लिए जो ढोल बजाये गये, जो अभियान चलाया गया और स्थानीय विधायकों को उस कार्यक्रम में बुलाया गया परन्तु वो जो जल स्वावलम्बन का अभियान चला उससे कोई

(श्री सुखराम विश्नोई)

रिजल्ट नहीं निकला है और एक भी तालाब, कम से पश्चिमी राजस्थान में तो नहीं भरा है और पता नहीं कहां भरा होगा यह पता नहीं। जल स्वावलम्बन जो स्कीम है वो पूरी की पूरी फेल हुई है।

सभापति महोदय, दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जनता जल की बात कर रहे हैं, राठौड़ साहब, आप हिम्मत करके वापस गोयल साहब को सुपुर्द कर दो ताकि कम से कम बिल तो टाइम पर भरेंगे। बिल भरने का बजट ही नहीं है तो किससे बिल भरें, किस तरह जनता जल योजना चलाएं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि न तो मोटर ठीक होती है, न बिल भर सकते हैं, कोई काम की नहीं है इसलिए उस विभाग को सुपुर्द करो ताकि व्यवस्थित तरीके से चले।

मनरेगा में मैटेरियल के भुगतान की बात है। मैंने मेरी अकेले विधान सभा क्षेत्र की चिट्ठी आपको दी थी कि 2013-14 से लेकर आज दिन तक का मैटेरियल का भुगतान बकाया पड़ा है। ये मेरे बाड़मेर के साथी कह रहे हैं कि 41 करोड़ तो मेरे बाड़मेर में पिछले छह महीने का पड़ा है तो कम से कम आप लोग किस काम को पूरा कर पाओगे क्योंकि मैटेरियल का पैसा जाएगा तभी जाकर के नरेगा के काम आगे बढ़ पायेंगे।

सड़कों के जो हालात हैं, वाकयी में जब ग्रेवल डालते हैं तो उसके ऊपर रोलर नहीं घुमाते हैं। जब रोलर नहीं घुमाते हैं तो उसमें बड़ा पत्थर है वो भी यों ही पड़ा है जिससे लोग कहते हैं कि इससे तो पहले रास्ता ही ठीक था ताकि आराम से तो चलते थे। अब आदमी अगर नीचे नहीं देखे तो पत्थर लगने से गिर सकते हैं। इतने पावरफुल मंत्री हैं तो कम से कम रोलर चलाने का काम तो आप करोगे। माननीय मंत्रीजी, रोलर जब चलेगा तभी जाकर के जो गांवों की ग्रेवल रोड है वो व्यवस्थित सही तरीके से चल पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत् मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि हम जब भी जाते हैं तो आम सरपंचों की शिकायत है कि मनरेगा के जो भी काम हैं चाहे सड़क का है या पक्का है, बिना पैसे सी.ई.ओ. कभी स्वीकृत नहीं करता है। उसको एक परसेंट, दो परसेंट मिलेगा तभी स्वीकृत करेंगे। उसके बाद में जो यू.सी., सी.सी. है उस पर सिग्नेचर के लिए वो सरपंच जिला परिषद में लिये-लिये उस एक्स.ईएन. के पास घूमता रहेगा और कुछ पैसे देने के बाद ही उस पर साइन होंगे। पहले सैंक्शन के लिए दो और फिर

(श्री सुखराम विश्नोई)

यू.सी., सी.सी. के लिए दो तो आप इतने बोल्ड मंत्री हैं तो इस बात की तो व्यवस्था कर दी जाए कि कोई भी मनरेगा में काम हैं, उनकी स्वीकृति आम सभा में हो या जिला परिषद की मीटिंग में हो और यू.सी., सी.सी. सिग्नेचर हो तो वहां पंचायत समिति मुख्यालय में जाकर के एक कैम्प लगाकर सिग्नेचर करें। वो सरपंच जिला परिषद और अपनी पंचायत के बीच में घूमता घूमता तंग आकर यही चाहता है, माननीय सभापति महोदय, कई ऐसे सरपंच हैं, आप आंकड़े उठा लो, सरपंच नहीं चाहते कि हम काम करायें क्योंकि काम करायेंगे तो पीछे फिरना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा इसलिए वो जीत तो गये पर काम नहीं कराना चाहते हैं।

सरपंचों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए, कई बार संघर्ष भी हुआ। हमारी सरकार में भी चला, आपकी सरकार में चला और आपकी सरकार ने सरपंचों को खुश करने के लिए कह दिया कि अब निविदा की कोई जरूरत नहीं है, बी.एस.आर. रेट है उस बी.एस.आर. रेट से आप काम कराओ। वो आदेश तो जारी कर दिया परन्तु शासन सचिव ने दूसरा आदेश जारी कर दिया कि केवल मात्र मनरेगा के अलावा जो काम हैं वो बी.एस.आर. रेट से होंगे, मनरेगा के काम पूरे के पूरे टैंडर सुविधा से होंगे, टैंडर की तरह से होंगे और वो ही ऑनलाइन टैंडर है। माननीय सभापति महोदय, राठौड़ साहब गांव से आते हैं, गांव की व्यवस्था जानते हैं। एक सभ्य परिवार की महिला सरपंच चुनी जाती है और ऑनलाइन क्या पता कहां से वो टैंडर लेकर आ जाते हैं कि खुल गया उसके पक्ष में। कई तो लोअर रेट में भरते हैं, सीमेंट का कट्टा 300 रुपये का होता है और उससे भी कम भर देते हैं तो किस तरह से वो सप्लाई कर पायेंगे। कई ऐसे काम हैं जो टैंडर प्रक्रिया में हो ही नहीं पाते। जिस मंशा को लेकर पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, सरपंच और जो उसके वार्ड पंच हैं, वो पूरी लोकल बॉडी स्तर पर बैठकर काम करे वो बिलकुल व्यवस्थित आगे बढ़ेगा तो कम से कम यह जो टैंडर की प्रक्रिया है उसे निरस्त किया जाए ताकि मनचाहे काम कर सके।

इसके बाद में ऑडिट का मामला है। ऑडिट एक नहीं होती है। पहले तो बाकायदा एक ऑडिट आती थी और वो 2-3 साल से आती थी जो व्यवस्थित तरीके से गांव, पंचायत में बैठकर, समिति स्तर पर बैठकर के

(श्री सुखराम विश्नोई)
ग्राम सेवक, सरपंच की बात सुनकर व्यवस्थित तरीके से ऑडिट करती थी। माननीय सभापति महोदय, आज एक तो एल.एफ.डी. ऑडिट, ए.जी. ऑडिट, सी.ए.जी. ऑडिट, पंचायत दिवस, उस दिवस पर क्या-क्या काम किये, फिर सोशल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, न जाने कितनी-कितनी ऑडिट सरपंच पर बिठा दी कि वो चाहता है कि जैसे-तैसे मेरे पाँच साल पूरे हो जाए। मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम एक तरह की ऑडिट की जाए सरपंच की ताकि सरपंच खुला रहकर, दिल को खुला रखकर के गांव में बेधड़क चलकर वो काम पूरा कर सके वरना इतनी ऑडिट ऊपर से थोप-थोप दी कि सरपंच कोई काम करना नहीं चाहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ काम ऐसे हैं जैसे रास्ता नहीं है। 20 ढाणियां बनी हुई हैं, वहां पंचायत का कोई काम स्वीकृत कर दिया, वो सैंक्शन इसलिए नहीं होता है कि वहां पर कटान का रास्ता नहीं है। कटान रास्ता नहीं है, सब जगह कटान रास्ता नहीं बन सकते परन्तु वो 10 घर वाले, वो जो हेबिटेशन बसा हुआ है, पूरी की आबादी उस रास्ते से आती जाती है तो कम से कम ऐसा राइडर नहीं लगाया जाए और सरपंच जहां चाहता है उस काम की स्वीकृति हो जाए ताकि सरपंच आराम से काम कर सके। मैं पूरा कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि एम.एल.ए., एम.पी. LAD का मामला है, हमने लिख दिया पर टेलीफोन करते हैं तब जाकर काम स्वीकृत होता है। उसकी बाकायदा समय सीमा तय कर रखी है कि इतने दिन में काम स्वीकृत होगा, इतने दिन में काम पूरा होगा परन्तु समय सीमा की कोई पालना न तो सैंक्शन में करते हैं, न काम पूरा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरे जिलों से उनकी लिस्ट मंगा लो कि कौनसी तारीख को एम.एल.ए. ने लिखकर दिया, कौनसी तारीख को आपने सैंक्शन निकाली। 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद सैंक्शन निकालते हैं। हम कई मर्तबा बाबू को टेलीफोन करते हैं तब जाकर सैंक्शन निकलती है और सैंक्शन निकलने के बाद में काम की जो गति है, काम की जो गुणवत्ता है, पैसा एम.एल.ए. LAD का, लोग कहते हैं एम.एल.ए. ने काम करवाया है और काम की गुणवत्ता सही नहीं है इसलिए उन एम.एल.ए., एम.पी. LAD के कामों की विशेष रूप से मोनीटरिंग हो तब

(श्री सुखराम विश्नोई)

जाकर सही होगा। मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं।

मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मुझे बहुत सारी बातें निवेदन करनी हैं। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि निकाय की बातें इसमें साथ में डाली हुई है तो निकायों को कोई बजट नहीं दे रहे हैं, निकायों में सीवरेज के सिस्टम की व्यवस्था नहीं है तो सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था हो। मेरे सांचौर की डी.पी.आर. बनाकर दी हुई है परन्तु यहां पैण्डिंग पड़ी हुई है और शहर का जो गन्दा पानी है, शहर के बीच में भरा हुआ पड़ा है तो कम से कम निकाय को स्वतंत्र करने के लिए स्पेशल बजट दिया जाए।

एक मिड-डे मील है, मिड-डे मील में, माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मिड-डे मील जो बनता है, पंजाब के गेहूं हैं उनमें पूरा का पूरा यूरिया 50 परसेंट है। सब्जी, अध्यापक लोग हैं वो आलू और टमाटर के अलावा कोई सब्जी नहीं खरीदते हैं तो कम से कम यूरियालैस जैविक सब्जी हो, वहां का स्थानीय खाना है उस हिसाब से व्यवस्था बने। मैं मेरी बात पूरी करूंगा।

अन्त में मेरा आपसे निवेदन है कि जो बातें हमने कही हैं, माननीय मंत्रीजी, उस पर ध्यान देंगे। (व्यवधान) एक शेर है जो राठौड़ साहब पर पूरा लागू होता है कि इनको परखने के लिए, इनको समझने के लिए कई तरह से कई एंगलों से सोचते हैं तब जाकर इनको समझ पाते हैं और वो हमारे नये जैसे आदमी क्या, हमारे चतुर्वेदी साहब नहीं समझ पाये, तिवाड़ी साहब नहीं समझ पाये तो हम तो क्या समझ पायेंगे। हर आदमी में होते हैं दस-बीस आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखें। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

माननीय मंत्री महोदय।

शासकीय वक्तव्य

सोजत में रामपुरा के बेरा रामसागर में दम्पति की हत्या

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, आज सवेरे दो विषय पुलिस से सम्बन्धित यहां सूचना की बात कहकर उठाये गये। एक सोजत का था। दो पति-पत्नी का उनके बेरे पर लूट मानते हुए हत्या हुई है या कैसे हुई है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरी एफ.एस.एल. टीम भी वहां पहुंच गई है, डॉग स्क्वॉड भी वहां है, मेरे अधिकारी भी वहां हैं और जो भी, जिस तरह से भी इस घटना का प्रयास पुलिस कर रही है, मुकदमा दर्ज है।

जोधपुर के हरियाढ़ाणा ग्राम में युवती की हत्या

एक सूचना बोरूंदा थाने की खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी। उस विषय की घटना यह है कि सड़क को चौड़ी करने के लिए पटवारी भी मौजूद थे, सरपंच मौजूद थे, गांव के लोग भी मौजूद थे और उसके कुछ हिस्से में ज्यादा कम जमीन हो रही थी कि इधर से लो ना। ललिता ने उसका एक तरह से विरोध किया। जो रिपोर्ट दर्ज हुई, उसमें तो यह है कि ललिता को दूसरों ने जला दिया लेकिन मैं सोचता हूं कि इतने लोगों की मौजूदगी में ललिता स्वयं जली या ललिता को जलाया, इसको न तो कोई छिपा सकता है, न कोई दबा सकता है। मैंने अपने एस.पी. को मौके पर भेजा है और चूंकि सरकारी कार्य से ही पटवारी और सरपंच मौजूद रहकर उस काम को करा रहे थे, इसलिए घटना की सच्चाई की जानकारी एस.पी. के वहां जाने के बाद और सबके बयान लेने के बाद, जो भी होगा, उसको आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोटा वाला प्रकरण महावीर नगर में हुआ, वह भी साथ ही बता देते। एक महीना होने लग गया। उसमें किसका दोष था? क्या था? पुलिस की गलती थी, किसकी गलती थी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपका तो काम है पूछने का, मेरा है काम करने का। मैंने उसकी जांच मेरे बड़े अधिकारी को दे दी है जो सारी रिपोर्ट लेकर आएगा और जिसका दोष होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कब तक आ जायेगा गृह मंत्रीजी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब यह कोई समय सीमा तय नहीं होती।

श्री सभापति: माननीय गृह मंत्रीजी। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, समय सीमा। एक विधायक थे, उनके साथ घटना हुई...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको केवल अगर भाषण करना हो..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सत्ता पक्ष के विधायक हैं और आप एक महीने से टाल रहे हो, पूरा सत्र जा रहा है, कल 30 तारीख को सदन, सत्र पूरा हो जायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री जयरामजी जाटव। विराजें माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, विराजेंगे तो सही।

श्री सभापति: आपने ध्यान में लाया है मामला।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन यह सदन का मुद्दा है, गृह मंत्रीजी आज की घटना की जानकारी दे रहे हैं और 20 दिन पहले जो घटना हुई, उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं तो हम पूछेंगे नहीं क्या यहां?

श्री सभापति: श्री जयरामजी जाटव।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वह जांच है।

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजें। आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या है जांच? प्रभू लालजी और परनामीजी ने जांच कर दी, वह रिपोर्ट बता दो। गृह मंत्रीजी पर विश्वास नहीं है आपको या गृह मंत्रीजी क्यों नहीं बता रहे हैं कि पुलिस के और माननीय विधायिका के साथ में क्या हुआ? किसकी गलती थी? सदन नहीं जानेगा तो कौन जानेगा इसको?

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य। श्री जयरामजी जाटव।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि...अभी मैंने जो दो घटनाएं बताईं, उसकी जांच की रिपोर्ट बता दी क्या? अभी मेरे सामने विषय आया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह तो आनन्दपाल वाली भी नहीं बताई आपने। आज तक आनन्दपाल कैसे भगा, किसकी निष्क्रियता थी? किसकी वजह से भगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। श्री जयराम जाटव।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या हो गया है यह?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां गलती हुई, वह भी नहीं बताई आपने आज 12 महीनों से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अरे, बड़े राजा हरिश्चन्द्र हो। जो कुछ बोल रहे हो, मन से बोल रहे हो या ऊपर से बोल रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, मैं तो मन से ही बोल रहा हूं। मन से ही बोल रहा हूं। नहीं-नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं गृह मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी, हम आपका सम्मान करते हैं...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आदत बनी हुई है कि कुछ भी बोलना है। मैं आपको इतनी गारंटी कर सकता हूं कि जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):...लेकिन आपको इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जा रहा है। न तो आनन्दपाल की रिपोर्ट आपके द्वारा पेश करवाई जा रही है, न महावीर नगर की घटना की रिपोर्ट करवाई जा रही है।

श्री सभापति: विराजें विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आपको इंडिपेंडेंट काम ही नहीं करने दिया जा रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह क्या बात हुई? ये किसी के दबाव में करने वाले नहीं हैं। ये आपकी तरह नहीं हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम मांग करते हैं, हम सदन में मांग करते हैं कि आपसे निष्पक्ष जांच कराई जाये और कोटा वाली भी रिपोर्ट बताइये, आनन्दपाल वाली भी बताइये और यह आज वाली भी बताइये।

श्री सभापति: डोटासराजी, विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजें। श्री जयरामजी जाटव।

जयरामजी, आप बोलें।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 28 व 49 पर विचार

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मांग संख्या-28 और मांग संख्या-49, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर आज सदन में चर्चा चल रही है। वर्ष 2017-2018 के इस बजट सत्र में पंचायती राज को कैसे सुदृढ़ किया जाये, यह हमारी प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी और हमारे प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने इस राजस्थान का, इस राजस्थान के ग्रामीण का विकास कैसे हो, इसको ध्यान में रखते हुए, आज यह दो-तीन बातों पर ज्यादा बात रखना चाहता हूं।

वर्ष 1995 से पहले जो पंचायती राज कानून था, उसका किसी प्रदेश में रूप अलग था, किसी प्रदेश में उसका स्वरूप अलग था और 1995 में जब पंचायती राज कानून बना और उस कानून के माध्यम से चुनाव प्रणाली चालू हुई और उसमें पंचायती राज को बड़ा सक्षम, मजबूत, यहां तक भी वह पंचायती राज की ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह के मुकदमे वगैरह भी उनके जो पावर्स थे, वह बहुत अच्छे किये। सबसे पहले तो स्वर्गीय हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे और उपराष्ट्रपति के पद पर रहे माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने, जब 1995 में पंचायती राज कानून जो लागू हुआ राजस्थान में, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दी गई।

दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को और हाल में जो गृह मंत्री हैं माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया, ये पूर्व में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री भी थे, इन्होंने जब हमारे यहां चुनाव वर्ष 2015 पंचायती राज का हुआ, उससे पहले पुनर्गठन हुआ। उस पंचायती राज के पुनर्गठन में ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव, पंचायत समिति प्रधान का चुनाव, जिला परिषद के जिला प्रमुख का चुनाव, उसमें योग्यता की जो

(श्री जयराम जाटव)

कंडीशन रखी, उसमें गांव के लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। एक तो यह लाभ हुआ कि जिनकी जो पंचायती राज में दादागीरी थी न, पीढ़ी दर पीढ़ी, यही बनेगा, वही बनेगा, यही बनेगा, वही बनेगा, वह खतम हो गई और सबसे बड़ा जो लाभ हुआ ग्रामीणों को, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को हुआ और महिला को हुआ। आज हमारे यहां राजस्थान प्रदेश के इस पंचायती राज को, इसके चुनाव को, इसकी व्यवस्था को देखने के लिए बाहर के प्रदेशों के लोग राजस्थान में आते हैं और यह जानकारी करते हैं। हमारे यहां देहात में जो बहुत बड़ी कमी होती थी, आज पंचायती राज में कई जगह गड़बड़ या कई जगह मुकदमे हुए हैं, केस हुए हैं, उन्होंने जाली टी.सी. लगाकर चुनाव करा लिये। लेकिन वह बात अलग है। गलत करेगा तो पायेगा लेकिन इसका यह बहुत बड़ा लाभ ग्रामीणों को मिला।

माननीय सभापति महोदय, गांव का विकास कैसे हो। सड़कें, पानी, सफाई और रोजगार, ये सबको जोड़ना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2015 अक्टूबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से गांव में जाकर, ग्राम पंचायतों के माध्यम से वहां कैम्प लगाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण शिविरों में वहां की समस्याओं को सुना। सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके कर्मचारी वहां गये और वहां की जो ग्रामीणों की शिकायतें आईं, उसका बहुत बड़ा लाभ ग्रामीणों को मिला। बहुत बड़ा प्रचार-प्रसार हुआ। मैं स्वयं कई कैम्पों में गया। गांव के लोग पहले कहते थे कि मेरी पेंशन मिलती थी, वह बंद हो गई। कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कौन देगा? वहां प्रचार-प्रसार सब जगह हो रहा था कि आप ई-मित्र पर जाइये, जीवित प्रमाण पत्र का फार्म लगा दीजिये और वहां आपके आनलाइन एकाउंट में पेंशन आ जायेगी।

दूसरा, प्रधान मंत्रीजी नरेन्द्र मोदीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ताज्जुब कर गया, पहली बार हर ग्राम पंचायतों में टेलीफोन की लाइन डालकर चाहे वह पांच किलोमीटर की लाइन है, उस दूरसंचार विभाग से 10 किलोमीटर हो, चाहे पांच किलोमीटर हो, उस टेलीफोन की लाइन डालकर उस ग्राम पंचायत को आनलाइन कर दिया, नैट से जोड़ दिया। आज सारा काम, टोटल विकास कार्य वहां का जो काम है, वह सारा नैट से जुड़ा। आपकी पेंशन का काम है, चाहे वह छात्रवृत्ति का काम है, चाहे कुछ भी है, सुदृढ़ बनाने के लिए जो योजनाएं हैं, पहले कभी इतनी योजनाएं नहीं हुआ करती थीं।

(श्री जयराम जाटव)

मैं सन् 1988 में सरपंच रहा। हमारे कोई योजना नहीं थी। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने ''अपना गांव अपना काम'' के नाम से कुछ योजनाएं निकाली थीं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, यह कोई योजना नहीं थी नरेगा की और उसमें गांव के लोग अनाज लेकर जब अकाल होता था तो उसमें खुदाई करते थे रास्तों की, जोहड़ों की लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत सरकार का सीधा पैसा ग्राम पंचायतों को आता है। एमएलए लैड इसके माध्यम से दिया जाता है। मेवात विकास बोर्ड दिया जाता है। माडा योजना इसमें है। मगरा इसमें है। दूसरा, गुरु गोलवलकर योजना बहुत बड़ी अच्छी योजना है। इस योजना के माध्यम से विद्यालयों की चारदीवारी, श्मशान घाट, कब्रिस्तान की चारदीवारी या किसी भी तरह का भवन का निर्माण, आपके सामुदायिक भवन, वहां के लोग जिस कंडीशन से कहीं 30 परसेंट है, अनुसूचित जाति के मौहल्ले में 10 परसेंट राशि जमा कराकर उनके कल्याण के लिए, उनके लिए भवन बनाने के लिए राशि दी जाती है। यह बहुत बड़ी अच्छी योजना है। मेवात विकास बोर्ड को काफी दिन हो गये चलते हुए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ग्रामीण विकास मंत्रीजी को, यह मंत्रालय बहुत अच्छा मंत्रालय है। गांव की, गरीब की, किसान की सेवा का मंत्रालय है और यहां आकर छोटे-छोटे काम हैं, वह सीधा पैसा गांव के लोगों को मिले। महानरेगा है। गांव की महिला पहले तलाशती रहती थी, पुरुष तलाशते रहते थे, हम फ्री हैं, काम नहीं हो रहा...

(17.00 बजे)

यह बात ठीक कह रहे थे कांग्रेस के माननीय विधायक कि जो नरेगा में काम होते हैं गांव के ग्रेवल रोड्स के उसमें लेबर मलबा डालकर के चली जाती है लेकिन वो रास्ते कई बार अवरुद्ध टाइप हो जाते हैं। इनमें माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गांव में नरेगा का काम रास्तों में है उन रास्तों के नम्बर डाले जाएं, उनको चिह्नित किया जाए एक नम्बर, दो नम्बर, तीन नम्बर, चार नम्बर और उसमें मनरेगा के माध्यम से रोलर की व्यवस्था जरूर वहां की जाए और आगे चाहे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से रोड बने जब तक रोड गांव का नरेगा के माध्यम से नहीं बनेगा इसके बाद में पीडब्ल्यूडी में वो रोड स्वीकृत नहीं होगा चाहे मिसिंग लिंक दिया जाए। जब तक ये काम इस तरह के नहीं होंगे हर गांव

(श्री जयराम जाटव)

में हम जाते हैं तो एक गांव में 6-6 सड़कों की डिमाण्ड रहती है मनरेगा का पैसा बहुत है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं एक गांव में सामुदायिक भवन है और उस सामुदायिक भवन के अलावा दूसरा सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं तो एक पाबंदी लगा दी ग्राम पंचायतों में कि एक सामुदायिक भवन के अलावा दूसरा उस गांव में सामुदायिक भवन नहीं बनेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के मौहल्ले में जहां बड़ी-बड़ी आबादी है वहां डॉ. अम्बेडकर के नाम से भवन बनाये जाएं। उनके रोजगार के सृजन के लिए उनकी योजनाओं के लिए महिलाओं का समूह, पुरुषों का बुजुर्गों का समूह बना कर और उसमें सारी योजनाओं की जानकारी दी जाए क्योंकि अब उनके पास कोई और वहां बैठने के लिए उनकी बारात के लिए उनकी मीटिंग के लिए कोई पहले जो थड़ियां होती थी वो खतम हो गयीं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद इसलिए भी दे रहा हूं कि उन्होंने गांव में किया है जैसे पांच हजार से ज्यादा की आबादी के जो गांव हैं उनको स्मार्ट गांव बनाया जाए। अच्छी सारी सड़कें हों, लाइटें हों, सफाई हो और दूसरा उसमें जो काम हो वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हो। कुछ त्रुटि जरूर है माननीय सभापतिजी, यह बात ठीक कह रहे थे कांग्रेस के हमारे विधायक कि उन सरपंचों को हर तरह से पाबंद कर रखा है कि ऑनलाइन आपका टेण्डर है। अब ऑनलाइन कर रहे हैं चलो ठीक है अब चैक की उनकी पॉवर भी समाप्त कर रहे हैं। आखिर ग्राम पंचायत के सरपंच को थोड़ा बहुत तो पॉवर, पैसा तो बहुत है पैसा कम नहीं है विकास कार्यों की योजनाओं का जो पैसा है, एसएफसी है, टीएफसी है बहुत पैसा आ रहा है लेकिन इस पैसे को एक बार मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी, ग्राम पंचायतों के सरपंच जो आपकी पीएचईडी की स्कीम है जो पानी की चल रही है जेजेवाई की स्कीम, जनता जल योजना उसमें ग्राम पंचायतों के सरपंच बिल को जमा करा रहे हैं। वो आपने पिछली बार राशि 93 करोड़ राजस्थान को दी। अबकी बार इसमें राशि नहीं दी गई। ग्राम पंचायतों के सरपंचों का भी ज्यादा कसूर नहीं है उनके अकाउंट में पैसा नहीं है। एसएफसी का पैसा उस सफाई में खर्च कर दिया वहां गांव की जेजेवाई की जनता जल योजना स्कीम पानी की है वो बिजली के बिलों के कारण, उनके अकाउंट में पैसा नहीं होने से वो कटने के कगार पर है। इस राशि पर ध्यान दिया जाए। इसकी जानकारी करा लें आप। जब तक वो काम

(श्री जयराम जाटव)
नहीं हो पायेगा। जब तक गांव के लोगों को पीने के पानी की दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि अप्रैल आने वाला है और मई, जून में बड़ी दिक्कत है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। दूसरा पंचायती राज जब से 1995 में यह कानून बना उसमें ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव तो सीधा होता है। पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है और सदस्य चुनते हैं प्रधान को। जिला परिषद का सदस्य होता है और जिला परिषद सदस्य चुनते हैं जिला प्रमुख को, लेकिन यह इस तरह का जो चुनाव है इसमें बड़ा भेदभाव है 1995 के बाद में इस तरह के चुनाव से बड़ी गड़बड़ होती है कई बार हमने देखा सदस्य को हम पार्टी का टिकट देते हैं चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो और जब उसको दिखता है कि कहीं दूसरी जगह ठीक व्यवस्था है तो वो पार्टी छोड़ कर भाग जाता है चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। यह सीधा चुनाव प्रधान का जैसे नगर परिषद में नगरपालिकाओं में बीच में एक बार सीधा चुनाव चैयरमेन का कराया था ऐसे प्रधान का चुनाव भी सीधा होना चाहिए। इस तरह से जिला प्रमुख का चुनाव भी सीधा होना चाहिए। दूसरा इनके जो अब सदस्य आपने चुन लिये, पंचायत राज में जो पंचायत समिति के सदस्य हैं केवल वोट डालने के बाद में फ्री हैं वो उसको पांच साल कोई पूछने वाला नहीं है। उसको यह भी पहचान कर दी जाए कि उसको एक पॉवर दे दें कि गांव का आदमी कोई मोहर लगाने आए, जाति प्रमाण पत्र के लिए निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई पूछे कि आप कोई सरपंच से मोहर लगा कर लाओ तो उन पंचायत समिति सदस्यों को कोई पूछता ही नहीं है। इस तरह से जिला परिषद के सदस्यों को भी इस तरह की पॉवर दी जाए।

माननीय सभापतिजी, ठीक है मनरेगा में, आपके जो ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं होती हैं उनके माध्यम जो ग्राम सभा में योजनाएं बनती हैं उनकी जो प्रायोरिटी वाइज आपकी योजना के माध्यम से उनके विकास कार्य होते हैं यह अच्छी बात है। यह शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन सरपंच को जैसे नरेगा में आपका जो काम है आपका वहां पेड़ लगाने का काम है किसान को सीधा दे रहे हैं आपका रोड बनाने का, डोलबंदी का है, काम बहुत

(श्री जयराम जाटव)

हैं लेकिन कच्चे कामों से अब काम होने वाला नहीं है।

माननीय सभापतिजी, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ग्रामीण विकास मंत्रीजी का कि हमारे यहां मिसिंग लिंक्स की सब जगह राजस्थान में रोड्स की मांग है। मनरेगा में कुछ काम पक्कों को भी लिया जाए। सफाई में उनकी व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतों का सब जगह पैसा सफाई में नहीं लग पाता। अब नालियां आपकी जो ग्रामीण गौरवपथ है, नालियां बना दी, सारी अवरुद्ध है। उनकी सफाई की व्यवस्था के लिए कुछ व्यवस्था, उनकी योजनाएं इसमें जो लिखा है पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन इनकी राशि की कहीं न कहीं व्यवस्था करके इनकी राशि बढ़ाई जाए, वरना पंचायती राज को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। गांव का राज गांव में रहे। गांव का कानून बने, गांव अच्छा हो, फले-फूले वरना गांव के लोग निकल करके शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं इसमें नरेगा के साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए मैंने जो दो बात कहीं और...।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्या, श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-28 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पंचायती राज विभाग के मंत्री माननीय राठौड़ साहब का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने राजस्थान प्रदेश के गरीब, मजदूर किसान को राहत पहुंचाने के लिए 14 अक्टूबर, 2016 से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जिसमें 9593 ग्राम पंचायतों में गांव के मजदूर, किसान, गरीब को राहत मिली।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान एक जन आंदोलन के रूप में उभर रहा है। इस अभियान की पूरे भारत में प्रशंसा हो रही है। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में प्रथम चरण में दो ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के तहत लाखों रुपये के कार्य हुए। दो पंचायतें डबलीवास मोलवी और डबलीवास मिडारोई में जो जोहड़ का है वो

(श्रीमती द्रोपती)

उदाहरण है। सभापति महोदय, मनरेगा के कार्य योजना की शुरुआत गत कांग्रेस सरकार के समय हुई, परंतु कांग्रेस सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य नहीं करवाये सिर्फ और सिर्फ गड्ढे खुदवाये। सरकार ने गरीब जनता का पैसा बरबाद किया। सभापति महोदय, प्रदेश में कार्य तो हुए नहीं और गड्ढे खुदवा दिये गये। आप सदन में भी देख लो कांग्रेस भाइयों की उन गड्ढों की वजह से आज क्या दुर्गति हो रही है। सभापति महोदय, यह दुर्गति राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत के अन्दर हो रही है और राहुल गांधी जहां-जहां प्रचार के लिए जाते हैं वहां-वहां बीजेपी की सरकार आती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा मन की बात के दौरान छोटी-छोटी बातें घरेलू बातें के द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो देश के अन्दर ऐसा प्रभाव डालने के लिए कि मेरे देश की जनता किसी भी तरह से आगे बढ़े। मेरे देशवासियों को पूरी सुविधा मिले। पूरे देशवासियों के लिए खाने के लिए भोजन हो, रहने के लिए मकान हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, पढ़ने के लिए उचित शिक्षा हो आदि व्यवस्था मेरे देशवासियों को मिले, इसी चिन्ता में हमारे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश की चिन्ता करते हैं और इसी तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना लेकर सूखे राजस्थान को हरियाली में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं मांग करती हूं कि मेरी पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांव आज से लगभग 50 से 70 वर्ष पूर्व से बसे हुए हैं। वहां पर लोगों ने अपने मकान, आशियाना बना रखा है। सभापति महोदय, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में सेम की बहुत बड़ी समस्या है। सेम आ जाने से लोगों ने अपने घर दूसरे स्थान पर बना लिये। जैसे ग्राम पंचायत मांथडी, बड़ोपल, झाखड़ावाली इत्यादि गांवों में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनओं से लाभ नहीं मिल पा रहा लेकिन वहां पर सरकारी भवन, पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, वाटर वर्क्स, विद्यालय, पटवार घर आदि बने हुए हैं। लेकिन वहां के जो गरीब लोग दूसरी जगह बसे हैं उन लोगों के न तो अभी तक पट्टे जारी हुए हैं और जो बीपीएल परिवार हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे ही मेरी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीलीबंगा गांव की मैं बात करुं, तो पीलीबंगा गांव में दो मुरब्बा वन विभाग की भूमि में लगभग 100 वर्ष पहले से बसा हुआ है। वहां पर राजकीय विद्यालय भी है, उप स्वास्थ्य केन्द्र भी है, अटल सेवा केन्द्र भी है।

(श्रीमती द्रोपती)

वहां पर सरकार ने भवन तो बना दिये मैं मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगी कि पीलीबंगा गांव में जो लोग वर्षों पहले वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं, उन्हें आबादी में कन्वर्ट किया जाये ताकि उनको जो राजकीय जन कल्याणकारी योजनाएं है, उनका लाभ मिल सके।

इसी तरह से मेरे गांव खोडा में भी वन विभाग और जोहड़ पायतन की भूमि पर बसा हुआ है। लगभग 100 वर्ष पहले से यह गांव बसा हुआ है। गांव में जोहड़ की अलग से भी भूमि है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करुंगी कि जब वहां जोहड़ की अलग से भूमि बनी हुई है तो जिन लोगों ने वहां पर घर बना रखा है, जो लोग वहां पर बसे हुए हैं, उनके पट्‌टे जारी किये जाये। इसी तरह से गांव बुद्धवालिया में, जब भी वहां से जनप्रतिनिधि वहां से चुन कर आता है तो वह एक ही मांग रखता है कि हमारी जो वन भूमि है या जोड़ पायतन की जगह है गरीब लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाता, अगर वहां पट्‌टे जारी कर दें तो उनका लाभ उनको मिल जाये। इसी तरह से डबलीचुक्का है, चकलबाना है, इन गांवों में भी वन विभाग की बहुत बड़ी समस्या है, इसको दूर किया जाये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करती हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बसे हुए लोगों के भूखण्ड़ में पट्‌टे निशुल्क दर से बनाये जाते हैं। उनके कब्जेनुसार भूखण्डों के पट्‌टे रियायती दर पर बनाये जाये तो वह अपने लिये एक उपलब्धि होगी। जिन गांवों में जोहड़ बने हुए हैं उनको पक्का किया जाये व जोहड़ पायतन भूमि पर जोहड़ तक सड़क भी बनाई जाये।

सभापति महोदय, मैं एक मांग और करती हूं कि जिन नरेगा मजदूरों को कार्य नाप कर दिया जाता है उन्हें पूरा करने के बाद अगर उनको घर जाने की इजाजत दी जाती है तो नरेगा कर्मी कार्य के प्रति गंभीर रहेंगे और कार्य भी ज्यादा करेंगे। उनको मजदूरी कम मिलने की समस्या है, वह भी दूर हो जायेगी। नरेगा के तहत प्राथमिक विद्‌यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चार दीवारी भी बनाई जाये, यह भी उचित रहेगा। पंचायती राज मंत्री व सदन से मैं मांग करती हूं कि ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा बजट उपलब्ध कराये व विधायक कोटा जो प्रति वर्ष 2 करोड 25 लाख रुपये है, इसे बढ़ा कर 5 करोड़ किया जाये।

(श्रीमती द्रोपती)

सबका साथ सबका विकास को लेकर जो हम काम करते हैं, अंत में मैं कहना चाहूंगी पग-पग पर कांटे बिछे हुए, व्यवहार कुशलता हम में है। विश्वास विजय का अटल लिये, निष्ठा कर्मठता हम में है। विजयी पुरखों की परम्परा अनमोल हमारी ख्याति है। अब जाग उठो, कमर कसो मंजिल की राह बुलाती है। हम सबकी एक ही मंजिल है, वह है भारत माता की जय, भारत माता की जय, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम व मांग संख्या 49 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास का सपना आजादी के 70 साल बाद जब भी चुनाव होते हैं, जब भी सरकारें बनती है तो एक ही ढिंढोरा पीटते हैं कि गांवों का विकास होना चाहिये, किसान मजबूत होना चाहिये। ग्रामीण विकास पर हर बजट का जोर रहता है और जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं वह गरीबी उन्मूलन की सर्वोपरि चिंता रखती है, मगर आंकड़ेबाजी में ही गांव का विकास हो रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि गांवों के मूल सौंदर्य और स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है इसलिए हम सभी को गांवों के मूल स्वरूप को बचाने के लिये चिंतित होने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, आज गांव में लोगों की आजीविका का जो सबसे बड़ा साधन है, वह खेती है। राजस्थान में अपन हनुमानगढ़, गंगानगर और कोटा के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो ज्यादातर खेती बरसात पर निर्भर करती है। या जहां ट्यूबवैल और कुओं में मीठा पानी है, वहां भी डार्क जोन की आड़ में किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ पड़ती है। अगर अपन वास्तव में गांवों का विकास चाहते हैं कि गांव का आदमी आगे बढ़े, किसान का बेटा आगे बढ़े और वह सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिये ही किसान के बेटों को याद नहीं किया जाये, निश्चित रूप से गांव में खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाये, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र में बढ़े और नदी नालों को जोड़ कर अगर अमली जामा पहनाया जाए तो निश्चित रूप से गांव का, किसान का विकास होगा। चूंकि गांव में आय का प्रमुख स्रोत खेती है और दूसरा एक माइनिंग है। सभापति महोदय,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माइनिंग पालिसी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी कही थी कि माइनिंग पालिसी हम लेकर आयेंगे, लेकिन आज भी हजारों की तादाद में गांवों में लोग हैं जो छोटा मोटा चेजा पत्थर निकाल कर या जिनके खेत में संसाधन हैं, वह उन पर ही निर्भर है। मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि माइनिंग पालिसी में भी कुछ चेंज करके, बड़ी कंपनियों को अपन जमीन देते हैं इसके बजाय अगर खातेदारी में पट्टे दिये जाए तो निश्चित रूप से जिस तरह से जिप्सम के पट्टे आपने कोलायत क्षेत्र में दिये थे, यह लाइम स्टोन और चेजा पत्थर और दूसरे जितने भी हमारे खनिज हैं, इनके पट्टे अगर किसानों को दिये जाये तो निश्चित रूप से गांव के विकास में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। एक हमारे वन क्षेत्र को बढ़ाया जाये क्योंकि वनों से भी कई गांव जो ट्राइबल बैल्ट के हैं, वन क्षेत्रों से ही उनका जीवनयापन होता है।

सभापति महोदय, आज भी गांव में स्कूल अच्छे नहीं है। आज भी गांव के सरकारी स्कूल के हालात क्या है। गांव का विकास कहां से होगा जब गांव की सरकारी स्कूल अच्छी नहीं होगी तो किसान कहां अपने बच्चे को पढायेगा। गांव में अच्छे स्कूल हो, गांव में अच्छा अस्पताल हो जहां उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, अच्छा इलाज उसको मिल सके।

खेलों की सुविधा भी गांव में हो। आज ओलम्पिक एशियाड होते हैं तो सबकी इच्छा होती है कि ओलम्पिक में हम पदक जीत जाए, लेकिन गांव से जो शुरुआत होती है, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास राजस्थान की सरकार और देश की सरकार नहीं करती। बजट में खेलों को तो टाल दिया जाता है। खेल की जब बात आती है तो वह लास्ट में आती है कि खेलों में भी यह किया जायेगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गांव में खेलों को और रोजगार के साधन सृजित किये जायें, क्योंकि ¾ आबादी गांवों में है और गांवों में कोई आय का स्रोत नहीं, सिंचाई के साधन नहीं, वहां लोग बिलकुल खाली बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं गांव की चौपाल में, राठौड़ साहब जानते हैं सारी बात। किस तरह उन लोगों को शहर में पलायन करने से रोका जाये, इस देश की आबादी बढ़ रही है लेकिन शहरी क्षेत्र में आबादी का दवाब शहरी क्षेत्र में जो भी बाहरी कालोनियों में गांव के लोग आकर रोजगार की तलाश में आए हैं, वह शहरों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

में बस गये हैं और गांव खाली हो रहे हैं। सभापति महोदय, गांवों को खाली होने से हमें रोकना है। गांव में रोजगार के साधन कैसे सृजित हों, इस दिशा में सरकार को निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिये। सभापति महोदय, आज भी हमारे गांव के किसान के बेटे इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और आंतरिक सुरक्षा में भी गांव के लड़के आये दिन शहीद होते हैं। जांबाजी से इस देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, दोनों की लड़ाई कोई लड़ता है तो वह किसान का बेटा इस देश की और प्रदेश की लड़ाई लड़ता है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से दूसरा निवेदन था जितने भी डार्क जोन राजस्थान में है, एक कमेटी बनाकर जहां जल स्वावलंबन आपने चलाया है, आप खुद ही कह रहे हो, आप एडमिट कर रहे हो कि जल स्वावलंबन से राजस्थान में पानी रीचार्ज हुआ है, तो निश्चित रूप से डार्क जोन का वापस सर्वे करवा कर जिन इलाकों में डार्क जोन की आवश्यकता नहीं है। पीने का पानी अगर हजार फीट से नीचे चला गया, वहां पर तो आप डार्क जोन रखो। जहां पर चार सौ-पांच सौ फिट पर पानी है, उनको भी डार्क जोन के अंदर डाल दिया। लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं होगा तो क्या करेंगे, पलायन करेंगे। इस पर भी आपको पुन: विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, आज गांवों के अंदर तीन-चौथाई आबादी है। गांवों के विकास में सरकार को किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर राजस्थान की सरकार गांव को मजबूत दिशा में कैसे लेकर जाएं, इस दिशा में काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, 'देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलियानों से होकर गुजरता है', यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था। क्यों, डाक्टर साहब कहा था कि नहीं कहा था? सभापति महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गांवों में चल रही है। मनरेगा योजना के अंदर प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 183 रुपए है, लेकिन कहीं तो बीस रुपए आता है, कहीं पचास रुपए, कहीं सौ रुपए और कहीं तो मजदूर नहीं मिल रहे हैं। सभापति महोदय, अगर कहीं मजदूर मिलते हैं तो छह-छह आठ महीने तक मजदूरों का नरेगा का भुगतान नहीं किया जाता। इसकी वजह से लोग इससे ऊब गए और कई जगह ऐसा हो गया कि सरपंच एक व्यक्ति को लगातार रोजगार देता है और एक परिवार को बिलकुल अलग-थलग कर देता

(श्री हनुमान बेनीवाल)
है। सभापति महोदय, नरेगा के कार्यों में भारी धांधली हो रही है।

सभापति महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 31 मार्च, 2017 तक 50 प्रतिशत गांवों को ओ.डी.एफ., स्वच्छ मुक्त करने के लक्ष्य की जो बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह एक अच्छी बात है। इस देश के अंदर एक अच्छी योजना है, लेकिन राठौड़ साहब 12 हजार रुपए में शौचालय नहीं बनता। बजरी कितनी महंगी हो गई, ईंट, सीमेंट, सारी व्यवस्थाएं..। इसके अंदर वास्तव में आप अगर आँकड़ों में ओ.डी.एफ. घोषित कराना चाहते हो तो वह तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रगति-प्रतिवेदन भेज देना, हम पढ़ लेंगे। वापिस आ जाएंगे, भाषण हो जाएगा, पर इससे गांव आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वास्तव में इस गांव का विकास चाहते हो, हिंदुस्तान का विकास चाहते हो तो ओ.डी.एफ. ओरिजनल किस तरह हो? कम-से-कम पचास हजार रुपए शौचालय के लिए जो कि आपका स्वच्छ भारत का मिशन है, उसके लिए दिया जाए, तो निश्चित रूप से लोग अपना काम करेंगे।

विद्यार्थी मित्र को ग्राम सहायक बनाने की अभी आपने योजना चलाई। आनन-फानन इसमें ऐसा किया कि न तो इसमें आरक्षण का प्रावधान रखा और हैडमास्टर को सारी पंचायतें सौंप दी। सभापति महोदय, जो 26 हजार विद्यार्थी मित्र थे, उन पर तलवार लटक गई। अगर वे सैट हो जाते और विद्यार्थी सहायक लग जाते तो निश्चित रूप से गांव के विकास के अंदर एक गति मिलती।

भूमिहीन नरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। जॉब कार्ड के सर्वे के संबंध में जिला अफसर मनमानी कर रहे हैं। हालत यह है कि जयपुर सहित पाँच जिलों में तो अभी एक भी परिवार का सर्वे नहीं किया गया। सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना के अनुसार राज्य में 20.63 लाख भूमिहीन श्रमिकों के विरुद्ध अभी तक प्रदेश में मात्र 1.57 लाख परिवारों का सर्वे किया गया। सिर्फ झालावाड़ जिले में सर्वाधिक 16732 परिवारों का सर्वे हुआ है।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही, जिसमें आज भी पात्र लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है। प्रदेश में आज भी इंदिरा आवास व मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के ढाई लाख आवास बकाया हैं।

सभापति महोदय, मैं जिस जिले से संबंध रखता हूं, उस नागौर की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पावन धरा से पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसलिए नागौर में पंचायती राज शोध संस्थान की स्थापना हो। सदन की नेता ने वहां कहा था कि यहां होगी। तो जल्दी से इसकी स्थापना होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जलग्रहण योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस योजना में लापरवाही बरतकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। इस योजना में संविदा पर जो लोग लगे हैं। कार्मिकों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2013 में निकाली गई भर्ती कनिष्ठ लिपिक एवं अधीनस्थ सेवा के पदों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार भर्ती प्रारंभ की जाए।

सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रों में निर्माण हो रहा है। आवासों की रफ्तार धीमी है। एस.एफ.सी.टी.एफ.सी. योजनाओं के पैसे पंचायतों में संबंधित अधिकारियों (व्यवधान) दो मिनट करने दो। दो मिनट कुछ आंकड़े तो पढ़ूं साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, हां एक मिनट।

एक माननीय सदस्य: किसानों की तौहीन कर रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डाक्टर साहब बोल दिया। रूक तो जाओ। ट्रेक क्यों चूका रहे हो। एस.एफ.सी.टी.एफ.सी. योजनाओं के पैसे पंचायतों में संबंधित अधिकारियों द्वारा समान रूप से नहीं किया जाता है, इस ओर मैं मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आपने रख दिया कि सांसद किसी गांव को गोद ले लेगा, लेकिन सरकार उसमें अलग से पैसा नहीं दे रही है और सांसद को ही उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अंदर सरकार अपनी तरफ से भी अलग से वित्तीय व्यवस्थाएं करें। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) में 1162 किलोमीटर लंबी अन्तरराष्ट्रीय सीमा के लिए शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने के बावजूद सड़कों का समुचित विकास और रखरखाव नहीं है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट। इस योजना में 60 और 40 के अनुपात में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना की 10 प्रतिशत राशि में समता समर्थन व प्रशिक्षण पर व्यय करने का प्रावधान है। परंतु इसे खर्च करने में तरीके व प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2015-16 के 18500.62 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के विरुद्ध 19073.54 लाख रुपए व्यय किए गए, जिसमें 532 कार्य पूर्ण किए गए। 2016-17 में 10362.33 लाख रुपए के पूर्ण कराए गए, परंतु धरातल पर यह नदारद है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पंचायत योजना, एम.ए.जी.पी.वाई. आज ये केवल योजनाएं बना रहे हैं। इनमें आपने एक भी बजटीय प्रावधान नहीं किया। उद्देश्य, कार्य नीति, आयोजना के उल्लिखित किया। बजट संसाधनों के लिए आज दूसरी योजनाओं पर निर्भर है जैसे एम.पी., एम.एल.ए., स्थानीय क्षेत्र योजना, सी.एस.आर. फंड, केंद्रीय व राज्य सरकार को अन्य योजनाओं में से कन्वर्जन तथा जन भागीदारी। अगर जन भागीदारी से ये योजना चलानी है तो सरकार का क्या महत्व है?

श्री सभापति: धन्यवाद। आपने सब कवर कर दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट।

श्री सभापति: धन्यवाद। प्लीज खतम करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नगरीय पर दो मिनट बोल देता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर जो पंचायतों के चुनाव हुए। राठौड़ साहब, आप इस बात को गंभीरता से लेना कि फर्जी टी.सी. के सर्वाधिक प्रकरण हुए (व्यवधान) आपको मेरे से क्या तकलीफ है? बोलने दो न।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य एक मिनट में पूरा करें बस।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट तो खा ही गए। सभापति महोदय, फर्जी टी.सी. के जितने प्रकरण हुए हैं। इनकी पूरी जांच हो गई। न्यायालय के अंदर चालान हो गया और चार्ज सुना दिया गया कि उन सरपंचों को तुरंत बर्खास्त करें। भ्रष्टाचार के जो भी मामले लंबित हैं, इसके अंदर लोग हाइकोर्ट से स्टे लेकर बैठ गए। कहीं ग्राम सेवक चला गया, कहीं सरपंच स्टे लेकर बैठ गया। इसमें सरकार को पुरज़ोर तरीके से पैरवी करनी चाहिए और दोषी लोगों को..।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक लास्ट। आप जो जल स्वावलंबन योजना चला रहे हो, इसके अंदर अनटाइड फंड का पैसा जो जनसंख्या के आधार पर मिलता है। आप पूरा का पूरा कल्प करके उसको डाल रहे हो। जल स्वावलंबन के नाम से जो चिंता करके आप चला रहे हो, इस योजना को भी विशेष रूप से..।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य धन्यवाद। श्री अमृतलालजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, लास्ट में यही कहूंगा कि राजस्थान में जो सरपंच संघर्ष कर रहें। सरपंचों ने लंबा आंदोलन किया और कांग्रेस राज में सरपंचों पर लाठी चार्ज भी हुआ था। बुलाया था, मुझे आज भी याद है। तब हम लोग गए थे। सभापति महोदय, मुख्यमंत्रीजी ने खुद यह घोषणा की थी कि बी.एस.आर. दर पर सामग्री खरीद का आदेश परसाइज किया जाए। सरपंचों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10000 किया जाए।

श्री सभापति: काफी आ गया। काफी सदस्यों ने रखा है।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या -28 पर बोलना चाह रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एम.एल.साहब एक मिनट। एक मिनट। राज्य वित्त आयोग एवं 14 वें वित्त आयोग में जारी निर्देशों में सुरक्षा गार्ड के मानदेय के निर्देश प्रदान नहीं किया। विभिन्न आयोजनों के व्यय पर मात्र 15 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत (व्यवधान) आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को जब हमारे राजस्थान के नागौर जिले में हुई। उस समय से लेकर आज तक हमारे पंचायती राज विभाग में, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीजी स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को, वर्तमान में गृह मंत्रीजी को जो कि पंचायती राज विभाग के पंचायती राज मंत्री थे और वर्तमान में हमारे पंचायती राज मंत्री राठौड़ साहब को, हमारा प्रतिपक्ष बड़ी-बड़ी बातें करता है। हमने दो बार पंचायती राज विभाग का पुनर्गठन किया।

(श्री अमृतलाल)

एक 1992-93 में और दूसरा 2014-15 में पुनर्गठन करके हमारे राजस्थान में बड़ी-बड़ी पंचायतें थीं, उनको छोटी करके 773 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया। मैं इसके लिए कोटि कोटि बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। पंचायती राज विभाग सर्वाधिक क्रियाशील विभाग है। सरकार के अधिकांश कार्य पंचायती राज विभाग से होते हैं। इनको धरातल पर ले जाने के लिए इस विभाग के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल कर सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजना को धरातल पर लेकर जाना बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग की कुछ महत्वपूर्ण कार्य योजना संचालित की जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि योजना का सही रूप से जनता को लाभ मिले। प्रशिक्षित स्टाफ का होना आवश्यक है। पंचायती राज विभाग में त्रि स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच प्रतिनिधि के साथ-साथ ग्राम सचिव, कनिष्ठ लिपिक, रोजगार सहायक, बढ़ते कार्यभार को आसानी से अमली जामा पहनाया जा सकता है। पंचायत स्तर पर विकास अधिकारी के रूप में आरडीएस, राज्य सेवा के अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। जेईएन, एईएन और इस प्रकार अन्य विभाग लागू नहीं, नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, भामाशाह योजना, स्वच्छ भारत योजना, मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में क्रियान्वयन निचले स्तर पर हो जाना चाहिए। पंचायती राज के संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए अधिकांश जिला परिषद में पद खाली पड़े हैं उसको भी भरने की जरूरत है। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से मेरी अपील है कि पंचायती राज विभाग में सचिव व अन्य कर्मचारियों की कमी है,जिससे भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है वह धरातल पर नहीं आ पा रही है। जैसे अपना खेत अपना काम, व्यक्तिगत कार्य केटेगिरी फोर है जिसमें तीन लाख का व्यक्तिगत कार्यों के लिए पशु शैड, कुआं खोदना, धोरा, समतलीकरण। हमारा क्षेत्र पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। एक व्यक्ति के पीछे एक कुआ दिया जाना चाहिए, ताकि सही तरीके से करेंगे।

शौचालय, खेल मैदान का निर्माण, स्कूल की मरम्मत और बाउण्ड्री वाल भी नरेगा के अन्तर्गत दी जानी चाहिए। यह मेरा सुझाव है, आप अवश्य मानेंगे। नरेगा योजना के अन्तर्गत खेतों में तारबंदी होना बहुत जरूरी है।

(श्री अमृतलाल)

फसल रोजड़ों से बरबाद हो रही है। ग्रामीण गौरव पथ की तरह नरेगा में आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा हमें प्रत्येक पंचायत स्तर पर नरेगा के अन्तर्गत निर्माण कार्य मिले। सड़कों का निर्माण हो, पुलिया का निर्माण हो, नदियों के ऊपर रपटों का निर्माण हो। नरेगा के माध्यम से तालाबों का निर्माण हो, व्यक्तिगत कुओं की स्वीकृति मिलनी चाहिए। पुराने कुएं हैं उनको गहरा करने के लिए स्वीकृति जारी होनी चाहिए। जितने भी सार्वजनिक कुएं, बावड़ियां हैं उनकी स्वीकृति भी मिले। नरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान घाट का निर्माण कराया जाना चाहिए।आपके विभाग के माध्यम से 2011 की सर्वे की सूची बनी है उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं उनको भी सुधारा जाए। आवास, शौचालय, गैस के मामले में।

एक बहुत बड़ी बात है कि विधायक मद से पैसा मिलता है, हमारे बहुत बड़ी-बड़ी पाल है, उनको सामुदायिक भवन देना चाहते हैं लेकिन राजस्व गांव एक होने की वजह से, कई समाज रहते हैं, हम उनको नहीं दे पाते। दो से ज्यादा उसकी भी स्वीकृति आपके द्वारा होनी चाहिए।

इसके अलावा मेरी आपसे अपील है। कुछ कमियां भी हैं, शौचालय बन गए लेकिन अभी तक राशि नहीं मिली है। पंचायत समिति में संविदा कर्मी लगे हैं वह पैसे लेकर फिर मस्टररोल जारी करते हैं, यह समस्या है, उसको भी आप दिखवाए। एफटीओ करने के कारण एक-एक, दो-दो साल लगा देते हैं जिससे भुगतान नहीं हो पा रहा है।

2010-11 में जो आवास बने हैं, इंदिरा आवास, उसकी दूसरी और तीसरी किश्त जारी नहीं हुई है। लोगों के मकान बना देने के बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। टीएसपी क्षेत्र में नरेगा की तारबंदी की बात मैंने आपसे कह दी है।

अंत में मैं हमारे पंचायती राज मंत्रीजी को यही कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी पंचायती समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, कई सदस्यगण ने कहा है, उनको कुछ न कुछ अधिकार दिया जाए। उनको अधिकार नहीं दें तो प्रधान, प्रमुख का चुनाव सीधा हो।

माननीय मंत्रीजी से अंत में मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतों में टैंडर प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। इस प्रक्रिया से सरपंचों को काम करने में

(श्री अमृतलाल)

काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ आम जन को नहीं मिलने में विलंब हो जाता है। पूर्ण लाभ नहीं मिलने से आम जनता में गलत संदेश जाता है।

मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करता हूं कि आप आज ही सदन में घोषणा करें कि बीएसआर रेट के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों में सरपंचों को काम करने की छूट प्रदान की जाए। टैंडर प्रक्रिया को बंद किया जाए। पंचायतों में बी.सी लगे हैं, बैंक से पैसा लाकर घूमते फिरते हैं, उसको वहां बुलाएंगे, यहां बुलाएंगे, सही समय पर पेमेंट नहीं कर रहे । उसके ऊपर भी सरकार, पंचायती राज विभाग को या जो भी आप तय करें, उन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अटल सेवा केन्द्र पर बैठे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपको धन्यवाद। वैसे मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला क्योंकि मुझे पंचायती राज मंत्रीजी की काबिलीयत पर पूरा भरोसा है। वैसे भी यह विभाग को बहुत आगे ले जाएंगे। मैं कुछ छोटी मोटी बातें इनके ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदय, जब पहली बार रोजड़ों की समस्या के बारे में अपन बात कर रहे थे तो सरकार ने जवाब दिया था कि नरेगा में बाड़ाबंदी के लिए केन्द्र सरकार को लिखेंगे लेकिन मुझे लगता है अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार को हमारी समस्या को बताते हुए बाड़ाबंदी करने की मंजूरी मिल जाए, ऐसा एक पत्र आप केन्द्र सरकार को भिजवाए।

दूसरा, मेवाड़ संभाग में पहाड़ हैं, नाले हैं। गांव ऐसे बसे हुए हैं कि कहीं पर गांव एक तरफ है तो खेत दूसरी तरफ। कहीं पर गांव एक तरफ है तो स्कूल दूसरी तरफ, वहां पर पुलिया की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। नदियों, नालों को पार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिया बनाने की स्वीकृति नरेगा में हो, ऐसा मुझे आपसे निवेदन करना है। इसमें हम लोग डावटेल भी कर सकते हैं हमारे एमएलए फण्ड से, लेकिन फिर भी ज्यादा से

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

ज्यादा स्वीकृति हमें इस बात की मिले।

अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन की बात कर रहे थे कि यह पैसा वेस्ट हो रहा है। मैं मेरी एक पंचायत का उदाहरण देना चाहता हूं। उस पंचायत में जब जल स्वावलम्बन का काम चला उसके बाद उस पंचायत की तीन-चार टयूबवैल दो महीने तक ओवर फ्लो होती रही। इतना पानी उस जल स्वावलम्बन प्रोग्राम के बाद, उस क्षेत्र में बढ़ा, तो निश्चित तौर से यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इसको और पंचायतों में हमको बढ़ाना चाहिए क्योंकि आप अभी 6-6 पंचायतें ले रहे हो। चुनाव को अब डेढ़ साल है, तो 12 पंचायतें हुई, तो हमें ज्यादा पंचायतों को इसमें लेना चाहिए ताकि सभी पंचायतें इसमें कवर हों।

दूसरी समस्या मेरे क्षेत्र में यह है कि वहां पर ग्रामदानी गांव भी हैं। एक तरफ तो ग्रामदानी है, वहां पर अध्यक्ष चुने जाते हैं। एक तरफ पंचायत है जहां पर सरपंच चुना जाता है। तो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर हो रहा है। ग्रामदानी वाले भी अपनी ठेकेदारी करते हैं और सरपंच भी अपनी लगाता है। ग्रामदानी वाले किसी को मना कर दे तो सरपंच कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ड्युअल मामला चल रहा है इसको रोकने के लिए या तो ग्रामदानियों का पंचायतों में विलय हो जाए या फिर ग्रामदानियों को पूरा अधिकार दिया जाए। ग्रामदानियों में तय तो यह था कि हर तीन साल में चुनाव होंगे लेकिन ग्रामदानी के चुनाव हुए वर्षों हो गए। पंचायती राज में तो आपने लगा दिया कि आठवीं, दसवीं पास होना चाहिए लेकिन वहां पर शिक्षा का कोई मापदण्ड नहीं है। वहां पर अंगूठा छाप अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से आपको इस पर कुछ विचार करना चाहिए।

जनता जल योजना के बिजली बिल की बात तो पूर्व में काफी लोग बता चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका कुछ न कुछ हल निकालना चाहिए। नहीं हो तो हम एमएलएज को कहो। हमको हक दे दो कि हम एक बार तो उनके बिजली के बिल भर दें। बहुत सी जनता जल योजनाएं इसलिए बंद पड़ी हैं क्योंकि उसका बिजली का बिल पंचायतें जमा नहीं करा रही।

सभापति महोदय, मेरी पंचायत समिति उदयपुर ज़िले की सबसे बड़ी समिति है। 52 पंचायतें हैं। उसकी दो पंचायत समितियां बन जानी चाहिए थी

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

लेकिन उस समय माननीय कटारिया साहब पंचायती राज मंत्री थे, इन्होंने पता नहीं क्यों उस समय नहीं बनाई। जबकि 20-20 पंचायतों की पंचायत समिति बन गई।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार इसके बारे में भी विचार करके, अब क्योंकि सरकार ने निर्णय ही ले लिया है कि जहां पर पंचायत समिति होगी, वहां पर तहसील होगी और जहां पर तहसील होगी वहां पर पंचायत समिति होगी तो निश्चित तौर से वल्लभनगर में एक नई पंचायत समिति की घोषणा करवायें तो बहुत अच्छा रहेगा।

दूसरा यह कि ओ.डी.एफ. हुई पंचायतें, जब हम किसी पंचायत को ओ.डी.एफ. करते हैं तो वहां पर घोषणा करते हैं कि 20-25 लाख रुपये सरकार अलग से ओ.डी.एफ. करने के लिये देगी। लेकिन न तो आपने इसकी कोई नीति बनाई है, न यह तय किया कि इनको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। अगर पैसे नहीं दे रहे तो ऐसी घोषणाएं नहीं करें। क्योंकि मेरे क्षेत्र में चार-पांच पंचायतों को हमने ओ.डी.एफ. किया। वहां पर अधिकारी आये, उन्होंने कहा कि आपने ओ.डी.एफ. कर दिया, आपको 20 लाख रुपये सरकार की तरफ से आयेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने इसकी कोई नीति बनाई है। इसलिये इस पर भी आपको कोई निर्णय लेना चाहिये।

मैं इतनी ही बात करके विश्वास रखता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन बातों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, कृपया 10-15 मिनट का समय मुझे दें, ताकि जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वे माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाई जा सकें। आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे निवेदन करूं।

श्री सभापति: मेरा निवेदन यह था, कृपया आप विराजें। आप एक मिनट के लिये विराजें। मेरा निवेदन यह था कि आप करीब-करीब सभी डिमाण्ड्स पर बोले हैं और आपका आज महत्वपूर्ण विषय है, आधे घण्टे की चर्चा का है। आप उस पर अपनी बात कहेंगे। वह अलग विषय है, लेकिन है आपका, आधे घण्टे की चर्चा का विषय है, उसमें रहेंगे। ...(व्यवधान)... अब

(श्री सभापति)

काफी, आप सभी डिमाण्ड्स पर बोले हैं, आप और मनोजजी। कभी कोई डिमाण्ड आपकी नहीं छूटी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय सभापतिजी, कि मैं कुछ नवीन बात कहूंगा। महत्वपूर्ण बिंदु माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री सभापति: आज के समय को देखते हुए आप बता देना मंत्रीजी को। आज अभी मंत्रीजी को पुकार रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह मंत्रीजी को बताने का मुद्दा नहीं है। जो बात सदन में कही जाती है, उसका महत्व अलग है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 5-10 मिनट का तो दें, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। हमारे कोई भी नहीं। ...(व्यवधान)... हां, नहीं हूं, कल भी नहीं बोला, परसों भी नहीं बोला हूं, सभापति महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आज राजस्थान दिवस का कार्यक्रम है। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं बोला हूं। आप देख लें मेरा, मैं कल भी नहीं हूं और पिछली डिमाण्ड में, दोनों में नहीं हूं।

श्री सभापति: इनको बोलने दें। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): वन, पर्यावरण पर भी नहीं हूं और मेडिकल पर भी नहीं हूं। और हमारी पार्टी का कोई भी ...(व्यवधान)... यह थोड़े ही है कोई।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आज राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम है ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): होगा कार्यक्रम। हम हमारे अधिकार को थोड़े ही जाने देंगे। इसका क्या मतलब हुआ। हमारे अधिकार को थोड़े ही जाने देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? आपके कार्यक्रमों के लिये हम इंतजार करेंगे।

श्री सभापति: मनोजजी, मनोजजी, एक मिनट।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं, सभापति महोदय, हमारी पार्टी का कोई सदस्य नहीं बोला। हम पांच मिनट मांगते हैं, तो भी नहीं देते हो।

श्री सभापति: एक मिनट। आप विराजें, पहले विराजें। माननीय सदस्य विराजें। आज का राजस्थान के सन्दर्भ में जो विषय है, उसको थोड़ा सेव करें। आपको रोज बोलने का टाइम देते ही हैं। आप सेव करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं, सभापति महोदय, यह कोई बात, पांच मिनट में क्या हो जायेगा।

श्री सभापति: नहीं, ऐसे जिद तो नहीं चलती है न।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उस कार्यक्रम का ज्यादा महत्व है ...(व्यवधान)... हमारी जनता की मांग ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री सभापति: आपकी बात रोज सुनते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं, नहीं है। दो दिन में लगातार नहीं है हमारी। हमारी दो दिन में लगातार हो तो आप बता दें।

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, विराजें आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, पांच मिनट तो दें। ...(व्यवधान)... आप पांच मिनट दें, सभापति महोदय, पांच मिनट में कुछ नहीं होगा।

श्री सभापति: पहले विराजें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय मंत्री महोदय, पांच मिनट में क्या हो जायेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पांच मिनट दीजिये। पाइण्ट ही करा दें। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हां, पांच मिनट दे दें।

श्री सभापति: विराजें, आप विराजें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पांच मिनट दे दें, साहब।

श्री सभापति: माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

(माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप वक्तव्य जारी करें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या अव्यवस्था करेंगे, यह क्या बात हो गई। ...(व्यवधान)... ऐसे नहीं कर सकते आप। ...(व्यवधान)... रोज बोलते हैं। ...(व्यवधान)... यह नहीं चल सकता। ...(व्यवधान)... आप ही होशियार हो, आपके अलावा कोई जानता नहीं है क्या इस सदन के अन्दर। ...(व्यवधान)... नो, बिलकुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह कोई तरीका, हम आपको रोजाना सुनें, ...(व्यवधान)... क्यों बोलेंगे आप रोजाना।

श्री सभापति: आप अपनी सीट पर जायें। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): रोज बोलने का ठेका है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कोई ठेका नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हमारे माननीय सदस्यों को दो-दो बार से तीसरी बार नहीं बोलने दे रहे हैं। सबको पाबन्द किया है कि दो सब्जैक्ट्स पर बोलेंगे, दो डिमाण्ड्स पर बोलेंगे और आप अकेले ने ठेका ले रखा है। ...(व्यवधान)... ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरा वाला समय दे दीजिये।

श्री सभापति: आप सीट पर जायें। ...(व्यवधान)... आप सीट पर जायें तो सही।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप तो एब्सेंट थे। आप कहां बोलोगे। ...(व्यवधान)... ऐसा है, सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा कि ये जिस पार्टी से आते हैं, उनके माननीय सदस्य को पुकारा गया था। वे उस समय उपस्थित नहीं थे। यह क्या तरीका है। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ऐसे तो हर कोई आकर हा-हुल्लड़ करके बोलने लग जायेगा, यह क्या बात हो गई। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आते ही बोलने लग जाएंगे। यह क्या बात हो गई। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ब.स.पा. से कौनसे को बुलाया। ...(व्यवधान)... ये रा.ज.पा. के हैं। ये रा.ज.पा. के हैं, हमारे नहीं हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी मर्जी से ही बोल लोगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): बिलकुल बोलूंगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): नॉट एट ऑल, आप अलाउड नहीं किये जाओगे। ...(व्यवधान)... यह कोई दादागिरी नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह क्या मतलब है। ...(व्यवधान)... मतलब आप केवल सदन में आयेंगे, भाषण देने के लिये, सुनने के लिये नहीं आयेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): बिलकुल आयेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सुनने के लिये नहीं आयेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप क्यों आते हो सदन में। हमारी जनता की मांग के लिये हैं हम। ...(व्यवधान)... हम अपनी बात रखेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप हाई-जैक नहीं कर सकते।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप नियम बता दें, कौनसे में आना है। हमारी पार्टी बोलेगी। ...(व्यवधान)... क्या बात हुई।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बिलकुल नहीं। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं बोल सकते। बिलकुल नहीं। ...(व्यवधान)... यह क्या तरीका है, आपका, ऐसे कैसे दादागीरी चलेगी आपकी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हम विरोध करेंगे मंत्रीजी का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जब आप सदन में आओ, सीधे भाषण देने लगो। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हां। हमें अन्तिम समय मिलता है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, राठौड़ साहब। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बिलकुल नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): होगा। आप कौन होते हो। ...(व्यवधान)... हम सभापति महोदय से समय मांगते हैं। आप होते कौन हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): कैसे बोल सकते हैं, ये। धमका कर बोलना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय मुख्य सचेतक महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप आसन से रिक्वेस्ट कीजिये। यह दादागीरी नहीं चलेगी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं पार्टी का सचेतक हूं। मैं मेरी पार्टी का सचेतक हूं, माननीय सभापति महोदय। ...(व्यवधान)... मेरी पार्टी का संरक्षण है मेरे पास।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह ऐसे नहीं चलता। ...(व्यवधान)... कैसे बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मेरा एक निवेदन है, सभापति महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो सारे ही दिन निवेदन करते हो। दूसरे को भी करने दिया करो। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यहां पर व्यवस्थाओं से चलता है सब कुछ। ...(व्यवधान)... आप विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सारे ही दिन निवेदन करते हो। ...(व्यवधान)... आसन क्या करेगा फिर।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप तो विराजो न, कृपालु। आपका क्या लेना-देना। आप विराजो। ...(व्यवधान)... आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप हाऊस को ...(व्यवधान)... दोनों खड़े हो जाते हैं। दोनों में से एक तय कर लो कि कौन सचेतक है। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी सूची पूरी हो गई। और क्या है ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये सचेतक हैं।

श्री सभापति: आप दोनों विराजें। मेरा पक्ष और प्रतिपक्ष से निवेदन है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा नम्र निवेदन है कि सदन की गरिमा सदस्यों को और जो भी पार्टियां हैं, चाहे छोटी हैं, चाहे बड़ी हैं। उनके कोई दूसरे सदस्य का नाम पुकारा गया, वे नहीं थे। मेरा नम्र निवेदन है, आप मुझे मौका न दें। पर आप मनोज न्यांगली जी को 07-08 मिनट दें। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आपने मंत्रीजी को पुकार लिया और वे जवाब देने के लिये खड़े हुए, शुरू कर दिया। उसके बाद कैसे व्यवस्था होगी। और कैसे बोल सकते हैं। आज दिन तक इस सदन में कभी नहीं हुआ होगा कि माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हम भी पार्टी के सचेतक हैं। ...(व्यवधान)... हम भी सचेतक हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हर कोई बोलने लग जायेगा। यह तो नई परम्परा हो जायेगी। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हम हमारी पार्टी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम भी सचेतक हैं। अगर आप पार्टी के सचेतक हो, हम भी सचेतक हैं। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, अगर कोई पार्टी का सदस्य है, सचेतक है, अगर पाँच मिनट दे देंगे, मंत्री उदार हैं। पाँच मिनट दे दें, क्या फर्क पड़ने वाला है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनकी पार्टी के सदस्य का नाम पुकारा, वे नहीं थे। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): किसने पुकारा। ...(व्यवधान)... प्रोसीडिंग निकलवाओ। किसने पुकारा मुझे। ...(व्यवधान)... किसने पुकारा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): डेली, निर्दलीय और सारी ये छोटी पार्टी वाले बोलते हैं। हमने कभी मना नहीं किया आज दिन तक। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, संसदीय

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कार्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, आप सुनिये। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): किसने पुकारा हमें। ...(व्यवधान)... हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति को पुकारा। बताइये प्रोसीडिंग निकलवा कर। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, पांच मिनट अलाऊ कर दो। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आसन ने व्यवस्था दे दी। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): रिकार्ड थोड़े ही टूट जाएगा पांच मिनट देंगे तो। ...(व्यवधान)... पांच मिनट बुलवा दो, साहब।

श्री सभापति: आप विराजिये। प्लीज आप बैठिये। ...(व्यवधान)... सबको अधिकार नहीं है। आपकी ओर से आपके मैम्बर कह रहे हैं न। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मनोजजी वापस खड़े हो गये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह क्या मतलब हो गया, ऐसे थोड़े चल सकता है कोई। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठें। मदनजी, बैठें। प्लीज विराजें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारे अधिकारों की बात हम करेंगे। हम आपसे नहीं सुनेंगे। हमारे अधिकारों की बात करने आती है। ...(व्यवधान)... हम जानते हैं हमारे अधिकारों की बात करना। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब तक मुख्य सचेतक हाऊस में हों, उप मुख्य सचेतक बकरी का ...(व्यवधान)... होता क्या है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बैठ जाओ। होता है और क्या नहीं होता है। आप बैठो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मैं कैसे बैठूंगा। ...(व्यवधान)... हां, मुख्य सचेतक महोदय हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप शून्य हो। बैठ जाओ आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका काम हो गया, आपकी सूची पूरी हो गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा है, मैं शून्य हूं, मैं बैठ जाऊंगा। ...(व्यवधान)... पता लग जायेगा। आप इस हाऊस को चलाना चाहते हो क्या।

श्री सभापति: आसन की बिना इजाजत कोई बोले, रिकार्ड नहीं किया जाए। अब कोई रिकार्ड नहीं किया जाए। प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजें, आप विराजें। मेरा ऐसा निवेदन है, सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैं मनोजजी को सिर्फ पाँच मिनट का टाइम देता हूं। कृपया पाँच मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपका बहुत-बहुत आभार। हमारी पार्टी का आपने संरक्षण किया, इसलिये आपका बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या, ...(व्यवधान)... भ्रष्टाचार बताऊंगा अभी। ...(व्यवधान)... आपने मांग संख्या 28 और 49 पर बोलने का मौका दिया, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि गांव में सुविधाओं की बहुत कमी है। स्वास्थ्य भवन की बात करें, स्कूल की बात करें और ग्रामीण परिवेश में जो लोग बसते हैं उन लोगों का विकास नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनका प्रचार-प्रसार बहुत कम हो रहा है तो प्रचार-प्रसार का ज्यादा माध्यम बनायें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसका प्रचार, गांवों में जो योजनाएं हैं उनका अच्छी तरीके से किया जाए और माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इनके भ्रष्टाचार की इनके पास सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(श्री मनोज कुमार)

हमारे जिला परिषद झुन्झुनूं ने एक जे.टी.ए. की नियुक्ति हुई थी और उस नियुक्ति में ओ.बी.सी. की एक लड़की- नीलम चौधरी, जिनका सलेक्शन सबसे टॉप में था और आज तक कलक्टर के आर्डर करने के बाद, माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में लाऊंगा कि उस बच्ची को नियुक्ति नहीं दी। जांच के नाम से आज भी उसको रोक रखा है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी ग्राम पंचायत गोठया बड़ी और राघा में इतनी जांचें हुई हैं, इतनी बार लोगों ने कम्प्लेंट की है लेकिन इस विभाग ने आज तक जांच नहीं की। माननीय मंत्री महोदय को पता ही नहीं रहता कि कौन कहां से कब आदेश करता है। इस विभाग में प्रतिनियुक्ति के नाम से लुटेरे जो लोग हैं जो दस और पन्द्रह वर्ष से इस विभाग में बैठे हैं और मलाइदार चटनी कर रहे हैं इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं। एक नियुक्ति इस सरकार ने, एक बहुत बड़ी नियुक्ति कर रखी है।

माननीय सभापति महोदय, आजीविका मिशन के नाम से इनके पास एक चीफ आपरेटिंग आफिसर जो नियुक्ति भी अपने आप ही करता है, उनका भुगतान भी स्वयं करता है, मंत्री महोदय तक तो कागज पहुंचते हैं, जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद और उनकी सैलरी की अगर बात करे तो यह सरकार उनको 2 लाख 10 हजार रुपये दे रही है और वह जो कि चीफ सैक्रेटरी से भी ज्यादा है। कौनसी ऐसी मजबूरी हो गयी आपको कि उस व्यक्ति को आप नियुक्ति देकर इस तरह के ....(व्यवधान).... व्यक्तियों को और भ्रष्टाचार में शामिल करते हुए, उनको नियुक्ति दी है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जिनको दो-दो लाख रुपये की सैलरी से आप रखे हुए हो, क्या बात है? आपकी कौनसी मजबूरियां हैं? सरकार इनकी जांच करे, हमारे सदस्यों की एक कमेटी गठित करे या ए.जी. आफिस से इनकी जांच करायें।

माननीय सभापति महोदय, इनकी सबसे बड़ी एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे कनिष्ठ लिपिक जिनको 2013 में सरकार ने भर्ती निकाली और यह सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी आज दिन तक उन बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं दे रही हैं। मंत्री महोदय के पास जाते हैं तो

(श्री मनोज कुमार)

लोग कहते हैं कि सी.एम. करेगी और सी.एम. के पास जाते हैं तो मंत्री महोदय के पास जाइए। यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार आपकी है और आपको इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है।

इसके साथ ही साथ माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 56 ग्राम पंचायत होते हुए भी आपने एक दूसरी पंचायत समिति माननीय कटारिया साहब जब मंत्री थे, हमारे सिद्धमुख की पंचायत समिति बननी थी लेकिन कटारिया साहब, उस समय आपने राजनीतिक भेदभाव करते हुए हमारी 56 ग्राम पंचायत, 3 लाख की पापूलेशन होते हुए भी आपने पंचायत समिति का गठन नहीं किया इसलिए हमारी पंचायत समिति का गठन, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि आप जब भी इसकी घोषणा करें, हमारी पंचायत समिति दुबारा बनाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, सरपंच और ग्राम सेवकों का जो वार्षिक प्लान बनता है, उस वार्षिक प्लान में हमारे एस.सी., एस.टी. और बी.पी.एल. परिवार के जो लोग, जिनका कुंड में नम्बर नहीं आता है, पंचायत में सरपंच राजनीतिवश उसका नाम काट देते हैं, उन लोगों का नाम जोड़ने के लिए आप बी.डी.ओ. को, सी.ई.ओ. को या एस.डी.एम. को निर्धारित करें कि जिनका नाम पंचायत समिति में यानी, ग्राम पंचायत में नहीं जोड़ा, उन लोगों का नाम जोड़ा जाए, उनको लाभ दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि किसान को जो नरेगा में आप जोड़ रहे हो, अपना खेत, आपका काम, मैं कहना चाहता हूं कि अपना क्षेत्र सूखा है, बरसात के भरोसे है। वह किसान जब अपने खेत में काम करे तो उस समय उसको नरेगा से जोड़ दिया जाए क्योंकि फसल का उत्पादन नहीं होता लेकिन फिर भी किसान को अपनी फसल काटनी पड़ती है, उसको इकट्ठी करनी पड़ती है और किसान को उससे जोड़ दिया जाए तो किसान का मानव दिवस जो नरेगा में बढ़ना चाहिए वह भी बढ़ जाएगा और यह काम भी हो जाएगा।

इसी के साथ नरेगा में मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने 97 लाख लोगों में से ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यह बैठे-बैठे धमका रहे हैं आसन को। यह आसन को धमका रहे हैं, बैठे-बैठे। यह आसन को धमका रहे हैं। यह कौनसा तरीका है? ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। बीच में नहीं बोलें। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन को धमका रहे हैं। बैठे-बैठे धमका रहे हैं। यह कौनसा तरीका है? ....(व्यवधान)....

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दो लाख लोगों को रोजगार दिया। 100 दिन में वह काम नहीं कर सकते। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। बीच में नहीं बोलें। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह क्या तरीका है? आसन को धमका रहे हैं? यह कौनसा तरीका है? ....(व्यवधान).... पहली बार देख रहे हैं हम। आसन को धमका रहे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, फार्म नम्बर-6 जो बाध्यकारी ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप कहीं न कहीं निर्धारित करें एक निश्चय जो है और गामीण परिवेश में ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन को धमका रहे हैं। माननीय जोगारामजी पटेल को नहीं धमका रहे हैं, यह आसन को धमका रहे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। मैं आपका नाम पुकार रहा हूं, आप बैठ जाइये। इसके लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हम तो आसन को हाथ जोड़ते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम तो आसन को हाथ जोड़ते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी नरेगा में आपको कार्य दिवस बढ़ाने का, 97 लाख लोगों में से आप सिर्फ दो लाख लोगों को 100 दिन काम दे पाये हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, फार्म नम्बर-6 के लिए बाध्यकारी करें। रोजगार के लिए उनको जागरूक करें क्योंकि मर्जी होती है तब ग्राम सेवक कहते हैं कि अभी नरेगा का काम नहीं

(श्री मनोज कुमार)

आया। अभी नरेगा काम नहीं आया। लोग काम चाहते हैं लेकिन वह ग्राम सेवक मना कर देते हैं इसलिए फार्म नम्बर-6 बाध्यकारी करें, सब लोगों से भरवाए जाए और उनको भी स्वतंत्र करें। जहां भी बी.डी.ओ. के पास जाकर के अपना फार्म दे दें, काम मांग लें, उसको काम मिल जाए।

इसी के साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में है, वह पानी निकासी की है। इसमें आप नरेगा में एक बहुत बड़ा प्लान बनायें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कोई भी सड़क बने या चाहे कुछ भी बने, वह थोड़े से दिनों में टूट जाती है क्योंकि पानी सड़क के ऊपर रहता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसलिए पानी निकासी का जो भी कार्यक्रम है, वह करें।

एक और छोटा सा कह दूं मेरे राजगढ़ में दो ग्राम-सेवकों को आपने हटाने का आदेश किया। जी.ओ. आर्डर होने के बाद भी हमारे वहां के बी.डी.ओ. आपके आदेश को मानने को तैयार नहीं है, माननीय मंत्री महोदय, आपका कैसे नियंत्रण हो सकता है? मुझे यह लगता है कि यहां बैठने वाले अधिकारी का तो मानने का सवाल ही नहीं हो सकता। एक बी.डी.ओ. आपकी बात नहीं मानता। जी.ओ. आर्डर के बाद ज्वाइनिंग नहीं करवाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति: विराजिए। समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): और एक सरपंच को एक ओमप्रकाश पूनिया ग्राम सेवक धमकी देता है कि मैं नहीं आऊंगा। उनको चार्ज दे रखा है और पंचायत का कोई काम नहीं हो पा रहा है इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आपके यह प्रतिनियुक्ति पर दस से पन्द्रह वर्ष से लोग बैठे हैं उनको हटाया जाए। यह आजीविका मिशन वाला, इसकी जांच की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह भ्रष्ट हमारे ग्राम सेवक और यह

(श्री मनोज कुमार)

लोग हैं, इनकी जांच की जाए नहीं तो माननीय मंत्री महोदय, आपकी यूं ही पीठ थपथपा रहे हैं लोग, काबीना मंत्री, मुझे तो वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि सबसे कमजोर मंत्री अगर हो तो माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जिनकी अपने विभाग में एक भी अधिकारी मानेंगे नहीं और ऐसे गंभीर आरोप आपके विभाग पर है इसलिए साथ में आपके भी हो सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसलिए इन सबकी जांच करवाने का अपने जवाब में आश्वासन दें कि मैं इन सबकी जांच करवा दूंगा और जो गबन हुआ है, उस राशि को रिकवर किया जाएगा और जो गलत है, उसको हटाया जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, बहुत- बहुत आभार आपका।

श्री सभापति: माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वाद-विवाद का प्रत्युत्तर देंगे। सुरानाजी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): आपने मेरा नाम भी तो लिया हुआ है, माननीय सभापति महोदय, मेरा भी लिस्ट में नाम था, प्रतिपक्ष के सदस्य कितने बोल लिये? सत्ता पक्ष का कोई मतलब आप मौका नहीं दे रहे हो। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: बैठिये। आपका काम नहीं है यह। आप विराजिए। नो। विराजिए। हां, आप बोलिये माननीय मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको धमका रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ओह-ओह, हम इनको धमका रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं उन सभी 24 माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज राजस्थान के गांवों में रहने वाले आम-अवाम जो 70 फीसदी है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन के माध्यम से मेरा और सरकार का मार्ग-प्रशस्त किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने, अधिकांश माननीय सदस्यों ने सरकार की नीति, सरकार के कार्यक्रम और सरकार के अभियानों की प्रशंसा की, कुछ माननीय सदस्यों ने समालोचना कर सुझाव दिये और कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ कार्यक्रमों की आलोचना भी की और अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विषय को अलग-अलग रूप से, अलग-अलग टीका-टिप्पणी के माध्यम से उठाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में यह घोषणा कर रहा हूं कि आज जितने भी कार्यवाही वृत्तांत में जो भी वक्तव्य आए हैं, मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव जो ग्रामीण विकास के हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाऊंगा और पूरे कार्यवाही वृत्तांत के आधार पर जहां जांच करवाने की आवश्यकता है, वहां जांच करवाएंगे। जो रचनात्मक सुझाव आपके आए हैं, निश्चित तौर पर सरकार की और विभाग के आगे कार्यक्रम में उनको सम्मिलित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इन मांगों के संबंध में 278 कटमोशन प्राप्त हुए हैं। मैं आने वाले 48 घंटों में इन कटमोशन का लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को पहुंचा दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हम सब लोग जानते हैं और यह बात वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि इस देश की आत्मा गांवों में रहती है और इसका आधार भी है कि जब 2011 की जनगणना हम देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर 70 फीसदी आबादी आज उन गांवों में रहती है जिनकी संख्या होती है 83.3 करोड़ और राजस्थान के अंदर 75.13 परसेंट जनसंख्या गांवों में रहती है, उसकी आबादी है- पाँच करोड़ पन्द्रह लाख।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई वह ग्राम स्वराज्य और ग्राम उत्थान के बड़े प्रबल समर्थक थे। मैं उद्धृत करना चाहूंगा, 09.01.1937 को हरिजन पत्रिका के अंदर वॉल्यूम 64, पृष्ठ संख्या- 217-218 पर महात्मा गांधीजी ने यह कहा था कि इस हिंदुस्तान का गांव कैसा हो, कैसा आदर्श स्वरूप उस गांव का हो, उन्होंने लिखा कि-'गांव वह हो जो पूर्णत: स्वच्छ हो, उस गांव के आस-पास पाँच मील की परिधि में उपलब्ध सामग्री से बने कुटीरों में पर्याप्त रोशनी और हवा की आवाजाही हो। गांव के रास्ते और गलियों में धूल-मिट्टी नहीं हो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(18.00 बजे)

गांव में आवश्यकतानुसार कुए हों, उनका जल सभी के लिए उपलब्ध हो, गांव में सभी के लिए प्रार्थना स्थल हो, सार्वजनिक बैठक स्थल हो, पशुओं के लिए सार्वजनिक चरागाह हो, सहकारी डेयरी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हो जिनमें औद्योगिक शिक्षा मुख्य घटक हो और इन गांवों के विवादों के समाधान के लिए पंचायतें हों। गांव के लिए खाद्यान्न, सब्जी, फलों तथा खादी का उत्पाद भी गांवों में हो और मोटे तौर पर मैं इसे आदर्श गांव मानता हूं। यह विचार हैं जो 09.01.1937 को माननीय हमारे देश के राष्ट्र पिता ने कहा। और, सभापति महोदय, यह भी सही यह है चौधरी चरण सिंह, लोग कहते हैं कि गांव की माटी का दिल्ली में चन्दन के रूप में तिलक हुआ था, प्रधानमंत्री के रूप में वो देश की कुर्सी पर बैठे, कुछ समय के लिए बैठे, उन्होंने भी यह कहा था कि इस देश के विकास का रास्ता गांव की चौपाल से निकलता है।

हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने जब यह कहा कि, 'सब का साथ सब का विकास', यानी विकास की जो दौड़ प्रारम्भ हुई है इस विकास की दौड़ के अन्दर गांव भी शहर से पीछे नहीं रह जाए, गरीब और किसान भी इसमें साथ चले इस अवधारणा के साथ हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह सपना देखा।

सभापति महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि 2013 में एक रिपोर्ट छपी, वो रिपोर्ट यह कहती है कि राजस्थान के अन्दर 17.71 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है। वो ही रिपोर्ट यह कह रही है, 2011 की जनगणना यह कह रही है कि हमारा साक्षरता प्रतिशत 66.11 है। यानी सभापति महोदय, 100 में से 34 व्यक्ति राजस्थान में ऐसे हैं आज भी जिनके सामने काला अक्षर भैंस बराबर है। अब ये योजनाओं की क्रियान्विति में, चाहे वो योजना समुदाय के विकास की हो, चाहे व्यक्तिगत लाभकारी हो, इन आंकड़ों के साथ इन योजनाओं का क्रियान्वयन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है।

सभापति महोदय, आजादी का लम्बा अन्तराल गुजरा है। योजनाएं बनीं, ग्रामोत्थान की सब ने बात की पर आज भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शहर गांव की आबादी को आकर्षित कर रहे हैं, गांव का आदमी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सोचता है कि बेहतर रोजगार के साधन शहर में हैं, शिक्षा की बात वो सोचता है कि शिक्षा बेहतर मिलेगी और आधारभूत संरचना भी शहर में ज्यादा है। ये इससे भी प्रमाणित होती है कि 1951 की जो जनगणना हुई उसमें शहरी जनगणना थी 16.50 और 2011 की जनगणना में शहर की जनसंख्या बढ़ कर हो गयी 24.39 यानी हमें यह आज भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि शहर और गांव, दोनों के बीच में आधारभूत संरचनाओं के अन्दर जो विकल्प के रूप में हमें भरना चाहिए, उसको हम भर नहीं पाये। सभापति महोदय, जहां महानगर हैं जो उन महानगरों के आसपास के गांव थे उनको तो बढ़ते हुए इस शहरीकरण ने अपने आगोश में ले लिया और पैरीफैरी विलेज के नाम से एक नई गांव की कैटेगिरी भी हमारे सामने आ गयी।

सभापति महोदय, जब राजतंत्र था, राजतंत्र के अन्दर भी ग्राम स्वायत्तता की बात थी। राजा का प्रतिनिधि चाहे पंच पटेल हो, जागीरदार हो, जत्थेदार हो, चौधरी हो, वो भी सामाजिक झगड़े निपटाता था, वहीं उनके लिए राजस्व भी एकत्रित करने का काम करता था।

सभापति महोदय, जब लोकतंत्र आकार ले रहा था, संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए हमारे 389 माननीय सदस्य उस संविधान सभा के सदस्य थे।

(18.03 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान सभा के अन्दर जो हमारे माननीय सदस्य थे उसमें अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे और इसीलिए हमारे संविधान के अन्दर भी इस ग्रामीण विकास और पंचायती राज और स्वराज को, ग्राम स्वराज्य को बड़ा महत्व दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अन्दर आर्टिकल 36 से 51 है, जिन्हें हम नीति-निदेशक तत्व कहते हैं या डाइरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं, हम यह मानते हैं कि राज्य सरकारें इस आधार पर अपनी नीतियां बनायें, उसमें मैं उद्धृत करना चाहूंगा आर्टिकल 40 को। संविधान के आर्टिकल 40 में लिखा है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेंगे, उसके लिए ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए आवश्यक हो। इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीब, गांव और किसान, इनका आपस में बड़ा निकट का सम्बन्ध है। हम बड़े वर्षों से जुमले सुनते आ रहे हैं कि गरीबी हटेगी, 1971 में गरीबी हटाने का नारा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, होता क्या आया है कि इस गरीबी को निर्धारित करने वाले मापदण्डों से भी हम खेलते आये हैं। कई बार इन गरीबी के जो मापदण्ड हैं उनको हम नीचे कर देते हैं, स्वत: ही कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं और यह बात कही जाती है कि अब यहां गरीबी की रेखा से कुछ लोग ऊपर चले गये।

अब यह गरीबी की रेखा क्या है? इसके लिए भी, उपाध्यक्ष महोदय, अलग-अलग समय में अलग-अलग कमेटियां बनीं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 1979 में वाई.के. अलघ कमेटी बनी, व्यक्ति प्रति दिन कितना भोजन लेता है, इनटेक कैलोरी के हिसाब से गरीबी की रेखा का निर्धारण करने का काम इस कमेटी ने किया। अलघ कमेटी ने, 24 सौ कैलोरी इनटेक गांवों में है और 21 सौ कैलोरी इनटेक शहर में है तो वो गरीबी की रेखा से ऊपर है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद 2005 में तेंडुलकर कमेटी बनी, मुझे वो समय याद आ रहा है, तेंडुलकर कमेटी के बारे में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बड़ी बहस की थी इन्होंने और वो तेंडुलकर कमेटी में जो क्राइटेरिया था गरीबी की रेखा का, वो बदल दिया गया और पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर क्राइटेरिया रखा गया और, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें क्राइटेरिया यह रखा गया कि 27 रुपये प्रति दिन जो गांवों में कमाता है वो गरीबी की रेखा से बाहर है और 33 रुपये प्रति दिन जो शहर में कमाता है वो गरीबी की रेखा के बाहर है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई प्रकार की टिप्पणियां कीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधान मंत्रीजी को, इन सारे परिप्रेक्ष्य में गरीबी की रेखा के पुनर्निधारण के लिए उन्होंने जो हमारा नीति आयोग है, उसके उपाध्यक्ष श्री अरविन्द पानगड़िया की अध्यक्षता में एक दुबारा कमेटी बनायी है। और इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है, देश के अन्दर केन्द्र सरकार ने अपने बजट के अन्दर यह कहा है कि 50 हजार ग्राम पंचायतों और एक करोड़ परिवारों को गरीबी की रेखा के बाहर लाने के लिए अंत्योदय मिशन की घोषणा बजट में की है और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सारे राज्यों के लिए अलग-अलग 2019 तक के टारगेट दिये गये हैं। राजस्थान सरकार के पास भी 2019 तक 1960 ग्राम पंचायतों को गरीबी की रेखा के बाहर लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिया गया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा हम इसके लिए योजना बनायेंगे, नीतियां बनायेंगे और हमारा प्रयास होगा, मुख्य मंत्रीजी का भी यह लक्ष्य है कि हम भी 2019 तक 1960 ग्राम पंचायतों को वास्तव में गरीबी की रेखा से बाहर लायें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां आज मनरेगा को लेकर कई प्रकार की टीका-टिप्पणी की गयी और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि 2016-17 के अन्दर हमने नरेगा के अन्दर कुल पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किये, 25 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस हम सृजित कर चुके हैं और आज हम देश के अन्दर दूसरी पायदान पर खड़े हैं मनरेगा की दृष्टि से। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी केन्द्र सरकार ने भी इस बार जो बजट रखा है, जिसका जिक्र लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि यह स्मारक बना दिया नरेगा के लिए, मैं समझता हूं कि शायद उस बात को वो दूसरे रूप से ले गये। प्रधानमंत्री जी ने कहा जरूर था, उन्होंने यह कहा था कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिर्फ न्यूनतम मजदूरी के लिए हमें नरेगा जैसे कार्यक्रम को संचालित करना पड़ रहा है, यह उन लोगों के लिए स्मारक के रूप में है जिन्होंने वर्षों तक राज किया। मनरेगा को उन्होंने बंद करने की बात नहीं की, उस बात को आपने बड़े दूसरे तरीके से रखा।

मैं निवेदन करूं कि इसी मनरेगा का जो 38 हजार 500 करोड़ का बजट था, इस बार भारत सरकार ने उसको बढ़ा कर 48 हजार करोड़ किया। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास हो, आजीविका हो, स्वावलंबन हो, इसके लिए भी इस बार भारत सरकार ने 4 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया। अब ये प्रावधान हुए हैं। जहां मनरेगा का आबंटन बढ़ा है, 48 हजार करोड़ रुपये हुआ है, जहां गांवों में आजीविका बढ़ाने के लिए 4 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसके लक्ष्य को भी 15 हजार करोड़ से बढ़ कर 23 हजार करोड़ किया है। तो निश्चित तौर पर जब यह प्रावधान बढ़ा है, देश के प्रधानमंत्री की इच्छा है कि गांवों में विकास का

काम हो तो निश्चित तौर पर राजस्थान में भी इसका फायदा पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी, इस बार उन्होंने कुल बजट का 13.17 फीसदी पैसा राजस्थान के गांवों के विकास के लिए, यानी 10 हजार 685 करोड़ का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में गांवों में विकास की राह खोलने के लिए यह सारा काम आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विकास की अवधारणा क्या हो, विकास का मूल्यांकन क्या हो? इस पर भी इस देश में लगातार बहस चलती आ रही है। जब देश आजाद हुआ उस समय पंचवर्षीय विकास मॉडल हमने अपनाया, यानी पांच वर्षों तक योजना बनी कि हमारा आर्थिक विकास कैसे हो, औद्योगिक विकास कैसे हो, आधारभूत संरचनाओं का विकास कैसे हो, उत्पादन कैसे बढ़े और उसके पीछे भावना यह भी कि ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़ेगा त्यों-त्यों ट्रिकल डाउन इफैक्ट के माध्यम से यह समृद्धि आमजन तक पहुंचेगी। हां, मैं स्वीकार करता हूं कि इन पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी हरित क्रांति की बात हुई, हमारी श्वेत क्रांति की बात हुई परन्तु विश्लेषणकर्ता यह कह रहे हैं कि यह पंचवर्षीय योजना की अवधारणा के बाद जो आधारभूत ढांचे के साथ-साथ औद्योगिक विकास की बात कही गयी थी, देश के विकास की बात कही गयी थी, बड़े कारखाने बनें, बड़े बांध बनें परन्तु उस सब का लाभ जो कहा न, ट्रिकल डाउन इफैक्ट से गरीब के पास पहुंचेगा वो नहीं पहुंचा।

उपाध्यक्ष महोदय, 70 के दशक में डायरेक्ट अटैक ऑन पावर्टी इस अवधारणा ने जोर पकड़ा। यानी व्यक्तिगत लाभकारी योजना से गरीब व्यक्ति का उत्थान किया जाए। यह योजना भी भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की शिकार हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो व्यक्तिगत लाभकारी व्यक्ति के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। ऐसे समय में, 70 और 80 के दशक के बीच में यहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने एक नई अवधारणा पूरे देश को दी। आज अंत्योदय के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नाम से कई योजनाएं चल रही हैं। कई सूबे इस योजना के आधार पर अपनी-अपनी नीतियां बना रहे हैं। कार्यक्रम बना रहे हैं। उत्थान की बात कर रहे हैं। इन सारी योजनाओं का जनक अगर कोई व्यक्ति है तो इस राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश के पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह जी शेखावत हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विकास के मापदंड क्या हों? इस विकास के मापदंड 1990 के दशक के अंदर एक बार फिर बदले और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि किसी देश के विकास के मापदंड के अंदर उस देश और प्रगति का आधार ह्यूमन डवलपमेंट इंडैक्स होगा। उसके आधार पर 177 देशों की सारणी बनती गई। ह्यूमन डवलपमेंट इंडैक्स के आधार पर उनका मूल्यांकन होता गया। अफसोस इस बात का रहा कि कई वर्षों के पश्चात् भी हमारा स्थान यूएनओ ने जो रिपोर्ट जारी की इसमें 135 और 147 के बीच में रहा। जबकि हमारे लिए यह कहा जाने लगा कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था इस विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हम मानव विकास सूचकांक में पीछे रह गए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी कारण से 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इनक्लुसिव ग्रोथ की बात आई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एमडीजी, मिलेनियम डवलपमेंट गोल का निर्धारण किया। जिसे अपने देश ने भी अपनाया। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम एमडीजी गोल को छू नहीं पाए। अभी 2012 के अंदर अर्थ समिट, जिसको रियो समिट भी कहते हैं, उसमें 17 सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल की बात कही। ग्रीन इकॉनामी की बात कही। उसके साथ-साथ 15 वर्ष निर्धारित किए कि हम इस विश्व से गरीबी को मुक्त करेंगे। उसी के आधार पर हमारे देश के अंदर योजनाएं बननी प्रारंभ हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, एक नई बात चली कि किस सूबे के अंदर वहां के रहने वाले लोग कितने खुशहाल हैं? हैप्पीनेस रिपोर्ट के आधार पर इस खुशहाली को मापने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है, उसमें नार्वे जैसा देश शीर्ष पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है और हम 122वें स्थान पर हैं। अब इसी हैप्पीनेस इंडैक्स को बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर मुख्य मंत्रीजी ने बहुत से काम किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान में न्याय आपके द्वार आया। राजस्थान के अंदर 79 लाख ऐसे मामले जो वर्षों से लंबित थे, वह आदमी कुंठित था, उसके चेहरे पर खुशहाली आई और हमारे चेहरे पर हैप्पीनेस इंडैक्स बढ़ा। राजस्थान के अंदर दीनदयाल ग्रामीण जन कल्याण शिविर लगे और 17 विभाग गांवों में गए। मैं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करुंगा कि जितने काम वहां हुए, रास्तों के काम हुए मैं समझता हूं कि इससे जो कुंठित व्यक्ति था, उसके चेहरे पर मुस्कान आई और हैप्पीनैस इंडैक्स राजस्थान का बढ़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, आरोग्य राजस्थान चला। उस ग्राम की ग्राम पंचायत पर कैम्प लगे। अगर आदमी अपने आपमें किसी बीमारी को लिए बैठा था तो उसका वहीं का वहीं इलाज हुआ। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, राजश्री योजना, कई योजनाएं ऐसी बनीं जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर हमारा हैप्पीननैस इंडैक्स माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि 2 अक्टूबर, 1959 को इस देश के अंदर नागौर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। निश्चित रूप से हमें गर्व है कि राजस्थान की धरती से इस प्रकार की योजना प्रारंभ हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके पश्चात जो चीजें पूरे देश में लागू की गई, वह हमारे प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत एवं पंचायत व्यवस्था 1959 से ही लागू थी। यह 73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 बने। इस नियम और अधिनियम के माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था हुई। 5 वर्षों में चुनाव निश्चित रूप से हो जाएं। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं कह सकता, वरना पंचायत राज संस्थाएं लगतार 14-14 वर्षों तक एक-दो व्यक्तियों के हाथों में रही। जो एक बार सरपंच बन गया वह 14 वर्ष तक सरपंच रहा। एक बार प्रधान बन गया वह 14 वर्ष तक प्रधान रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण मिला। अगर यह 33 परसेंट आरक्षण जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि मिला, वह पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है और वह नेता भी भैरोंसिंह जी शेखावत थे, उनके टाइम में यह 33 प्रतिशत आरक्षण मिला। 11 अप्रैल, 2008 इस पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 15 में हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने संशोधन किया और महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50 परसेंट करने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 73वां संशोधन हुआ उसके माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों को अलग-अलग योजनाओं का पैसा सीधा इनको हस्तांतरित होना प्रारंभ हो गया। उस समय लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षित लोग आएं। पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े-लिखे और नौजवान लोग आएं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिसम्बर, 2014 को पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन करके सरपंच के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक कर दिया। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होने की अर्हताएं शामिल कर दी। उसके साथ-साथ स्वच्छता का संदेश चला जाए इसके लिए प्रत्याशी के घर में अनिवार्य रूप से शौचालय हो, यह अर्हता में शामिल कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़ा कुठाराघात हुआ। मेरे सामने बैठे लोगों ने, प्रतिपक्ष में बैठे लोगों ने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा दिया कि यह कई लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात है। आज जो हमारे पंचायती राज में प्रतिनिधि हैं, उसमें प्रोफेशनल और स्नातकोत्तर तो हैं 8 परसेंट, स्नातक 48 परसेंट हैं और इनमें भी 70 फीसदी लोग वह हैं जो 21 से 35 वर्ष के बीच में चुनकर आए हैं। मैं समझता हूं कि एक आमूलचूल परिवर्तन की ओर राजस्थान का पंचायती राज और ग्रामीण विकास बढ़ रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुकदमें हैं फर्जी मार्क शीट पेश करके चुनाव लड़ने के, उनका भी कुछ नहीं कर रहे हो। वह भी बता दो साथ-साथ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, छोटी ग्राम पंचायत जहां होगी, वहां पर विकास ज्यादा होगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पंचायतों के पुनर्गठन में भी, मैं फिर स्मरण करना चाहूंगा स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत को कि 1981 की जनगणना के आधार पर 1826 नव ग्राम पंचायत सृजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे पुरोधा, हमारे आदर्श भैरोंसिंह जी शेखावत जी ने किया।

उसके बाद जब 2009 में इनका समय आया तो इन्होंने कलेक्टरों से प्रस्ताव मंगवाए, लेकिन अंतर्कलह के कारण, आपको मालूम है इसके बाद में इनकी हालत क्या हुई। इनके यहां जो अब होड़ लगी है कि इनमें बड़ा नेता कौन, उसी वक्त, उस अंतर् कलह की वजह से यह उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। सिर्फ 9 पंचायत समिति बनाकर के इन्होंने संतोष व्यक्त किया।

2014 में पुन: मुख्य मंत्रीजी ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और 1423 पुनर्गठित ग्राम पंचायतें बनाई गई। 723 नव सृजित ग्राम पंचायतें बनी और 47 नव सृजित पंचायत समितियां बनी। 2011 की जनगणना के बाद आज राजस्थान के अंदर 295 पंचायत समितियां हैं और 9,890 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आ गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कई माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से कोलायत और सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि यह ग्राम पंचायतें बन गई। आपने 2015-16 के अंदर 94 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखकर के भवन बनाने की भी बात की। इन ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में हमने भवन बनाए। लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूं कि इस वित्तीय वर्ष में कि हम 350 ग्राम पंचायतों में नए भवन बनाएंगे और एक भवन की लागत 50 लाख रुपए होगी। 20 पंचायत समितियों में हम ढाई करोड़ की लागत से भवन बनाएंगे। भवन का नक्शा मैं लेकर के आया हूं। इसे मैं बाद में निवेदन करुंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा चली। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस योजना की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की। कुछ माननीय सदस्यों ने इस योजना का जिक्र अपने अलग चश्मे से किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने कहा है कि 2022 तक हमारे देश में कोई ऐसा गरीब व्यक्ति न रह जाए जिसके सिर पर छत नहीं हो। इसी बात को लेकर जो जनगणना हुई थी, सामाजिक, आर्थिक एवं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाति आधारित जनगणना जिसको 'सेक' कहते हैं, 'सेक 2011', उसके आधार पर एक चयन सूची बनी, चयन सूची का अनुमोदन ग्राम सभा ने किया और इस योजना में जो जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर 27 लाख आवासहीन एवं कच्चे आवास में रहने वाले परिवार है। इन्होंने भी अपने समय में बहुत बड़ा काम किया इनको चूंकि चुनाव सामने दिख रहे थे और वोट की फसल काटनी थी, आनन-फानन में इन्होंने 2011 में बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम किया, लम्बी-चौड़ी भीड़ इकट्ठी की और कहा कि हम दस लाख आवास बनाएंगे। इन 10 लाख आवासों में से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3 लाख 20 हजार आवास तो इंदिरा आवास योजना के थे जो देश में सभी राज्यों में, आवंटन इसका होता है और मुख्य मंत्री बीपीएल योजना में 6 लाख 80 हजार आवास बनाने का लक्ष्य इन्होंने रखा। कोई बजटीय प्रावधान नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना बजटीय प्रावधान के इस योजना की घोषणा कर दी। उसके बाद में आनन फानन में जिला परिषदों को हुक्म दे दिया कि आप हुडको से लोन लो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि कुल जो लोन लिया वह था 3 हजार 655 करोड़ रुपए और उसका मूलधन अब तक चुकाया है, 9 हजार 559 करोड़ रुपए और उस पर ब्याज चुका दिया 10 हजार 46 करोड़ रुपए। 2 हजार 696 करोड़ रुपए बकाया है। आज हम कहते हैं कि स्वायत्तता है, जिला परिषद अपने स्तर पर किसी भी योजना को लागू करने के लिए, किसी भी वित्तीय संस्थान में लोन लेने की कोशिश करती है, राजस्थान की कोई भी जिला परिषद लोने लेने जाती है कहीं भी तो उनका खाता यह कहता है कि आपके नाम पैसा है उसका पहले चुकारा करो। अब उसके अंदर भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले तो पचास हजार रुपए में मकान बनाने के लिए कहा, फिर 2013 में इसको आगे बढ़ा कर सत्तर हजार रुपए में कर दिया, अब 220 वर्ग फीट का मकान, पचास हजार रुपया और यह महंगाई का जमाना, मतलब मजाक तो इन्होंने पहले से ही कर दिया, इनको बनाना था ही नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस भी है और मैं बात भी सदन के पटल पर लाना चाहूंगा कि हमने जब शासन सँभाला तो 8 लाख 45 हजार आवास अपूर्ण मिले हमें, उसमें से 3 लाख तो इंदिरा आवास के थे और 5 लाख 45 हजार मुख्य मंत्री बीपीएल योजना के थे। माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कार्यकाल में इंदिरा आवास के 1 लाख 80 हजार मकान और स्वीकृत हो गए, आज अगर मैं कहूं तो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधान मंत्रीजी ने इस राजस्थान को 2018-19 तक 6 लाख 75 हजार मकान की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है जिसमें 8 हजार 11 करोड़ रुपए निवेश हो गए, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं, 8 लाख 48 हजार वह मकान जो अपूर्ण हमें मिले, 1 लाख 77 हजार मकान जो हमारे समय में स्वीकृत हुए जो निर्माणाधीन है और 6 लाख 75 हजार मकान जो हमें बनाने हैं तो 17 लाख यानी हम हमारे कार्यकाल में 17 लाख लोगों को आशियाना देने का काम करेंगे जो आज तक नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय का अगर देखें तो इसमें इनसे कई गुना ज्यादा हमने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी वित्तीय वर्ष के अंदर, जो वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है उसमें 4 लाख 31 हजार मकान राजस्थान में बनाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम का इसी 18 मार्च को माननीय मुख्य मंत्रीजी और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय की उपस्थिति में आगाज किया है बांसवाड़ा से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जितने मकान बनेंगे इन सारे मकानों के अंदर किसी प्रकार की परेशानी के साथ-साथ भ्रष्टाचार नहीं हो इसके लिए आवास सोफ्टवेयर को हमने बनाया है, उसमें सारे मकान पंजीकृत होंगे। मोबाइल से भी कोई व्यक्ति अपने मकान के बारे में कोई जानकारी लेना चाहे तो ले सकता है, यही नहीं हम कैम्प लगाएंगे हर जिले के अंदर, हम एक-एक नोडल बैंक तय करेंगे और उस नोडल बैंक के माध्यम से जिसको स्वीकृति मिली है, 1 लाख 48 हजार रुपए मकान बनाने की, अगर वह बैंक से लोन लेना चाहेगा तो 70 हजार रुपया लोन उसको और मिलेगा यानी 1 लाख 48 हजार रुपया तो वह है जो उसको मुफ्त के अंदर चयन होने पर मिल रहा है और उसके साथ-साथ 70 हजार का अगर वह लोन ले तो आप अंदाजा लगा लो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार के मकान इसमें बनेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा कर रहा हूं कि जहां प्रधान मंत्री आवास योजना के कुछ मकानों का समूह एक स्थान पर होगा, उसको हम खुर्रे से या इन्टरलॉकिंग सड़क से जोड़ने का काम करेंगे, जितने मकान बनेंगे उन मकानों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युत कनेक्शन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिलाएंगे और जो लाभार्थी इसमें है उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन भी मिलेगा। इन सभी को नरेगा में जो पात्र होंगे उसमें कैटल शेड की स्वीकृति लेना चाहेंगे तो 70 हजार रुपए की और इन सब लोगों को 4 लाख 31 हजार लोग अगर स्वीकृति लेना चाहे तो कैटल शैड की स्वीकृति जारी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें मकान बनेंगे इसमें कुशल श्रमिक की जरूरत भी है तो आवास निर्माण में जुड़े 8 हजार श्रमिकों को हम कुशल श्रमिक बनाने का काम भी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें बहुत से लोग रह गए, यह प्रधान मंत्री आवास योजना का जो सर्वे है यह सर्वे नहीं कराया गया था अलग से यह तो जो सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना थी उसमें 13 मानक थे उनके आधार पर इनका सर्वे हुआ था और आज की तारीख में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनका ग्राम सभा पहले 'सेप' में जिनका चयन हो गया, इनकी अपील भी 2 लाख 90 हजार हमारे पास हैं। ऐसे लाभार्थी भी हैं, जिनकी अपील थी कि हमें पात्रता होने के बावजूद छोड़ दिया, ऐसी भी अपील हमारे पास 14 लाख के लगभग हमारे पास है। चूंकि भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि इन अपीलों का निस्तारण करने से पहले जो पहले हमें लक्ष्य दिए हैं वह मकान सारे बने, मैं निश्चित तौर पर सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इनकी अपील जिनकी है उनका भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार निस्तारण करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मकान बने कैसे? आप प्रदेश में बड़ी संख्या में गांवों में रहने वाले व्यक्ति के पास पट्टा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा कर रहा हूं कि 14 अप्रेल, 2017 से 12 जुलाई, 2017 तक हम 90 दिन का विशेष अभियान चलाकर सभी पात्र भूमिहीन परिवारों को भूखण्ड आवंटन कर पट्टे जारी करने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10 लाख पट्टे हमारे राजस्थान में हम 90 दिन में जारी करें। इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को राज्य के सभी पंचायत समितियों में एक-एक ग्राम पंचायत में शिविर लगाने का काम करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हम ग्राम पंचायतों में उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि है, इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करवाएंगे और हम कलेक्टर्स को निर्देश दे रहे हैं कि ग्राम पंचायतों के पास आवंटन हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सिवाय चक या राज्य सरकार के स्वामित्व की या अन्य भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु ग्राम पंचायत कार्यवाही कर ग्राम पंचायतों के उपलब्ध कराए। जहां सिवाय चक जमीन भी नहीं है और चारागाह जमीन है उसके नियमानुसार प्रस्ताव करके चारागाह जमीन के बदले में दूसरी जमीन देकर इस काम को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिला कलेक्टरों के पास कई जगह आबादी विस्तार के प्रकरण लम्बित है। हम निर्देश देंगे कि जिस भी ग्राम या ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लम्बित होंगे उनको पूरा कराने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना लम्बा समय गुजर जाने के पश्चात् भी कई ग्राम पंचायतों को यह पता ही नहीं कि उनकी आबादी भूमि की सीमा क्या है? हम अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि का सीमांकन कराने का काम भी करेंगे और उसके साथ-साथ हम प्रेरित करेंगे कि जो लोग गांवों से निकल कर महानगरों में चले गए परंतु जिनका मूल निवास गांव की तरफ है, हम ऐसे औद्योगिक घरानों को, भामाशाहों को कहेंगे कि वह गांव के अंदर प्राइवेट जमीन खरीद कर भी अगर ग्राम पंचायत में गरीब आदमियों को आवास बनाने के लिए मुहैया कराना चाहेंगे तो हम उनको प्रेरित करेंगे कि वह जमीन खरीदे हम ग्राम पंचायत के नाम से इन्द्राज करेंगे और उसका मुफ्त में पट्टा जारी करेंगे, इस प्रकार का काम भी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां फागी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पट्टा जारी होता है, एक पट्टा एक सरपंच जारी करता है चूंकि उसका रिकार्ड नहीं और दूसरा सरपंच आ गया तो वह उसको कैंसिल कर देता है। हम इसको ऑनलाइन भी करेंगे जितने पट्टे होंगे उनको ऑनलाइन भी करेंगे और इसके साथ-साथ एक स्टेण्डर्ड पट्टा, एक ही तरह के मानक पट्टे का प्रारूप भी तय करेंगे जो सब जगह होगा। गांवों में निर्मित जितने मकान हैं उन पर नम्बरिंग नहीं हुई आज तक, हम उन पर नम्बरिंग करने का काम करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में संशोधन करके पट्टा जारी करने की आपत्तियां आमंत्रित करने की 30 दिन की अवधि को संशोधित करे 7 दिन का करने का काम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकारी संस्थान हैं, चाहे वह चिकित्सालय हो, स्कूल हो, इनकी भूमि आवंटन के लिए भी लम्बा समय लग जाता है। हम पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 162 में संशोधन करके 500 वर्ग गज भूमि सरकारी भवन के लिए इस भूमि का आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा। और 1000 वर्ग गज भूमि तक का अधिकार पंचायत समिति को दे रहे हैं और 1000 वर्ग गज से ज्यादा भूमि है उसके लिए हम जिला परिषद को अधिकार दे रहे हैं। यह बहुत हो गया, इन भूमियों के आवंटन के लिए पत्रावलियां इधर से उधर जाती रहती हैं और आज बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी संस्थान हैं, स्वीकृति मिल गयी, परंतु भूमि का आवंटन नहीं हुआ, इसके कारण वे संस्थान बन नहीं रहे हैं। इसके अलावा मैंने पहले कहा था कि शहरों के पास में जो गांव थे, वे शहर की आगोश में चले गये, पैरीफेरी विलेज। इन पैरीफेरी विलेज के अंदर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि और इसकी आबादी के विस्तार के लिए भी हम यूडीएच डिपार्टमेंट से बात करके इसकी भी एक प्रक्रिया निर्धारित करेंगे और अब आबादी का विस्तार जो पहले 2001 की जनगणना के अनुसार होता था अब उसके मापदण्ड 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी का विस्तार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी 5 जून, 2015 और 10 जुलाई, 2015 को हम अलग-अलग आदेश जारी कर पंचायतों को आबादी भूमि के उपयोग और परिवर्तन के लिए अधिकृत कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आसींद से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों ने स्वच्छता अभियान के बारे में अपनी बात कही। छोटा सा सोच का बदलाव कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का संदेश दिया। आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता के प्रति जो जागरुकता आयी वह किसी से छुपी नहीं है। अभी डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था। वह डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट यह कह रही है कि रोज सुबह से शाम हो जाती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, 1600 लोग डायरिया, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से मरते हैं। इसका सीधा संबंध गंदगी से है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदया ने इस स्वच्छता के अभियान को तब गति दे दी जब उन्होंने पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करके जो पंचायत राज संस्थानों में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनमें अर्हताओं में शौचालय को शामिल कर दिया। देश के अंदर 20 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य प्रधान मंत्रीजी ने रखा है, परंतु हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक वर्ष पूर्व यानी 2018 तक राजस्थान ओडीएफ हो जाय इसका लक्ष्य रखा है। अब तक 56 लाख 64 हजार शौचालय बन चुके हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2015-16, 2016-17 में शौचालय के निर्माण में हम देश में पहली पायदान पर खड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जो शौचालयविहीन परिवार हैं उनमें 63 फीसदी परिवारों के शौचालय का निर्माण अब तक हो चुका है और पूरे देश में जितने शौचालय बने हैं उसमें 14 परसेंट सिर्फ राजस्थान में बने हैं। इसी कारण से यहां इतना अच्छा काम हुआ कि स्वच्छ शक्ति पुरस्कार है, वह भी इसी 8 मार्च को माननीय प्रधान मंत्रीजी ने अजमेर की मनरेगा में काम करने वाली श्रमिक आशा भांबी को देकर सम्मानित किया है।

उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे सदस्यों ने इसके भुगतान की बात भी कही। हमने अब ईएफएमएस से सीधा खाते में भुगतान प्रारंभ किया है और 7341 करोड़ का भुगतान हम कर भी चुके हैं। स्वच्छता जीवन की पद्धति बन जाय, हमारी जो 4744 ओडीएफ ग्राम पंचायतें हुई हैं उनमें सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के लिए, जहां जरूरत हो कचरा संग्रहण के लिए साईकिल रिक्शा की, साईकिल रिक्शा उपलब्ध कराएंगे। ट्रैक्टर किराये पर लेना हो, ट्रैक्टर किराये पर उपलब्ध कराएंगे। सोख्ता गड्ढा बनाना हो, नालियां बनानी हो, इसके लिए 150 परिवार जिस ओडीएफ ग्राम पंचायत में हैं उसके लिए 7 लाख, 300 परिवार हैं उसके लिए 12 लाख, 500 परिवार हैं उसके लिए 15 लाख और 500 से ज्यादा परिवार हैं उसके लिए 20 लाख रुपये। इस प्रकार का प्रावधान किया हुआ है, भारत सरकार से हमारी बात हो गयी, यह पैसा ओडीएफ का सर्टिफिकेशन के बाद हमें मिलेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा जहां एक ओर 150 घरों पर पर दो सफाईकर्मी हम नरेगा से रखेंगे वहीं यह सारी राशि उपलब्ध कराकर राजस्थान के गांवों को स्वच्छ करने का काम हम निश्चित तौर पर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां अभी चर्चा चली, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो सर्वे हुआ था बेसलाइन सर्वे, 2012, इसमें बहुत से पात्र लोग रह गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी पात्र लोग वंचित रह गये हैं, मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि नरेगा योजनान्तर्गत हम उनको 12-12 हजार रुपये की स्वीकृति जारी करेंगे। मैं यह भी घोषणा कर रहा हूं, स्मार्ट विलेज का हम कंसेप्ट लेकर आये हैं, मैं आपको अभी निवेदन करूंगा, जो हमारे स्मार्ट विलेज हैं उन सहित 5 हजार गांवों में हम 100 करोड़ की लागत से इसी वित्तीय वर्ष के अंदर, जिसमें स्मार्ट विलेज सहित 2 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से कुल 5 हजार गांवों में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 100 करोड़ की लागत से हम निर्माण कराने का काम कराएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी ओडीएफ ग्राम पंचायतें हो गयी हैं, जिनमें 1188 का सत्यापन हो गया, शेष के लिए हम 10 अप्रेल से 10 मई तक विशेष अभियान चलाएंगे। फागी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सफाई की बीएसआर नहीं है। बीएसआर के लिए इसी एक महीने में बीएसआर बनाकर बीएसआर लागू करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी का एक वक्तव्य बड़ा सटीक नजर आता है। उन्होंने यह कहा था कि गरीब कोई सहायता नहीं चाहता, वह अवसर और ताकत चाहता है जिससे मेहनत करके आगे बढ़े। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजस्थान में गांवों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक स्वावलम्बन देने के लिए है। यह राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद 2010 से काम कर रही है। 2010 से 2013 तक सिर्फ 12 हजार महिला स्वयं सहायता समूह का गठन पिछली सरकार ने किया। हमारी सरकार ने इन तीन वर्षों में 52 हजार गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन किया और 6 लाख लोगों को लाभान्वित किया। आज की तारीख में 64188 स्वयं सहायता समूह जिसमें 7 लाख 50 हजार महिला हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
जिनमें 4018 ग्राम संगठन हैं और 92 क्लस्टर हैं, ये जुड़े हुए हैं। 10 से 15 महिलाएं गांवों में मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाती हैं और 10 महिला स्वयं सहायता समूह मिलकर गांवों के अंदर ग्रामस्तरीय एक संगठन बनाते हैं और 40 ग्राम संगठन मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। 64183 स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक समूह को 1 लाख 85 हजार की सहायता देते हैं और बैंक के माध्यम से इनको ऋण भी देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ख्यातिनाम संस्थान है ''मैक डोनाल्ड''। इसने राजीविका में अध्ययन किया था। उस अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि इन महिलाओं की, जो इन संस्थाओं से जुड़ी हैं, इनकी गत तीन वर्षों की मासिक आय है उसमें 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब डूंगरपुर में आदिवासी महिलाओं ने जो सोलर लैम्प लगाया है वह पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं वर्ष 2017-18 में 30 नये ब्लॉक में 15 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा तथा इन्हें सम्मिलित करते हुए 16 हजार समूह को परियोजना द्वारा कुल 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके अलावा 20 हजार समूह में एक लाख महिलाओं को 200 करोड़ रुपये का बैंक ऋण दिलाया जाएगा और आईआईटी, मुम्बई के सहयोग से डूंगरपुर में सोलर पैनल तैयार करने के लिए इकाई लगायी जाएगी। इन्हीं समूह में 40 हजार समूह को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, मनरेगा, एसबीएम आवास योजना आदि के कन्वर्जंस के माध्यम से 500 करोड़ का लाभ पहुंचाया जाएगा। झालावाड़ और चित्तौड़ में सैनेटरी नैपकिन की इकाई स्थापित की जाएगी। 2017-18 में राज्य के स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को आसानी से समय पर ऋण उपलब्ध हो इसके लिए राजस्थान में पहला एस.एच.जी. महिला बैंक भी स्थापित करने का काम हम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के लिए सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कई प्रकार की टीका-टिप्पणी की। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, पाली से आने वाले माननीय सदस्य, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, फागी और धोद से आने वाले माननीय सदस्यों ने इसे राजस्थान के लिए एक तरह से वरदान के नाम से नवाजा। विश्व जल दिवस, जो अभी 22 मार्च को ही मनाया गया था उसमें भारत सरकार के भूजल संसाधन की एक रिपोर्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रकाशित हुई। जिसमें यह कहा गया था कि इस देश के अंदर 6 करोड़ 30 लाख जनता ऐसी है जिसे साफ पानी उपलब्ध नहीं है। इनकी आबादी यूनाइटेड किंगडम से ज्यादा है। यही नहीं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट भी यह कहती है कि देश में जलजनित बीमारियों से मरने वालों की संख्या 8 लाख 42 हजार है। आज राजस्थान के अंदर 80 फीसदी जो हमारा क्षेत्रफल है वह डार्क जोन में चला गया, ओवर एक्सप्लाइटेड हो गया। आज तक विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, कई सोपान विज्ञान चढ़ा है, परन्तु आज तक जल का कृत्रिम उत्पादन संभव नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जो लगातार जलदोहन नीचे से है वह अस्वस्थकर भी है और उसके कारण से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। राजस्थान में जल स्वावलम्बन कार्यक्रम चला, जिसका जिक्र पूरे देश ने किया, इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का एक प्रतिनिधिमण्डल आया। उन्होंने इसके लिए न केवल बधाई दी बल्कि वे यह कहकर गये कि हम अपने देश के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय सार्क का सम्मेलन चल रहा था, आप भी साक्षी हैं, जब नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधिमण्डल इस पूरी चीज को देखकर गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश में लागू करेंगे, इस प्रकार की योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्य रखा है 27 जनवरी, 2016 से जो योजना प्रारंभ हुई कि हम 4 वर्षों में 21 हजार राजस्थान के गांवों को स्वावलम्बित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रथम चरण था उसमें कुल मिलाकर 95 हजार 75 जल संरक्षण के कार्य हुए, ढांचे बने। उपाध्यक्ष महोदय, बरसात निकल गई और सिर्फ 222 उनमें से टूटे, वो भी करौली में जहां अत्यधिक बरसात हुई तो इस प्रकार का काम हुआ। 28 लाख पौधे लगे और 11 हजार 173 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का संग्रहण हुआ, 40 लाख जनता लाभान्वित हुई, 45 लाख पशु लाभान्वित हुए, 55 करोड़ रुपये का इसमें जन सहयोग प्राप्त हुआ और यह 1200 करोड़ की योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार दूसरे चरण के अन्दर 1837 करोड़ की योजना है, एक लाख 37 हजार इसमें जल संरक्षण का काम होगा, 1 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जियो टेगिंग हुई। इसमें रिमोट सैंसिंग के माध्यम से इसकी गुणवत्ता की भी सब जांच हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां बात चली कि इसमें तो आपने वाटरशैड का और दूसरा पैसा ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रथम चरण की कुल लागत थी उसके अन्दर जो आई.डब्ल्यू.एम.पी.

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का पैसा था वो तो सिर्फ 352 करोड़ रुपये ही था। राज्य सरकार ने अपने मद से, बाकी सारा पैसा अपने मद से दिया। इसी प्रकार सैकण्ड के अन्दर भी 270 करोड़ रुपये आई.डब्ल्यू.एम.पी. के हैं। इसलिए यह कहना कि यह जो योजना है इस योजना के अन्दर राजस्थान सरकार ने कन्वर्जेन्स निश्चित तौर पर......

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यह तो बताओ कि राज्य सरकार ने किस मद से कितना पैसा दिया।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट मंत्री महोदय, आप विराजें। क्या सदन को यह मालूम है कि प्रतिदिन पूरे संसार में कितने बच्चे सिर्फ वाटर बोर्न डिजीज की वजह से मरते हैं। 6,000 children die everyday. Out of 6,000, 4,000 die in India. Every half a minute, one chilld is dying because there is no drinkable water available. यह अभियान वहां अमृत का काम करेगा। इस अभियान में पहली बार वाटर बॉडी चार्ज होने के बाद में कितने अण्डर ग्राउंड वाटर को सरचार्ज करेगी और कितने एग्जिस्टिंग वैल्स और ट्यूबवैल्स को सरचार्ज करेगी यह उसका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इतनी गंभीर बात, आप अगर मुझे देखकर कहते तो समझ में आती पर ये गंभीर बातें लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के ऊपर से निकलती है उपाध्यक्ष महोदय। तो मैं निवेदन यही करूंगा....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभियान की बुराई थोड़े ही की है, बड़ाई की है लेकिन साथ-साथ में राज्य सरकार ने कितना पैसा दिया।

श्री उपाध्यक्ष: बात इनके विधान सभा क्षेत्र की नहीं है, बात इनकी है। ये श्री गोविन्द है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। यह बात ऐसी करते हैं कि बात कहां की कहां तक पहुंचती है। मैं समझता हूं कि इसीलिए इसका नाम मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान रखा। यह अभियान एक तरह से जन-क्रांति और जल क्रांति को जोड़ने वाला था और निश्चित तौर पर हम दूसरे चरण के अन्दर प्रवेश कर चुके हैं और मैं माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभियान को अभियान समझकर इसमें अपना योगदान दें, व्यक्तिगत योगदान भी दें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां महात्मा गांधी नरेगा योजना के बारे में भी कई प्रकार की बात चली। यह सही है कि 2005 के अन्दर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, 2005, उसके बाद उन पात्र लोगों को, उन परिवारों को 100 दिन के रोजगार का अधिकार मिला है और यह भी सही है उपाध्यक्ष महोदय, कि 1 अप्रेल, 2008 से यह योजना लागू की गई। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ इस योजना में 100 दिन के रोजगार के अलावा इस राज्य के अन्दर जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, सहरिया हैं, खैरवा हैं, कथोड़ी हैं, इन परिवारों को 100 दिन का रोजगार पूरा होने के बाद भी राज्य सरकार ने अपने संसाधन से 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का काम भी किया है उपाध्यक्ष महोदय और यह छोटा काम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि आजकल यह महानरेगा, यह परिसम्पत्तियां और रोजगारपरक योजना इस प्रकार की है जिसमें विकास का काम भी होता है। पिछले वर्ष में हमने अलग-अलग कन्वर्जेन्स के माध्यम से 34 हजार कार्य करवाये जो 127 करोड़ के थे और इस बार हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 50 हजार काम करायें जो कम से कम 200 करोड़ के हों, इस प्रकार का काम हम करेंगे उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने 100 दिन काम पूरे कर लिये उनका जो श्रमिक कार्ड बनाने की योजना है यह एक तरह से उस गरीब के लिए वरदान है। यह पहली बार राज्य सरकार ने एक अभियान के तौर पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि नरेगा में जिस किसी भी श्रमिक ने 100 दिन पूरे कर लिये हों उनका श्रमिक कार्ड जरूर बन जाए। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, आज श्रमिक कार्ड जिसके पास है, अगर बच्ची की शादी है तो 55 हजार रुपये मिलते हैं, बच्चा-बच्ची घर में पैदा हो तो 20 से 25 हजार रुपये मिलते हैं और अगर वो बच्चा स्कूल में जाता है उसको अलग-अलग समय पर अलग-अलग वजीफा है और अगर कहीं डैथ हो जाए, मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपये मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि इस काम को हम आगे बढ़ायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमें इस बार का लक्ष्य मिला था 23 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का और 31 मार्च तक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम 26 करोड़ मानव दिवस सृजित कर लेंगे। अब तक हमने 5011 करोड़ रुपये व्यय कर लिया है जो 2009-10 के बाद सर्वाधिक है और आगामी वर्ष के अन्दर हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 5200 करोड़ रुपये इसमें खर्च करें। उपाध्यक्ष महोदय, अब हमने अभियान छेड़ दिया है कि जितने भी काम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि कई माननीय सदस्य काम की मानकता को लेकर कह रहे थे। हम सारे कामों का जियो टेगिंग करवायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम एक निश्चित प्रक्रिया भी निर्धारित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मजदूरी भुगतान की बात चली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैटेरियल कम्पोनेंट के पैसे में भुगतान के अन्दर थोड़ा सा विलम्ब हुआ पर मजदूरी के भुगतान में हमारा देश में चौथा स्थान है। हम 76 परसेंट 15 दिन की मजदूरी का भुगतान 15 दिन में कर रहे हैं और 97 परसेंट मजदूरी का भुगतान हम एक महीने के अन्दर-अन्दर कर रहे हैं। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि हम आगामी वित्तीय वर्ष में जो अब ये 15 दिन का भुगतान 76 प्रतिशत कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाकर हम 90 प्रतिशत पर ले जाएंगे।

इसके साथ ही यह जो 100 दिन तक अकुशल रोजगार जिस श्रमिक को मिल गया, ऐसे एक लाख 50 हजार अकुशल श्रमिकों को स्किल डवलपमेंट के माध्यम से हम कुशल श्रमिक बनाने का काम करेंगे। 1000 बेयरफुट टेक्नीशियन की भर्ती इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर हम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बांसवाड़ा के अन्दर देश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्रीजी से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने जो सरकारी विद्यालय हैं, नरेगा में सरकारी विद्यालय की चारदीवारी बने इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने अनुमति जारी कर दी है, राजस्थान सरकार के पास अनुमति आ जाएगी और जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उसमें हमारा लक्ष्य रहेगा उपाध्यक्ष महोदय, कि हम कम से कम 5 हजार सरकारी विद्यालयों में नरेगा के माध्यम से चारदीवारी का निर्माण करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा कर रहा हूं कि जिन राजकीय भवनों की चारदीवारी है उनमें नरेगा के माध्यम से हम सघन वृक्षारोपण करेंगे और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वृक्षारोपण का पाँच साल के रखरखाव का मानव संसाधान का इंतजाम भी करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन पंचायतों में चरागाह भूमि है उनमें डिच-कम-बंडिंग से उसकी चारदीवारी का निर्माण कर सघन वृक्षारोपण और चरागाह विकास करने का काम भी करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मजदूरी मिल रही है 181 रुपये है वो 1 अप्रैल से 192 रुपये होगी पर मैं यह सोचता हूं हरियाणा के अन्दर यह मजदूरी ज्यादा है और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर कोशिश करूंगा कि यह 192 रुपये श्रमिक की मजदूरी जो 1 अप्रैल, 2017 से लागू हो रही है, भारत सरकार ने हमें इसकी अनुमति दी है, इसको बढ़ाकर 225 रुपये प्रति किया जाए, इसके लिए मैं खुद कोशिश करूंगा उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, दस हजार फार्म पोण्ड, समूह कुएं और टांके, इनका निर्माण हम इसी आगामी वित्तीय वर्ष में करेंगे और 60 हजार कैटलशैड, वर्मी कम्पोस्ट और नाडिम कम्पोस्ट, इसका निर्माण भी वित्तीय वर्ष में करेंगे। 1300 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हम इसी वित्तीय वर्ष 2017-18 में करेंगे और 100 किलोमीटर रोड साइड में प्लांटेशन का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जो 4 लाख 94 हजार पात्र लोग हमारे 2012 के सर्वे में वंचित रह गये, उनको सबको हम व्यक्तिगत शौचालय की स्वीकृति भी जारी करेंगे। अजोला पिट के माध्यम से 5 हजार काश्तकारों को हम लाभान्वित करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, टी.एस.पी. की पुरानी मांग थी, ट्राइबल सब एरिया प्लान में उनकी मांग थी कि हमारे कुओं को गहरा कराया जाए। अभी माननीय मुख्य मंत्री बांसवाड़ा गये थे, वहां उन्होंने इस बात को कहा था कि जो कन्वर्जेन्स के माध्यम से जनजाति विकास का पैसा मिलेगा, उसके साथ मिलकर हम 25 हजार कुओं को गहरा करने का काम टी.एस.पी. क्षेत्र में इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे जिसमें एक लाख रुपये प्रति यूनिट की कोस्ट होगी।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आई.जी.एन.पी. के अन्दर जो खालों का निर्माण है वो खालों का निर्माण चूंकि वाटर यूजर कमेटियां बनी हुई हैं, अच्छी तरह काम कर रही हैं तो मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि आई.जी.एन.पी. के अन्दर खालों के निर्माण के लिए हम जल उपभोक्ता संगम को एजेंसी बनाने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो मैटेरियल कम्पोनेंट की बात कही। उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्दर 300 करोड़ रुपये की मैटेरियल कम्पोनेंट की लाइबिलिटी हमारे ऊपर है। पर मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, मैंने बात भी कर ली है, इसी एक महीने के अन्दर-अन्दर हम इस पूरी लाइबिलिटी को जीरो करेंगे। हम चाहे एक बार राज्य सरकार से पैसा बोरो करें पर हम यह जो 300 करोड़ की लाइबिलिटी जो आज हमारे ऊपर है, इस लाइबिलिटी को एक महीने के अन्दर-अन्दर पूरा करने का काम करेंगे उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन चल रहा था। यह मिशन है जो कस्बाई संस्कृति के गांव हैं, उन गांवों में जहां ग्रामीण और गैर कृषि उत्पादक द्वारा आजीविका प्राप्त करने का काम हो रहा है। ऐसे गांव जो हमारे यहां राजस्थान में हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये 11 जिलों में 53 ग्राम पंचायत हैं। इन सभी गांवों के अंदर हम सड़कें बनायेंगे, एलईडी लाइट लगायेंगे, सोलर स्ट्रीट लाइट लगायेंगे, घर-घर में पानी का कनेक्शन देंगे, स्मार्ट स्कूल बनायेंगे और ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन का काम करेंगे और ई-ग्राम कनेक्टिविटी देंगे। 270 करोड़ रुपये हम इस श्यामाप्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन में खर्च करेंगे और इन सभी 53 ग्राम पंचायतों को हम आदर्श और स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का काम करेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की चर्चा भी हुई। राजस्थान अलग-अलग एवं भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर कई भागों में बंटा हुआ है और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने पहले अपने बजट भाषण में यह बात कही थी कि डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिए वह पाँच वर्ष में डांग को अलग, मगरा को अलग और मेवात को अलग, 300-300 करोड़ रुपये देंगी। कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपये पाँच वर्ष में देने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की थी और इस डांग क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ जिले हैं, 26 पंचायत समिति हैं, 394 ग्राम पंचायतें हैं। मगरा के अंदर 5 जिले हैं, 16 पंचायत समिति हैं, 275 ग्राम पंचायतें हैं। मेवात के अंदर अलवर और भरतपुर की 8 प्लस 4, 12 पंचायतें हैं और 240 ग्राम पंचायतें हैं। अब इनमें प्रतिवर्ष 160 करोड़ रुपया लगभग पिछले दो-तीन सालों में खर्च होता आ रहा है। अब ये विकास कार्य अलग-

अलग मद में अलग-अलग जगह पर खर्च हो रहा है। यह परिलक्षित नहीं होता था, इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा कर रहा हूं कि यह डांग, मगरा और मेवात, इन तीनों के अंदर हम 300 ग्राम पंचायतों को माननीय सदस्यों से प्रस्ताव लेकर उन्हें हम स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करेंगे। उनमें आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई व्यवस्था, स्मार्ट स्कूल और ई-कनेक्टिविटी करेंगे। इन योजनाओं के अंदर कई प्रतिनिधियों के कई बार पत्र मिलते हैं। इसमें कुछ गांव छूट गये या कुछ गांव इसके अंदर ऐसे हैं जिनको अब आवश्यकता नहीं है या इनका गलत चयन हो गया तो इनका पुन: सर्वे करने की मैं घोषणा कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, यह माननीय सदस्य ने कहा, 162 किलोमीटर लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर की। इनमें 381 ग्राम पंचायतें आती हैं। इस वर्ष हमें 270 करोड़ रुपये मिले हैं भारत सरकार से। यह सेचुरेशन एप्रोच के साथ हम इस राशि का उपयोग करेंगे। सीमा क्षेत्र से जीरो से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाली 16 पंचायत समितियों में प्रत्येक की 10-10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को हम स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करेंगे यानी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। हमने स्मार्ट सिटी बनाई, हम स्मार्ट विलेजेज बना रहे हैं। एक आप प्रयोग करिये, गुड विलेज बनाइये। फर्क है। स्मार्ट व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन अच्छा व्यक्ति है, वह आत्मा से भी स्मार्ट होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि आप एक नया प्रयोग कर रहे हैं। स्मार्ट शब्द का हमने शहरों में, वगैरह में इस्तेमाल किया है। देखिये, कुछ आप अपने प्रयोग से अच्छे विलेज क्या होते हैं, गुड विलेजेज क्या होते हैं, यह बनाइये। सुझाव है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुझाव, उपाध्यक्ष महोदय, इतना क्लिष्ट है कि ऊपर से निकल गया। मैं आपसे मिलकर ही पूछूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मीर का एक शेर है खुशी पर, अपन जब हैप्पीनैस इंडेक्स की बात कर रहे हैं न, उस पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि खुशी क्या है? ''यह तो खुदा जाने, हम तो सब इसका नाम सुनते आये हैं।'' (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनगिनत प्रतिभाएं हैं आप में उपाध्यक्ष महोदय, एक यह प्रतिभा आज उजागर हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रतिभाओं की पहचान करने वाला भी तो आदमी चाहिए ना। आप हो ही वो। हीरे की परख तो पारखी कर सकता है। आप जैसे पारखी हो तो फिर क्या हीरे की परख...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वैसे तो अपने पास में पारख तो है और वह पारख सभापति भी हैं। इसलिए पारखी तो हैं यहाँ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट की इजाजत दे दें। पिछले बजट में आपने घोषणा की थी गांवों के मास्टरप्लान बनाने की। उसका भी थोड़ा मंत्री महोदय, बता दें कि वह बन गया या वह वापस ले लिया या सरकार विचार नहीं रखती? वह भी थोड़ा बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निश्चित तौर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट के अंदर यह घोषणा हुई थी। इसके लिए एक एजेंसी का चयन भी करने का कार्यक्रम हमने प्रारम्भ कर दिया है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि पिछले वर्ष की बजट की घोषणा के अनुरूप जिस त्वरित गति से हमें काम करना चाहिए था, हम नहीं कर पाये। आप सही कह रहे हैं और उसको भी हम आगे बढ़ायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 160 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट, विलेज गार्डन, आंतरिक सड़कें, नरेगा से सफाईकर्मियों की स्थाई नियुक्ति, स्वास्थ्य इकाइयां, विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव, इसमें 277 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार स्मार्ट विलेज और गुड विलेज की बारे में यह अवधारणा राजस्थान में आई है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लगातार शहरीकरण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, शहर की आबादी बढ़ती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जा रही है। हम पलायन को इतने वर्षों के पश्चात् भी गांव से शहर की ओर रोक नहीं पाये। मुख्य मंत्रीजी की परिकल्पना है कि क्यों नहीं गांवों के अंदर भी वह सारी आधारभूत संरचनाएं पहुंच जायें जो आज शहर में है और इसी के लिए मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि 5,000 जनसंख्या तक की आबादी के गांवों में हम स्मार्ट विलेज करेंगे।

मैंने जो कन्वर्जन्स की बात की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य हम 3,000 की आबादी तक के 3,171 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में राजस्थान में बनायेंगे। इन सारे गांवों के अंदर चूंकि सीनियर सैकण्डरी स्कूल हर ग्राम पंचायत में खोलने की घोषणा हो चुकी है। चिकित्सा सुविधा, हर ग्राम पंचायत में उपकेन्द्र या पीएचसी है। पशु चिकित्सा सुविधा सब गांवों में लगभग है। अब इनमें दुग्ध उत्पादन समिति, चारागाह विकास, जल निकास का प्रबंध, पक्की गलियां, इन कामों को निश्चित तौर पर हम हाथ में लेंगे। इन सारे स्मार्ट विलेज में दो लाख रुपये की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण करेंगे। सार्वजनिक पार्क का निर्माण करेंगे जिसमें ओपन जिम भी हो। चारागाह उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा में डिच-कम-बंडिंग की व्यवस्था से कच्ची चारदीवारी का निर्माण करेंगे। गांवों के गौरव पथ के अंदर मुख्य मार्ग पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, एलईडी लाइट या सोलर लाइट का प्रबन्ध करेंगे और मनरेगा से गांव में नियमित स्वच्छता और सफाई करने के लिए कर्मी हो, इसकी हम व्यवस्था करेंगे और आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर, ट्राली और रिक्शे की व्यवस्था करेंगे और इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर स्मार्ट विलेज के अंदर दो मुख्य मार्ग हम ग्राम स्वराज मार्ग के नाम से उनको विकसित करने का काम भी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक स्मार्ट विलेज के अंदर अटल सेवा केन्द्र या ग्राम के प्रमुख स्थान, चौक पर वाई-फाई हाटस्पाट क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे और भारत सरकार ने जो मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत 2019 तक 1,959 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त बनाकर चार लाख परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा है। इस हेतु स्मार्ट विलेज योजना, सांसद आदर्श गांव, ओडीएफ, मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन, सीमांत क्षेत्रीय विकास और इन माडल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
विलेजेज को शामिल करते हुए इन गांवों को उनमें शामिल करेंगे और गरीबी से मुक्त करने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दो-तीन मिनट लेकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। यहां विधायक विकास कार्यक्रम के बारे में कई तरह की बात चली। अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, सांचौर और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने अलग-अलग रूप से अलग-अलग बात कही। एक बात तो यह कही गई कि हम अभिशंसा करते हैं किसी काम के लिए, अभिशंसा करने के बाद पहले प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति, यह सफर कई जगह पर इतना लम्बा हो जाता है कि काम में विलम्ब हो जाता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि माननीय विधायक या सांसद महोदय के द्वारा किसी भी विकास कार्य, अनुमत्त कार्य की अभिशंसा करने पर, अभिशंसा की तिथि से एक महीने के अंदर-अंदर यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति और उसके बाद काम चालू हो जायेगा। अगर कोई इस प्रकार का बाहरी कारण रहा, भूमि का विवाद हो गया, कोर्ट का स्टे हो गया, दूसरी बात हो गई तो संबंधित...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अगर एक महीने में नहीं हुआ तो क्या होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तो संबंधित सीईओ को सीसीए रूल 16 और 17 के अंदर नोटिस देकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्वीकृतियां विलम्ब से होती हैं...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, मंत्री महोदय। आपने यह

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एमएलए लैड की यह घोषणा तो कर दी कि एक महीने में काम चालू हो जायेगा लेकिन साहब, जैसे मेरी कांस्टीट्यूएंसी खींवसर है, नागौर में जब पैसा लगाना है, वहां तो हम लगा देते हैं जिला मुख्यालय पर, कालेज को पैसा देना या अस्पताल को देना। आज से पहले 15 परसेंट या 10 परसेंट विधायक जिले के अंदर दूसरे इलाके में भी पैसा दे सकता था तो इसको भी आप पुन: लागू करें। हम बाहर जाते हैं दूसरे क्षेत्र के अंदर, लोग हमसे मांग करते हैं, कई सोशल कार्यक्रम होते हैं, तो आप 10 परसेंट या 15 परसेंट पैसा पहले हम जो देते थे विधायक कोष से, उसकी भी आप व्यवस्था करेंगे। विधायक कोष से उसकी भी आप व्यवस्था करें कि दस परसेंट या पन्द्रह परसेंट पहले की भांति दूसरे क्षेत्रों में दे सकें। ...(व्यवधान)... ये जिला मुख्यालयों पर तो लेते ही हो, साहब।

(19.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह व्यवस्था कर दी तो सभी माननीय सदस्यों पर अनड्यू प्रेशर होना चालू हो जाएगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान)... जिला मुख्यालयों पर पैसा ले लेते हो, जब यहां के अधिकारियों को आवश्यकता हो, जब कलेक्टर को आवश्यकता हो तो विधायक का पैसा ले लेगा वहां अगर कलेक्टर अपने कक्ष को ठीक करना चाहता है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका सुझाव आ गया। यह तो मंत्री जी पर निर्भर करता है कि उस पर वो विचार करें या न करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कराओ साहब, यह बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका सुझाव आ गया, अब विराज जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन स्वीकृतियों के विलम्ब का कारण यह था कि सारी स्वीकृतियां माननीय जिला कलेक्टर के द्वारा जारी की जाती थी। मैं आज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घोषणा कर रहा हूं कि अब ये सारी स्वीकृतियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के द्वारा जारी की जाएंगी, कलेक्टर के पास फाइल नहीं भेजी जाएगी।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर ग्रामीण और सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक गांव के अन्दर एक सामुदायिक विकास केन्द्र दिये जाने की अनुमति है। निश्चित तौर पर जिस तरह की सामाजिक संरचनाएं हैं अलग-अलग मोहल्लों में अलग-अलग लोग रहते हैं। एक गांव में एक से अधिक सामुदायिक विकास केन्द्र की मांग भी की जाती रही है। इसलिए ये जो प्रतिबंध पहले एक गांव में एक सामुदायिक विकास केन्द्र था, उसको मैं हटा रहा हूं, आवयश्यकता पड़ने पर दो या तीन सामुदायिक विकास केन्द्र किये जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इस संविधान संशोधन के माध्यम से केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों और जिला परिषदों को पैसा मिलता रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपके पूरे कार्यकाल में जो पैसा आपको मिला, वो पैसा आपने कम खर्च किया, उसका प्रतिशत कम था और हमारे कार्यकाल में जो पैसा मिला, वो हमने ज्यादा खर्च किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2009-10 से लेकर 2013-14 तक अगर अलग-अलग वर्ष गिनूंगा तो समय लगेगा। कुल मिलाकर केन्द्रीय वित्त आयोग से माननीय सदस्य, आपके कार्यकाल में रुपया मिला था आपको 3196 करोड़ 44 लाख और आपने व्यय किया 1707 करोड़ 73 लाख रुपये और ये आपका प्रतिशत बैठता है कुल मिला कर 53 प्रतिशत और जो वित्त आयोग से आपको पैसा मिला वो मिला 3,310 करोड़ 26 लाख रुपये और अपने कार्यकाल में आपने व्यय किया 1,684 करोड़ 50 लाख। तो अब ये प्रतिशत आप अपना देख लो।

अब हमारे ये तीन साल, इनके पाँच साल हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और हमारे तीन साल। हमें तीन साल में जो कुल पैसा मिला केन्द्रीय वित्त आयोग से वो मिला 4,08,119 करोड़ 56 लाख और हमने व्यय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
किया है 4,00,420 करोड़ 71 लाख रुपये यानी कि हमारा 91 परसेंट हमने खर्च कर दिया और ये जो वित्त आयोग से पैसा मिला, वो पैसा हमें मिला 6910 करोड़ 5 लाख रुपये, हमने व्यय किया है 5341 करोड़ 91 लाख रुपये। यानी, ये भी हमारा प्रतिशत देखो तो वो 77.30 फीसदी है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका यह कहना कि हमारे शासन काल के अन्दर हमने पैसा पूरा खर्च नहीं किया...।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कई तरह की बातें कही गई, कुछ लोगों ने कई प्रकार के हमारे जो ग्राम पंचायत चलाने वाले सरपंचगण और दूसरे लोगों के सामने जो व्यावहारिक कठिनाई आ रही है उनके बारे में भी ध्यान आकर्षित किया। मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं हमारे सारी प्रक्रियाओं को सरलीकरण करने के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु सामग्री खरीद में आ रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए पहले पाँच लाख तक की लागत के एकल कार्य का तथा एक वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये तक की सामग्री के कार्य पंचायतों द्वारा सीमित निविदाओं के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति थी। अब ये पांच लाख की राशि को बढ़ा कर मैं दस लाख कर रहा हूं। यानी, दस लाख रुपये की लागत तक एकल कार्य कोई भी ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कर पाएंगी।

इसी प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये ग्राम पंचायतों में अलग-अलग ऑडिट लगातार होती रहती थी। कई ऑडिट थी। अब यथासंभव हम एक ऑडिट करावायेंगे, हालांकि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जरूर करवायेंगे, ताकि बार-बार ऑडिट होने से जो ग्राम पंचायतों को और सरपंचगणों को दिक्कत आ रही है उससे हम मुक्त कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मनरेगा है इसके अतिरिक्त हमारे अन्य योजना भी चलती है। मनरेगा के अन्दर जो अर्द्धकुशल श्रमिक हैं इसकी मजदूरी के बारे में तो भारत सरकार तय करती है परंतु इसकी मजदूरी और बाजार दर की मजदूरी दोनों में बड़ा अन्तर है, माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मनरेगा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में किये जाने वाले कार्य हेतु अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी प्रचलित बाजार दर के समकक्ष करने के लिए मैं आज घोषणा करता हूं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आम तौर पर गांवों में, ढाणियों और ग्रामों के कदमी रास्ते राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं, किन्तु वो लगातार उपयोग में आ रहे हैं। इन रास्तों पर कार्य करवाने के लिए खातेदार की आपसी सहमति के आधार पर यहां खरंजा बनाना हो, सड़क बनानी हो, उसके लिए अनुमति दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो निर्माण कार्य के मूल्यांकन और यूसी और सीसी बारे में चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बात कही, ये निर्माण कार्य में जो यूसी और सीसी प्राप्त करना विभाग के लिए लंबे समय से जटिल प्रक्रिया बना है। यूसी और सीसी उपलब्ध नहीं होने की कारण से कई योजनाओं की अगली किश्त राशि रिलीज नहीं होती। हम अभियान चलायेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और आगामी समय से जो भी काम होगा, उसकी तीन महीने में यूसी, सीसी जारी हो जाए इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो पहले गांवों में सड़कें बनती थी उन सड़कों की चौड़ाई थी 3.75 मीटर की अनुमति। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि गांवों के अन्दर आन्तरिक सड़कें अब वाल-टू-वाल नालियों के साथ निर्माण होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने ग्रेवल और सड़क के बारे में कहा कि इन ग्रेवल सड़कों की कोई उम्र निर्धारित नहीं है और इनकी रिपेयर के लिए कोई अनुमत नहीं है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो ग्रेवल सड़कों में रिपेयर्स हैं वो अगर एक वर्ष ग्रेवल सड़क को बने हुए हो गये हैं तो पाँच प्रतिशत की उसकी लागत की राशि रिपेयर में खर्च की जाएगी। इस प्रकार की मैं घोषणा कर रहा हूं। दो वर्ष हो गये तो दस प्रतिशत राशि और तीन वर्ष हो गये तो पच्चीस प्रतिशत राशि और पाँच वर्ष बाद तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार सड़क को दुबारा भी बनाया जा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सकता है। यानी, इस ग्रेवल सड़क की मैक्जीमम आयु पांच साल निर्धारित करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह नरेगा से होगी क्या? यह नरेगा में अनुमत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, नरेगा, नरेगा सहित सभी स्कीमों के अन्दर...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं-नहीं, नरेगा में अनुमत करोगे रिपेयर या अन्य फंड से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभी में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नरेगा में नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने आज तक, ग्रेवल सड़कों की उम्र निर्धारित नहीं थी, हमने पहली बार ग्रेवल सड़कों की उम्र मैक्सीमम उम्र पांच साल निर्धारित की है और इनकी रिपेयर के लिए भी हम उसकी लागत का अगर एक साल हुआ है तो टोटल मान लो दस लाख की बनी, तो उसका पांच प्रतिशत रिपेयर उसी साल करवा सकते हैं, दो वर्ष हो गये तो दस प्रतिशत करवा सकते हैं।

अब गांव के विस्तार के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन कर ही दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे जितने भी ग्रामीण विकास के काम हैं इनको जीओटेगिंग करवायेंगे, ताकि दोहरे नहीं हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विभागीय योजनाओं को लागू करने में ग्राम सेवक सबसे महत्वपूर्ण कार्मिक है, इस कार्य की महत्ता को देखते हुए ग्राम सेवक का पदनाम अब मैं ग्राम विकास अधिकारी किये जाने की घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इंटीग्रेटेड राज ई-पंचायत पोर्टल प्रारंभ कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
मंत्री जी, ये गलत हो जाएगा। विकास अधिकारी और वो ग्राम विकास अधिकारी, दोनों अधिकारी अधिकारी हो गये। काहे के लिए कंफ्यूजन कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ग्राम विकास अधिकारी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, तो ग्राम विकास अधिकारी और वो विकास अधिकारी। सारे अधिकारी हो गये। वैसे ही हमारी जान को आफत हैं। ये ग्राम सेवक और आप अधिकारी और बना दो इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह मैंने विभाग के बारे में मोटी-मोटी बातें निवेदन की। अब माननीय सदस्यों ने कुछ बातें भी उठाई। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बातों में सबको सम्मिलित कर लिया, पर फिर भी कनिष्ठ लिपिक की...।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपने घोषणा की पंचायती राज से। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे कई माननीय सदस्यों ने, सरपंच जो है, टैण्डर जो प्रणाली है, अब आप उसको ई-टैण्डर कर रहे हो, ई-टैण्डरिंग कर रहे हो, ग्राम पंचायत के सरपंच को, वो टैण्डर करके, उस ग्राम पंचायत में काम होते ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है, आप ग्राम पंचायत को बीएसआर पर, उसको वो अपना काम करे सामान लाए और वह काम होता है समय पर। टैण्डर करते हैं हर गांव में पार्टियां आपस में, दूसरी पार्टी उसमें टैण्डर डालती है। आप ई-टैण्डर कर दोगे तो और ज्यादा लफड़ा होगा। तो मेरा विशेष निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच को, गांव का कोई भी विकास का काम, उस विकास के काम में टैण्डर करने की कहीं जरूरत नहीं। आपने बीएसआर रेट तय कर रखी है उस बीएसआर रेट से ग्राम पंचायत काम करे तो वो सारा ही लफड़ा खतम हो जाएगा। मैं विशेष माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से निवेदन करना चाह रहा हूं

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
और मंत्री महोदय से यह आशा करता हूं कि इसमें आप जो एक ठोस प्रणाली पहले चलती आयी थी और बीएसआर रेट पर ग्राम पंचायत काम कर ले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही, पूरा देश ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है, पर मैं जरूर कहूंगा कि ई-टेंडरिंग की जो बात है, मैंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं, हम इसको एक बार रोकेंगे, फिर हम सरपंचगण प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद में उसकी कोई व्यावहारिक कठिनाई है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आनन फानन में उन पर थोपेंगे नहीं। उनसे चर्चा करने के बाद ही हम इस व्यवस्था को लागू करेंगे। पूर्व में जो इसके लिये आदेश जारी किये गये हैं, उन आदेशों को हम स्थगित कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधियों से हम चर्चा करेंगे और उसके बाद सहमति से हम कोशिश करेंगे कि इस प्रणाली में अगर कोई कमी खामी हो और उनके विकास के कार्यों में अगर रुकावट आती हो, तो उसे वापस लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हम पंचायती राज का जो पोर्टल जारी कर रहे हैं, मैं समझता हूं उससे पारदर्शिता आयेगी, लोगों को सारे कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बीएसआर रेट से काम करवा दें, क्या तकलीफ होगी? पंचायतों में यह ठेकेदारी प्रथा हो गई, पंचायतों में यह ठेकेदारी प्रथा ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो पहले 5 लाख तक था जिसको बढाकर आज मैंने 10 लाख किया है वह भी वही एकल निविदा ही है। उसका अर्थ वही है कि बीएसआर रेट पर सरपंच एकल निविदा आमंत्रित करके अपने स्तर पर दे सकेगा उसको।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): काम ही वही ठेकेदार कर रहे हैं जो निविदा सप्लाई करते हैं। मैटेरियल सप्लाई करने का आपका टेंडर है मगर मौके पर काम भी वही ठेकेदार लोग कर रहे हैं, उनको रोका जाये, ताकि काम की गुणवत्ता के लिये सरपंच जिम्मेदार तो रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो पहल पांच लाख तक का अधिकार था, उसको दस लाख तक किया है और उसके पश्चात् भी अगर कोई कमी खामी रहेगी तो प्रतिनिधियों से बात करके हम इसको करेंगे।

कोलायत, लक्ष्मणगढ़ और खींवसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती के बारे में सवाल उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 19275 पदों का विज्ञापन 14 और 15 फरवरी, 2013 को जारी हुए। 19.6.2013 को परिणाम घोषित हुए और घोषित परिणाम के बाद में 7790 लोगों ने कार्य ग्रहण कर लिया। उसके बाद इसमें बोनस अंक का मामला था। हाई कोर्ट में रिट दायर हुई और हाई कोर्ट में 15.7.2013 को इस पर रोक लगी। फिर मामला लार्जर बैंच में गया। लार्जर बैंच ने कहा कि अधिकतम बोनस अंक 15 आप दे सकते हो। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने 19.11.2016 को यह कहा कि जो 10, 20 , 30 बोनस अंक के आधार पर हमने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उसमें अब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमने सारी प्रक्रिया प्रारंभ की थी, 17 फरवरी को एक और आदेश आ गया, क्योंकि वह लंबित है एसएलपी में, कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखे कार्मिक और वाटरशैड कमेटियों के सचिवों को भी बोनस दो। इसके कारण से इसकी पूरी मेरिट लिस्ट रिवाइज हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, हम यह भर्ती करेंगे। हमारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, इसलिए इस भर्ती को रोकने का कोई कारण ही नहीं है।

यहां ग्राम सेवकों के पद रिक्त होने की बात भी कही। 3648 ग्राम सेवकों के पद रिक्त हैं। 18 दिसम्बर, 2016 को इनकी परीक्षा हो गई, अब इनका परिणाम आना है। मैं आज सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले दो महीनों के अंदर अंदर हम जो हमारा अधीनस्थ मंत्रालय बोर्ड है उनसे निवेदन करेंगे। चूंकि परीक्षा हो चुकी है, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारी प्रक्रिया पूरी करके हम आने वाले दो महीनों में 3648 ग्राम सेवकों को पदस्थापित करेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां विकास अधिकारी के लिये भी यह कहा गया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं। मैं स्वीकार करता हूं 108 पद रिक्त हैं। 108 पद में अभी 2013 के आरएएस का रिजल्ट आयेगा और 2017 की परीक्षा होगी। इसमें निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हमें विकास अधिकारी मिल जायेंगे। जब तक हमें आरडीएस अधिकारी नहीं मिलेंगे, तब तक हम जो प्रतिनियुक्ति पर आये हुए लोग हैं उनसे काम करेंगे। आरडीएस अधिकारी के पदोन्नति का जो मामला था, निश्चित तौर पर इसमें स्टेंगनेशन नहीं रखेंगे। विभागीय अधिकारियों से बात करके हम इनकी पदोन्नति करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 910 कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की भर्ती हम महात्मा गांधी नरेगा योजना में करेंगे और 367 अतिरिक्त लेखा सहायकों की भर्ती करेंगे।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी निवेदन था कि जो एमएलए लैड का पैसा होता है वह ग्रामीण क्षेत्र में तो आपने व्यवस्था कर दी लेकिन राजस्थान में 40-50 शहरी क्षेत्र भी ऐसे हैं, उन विधान सभाओं में बड़े बड़े समाज अपना कम्युनिटी हाल बनाना चाहते हैं, या सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं। उनमें भी एमएलए लैड का पैसा लगाने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ और सांचौर से आने वाले माननीय सदस्यों ने मिड डे मील का सवाल उठाया। 2016-17 से यह स्कीम शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसलिए इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां सेवानिवृत्त ग्राम सेवकों की पेंशन के बाबत भी बात कही। यह सही है कि लगभग 300 से ज्यादा विभिन्न निगम, बोर्ड से आये हुए ग्राम सेवक थे, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद इनकी पेंशन का प्रकरण है। पहले एक वित्तीय सलाहकार पंचायती राज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपनी बात वित्त विभाग को प्रेषित कर दी है। वित्त विभाग ने कुछ सूचनाएं चाही हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो देय पेंशन है जो बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर ग्राम सेवक आयें है, एक महीने में इस पेंशन प्रकरण को हम निश्चित तौर पर निपटायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करुंगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैंने कोशिश की मैं सबके द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब दूं। निश्चित तौर पर देश की आत्मा जो गांवों में बस रही है, इन ग्रामीण विकास योजनओं के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि हम राजस्थान के गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊँचा करें। राजस्थान के गांवों के लोग भी कम से कम यह महसूस करें, क्योंकि जब से गौरव पथ का निर्माण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होने लगे हैं, पहली बार गांव के लोगों को यह मालूम पडा है कि शहर की तरह उनका विकास भी हो, यह अवधारणा भी अब इस सरकार के मन में है।

जिस प्रकार मैंने आज ग्राम स्वराज पथ बनाने की घोषणा की है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हम राजस्थान की तकदीर को भी बदलेंगे, गांव की तकदीर को भी बदलेंगे, गांव की तस्वीर को बदलेंगे, गांवों को स्वावलंबित करेंगे, जल की दृष्टि से स्वावलंबित करेंगे, आजीविका की दृष्टि से स्वावलंबित करेंगे और आधारभूत संरचनों से गांवों को सुदृढ़ करेंगे।

मेरी प्रार्थना है कि मांग को पारित कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं चाह रहा था कि सांसद और विधायक मद का पैसा देवस्थानों के विकास पर भी खर्च किया जा सकता हो। देवस्थान की जमीनों पर भी खर्च किया जा सके और एक कांटेदार तार किसानों की फसलों की रक्षा के लिये। मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो रोजड़ों के कारण से खेतों को जो नुकसान हो रहा है, तारबंदी की बात माननीय सदस्य ने उठाई है, मेरी चर्चा केन्द्रीय ग्राम विकास मंत्री महोदय से हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि राजस्थान रोजगार परिषद की बैठक करके हम प्रस्ताव लेकर अगर केन्द्र सरकार को भेजेंगे, तो इस पर विचार करेंगे। निश्चित तौर पर हम प्रस्ताव लेकर केन्द्र सरकार को भेजेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): देवस्थानों की जमीनों के विकास के लिये एमएलए लैड और एमपी लैड में खर्चा किया जा सकता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: मुझे एक बात बताइए कि यह मंत्रीजी कहीं जा रहे हैं?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): राज्य सरकार के द्वारा जब देव स्थान की जमीन का विकास होता है तो वहां भी एमएलए, एमपी का पैसा लग सके।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे साथ ही जवाब दे दें, मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो ऐसे हो गया. जैसे कोई प्रश्नकाल चल रहा हो। अब विराजिए।

मांग का पारण

मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,53,13,64,000 (ग्यारह अरब तिरपन करोड़ तेरह लाख चौंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,19,000 (उन्नीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

आधे घंटे की चर्चा

मूंडवा (नागौर) में सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए एम.ओ.यू. (तारांकित प्रश्न संख्या 6 दिनांक 27 फरवरी, 2017)

श्री उपाध्यक्षः श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 27 फरवरी, 17 को माननीय उद्योग मंत्री ने जो अम्बूजा सीमेंट के विषय में जवाब दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: अटेंडेंट रजिस्ट्रर अभी वहीं है। आसन वापस मंगवा सकता है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके जवाब में उन्होंने कहा है इसको मैं थोड़ा-सा पढ़ूंगा। 'नागौर जिले के मुण्डवा में सीमेंट प्लांट स्थापित किए जाने हेतु दिनांक 01.09.06 को एम.ओ.यू. इन्डो निप्पन स्पेशल सीमेंट नाम कंपनी के साथ हस्ताक्षरित किया गया।' जो बाद में अम्बूजा सीमेंट हो गई। उक्त एम.ओ.यू. के अनुसार कम्पनी द्वारा सीमेंट प्लांट की स्थापना दिनांक 31.12.08 तक की जानी चाहिए। प्लांट स्थापित करने की समयावधि को कंपनी के निवेदन पर समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया। 08.07.08 के प्रार्थना पत्र को इनको 31.12.10 तक बढ़ा दिया गया। इनके प्रार्थना-पत्र 18.11.10 पर इनको 31.12.12 तक बढ़ा दिया गया और जब 2012 का समय समाप्त होने लगा तो 24.12.12 के प्रार्थना पत्र पर 31.12.14 तक समय बढ़ा गया और फिर 29.01.15 के प्रार्थना-पत्र पर इनका 31.12.16 तक प्लांट लगाने के लिए समय बढ़ा दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो समय बढ़ाया गया। मुख्य बात यह है कि यह कहानी 2006 से शुरू हुई, यह इस जवाब से लगता है। पर माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कह दिया था कि यह कहानी तो 1986-88 में शुरू हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली लीज जो के.ई.सी. इंटरनेशनल कंपनी को दी गई है, 10 वर्ग किलोमीटर की लीज इस शर्त के साथ दी गई कि लीज के निष्पादन से पाँच साल के भीतर-भीतर सीमेंट प्लांट लगायेंगे और सीमेंट प्लांट लगाने के अलावा वे पाँच रुपए प्रति टन के हिसाब से जो उत्पाद होगा, उसका भी जमा कराएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पंजीयन की तारीख 21.09.88 है और पाँच साल 21.09.93 में खतम होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो के.ई.सी. इंटरनेशनल आई, वह तो 08.01.91 को ही चली गई और उस कम्पनी ने 08.01.91 के द्वारा अपने समस्त अधिकार कंपनी ट्रांसफर करके इंडो निप्पन स्पेशल सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में कर दिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पहला ट्रांसफर है। यह पहला ट्रांसफर 1991 में हुआ। अब आप गौर फरमाए। जिनको 1993 तक प्लांट लगाना था, प्लांट नहीं लगाया। मैं अभी खनिज विभाग का कुछ कानून पढ़ूंगा कि उन्होंने क्या किया? वे कैसे सोते रह गए? फिर इनको बिना प्लांट लगाए एक नई लीज और दी जा रही है और जो नई लीज है, वह 11.06.98 को दी जा रही है। प्लांट लगाया नहीं, 1988 में ले ली 10 वर्ग किलोमीटर। 1998 में 6.35 वर्ग किलोमीटर ले ली। तो कम्पनी के पास 16.35 वर्ग किलोमीटर भूमि हो गई। न तो 1993 में खनिज विभाग ने पूछा और न उद्योग विभाग ने पूछा कि क्यों नहीं लगी?

कुल मिलाकर इस कम्पनी से परेशान होकर खान विभाग ने 13.02.03 को इनका पट्टा संख्या 3/87 को प्रतिभूति राशि सहित जब्त कर लिया और जब्त करते हुए खंडित किया।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप देखें। 1988 में अपन लीज दे रहे हैं, फिर 11.06.98 को लीज दे रहे हैं। 1988 से लगातार 15 वर्ष 2003 तक कोई कार्यवाही नहीं। अब जाकर इन्होंने 15 वर्ष में इस पट्टे को खारिज करने का काम किया, खंडित किया है और खंडित करने के बाद..। ठीक है, बड़ी कम्पनियां हैं, भारत सरकार में रिवीजन में चली गई। रिवीजन में दो साल लगे और भारत सरकार ने 25.07.2005 को कम्पनी के पक्ष में आदेश दिया और सरकार को मामला रिमाइंड किया कि सरकार पुन: देखे और देखकर कोई आदेश दे।

भारत सरकार के रिवीजन में जब मैटर रिमाइंड हो गया तो शासन के आदेश 09.06.06 से 31.12.08 तक दोनों खनन पट्टे निकट तहसील व जिला- नागौर, क्षेत्र 6.99 वर्ग किलोमीटर एवं निकट ग्राम-खैरवाड़ा व तहसील-जिला के 06.35 वर्ग किलोमीटर में दो मिलियन टन की क्षमता प्लांट लगाने का आदेश दिया। श्रीमान यह आदेश 09.06.06 का है और दो मिलियन टन का प्लांट 31.12.08 तक लगाना है। 2008 के बाद की कहानी इनके जवाब में है, पर इनके जवाब से लगता है कि कहानी 01.09.06 से शुरू हुई। यह कहानी तो सन् 1988 में ही शुरू हो गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब निवेदन करता हूं कि जब हम दस-दस वर्ग किलोमीटर की लीज देते हैं। फिर 06.35 वर्ग किलोमीटर की लीज देते हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल 28 पढ़ रहा हूं:-

"Lapsing of lease." "Subject to the other conditions of the Rules, where mining operations are not commenced within a period of 2 year from the date of execution of the lease or it is discontinued for a continuous period of 2 year, after commencement of such operations, the State Govt. shall by an order declare the mining lease as lapsed and communicate the declaration to the lessees."

उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल मेंडेटरी है। यदि दो साल की अवधि में माइनिंग आपरेशन शुरू न हो और एक बार शुरू होकर वापस दो साल के लिए बंद हो जाए तो राज्य पर जिम्मेदारी डाली गई कि वह ऐसी माइनिंग लीज को "they shall declare" कि ये लैप्स हो गई "and communicate the declaration to the lessees."

इस रूल 28 का इस प्रकरण में, 1988 से लेकर आज तक माइन से एक टन माल नहीं निकाला गया, माइनिंग आपरेशन नहीं किए गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बिना माइनिंग आपरेशन किए...।

यह कैप्टिव माइन है और कैप्टिव माइन के लिए भारत सरकार के कानून में कुछ विशेष प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन प्रावधानों को पढ़ता हूं। एक फॉर्म 'के' है, जिसमें आप रजिस्टर्ड माइनिंग लीज देते है। माननीय खान मंत्रीजी तो जानते ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस फॉर्म 'के' के पार्ट 7(3) की मैं रेलेवेंट लाइन पढ़ूंगा:- "The lessee/lessees shall commence operations within 2 year from the date of execution of lease and shall thereafter all time during the continuance of this lease search for in work and development, the said minerals without voluntary intermission in a skilful and workman like manner and as prescribed under Clause 12, hereinafter without doing or permitting to be done any unnecessary or avoidable damage to the surface of the said lands, lands for the crops, buildings, structures or the other property thereon." उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद लिखा है, जो मोस्ट रेलेवेंट है- "for the purpose of this clause, operations shall include the erection of machinery, laying of a tramway or a construction of a road in connection with the mine."

उपाध्यक्ष महोदय, यह माइंस एंड मिनरल्स एक्ट सेंट्रल का है। लाइम स्टोन मेजर मिनरल है।

88 से 5 साल की लीज। उसके बाद नया खनन पट्टा 98 में। फिर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

2003 में राज्य सरकार कैंसिल कर रही है। चलिए, भारत सरकार को अधिकार है, वह रिमांड करके वापिस आपके पास भेजा। कोई कारण नहीं था कि सन् 2003 में आर्डर रिमांड का आया, उसके फलस्वरूप इसको वापिस लीज रिन्यू की जाए। आपने लीज रिन्यू कर दी कोई दिक्कत नहीं है। आपने लीज रिन्यू 2005 में की। उसी के फलस्वरूप 2006 में जब वहां से आर्डर आ गया सेट-असाइड का, तो 9.6.2006 से 31.12.2008 तक दोनों खान पट्‌टे आपने उनको रिन्यू करके दे दिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, मामला शुरू हुआ हुआ 88 में, 2008 तक इन्होंने कहा कि अब के माइन प्लांट लगा लो। बीस साल की अवधि हो गई क्योंकि 88 के बाद 2008, बीस साल। बीस साल के बाद आज तक नहीं लगाया। आप इतने दयालु है कि आप ना तो रूल 28 को देखेंगे, ना आप फार्म k के पार्ट 73 को देखेंगे, कि उन्होंने उस स्थान पर कोई मशीनरी लगाने का काम किया है, कोई लेईंग आफ ट्रामवे किया है, और कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड किया है। आज तक जैसी भूमि राज्य सरकार ने दी थी बिलकुल उसी स्थिति में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक के बाद एक्सटेंशन एक थे। पहला तो यह कि 2003 में आपने खारिज किया, वह भी बहुत लेट किया,15 साल बाद किया। आज भी, मुझे आप जवाब दें कि जो रूल 28 है जिसमें साफ लिखा है कि यदि आप दो साल में माइनिंग आपरेशन शुरू नहीं करते हैं, या शुरू करके फिर दो वर्ष तक उसमें व्यवधान आता है, तो राज्य सरकार डिक्लियर करेगी कि यह लीज लेप्स हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है कि लीज लेप्स करने से पहले नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन न हो जाए, इसलिए एक नोटिस देना पड़ेगा। बिलकुल नोटिस देना पड़ेगा। मैं छोटा-मोटा कानून जानता हूं। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप अब इसको लैप्स करिए, नोटिस दीजिए और नोटिस देकर लैप्स कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, लीज में जो जमीनों की स्थिति है उसको मैं सदन के सामने रखूंगा। जो तीन लीज इनके पास है उसमें राज्य सरकार की भूमि 5 हजार 226 बीघा है। 5 हजार 226 बीघा। माननीय खनिज मंत्री जी देखेंगे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि कितने हजार करोड़ रूपये, इस 5 हजार 226 के आप चार टुकड़े कर लें और उसके बाद इसको आक्शन करें तो जब तो यह आक्शन है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कम से कम आज भी दस हजार करोड़ रुपये, यह हमारी सरकारी जमीन है, कम्पनी के पिता जी की नहीं है। हमने लीज दी है और लीज कैंसिल करने का 88 से एक आदमी चल रहा है। आपने आखिरी मौका 2014 में दिया। 2014 में उन्होंने आपको प्रसन्न करने के लिए कीननेस मनी 8 करोड़ एचडीएफसी से, गारंटी कराकर, 14.12.10 को 8 करोड़ की राशि दी। उसके पहले 18.8.2005 को कीननेस मनी की, मैं लेट फी पर नहीं कर रहा हूं, कीननेस मनी, उन्होंने दी और आपने माना कि हां केप्टिव प्लांट लगाएंगे। चलो 5 वाला भी फैल हो गया। आप तैयार है 14.12.10 को भी कीननेस मनी लेने के लिए कि वह दो करोड़ था, दो करोड़ लैप्स नहीं हुआ है, आपने जब्त नहीं किया है। आपने 8 करोड की कीननेस मनी ले ली। दो करोड़ उसके घर में ही है। उसके खाते में ही है।

मैं अर्ज करना चाहूंगा इस कम्पनी के लिए रीको ने अब तक मुश्किल से एक हजार 51 बीघा जमीन अवाप्त की है। वह उनके नाम है। उसका चाहे उन्होंने कम्पन्सेशन दे दिया, उसके मालिक है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं आप तीनों लीज, लीज संख्या 111/2007, लीज संख्या 3/94, लीज संख्या 3/87 इन तीनों को इसी आधार पर कि आपने दो साल में कुछ नहीं किया। आपके बार-बार एक्सटेंशन देने के बाद भी, एक्सटेंशन की कहानी यह है कि कभी खान विभाग कृपा करता है, कभी इंडस्ट्रीज विवाद बीच में आ जाता है। 2003 में इसको नोटिस दिया गया, तब तो चलो भारत सरकार ने कृपा की, पर अब क्या स्थिति है। अब स्थिति यह है... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कम्पनी द्वारा उक्त अवधि तक प्लांट स्थापित नहीं किए जाने पर कार्यालय के पत्र, माइंस विभाग के कार्यालय से मतलब है, 128 दिनांक 22.1.15 से कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत दोनों खनन पट्टों की प्रतिभूति राशि एवं किन्नेस मनी जब्त करते हुए खंडित किए जाने के प्रस्ताव निदेशालय उदयपुर को प्रेषित किए गए। डीएमजी को फाइल भेज दी। शासन के पत्र क्रमांक खान ग्रुप 2003 दिनांक 20.2.15 से कम्पनी को 30 दिवस नोटिस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जारी किया जाकर लिखा गया है कि विभाग के पत्र दिनांक 2.1.2014 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि उक्त दोनों खनन पट्टों के आधार पर राज्य में सीमेंट प्लांट स्थापित हेतु दिनांक 31.12.14 तक अवधि अंतिम बार बढ़ाए जाने एवं भविष्य में कोई समयावधि नहीं बढ़ाये जाने के बाबत आपको लिखा गया था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किन्तु आप द्वारा अभी तक सीमेंट प्लांट स्थापित कर अवगत नहीं करवाया गया। सीमेंट प्लांट लगाने पर कोई अवगत कराना पड़ेगा? वह तो क्षेत्र में अपने आप दिखेगा। सीमेंट प्लांट कोई छोटी चीज है कि उसको लगाकर अवगत कराना पड़ेगा। खैर, माइंस विभाग ने जो कार्यवाही की...

श्री उपाध्यक्ष: समय हो गया। सम्माननीय सदस्य, समय हो गया। It has to be brief. Your entire statement had to be in a limitation called 'brief'.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष जी, 14 में जो प्रकरण हुआ मैं बस वहीं पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: You have a fellow colleague who would also take as much time, if I am not wrong.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 9.6.2000 को उद्योग विभाग ने इनको 15 से 16 तक की अवधि बढ़ा दी। कभी खान विभाग बढ़ा देता है, कभी उद्योग विभाग बढ़ा देता है। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने बढ़ा दी। मैं निवेदन करता हूं कि रूल 28 और झारखंड हाई कोर्ट ने, तीन लाइनें पढ़ूंगा;

"However, no such lessee can be allowed an indefinite length of time to comply with the terms and conditions of lease and/or obtain the statutory clearances/compliances/consents to operate. Such compliances and statutory clearances must be made and obtained within a reasonable time."

माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैं आपको यह रूलिंग पेश करूंगा।

एक रूलिंग, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि इसकी कहानी जो 2008 से शुरू हुई है और खान अभियंता नागौर ने 12.2.2015 को सहायक लेखा परीक्षक को भेजी है। जिसमें 18 करोड़ के नुकसान की बात कही है। आपकी इजाजत हो तो मैं इसको टेबल कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष: कर दीजिए, Sign it and table it. Table it, Sir. Table it. You table it. Now that you have mentioned, table it. No problem.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं टेबल कर देता हूं। आपके रिकार्ड पर रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: जी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैंने इसका रेफरेंस दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस आधे घंटे की चर्चा में मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने ज्यादातर बातें रख दी।

उपाध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को मेरा तारांकित सवाल था, 6/1092 उसके अंदर मंत्रीजी ने विस्तृत जवाब भी दिया था। लेकिन हो सकता है कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वह अधिकारियों ने लिखकर दे दिया वही जवाब एज-इट-इज दे दिया। इसमें हमने आधे घंटे की चर्चा मांगी थी। पहले तो आपको धन्यवाद कि आधे घंटे की चर्चा हमें इस पर मिली।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्रीजी ने अपने जवाब के अंदर, दो-तीन जो पिन पाइंट है वह आपको बताऊंगा। एक तो इन्होंने कहा कि 1986 के अंदर मूंडला के अंदर अम्बूजा सीमेंट केईसी से शुरुआत हुई थी इंडो निपोन, उसके बाद अम्बूजा के अंदर। इन्होंने 2700 बीघा जमीन मांगी थी, पर उपलब्ध नहीं हो पाई। जबकि वर्तमान में कम्पनी के पास कुल 12 हजार बीघा जमीन उपलब्ध है और इनके पास, 2005-06-07 के अन्दर कम से कम चार से पाँच हजार बीघा जमीन उस टाइम भी किसानों की इन्होंने सारी जमीनें, जो लीज थी, उसके अलावा भी एक्वायर कर ली और वहां कब्जा भी कर लिया था।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा था कि पाँच-छह सौ बीघा जमीन गोचर, आगोर की इनको सरकार ने अलॉट की थी, गोचर और आगोर की थी। जो अब्दुल रहमान का अपना फैसला था, उसके अन्दर गोचर, आगोर की जमीन को आप इस तरह अलॉट नहीं कर सकते। क्योंकि वहां पीने के पानी के जितने भी तालाब और बाँध बने हैं, वे इन आगोर और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

गोचर से ही हैं। वहां बहुत बड़े आन्दोलन भी हुये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन अधिकारियों ने जो पांच-छह सौ बीघा जमीन लिखी, मंत्रीजी को लिख कर दिया, 1332 बीघा जमीन आगोर और गोचर की है, जो अवाप्त करते समय अधिकारियों की बहुत बड़ी गम्भीर चूक व इसके अन्दर भारी भ्रष्टाचार हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय।

मंत्रीजी ने अपने जवाब के अन्दर यह भी बात कही थी कि केप्टिव सीमेण्ट प्लाण्ट, जिसमे माइनिंग का सम्बन्ध भी प्लाण्ट से है, और उसी जवाब में आपने कह दिया माइनिंग लीज का ताल्लुकात माइनिंग डिपार्टमेंट से है। जिससे साफ है कि कम्पनी उद्योग विभाग की आड़ के अन्दर खनन पट्टों की शर्तों का उल्लंघन कर रही है।

जो भी सरकार आई, कम्पनी के हित को, इन्होंने हमेशा कम्पनी का ध्यान रखा। कम्पनी द्वारा किसानों की अवाप्त जमीन पर उनके निर्माण भवनों व सरकारी मद से बने टांकों आदि का भी सर्वे किसानों के हित को दरकिनार करके कम्पनी के दबाव में आकर मनमर्जी से किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दूसरा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अम्बुजा सीमेण्ट के मामले के अन्दर यह 2003 में खनन पट्टों को राजस्थान सरकार ने निरस्त कर दिया था। इन्होंने भारत सरकार के वहां पर अपील की और एक रिविजन पिटीशन दायर की थी। इसके अन्दर भारत सरकार ने इनको यह कहा कि आप दो साल के अन्दर, 31.12.2008 तक प्लाण्ट स्थापित कर इसके अन्दर खनन शुरू करें। ये दो साल की अवधि के लिये, जब यहां राजस्थान सरकार ने इनके खनिज पट्टे को निरस्त कर दिया, तो ये भारत सरकार के पास गये और भारत सरकार के निर्देश के बाद यह रिस्टोर किया गया। लेकिन उसके अन्दर दो साल की अवधि थी, उपाध्यक्ष महोदय, वह 2008 के अन्दर दो साल पूरे हो रहे थे। लेकिन 2008 के बाद लगातार हर बार दो-दो साल इनके बढ़ाये गये। अभी 31 दिसम्बर, 2016 तक इनका पूरा हो रहा था, तो इन्होंने 2019 तक बढ़वा लिया कि 2019 तक हमें दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मौके पर सिर्फ थोड़ी-सी जमीन की बाउण्ड्री इन्होंने बना ली। अब वे शायद आनन-फानन में कोई उद्घाटन भी कराना चाहेंगे,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सरकार के लोगों से कि हम काम करें ताकि हमारी लीज कैंसिल न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां बहुत बड़ा लौस हुआ है। वह यह हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो किसानों से कब्जा ले लिया, किसानों को और कोई जमीन भी राजस्थान की सरकार ने नहीं दी। कहीं तो एक लाख रुपये बीघा के अन्दर जमीन ली, कहीं दो लाख रुपये बीघा के अन्दर और कहीं पांच लाख रुपये बीघा के अन्दर जमीन ली। उस जमीन की कीमत आज कम से कम 15 हजार करोड़ है, उपाध्यक्ष महोदय। बहुत बड़ा राजस्व का लॉस हो रहा है। सरकार ने नागौर, बाड़मेर और जोधपुर के अन्दर, अभी जो चित्तौड़ में सीमेण्ट ब्लॉक आबंटित किये हैं, वहां पांच हजार करोड़, छह हजार करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अन्दर तो बहुत बड़ा राजस्व का घाटा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय। पांच रुपये प्रति टन के हिसाब से सी.एस.आर. में जो व्यय होता है, वह डेढ़ मिलियन टन के हिसाब से 75 लाख रुपये तो उनको सालाना वहां करना पड़ेगा और नौ करोड़ रुपये सालाना रॉयल्टी का नुकसान हुआ। कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का भी सरकार को नुकसान हुआ।

मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि एक तो भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन कम्पनी ने किया है। नियम 28 के तहत लेप्स आफ लीज का भी उल्लंघन है। जिसके निहित उद्देश्य के लीज प्राप्त होने पर खनन दो वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो लीज समाप्त करने का प्रावधान है। अम्बुजा को इतनी मेहरबानी अत्यंत चिंताजनक व जांच का विषय है। जब सरकार राजस्व बढ़ाने के लिये लाइम स्टोन ब्लाक्स की नीलामी द्वारा लीज जारी कर रही है तो अम्बुजा की लीज रद्द कर क्यों नहीं? इसकी नीलामी वापस की जा सकती है, जिससे राजस्व की वृद्धि होगी तथा किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अम्बुजा सीमेण्ट के मामले में भेदभाव कर राज्य सरकार ने अम्बुजा को चार बार अवधि बढ़ाई है और एम.ओ.यू. एक्सटेंशन दिये हैं। वर्ष 2008 से 2016 तक बार-बार एक्सटेंशन देना तथा प्लाण्ट नहीं लगाना सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करता है। उपाध्यक्ष महोदय, जब आपकी पहले सरकार थी, 2003 से 2008 के अन्दर भी, जब रिसर्जेण्ट राजस्थान था, तब भी आपने कह दिया कि यहां निवेश करेंगे, और अब जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

रिसर्जेण्ट राजस्थान हुआ, 2015 के अन्दर, उसमें भी आपने कह दिया कि यहां रिसर्जेण्ट राजस्थान के अन्दर हम अम्बुजा सीमेण्ट के माध्यम से वहां लोगों को, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा रोजगार वहां मिलता।

और एक चीज की तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं भी पिछली बार उधर जब आप लोगों की तरफ था तो किरीट सोमैयाजी ने ब्लैक पेपर जारी किया था। उन्होंने गोटन का एक मामला उठाया था कांग्रेस राज के अन्दर, गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग के मामले को एक हजार करोड़ का घोटाला करार देकर ब्लैक पेपर जारी किया था। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार आई, उस समय आप इस बात को भूल गये। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जब गोटन लाइम स्टोन का एक हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है तो यह तो 15 हजार करोड़ का घोटाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, न तो लोगों को रोजगार मिला, गांव उजड़ गये, ढाणियां उजड़ गयीं, लोग वहां से पलायन कर गये। आज खनन के नाम पर कम्पनी ने कोई शुरुआत नहीं की। वह एक काम जरूर करती है, जो भी नया कलेक्टर लगता है, उसके बेटे-बेटी को अपने वहां, बढ़िया बी.टेक.-एम.टेक. किये हुए, उनको एक लाख रुपये, दो लाख रुपये महीने का देती है। ये पाँच-सात कलेक्टर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं और व्यक्तिगत भी जानता हूं। उनको और कम्पनी के जो आपके रीको के एम.डी. और जितने ऊपर तक हैं, इन सबको कहीं न कहीं पैकेट पहुंचाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। इसकी वजह से बहुत बड़ा रेवेन्यू का घाटा हुआ।

मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि राजस्थान की सरकार की किसानों की बेशकीमती जमीन को हमें बचाना है। इस बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश करना है। इस कम्पनी ने लैण्ड बैंक बना दिया और अभी ये और किसी को बेच कर वहां भागने की फिराक में है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे हम संरक्षण चाहते हैं। आप ही हैं, जो हमारा संरक्षण करेंगे।

इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मंत्रीजी खुद इस मामले के अन्दर गम्भीर हैं। इन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि इस बार जब भी हम बढ़ायेंगे तो बहुत

(श्री हनुमान बेनीवाल)

निर्देश हम देंगे, ऐसी पैनल्टी करेंगे। लेकिन मंत्रीजी, पैनल्टी करने की आवश्यकता नहीं। अपन दो-पाँच-दस करोड़ के पैनल्टी भी कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। यह 15 हजार करोड़ की जमीन है। यह सरकार की जमीन है। यह किसानों की जमीन है। आप इस लीज को निरस्त करें और राजस्थान के किसानों को एक संदेश दें और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालें। जो-जो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं उन सबकी उच्च स्तरीय जांच करायें। इस कम्पनी का पट्टा आप निरस्त करें, ऐसा मैसेज आप देंगे।

राठौड़ साहब भी बैठे हैं। किरीट सोमैयाजी के साथ आपने प्रेस कांफ्रेंस की थी ना, गोटन के अन्दर एक हजार बीघा लाइम वाली बात थी, आपने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कांग्रेस राज के अन्दर। वह तो एक हजार बीघा का था, यह छह हजार बीघा का है अम्बुजा का। इसके अन्दर आप करें।

सब लोग, और मैं हर साल यह उठाता हूं, साहब। मैं तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ता हूं। आप जानते हो, सड़क से लेकर विधान सभा तक, अकेला लड़ता रहता हूं, राजस्थान के अन्दर।

तो आपको इस मामले के अन्दर, सरकार को आज ठोस दिशा-निर्देश देने हैं। इस लीज को कैंसिल करना है और इन उद्योगपतियों के मुंह पर करारा तमाचा लगे, यह आज सदन के अन्दर आप घोषणा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: उद्योग मंत्री राजपालसिंहजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात में कहा है कि मैंने पिछले जवाब में यह कहा कि शायद यह मामला 2006 से शुरू हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह प्रश्न पूछा गया था, वह प्रश्न, 2006 में किये गये एम.ओ.यू. और उसके बाद में क्या घटनाक्रम हुआ, उसके बाबत था। इसीलिये 2006 के बाद की सूचनायें उस जवाब में शामिल थीं। लेकिन उसमें भी मैंने अपने जवाब के दरमियान आपके माध्यम से निवेदन किया था कि यह मामला 2006 से नहीं है। यह मामला 2006 से बहुत पहले का है।

1986 में जब के.ई.सी. लिमिटेड ने सीमेण्ट प्लाण्ट के लिये 2700 बीघा जमीन के अलॉटमेंट का आवेदन किया और तब यह केप्टिव सीमेण्ट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्लाण्ट के लिये आवेदन नहीं किया था। सीमेण्ट का प्लाण्ट, पांच लाख टन के प्रोडक्शन के सीमेण्ट प्लाण्ट लगाने की इंटेंशन के साथ में किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब 2700 बीघा जमीन मांगी गई, और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, उस 2700 बीघा जमीन के बजाय उसे 1001 बीघा जमीन दी गई। आपने जिन माइनिंग लीज की चर्चा की, मैंने भी अपने जवाब में उन माइनिंग लीज की चर्चा की है। चूंकि यह सीमेण्ट का प्लाण्ट तो केप्टिव प्लाण्ट के रूप में लगाना चाहते थे, इसलिये कांस्टेंटली उन्होंने माइनिंग लीज के लिये एप्लाई किया। उन्हें माइनिंग लीज भी मिली, जिनकी चर्चा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे।

आपने रुल 28 की चर्चा भी की है और आपका कहना था कि दो साल तक माइनिंग नहीं चले तो सरकार को उसको निरस्त कर देना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है कि यह केप्टिव सीमेण्ट प्लाण्ट था, इस केप्टिव सीमेण्ट प्लाण्ट के लिये माइनिंग करना, जब तक सीमेण्ट का प्लाण्ट नहीं लगेगा, तब तक माइनिंग सम्भव नहीं है।

और कौनसी ऐसी परिस्थिति में जहां पर माइनिंग संभव न हो पाए उसके लिए सरकार को एक्सटेंशन देने का राइट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को, रूल 28(4) की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"The State Govt. may, on receipt of an application by …made under sub-rule 2 and on being satisfied about the delicacy and genuineness of the reason for the non-commencement of mining operation or dis-continuance thereof, pass an order before the date on which a lease would have otherwise lapsed, extend or refuse the extension of the lease."

इसलिए यह कहना कि रूल-28 के तहत उस माइनिंग लीज को निरस्त कर दिया जाना चाहिए था, यह इस 28(4) की लाइट के अंदर उतना रेलेवेंट नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इसको सीमेंट प्लांट को, सीमेंट प्लांट लगाने के लिए पर्पेचुअल एक्सटेंशन देते रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इंडस्ट्री लगाना क्यों चाहते हैं? हमारी इंडस्ट्री लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिविटी, मोटे तौर पर कुछ ऑब्जेक्टिविटी तीन,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एक इंवेस्टमेंट... जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो सके; राजस्थान की सरकार को टैक्स के रूप में मिल सके, दूसरा-एम्प्लायमैंट; और तीसरा अगर माइंड-बेस है तो हमारे मिनरल्स का हम प्रोपर यूटिलाइजेशन किस प्रकार से कर पाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल एक बड़ा बेस्ट वर्ड है- Ease of doing business, जिन कारणों से लगातार 1988 से लेकर 2017 तक हिंदुस्तान की एक बड़ी सीमेंट का प्लांट, कैप्टिव प्लांट लगाने के इंटेंशन के बावजूद, उसकी कोशिश के बावजूद न लगा पाये, मैं इनके बाकी कानूनों के बारे में नहीं जाना चाहता हूं, इनकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता और न मैं इस बात की मैरिट पर जाना चाहता हूं कि एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह इस बात का यह ग्लेरिंग एग्जाम्प्ल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 15-15, 20-20 साल तक हमारे यहां पर जिस प्रकार की फैवरबल इकोनॉमी के अंदर हम कहां थे और जिस प्रकार के एन्वायरनमेंट में हम जिस प्रकार से काम कर रहे थे, किस प्रकार के इम्पेडिमेंट थे।

मैं इसका निवेदन करना चाहता हूं, इसकी आपने चर्चा की है कि सात-आठ बार उनको एक्सटेंशन दिया गया, बाद में उसके बारे में कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता, पर मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिसकी माइनिंग लीज का रिवोकेशन का मामला सात-सात साल तक चलता रहे और सात साल बाद अगर ट्रिब्यूनल कहे कि इनको रिवोक नहीं करना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर सेंट्रल गाउंड वाटर अथोरिटी की परमिशन हमारी 2007 में एक्सपायर हो गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई बड़ा मेगा प्लांट लगाना, केवल यह कोई मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं है कि मैंने चाहा कि पैसे मेरे जेब में है मैं गया और मैंने एक प्लांट इरेक्ट कर दिया। आइसोलेशन के अंदर एक प्लांट नहीं लगता। विभिन्न लेवल्स के ऊपर, विभिन्न अथोरिटी से जब आप, मानिक चन्दजी सुराना साहब जानते हैं कि जिस प्रकार क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं, उन क्लियरेंसेज के आधार पर ....(व्यवधान)....

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह जो लीज डीड अपन करते हैं, उसका पार्ट-7 और पार्ट-7 का रूल-3 मैंने पढ़ा, इसकी दो लाइनों में यह ही तो है कि-

"for the purpose of this clause operations shall include the erection of machinery, laying of a tramway or construction of a road."

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): राइट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कब किसने क्या किया, कौनसी मशीनरी लगाई? और आप 1988 की बात कर रहे हैं, आज बीस साल तो 2008 को ही हो गये और उसके बाद 2017 आ गया, 9 साल यह हो गये। क्या एक सीमेंट प्लांट लगाने में 27 साल लगेंगे? और कम्पनी भाग गयी है, जो के.ई.सी. इंटरनेशनल थी वह चली गयी और उसने अपने शेयर दे दिये इण्डो निप्पोन स्पेशल सीमेंट लिमिटेड को और उसने अपना शेयर दे दिया अंबुजा को। अंबुजा तो आई है बाद में। तो क्या यह माइनिंग लीज असेट्स क्रिएशन के लिए नहीं है? It is not for assets creation? और यह कोई भागने के लिए नहीं है कि यह भाग जाएंगे, कल अपने ट्रांसफर करके शेयर।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था और मैंने कहा था कि जिस कम्पनी ने ओरिजनली सीमेंट प्लांट लगाने के लिए लैंड का अलॉटमेंट मांगा था, उस कम्पनी की प्रमोटर कम्पनी, उससे प्रमोट हुई हुई कम्पनी का नाम था निप्पोन। आप तो कम्पनी एक्ट के भी ज्ञाता हैं और मैं समझता हूं कि उस प्रमोटर कम्पनी के नाम में लीज के ट्रांसफर होने और जमीन के ट्रांसफर होने के अंदर किसी प्रकार की कोई कानून आपत्ति नहीं थी और जब निप्पोन सीमेंट का जब अमैल्गमैशन हो गया अंबुजा में, जिसको हाई कोर्ट ने सही मान लिया, उसके आधार पर यह मानना कि यह कोई स्कैम का ट्रांसफर था। स्कैम का ट्रांसफर नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही कह रहा हूं कि केवल यह माइनिंग डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में, दो के बीच में ही नहीं था। मतलब, माइनिंग लीज आप जारी कर दे और मैं इरेक्ट कर दूंगा। वैरिअस डिपार्टमेंट वैरिअस लेवल पर डिसीजन मैकिंग होती है। पॉल्युशन डिपार्टमेंट में हमको जाना है। एन्वायरनमेंट क्लियरेंस के लिए हमको जाना है। पानी के लिए परमिशन लेने के लिए हमको जाना है और जो जमीन खातेदारी की जमीन है, उसकी माइनिंग लीज मुझे हो गयी है, उस खातेदार की जमीन पर माइनिंग लीज हो जाने से उस जमीन का मालिक मैं नहीं बन जाता हूं, मालिकाना अधिकार नहीं बन जाता। उस खातेदार की जमीन को एक्वायर करके उसमें माइनिंग करने की स्थिति लाना, इतना समय।

यह सही है कि जितने समय की हम चर्चा हम कर रहे हैं, यह एक्स्ट्राऑर्डनेरी डिले है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

1988 के अंदर कोई आदमी अपना इंटेंशन जाहिर करता है कि मैं सीमेंट का प्लांट लगाना चाहता हूं और 2017 तक लगातार पर्पेचुअल एक्सटेंशन के बावजूद वह प्लांट नहीं लगा पाया, यह निश्चित रूप से उसमें चिंता करने की जरूरत है और लगातार एक्सटेंशन देने के पीछे वैरिअस कानून को एग्जामिन किया गया।

तो साथ में उस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि हम इंडस्ट्रीज को लगाते टाइम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस बात की भी चिंता करते हैं कि नागौर जैसी जगह जहां पर पानी नहीं है। जो जिसके अंदर पानी का इतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा, वह क्रिटिकल जोन्स है, ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन के अंदर आ गया है।

नागौर के अन्दर, हमें राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करते वक्त इस बात को भी देखना पड़ेगा कि न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते में अड़चन बना है। यह बात सही है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इस बात में किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सैक्टर में हो जाए राजस्थान में, यह कोई उचित नहीं है। आजकल पूरी दुनिया के अंदर इक्विटी पर डिस्ट्रिब्यूशन, इक्विटी पर ग्रोथ की बात चल रही है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के विभिन्न इलाकों पर, नागौर जैसी जगह पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह हम अगर देखते हैं कि राजस्थान में आज नागौर की स्थिति क्या है? तो नागौर की स्थिति हम देखें अगर इंवेस्टमेंट के लिहाज से देखें, तो अभी तक बड़े स्कैल की इंडस्ट्री के अंदर केवल पाइंट-टू-सिक्स परसेंट का जो टोटल एम्प्लायमेंट हमने जनरेट किया है बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, उसमें नागौर का शेयर है पांइट-टू-सिक्स परसेंट, जो राजस्थान के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज, लॉर्ज स्केल की इंडस्ट्रीज में जो इंवेस्टमेंट हुआ है, उस इंवेस्टमेंट में नागौर का शेयर है पाइंट-थ्री-टू परसेंट। एम.एस.एम.ई. इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंवेस्टमेंट हुआ है, उस इंवेस्टमेंट का नागौर में हिस्सा है केवल लेस देन टू परसेंट। राजस्थान में एम.एस.एम.ई. इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो एम्प्लायमैंट जनरेट हुआ है, उसमें नागौर का हिस्सा है वन-पाइंट-थ्री-फोर परसेंट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी पर्टिकूलर इलाके के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करके वहां के लोगों के अंदर, वहां पर एम्प्लायमैंट जनरेट करना, वहां कोई इंवेस्टमेंट को इन्वाइट करना, उसके लिए एन्वायरन्मेंट क्रिएट करने के लिए अगर सरकार ने लगातार

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

परपीचुअल एक्सटेंशन दिया है, तो मैं समझता हूं कि वेलफेयर गवर्नमेंट ने स्टेट के और स्टेट की जनता के लॉर्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का एक्सटेंशन दिया है।

मैं साथ में यह भी स्वीकार करना कि आपने कहा लगातार परपीचुअल एक्सटेंशन के बाद में 31.12.2016 को उसका एक्सटेंशन का टाइम खतम हो गया, यह बात सही है। इसके बाद में उन्होंने एप्लीकेशन दी है और एक्सटेंशन मांगा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन सब चिंताओं की चर्चा इस सदन में की हैं, जिन सब कानूनों की बातें सदन में की है, इन सारों के डाइमेंशंस को, वैरिअस डाइमेंशंस को एग्जामिन करने के बाद में, राज्य के हित में और राज्य की जनता के हित के अंदर इसके बारे में निर्णय करेंगे।

यह मैंने पहले भी आपके सवाल के जवाब के बारे में माननीय बेनीवाल साहब को कहा था और आज मैं इस सदन में इस बात को कहता हूं कि इस पूरे मामले के अंदर कानून के हरेक पहलू को देखते हुए राजस्थान सरकार के हित की, जनता के हित में और राजस्थान के हित में जो फैसला लिया जाएगा, वह राजस्थान की जनता और राजस्थान के हित से किसी प्रकार का कोई समझौता करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारा सप्लीमेंट्री है।

श्री उपाध्यक्ष: अब इस पर कोई ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता आसन महसूस नहीं करता है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन इतना ही साहब, चूंकि, माननीय मंत्रीजी को निर्णय ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: It is a very explicit, clear cut, transparent reply by the Govt. of Rajasthan, Sir.

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.59 बजे मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

प्रदेश में भेड़-बकरी पालकों के विकास के लिये बनाई गई योजनाएं

432. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (166): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के निदान के लिए सरकार ने गत पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत पांच वर्षों में उक्त बीमारियों से कितने पशुओं की मृत्यु हुई? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में पश्चिमी राजस्थान के भेड़ व बकरी पालकों के विकास के लिए क्या-क्या योजना बनायी गई तथा उनमें से कितनी योजनाओं को लागू किया गया व कितनी योजनाएं लागू होने से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पशुओं में रोगों के निदान के लिए विगत पांच वर्षों में किये गये व्यय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में गत पांच वर्षों मे पशुओं में होनी वाली बीमारियों / रोगों से हुई मृत्यु का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में भेड़ एवं बकरियो के विकास के लिए गत पांच वर्षों में तैयार कर संचालित की गई योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

प्रदेश में भेड़ बकरियों के विकास हेतु तैयार की गई समस्त योजनाएं संचालित की गई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

रासलाना पतरिका (भादरा) के समीप पेड़ पौधे नष्ट करने पर कार्यवाही

437. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में रासलाना वितरिका के किनारे स्थित सरकारी भूमि से अवैध पाइप लाइन एवं अन्य अतिक्रमण हटाते समय वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में लगाये गये पेड़ पौधों को सिंचाई विभाग द्वारा उखाड़ दिया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां से व कितने-कितने पेड़ उखाडे गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने का अभियान कब-कब चलाया?

(3) क्या सिंचाई विभाग द्वारा उक्त अभियान हेतु वन विभाग से लिखित में कोई अनुमति ली गयी थी? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अभियान में सरकार से बिना अनुमति लिए उक्त पेड़ पौधों को अवैध तरीके से नष्ट करने वाले दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नहर किनारे रासलाना वितरिका वृक्षारोपण 24-34 कि.मी. में वर्ष 2013-14 में करवाये गये वृक्षारोपण में लगभग 200 पौधों तथा 34-45 कि.मी. में वर्ष 2014-15 में कराये गये वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधों में लगभग 250 पौधों की शाखाएं क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें उखाड़ा नहीं गया है।

(वन मंत्री)

(2) सिंचाई विभाग द्वारा रासलाना वितरिका के किनारे स्थित सरकारी भूमि से अवैध पाइप लाइन एवं अन्य अतिक्रमण हटाने के लिए चलाये गये चार अभियानों की तिथि निम्नानुसार है-

1. 30 से 31 जनवरी 2016
2. 18 से 19 फरवरी 2016
3. 29 फरवरी 2016
4. 03 से 05 मार्च 2016

(3) जी नहीं। अतिक्रमण हटाने हेतु अनुमति लेना अपेक्षित नहीं था।

(4) जी नहीं। उक्त कार्य में केवल पेड़-पौधों की शाखाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, और वे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त हुई हैं। अत: सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

पाली एवं सिरोही जिले के पैट्रोल पम्पों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

438. श्री जगसी राम (देवदर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली एवं सिरोही जिलों में इण्डियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम हिन्दुस्तान पैट्रोलियम एवं रिलायंस के कितने-कितने पैट्रोल पम्प कितनी मासिक औसत डीजल व पैट्रोल बिक्री के साथ उनके द्वारा कब से संचालित किये जा रहे हैं?

(2) गत 3 वर्षों में समय-समय पर उक्त पैट्रोल पम्पों की जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग, जिला प्रशासन व तेल कम्पनियों द्वारा की गई जांच, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पैट्रोल पम्प पर लगाने वाली मशीन की निर्माता एवं रखरखाव का जिम्मा संभालने वाली कम्पनी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) गत 5 वर्षों में उक्त पैट्रोल पम्पों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पैट्रोल पम्पों की समय पर जांच नहीं करने वाले

(श्री जगसी राम)

जिला रसद, बाट एवं माप विभाग के अधिकारियों, पम्प निर्माता व मेन्टीनेंस कम्पनी तथा पैट्रोल पम्प संचालकों व संबंधित तेल कम्पनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली एवं सिरोही जिले में संचालित पेट्रोल पम्पों की संख्या निम्न प्रकार है:-

नाम जिला	इण्डियन ऑयल	भारत पैट्रोलियम	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम	रिलायन्स	कुल
पाली	59	38	46	1	**144**
सिरोही	35	23	31	5	**94**
कुल	**94**	**61**	**77**	**6**	**238**

विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत 03 वर्षों में जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग तथा तेल कम्पनियों द्वारा की गई जांच/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अधिक संख्या में होने के कारण सदन में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग तथा तेल कम्पनियों द्वारा किये गये निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार यह सही है कि पैट्रोल पम्प पर लगने वाली मशीनों के रख-रखाव की प्रत्यक्ष रूप से निर्माता कम्पनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। निर्माता कम्पनी पैट्रोल पम्प पर लगी हुई मशीनों का रख-रखाव ऑयल कम्पनी के साथ की गई शर्तों व नियमों के आधार पर करती है, जिसके अन्तर्गत अगर निर्माता कम्पनी की सर्विस इत्यादि में कोई दोष इत्यादि पाया जाता है, तो उक्त निर्माता कम्पनी पर जुर्माना किया जाता है।

(4) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जिला सिरोही में संचालित 03 पैट्रोल पम्पों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें 02 शिकायत असत्य पाई गई एवं 01 में पैट्रोल पम्प वक्त निरीक्षण टर्मिनेट पाया गया।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

तेल कम्पनियों द्वारा जिला पाली में 86 पैट्रोल पम्पों एवं जिला सिरोही में 53 पैट्रोल पम्पों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वार्निगं लेटर जारी किये गये तथा जुर्माना लगाया गया।

(5) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टॉफ के निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम के मापदण्ड तय किये हुये है, इनके अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बढ़ती आबादी के कारण चरागाह एवं सिवाय चक भूमियों पर अतिक्रमण

439. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में लगातार जनसंख्या वृद्धि होने से आबादी भूमि कम पड़ती जा रही है, जिससे लोग चरागाह भूमि व सिवाय चक भूमियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लोगों को निवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। ग्रामीण क्षेत्रो में आबादी विस्तार के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत जिला कलेक्टर्स द्वारा प्रकरण के गुणावगुण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आरक्षित की जाती है। धारा 92 की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01-01-05 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के संबंध में परिपत्र दिनांक 10-01-13 जारी किया गया है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

चरागाह, औरण, जोहड़, पायतन आदि भूमियों पर किये निर्माण को

(राजस्व मंत्री)

नियमन योग्य नहीं माना है। चरागाह भूमि कृषि या अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि वर्गीकरण परिवर्तन पश्चात ही भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हो सकती है। इस हेतु प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में विहित है। नियम 7 की प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

सूरतगढ़ में कृषि विस्तार अधिकारी का कार्यालय पुन: खोलने की योजना

440. श्री राजेन्द्र सिहं भादू (सूरतगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सूरतगढ़ में कृषि विस्तार कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि 15 वर्ष पूर्व स्थापित सूरतगढ़ के कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुन: खोलने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सूरतगढ़ मुख्यालय पर कृषि की तकनीकी जानकारी देने के लिए सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय कार्यरत है।

(2) जी हां। कार्यालय आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के पत्र क्रमांक प. 11/ प्रस्था / आक्षेवि/ 2001/ 8776-84 दिनांक 04.10.2001 द्वारा जिला विस्तार अधिकारी, सूरतगढ़ कार्यालय को समाप्त करते हुए सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अनूपगढ़ को कार्यालय की सम्पत्ति संभलाने के आदेश जारी किया गया।

नये कार्यालय नीतिगत निर्णय के तहत खोले जाते हैं जो गुणावगुण व संसाधनों की उपलब्धता एवं क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर है।

सलूम्बर में कार्यरत एन.जी.ओ.

441. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायतों में सरकारी योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एन.जी.ओ. से मदद ली जा रही है? यदि हां, तो सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन से एन.जी.ओ. कार्यरत हैं? उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पंचायतों में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से पंचायत/पंचायत समितियों को योजना संबंधी सहयोग मिलता है। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में निम्नांकित एन.जी.ओ. कार्यरत है-

क्र.सं.	नाम एन.जी.ओ.	कार्य
1	राज सेवा संस्थान	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान व स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य किये जाते है।
2	आदर्श शिक्षा समिति	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान व स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य किये जाते है।
3	आजीविका ब्यूरो	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान व स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य किये जाते है।
4	विशाखा संस्थान	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान व स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य किये जाते है।
5	आजीविका संस्थान	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान व स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य किये जाते है।
6	शिखर सांस्कृतिक कला ग्रुप	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान व स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य किये जाते है।

प्रदेश के होमगार्ड को देय वेतन/मानदेय बढ़ाने की योजना

442. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने होमगार्ड कार्यरत हैं तथा उन्हें वर्तमान में कितना वेतन/मानदेय तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में उक्त होमगार्ड की समस्याओं व मांगों के समाधान के लिए क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त होमगार्ड का वेतन/मानदेय व अन्य सुविधाएं बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में पुलिस बल की कमी को देखते हुए अस्थायी/संविदा पर कार्यरत होमगार्ड को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 30714 शहरी/ग्रामीण एवं बोर्डर होमगार्ड की नफरी स्वीकृत है, जिनके विरुद्ध 29,737 होमगार्ड पंजीकृत हैं। वर्तमान में कुल 12784 होमगार्ड (शहरी/ग्रामीण-11144 व बोर्डर-1640) कार्यरत है, इनको वेतन भत्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। होमगार्डस को मानदेय व अन्य भत्ते देय है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**होमगार्ड को देय भत्ते**	**शहरी/ग्रामीण**	**बोर्डर होमगार्ड**
1.	ड्यूटी (पारिश्रमिक भत्ता	325- प्रति दिवस	7100/- प्रतिमाह
2.	वर्दी धुलाई भत्ता	75/- प्रति दिवस	75/- प्रतिमाह
3.	किराया	20/- प्रति दिवस (ड्यूटी स्थल 8 कि.मी. की अधिक दूरी होने पर)	अन्य जिलें में नियोजन पर वास्तविक किराया
4.	मंहगाई भत्ता	शून्य	नियमानुसार (राज्य कर्मियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने पर तदानुसार भुगतान किया जाता है)

(गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री)

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी होमगार्डों को यात्रा भत्ता नियम 34 में अनुज्ञेय होने पर जयपुर के अलावा रु. 85/- व जयपुर में 105/- रु. प्रतिदिवस देय है। स्वयं सेवक के दुर्घटना में घायल मृत्यु होने पर गृह रक्षा कल्याण निधि से 100000/- रु. तक सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी में 150000/- तक तथा ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राजस्थान पेंशन नियम 1996 के उप नियम 75-76 के अन्तर्गत रु. 20.00 लाख तक अनुग्रह अनुदान देय है।

(2) होमगार्डस की समस्याओं व मांगों के समाधान के लिये होमगार्डस को अधिक से अधिक नियोजित करने के लिये समस्त जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्षों को उनके विभाग में 1 से 6 तक की वेतन श्रृंखला के पदों पर रिक्तियों के विरूद्ध गृह रक्षा स्वयं सेवक नियोजन किये जाने की सिफारिश की गई है व कृषि उपज मण्डी/देवस्थान (जो कि ट्रस्ट द्वारा संचालित है) को पृथक से लिख कर अनुरोध किया है कि होमगार्ड स्वयं सेवको को नियोजित किया जावे, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013 में लगभग 9400 स्वयं सेवक नियोजित थे की तुलना में वर्तमान में 12784 स्वयं सेवक नियोजित है। गृह (ग्रुप-2) विभाग के पत्र दिनांक 31.03.2015 द्वारा होमगार्डस स्वयं सेवकों का मानदेय भत्ते में रु. 300/- से 325/- प्रतिदिवस तथा पत्र दिनांक 27.04.2016 द्वारा धुलाई भत्ता रु. 50/- से 75/- प्रतिमाह वृद्धि की गई है।

(3) होमगार्ड के जवानों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय, भत्ते इत्यादि दिये जाते है एवं समय-समय पर समीक्षा कर इनमें वृद्धि की जाती है। मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

(4) जी नहीं। राजस्थान होमगार्ड रूल्स 1962 में होमगार्ड को नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

प्रदेश में सलाहकारों की नियुक्ति

443. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लोक सेवकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत की जाती है?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो सलाहकारों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सलाहकारों को प्रोटोकोल में विधान सभा सदस्यों से ऊपर रखा गया है? यदि हां, तो किस आधार पर व किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में विहित प्रावधान के तहत लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है।

(2) जी हां। इनकी नियुक्ति निम्नानुसार की गई है-

1. कार्मिक (क-1) विभाग द्वारा 01 सलाहकार की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 310(2) के तहत की गई।
2. वित्त (कर) विभाग द्वारा 3 सलाहकारों की नियुक्ति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(1)(क) के तहत की गई है।
3. वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा वित्त (नियम) एवं वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति उपरान्त रिटेनरशिप के आधार पर 01 सलाहकार की नियुक्ति की गई है।
4. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग द्वारा 1 सलाहकार की नियुक्ति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(1)(क) के तहत की गई।
5. आयोजना (ग्रुप-1) विभाग द्वारा 01 सलाहकार (इन्फास्टक्चर एवं पीपीपी) लगाया गया था। दिनांक 27.7.2015 को इनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। इनकी सहायता के लिये तीन परामर्शदाताओं को भी लगाया गया था जिनकों भी ब्यूरो फोर पार्टनशिप इन राज. के नोटिस दिनांक 31.8.2015 के द्वारा हटा दिया गया है।

(3) जी नहीं।

बारां जिले में रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों पर उद्योगों की स्थापना

444. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रीको द्वारा बारां जिले में गत 6 वर्षों में किस किस आवंटी को 2000 वर्गमीटर या इससे अधिक भूमि किस-किस दर पर कब-कब आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कितने भूखण्डों पर उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है एवं कितने भूखण्ड वर्तमान में रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूखण्डों में से कितने भूखण्डों को कब-कब विक्रय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा आवंटित भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में उद्योग नहीं लगाने पर क्या कार्यवाही की जाती है? गत 6 वर्षों में 2000 वर्गमीटर या इससे अधिक आवंटित भूमि पर निर्धारित समय पश्चात् भी उद्योग स्थापित नहीं करने वाले आवंटियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) भूखण्ड आवंटन एवं विक्रय के संबंध में गत 8 वर्षों में नियमों में क्या-क्या परिवर्तन किये गये एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार निर्धारित समय में उद्योगों की स्थापना नहीं करने वाले प्रवर्तकों से पेनल्टी राशि की वसूली सहित भूमि का आवंटन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा बारां जिले में विगत 6 वर्षों में 2000 वर्गमीटर या इससे अधिक आवंटित की गई भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त आवंटित भूखण्डों में से 17 भूखण्डों पर 5 औद्योगिक

(उद्योग मंत्री)

इकाईयों की स्थापना की गयी हैं एवं 9 भूखण्ड रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित है।

(3) आवंटित भूखण्डों में से किसी भी भूखण्ड का विक्रय (हस्तान्तरण) नहीं किया गया है।

(4) आवंटित भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में उद्योग नहीं लगाने पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते है। कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं होने पर यदि जवाब संतोषजनक पाया जाता है तो नियमानुसार धारण शुल्क पर समयावधि बढ़ायी जा सकती है। यदि जवाब सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाती है। जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित समयावधि में उद्योग की स्थापना नहीं की गई है, ऐसे आवंटियों को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं।

(5) भूखण्ड आवंटन एवं विक्रय के सम्बन्ध में विगत 8 वर्षों (जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2016 तक) में नियमों में किये गये परिवर्तनों से संबंधित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट- "ब" पर संलग्न है। नियमों में परिवर्तन प्रचलित आर्थिक वातावरण के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेशक को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किये गये हैं।

(6) निर्धारित समय में इकाइयां स्थापित नहीं करने के प्रकरणों में जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उद्योगों हेतु आवंटित भूखण्ड पर निर्धारित समयावधि में उद्योग स्थापति नहीं करने वाले आवंटियों के द्वारा समयावधि बढ़ाने का आवेदन करने पर नियमों में धारण शुल्क वसूल कर समयावधि बढ़ाये जाने का प्रावधान है। यदि कोई आवंटी निर्धारित समयावधि में धारण शुल्क की राशि जमा नहीं कराता है या उद्योग स्थापित नहीं करता है तो उसे अन्तिम कारण बताओ नोटिस जारी कर भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 445

(स्थगित)

अलवर जिले में राशन डीलरों द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें

446. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2017 से उचित मूल्य की कितनी दुकानों पर बिना पोस मशीन के राशन वितरण किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पोस मशीन से वितरण के बावजूद भी राशन डीलरों द्वारा खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितताएं की जा रही हैं?

(3) अलवर जिले में 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2017 तक उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाकर खाद्यान्न का वितरण दर्शाने की कितनी शिकायतें एवं प्रकरण सामने आये हैं?

(4) क्या यह सही है कि अलवर जिले में किशनगढ़बास एवं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2017 में बिना खाद्यान्न वितरण किये उपभोक्ताओं का खाद्यान्न ऑनलाइन वितरण दिखाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2017 से कुल 135 उचित मूल्य की दुकानों पर बिना पोस मशीन के राशन वितरण किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में उचित मूल्य दुकानों पर पोस मशीनें स्थापित करने के पश्चात उपभोक्ताओं को पीडीएस सामग्री का वितरण बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात किया जा रहा है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सकें, किन्तु राज्य में कुछ स्थानों पर एक ही आधार कार्ड को एक से अधिक उपभोक्ताओं के राशनकार्डों पर प्रयुक्त कर उनका राशन उठाएं जाने के 355 प्रकरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जानकारी में आये हैं, जिनमें 80 प्रकरणों में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई है। 206 उचित मूल्य दुकानें निलम्बित की गई हैं तथा 50 उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) अलवर जिले में 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2017 तक उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाकर खाद्यान्न का वितरण दर्शाने की 23 शिकायतें एवं 14 प्रकरण सामने आये है, जिनमें बाद जांच 14 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित एवं 01 उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

(4) अलवर जिले में माह जनवरी, 2017 में बिना खाद्यान्न वितरण किये उपभोक्ताओं का खाद्यान्न ऑनलाइन वितरण दिखाये जाने की किशनगढ़बास विधानसभा क्षेत्र में 03 एवं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 05 शिकायतें प्राप्त हुई है, सभी को निलम्बित किया जाकर जांच प्रक्रिया विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में ढाणियों व मजरों को राजस्व गांव घोषित करने की योजना

447. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे गांव, ढ़ाणियां व मजरे हैं, जो बड़े आबादी क्षेत्र होने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं? यदि हां, तो कोटा जिले में ऐसे गांवों की आबादी कितनी है और ऐसे कितने मजरे हैं, जिनकी आबादी अपने राजस्व गांव से भी अधिक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे गांवों के निवासियों को अनेक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं एवं सुविधाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन या उपलब्धता गैर राजस्व गांवों में नहीं हो सकती? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त निवासियों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु राजस्व ग्राम घोषित करती है? यदि हां, तो यह किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है? राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए आबादी क्षेत्रों के चयन का आधार क्या होता है और गत 3 वर्षों में कोटा जिले में किन-किन आबादी क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऐसे कई गांव, ढ़ाणी व मजरे हैं, जो वन भूमि पर बसे हुए होने के कारण उन्हें न तो राजस्व गांव घोषित किया जा सकता है और न ही आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती है? यदि हां, तो कोटा जिले में ऐसे गांव, ढ़ाणी व मजरों की आबादी कितनी है? सरकार उक्त स्थान के निवासियों को राहत प्रदान करने का क्या विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कुछ गांव, ढ़ाणियां व मजरे हैं, जो आबादी क्षेत्र में बड़े होने के बाद भी राजस्व ग्राम घोषित नहीं है।

तहसील कनवास क्षेत्र में मूल ग्राम मोरूकला की आबादी लगभग 500 है इसी राजस्व ग्राम की सीमा में एक आबादी दरा के नाम से बसी हुई है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2000 है तथा कोटा झालावाड़ रोड से दरा स्टेशन की तरफ बसी हुई आबादी जिसकी जनसंख्या लगभग 500 है जो राजस्व ग्राम मुकुन्दरा, तहसील रामगंज मण्डी में बसी हुई है। तहसील कनवास क्षेत्र में दरा स्टेशन क्षेत्र की आबादी न आने के कारण तहसील कनवास द्वारा इस आबादी को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत की आपत्ति होने से नवीन राजस्व ग्राम बनाया जाना सम्भव नही है।

(2) विभिन्न जन सुविधाओं एवं विकास योजनाओं यथा जलप्रदाय योजना, विद्यालय, सड़क, चिकित्सालय, विद्युतीकरण, डाकघर, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन इत्यादि की स्वीकृति के लिये राजस्व ग्राम एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु है।

(3) जी हां। नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज./ग्रुप-1/2007 दिनांक 20.08.2009 के द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं प्रक्रया के अनुसार संबंधित जिला कलक्टर के प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के माध्यम से प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाते हैं। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मूल राजस्व ग्राम से कम से कम 01 किमी दूर बसे आबादी क्षेत्र एवं बिखरी हुई मजरे/ढ़ाणियों को नवीन राजस्व

(राजस्व मंत्री)

ग्राम बनाये जाने हेतु उनकी एवं मूल ग्राम की आबादी सामान्य क्षेत्रों में 250 से कम न हो तथा रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 200 से कम न हों।

कोटा जिले में विगत 3 वर्षों से किसी आबादी क्षेत्र को नवीन राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

(4) जी हां। राज्य में ऐसे कुछ गांव है जिनको वन भूमि पर बसे होने के कारण राजस्व ग्राम घोषित किया जाना सम्भव नहीं है। कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में 03 एवं तहसील कनवास में 01 ढाणी/मजरा है जो वन भूमि पर बसे हुए है जिनकी आबादी निम्नानुसार है -

तहसील लाडपुरा के मजरे	आबादी
1 फाट का डाबडा	400
2 जामुनिया	200
3 गणेशपुरा	200
मजरा तहसील कनवास	
1 कैलाश नगरी	170

पटवार मण्डल दाता में ग्राम चक धुलेट गैर आबादी ग्राम है। चक धुलेट में कैलाश नगरी नामक मजरे में पेयजल व्यवस्था, बिजली व शिक्षा की आधारभूत सुविधा उपलब्ध है खादय सुविधा ग्राम पंचायत दाता के राशन डीलर से उपलब्ध है।

तहसील लाडपुरा के फाट का डाबडा, जामुनिया एवं गणेशपुरा में बिजली, पानी के लिए हैंडपंप एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध है। अन्य सुविधाएं राजस्व ग्राम घोषित होने पर ही उपलब्ध करवाई जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में बीज विधायन केन्द्र की स्थापना

448. श्री भंवर सिंह (कोलायत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा किसानों को बीज निगम के द्वारा उपचारित

(श्री भंवर सिंह)

बीज बेचने व पुन: खरीदने हेतु 'बीज विधायन केन्द्र' स्थापित किए गए हैं? यदि हां, तो प्रदेश में संचालित बीज विधायन केन्द्रों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खाद्यान्न का भारी उत्पादन होने के उपरान्त भी बीकानेर जिले में 'बीज विधायन केन्द्र' नहीं खोला गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में नवीन बीज विधायन केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है?

(4) क्या सरकार के द्वारा बीकानेर में 'बीज विधायन केन्द्र' खोला जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब तक व कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीज निगम द्वारा किसानों को उपचारित बीज बेचा जाता है एवं उत्पादित रॉ बीज किसानों से खरीदा जाता है।

प्रदेश में संचालित बीज विधायन केन्द्रों की जिलेवार सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थान का नाम	क्र.सं.	जिले का नाम	स्थान का नाम
1	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, सूरतगढ़	12	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
2	अजमेर	तबीजी	13	सीकर	धस्स का बास लक्ष्मणगढ़
3	भरतपुर	भरतपुर	14	कोटा	कोटा
4	अलवर	अलवर	15	बारां	बारां
5	करौली	हिण्डौन	16	झालावाड़	झालावाड़
6	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	17	टोंक	दूनी
7	जोधपुर	मण्डौर	18	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
8	जैसलमेर	मोहनगढ़	19	नागौर	नागौर
9	पाली	सुमेरपुर	20	जयपुर	ढिंढोल (बस्सी)
10	उदयपुर	उदयपुर			
11	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा			

(कृषि मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के क्रम में बीकानेर में बीज विस्तार केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। इसके तहत बीकानेर में कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान सेवा केन्द्र, पंचायत समिति परिसर में अस्थायी तौर पर बीज विस्तार केन्द्र प्रारंभ कर दिया गया है तथा स्थायी तौर पर बीज विस्तार केन्द्र की स्थापना हेतु बीकानेर शहर में उपयुक्त भूखण्ड आवंटन के प्रयास किये जा रहे है। बीज विस्तार केन्द्र की स्थायी स्थापना के पश्चात इस केन्द्र पर बीज विधायन का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है।

(3) राज्य के वर्ष 2015-16 के बजट में बीजों के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु चौमूं जिला जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, गुढ़ामलानी जिला बाड़मेर एवं बानसूर जिला अलवर में नये विस्तार केन्द्र तथा कोटा संभाग के समस्त जिलों में भी एक-एक विस्तार केन्द्र खोले जाने की घोषण की गई है। उक्त घोषणा की अनुपालना में चौमूं (जयपुर), प्रतापगढ़, बीकानेर, गुढ़ामलानी (बाड़मेर), बानसूर(अलवर), सुल्तानपुर (कोटा), भवानीमण्डी (झालावाड़), सीसवाली (बांरा) व बून्दी में बीज विस्तार केन्द्र खोले जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर बीज विधायन का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। बीकानेर में बीज विस्तार केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। इसके तहत बीकानेर में कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान सेवा केन्द्र, पंचायत समिति परिसर में अस्थायी तौर पर बीज विस्तार केन्द्र प्रारंभ कर दिया गया है तथा स्थायी तौर पर बीज विस्तार केन्द्र की स्थापना हेतु बीकानेर शहर में उपयुक्त भूखण्ड आवंटन के प्रयास किये जा रहे है। बीज विस्तार केन्द की स्थायी स्थापना के पश्चात इस केन्द्र पर बीज विधायन का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है।

अपना काम अपना खेत योजना के तहत खेतों में मेड़बंदी का कार्य

449. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अपना काम अपना खेत योजना में खेतों में मेड़बंदी किये जाने के कार्य की अनुमति है? यदि हां, तो क्या यह मेड़बंदी

(श्री नारायण सिंह देवल)

पक्की करवाई जाती है या कच्ची? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में करवाये जाने वाले मेड़बंदी के कार्य को कच्चा नहीं करवाया जाकर तारबंदी के रूप में करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत थोर फैन्सिंग/कंटीली झाड़ी से फैन्सिंग, डिच-कम-बण्ड फैन्सिंग (खाई फैन्सिंग), स्थानीय रूप से उपलब्ध होने पर सूखे पत्थरों की चिनाई के माध्यम से मेड़बंदी का कार्य कराया जा सकता है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजना अधिनियम के तहत केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसके तहत कार्य अधिनियम के प्रावधानानुसार एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कराए जाते है। तारबंदी का कार्य नही कराए जाने के निर्देशों के कारण कार्य नही कराया जा सकता है।

प्रदेश मे सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के उपाय

450. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 5 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के कितने प्रकरण दर्ज हुए? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी तथा कितने व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क दुर्घटनाओं में कितने हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों/ राज्य राजमार्ग/शहर के भीतर घटित हुए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित कुल 118391 प्रकरण दर्ज हुए हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट अ तथा जिलेवार विवरण परिशिष्ट ब पर अंकित है।

(2) सड़क दुर्घटनाओं में 50139 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 79256 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। वर्षवार विवरण परिशिष्ट अ के कॉलम संख्या 6 व 7 पर तथा जिलेवार विवरण परिशिष्ट ब के कॉलम संख्या 9 व 10 पर अंकित है।

(3) सड़क दुर्घटनाओं में 32857 हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 23253 हादसे राज्य राजमार्गों पर एवं 38126 हादसे शहरो के भीतर हुए हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट अ के कॉलम संख्या 8, 9 व 10 तथा जिलेवार विवरण परिशिष्ट ब के कॉलम संख्या 11, 12 व 13 पर अंकित है।

(4) जी हां। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु उठाये जा रहे कदमो का विवरण परिशिष्ट स पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर सिटी फीडर सुधार कार्यक्रम पर व्यय राशि

451. श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में फीडर सुधार योजना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपये खर्च करने के पश्चात् भी निर्बाध रूप से बिजली नहीं मिल रही है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मार्च 2015 से 31 जनवरी, 2017 तक किस-किस फीडर से कितने घंटे बिजली सप्लाई में व्यवधान रहा तथा सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति किस प्रकार दी जा रही है? फीडरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मान सिंह)

(3) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष से उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार की घोषित नीति के अनुसार घरेलू, कृषि एवं उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में उक्त क्षेत्र में बिजली कर्मियों की लापरवाही से तार टूटने की दर्जनों घटनाएं एवं 05 मौतें हो चुकी हैं? यदि हां, तो इसके लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में निर्धारित नीति अनुसार "विद्युत छीजत आधारित आपूर्ति व्यवस्था" (LBSM) में सम्मिलित फीडर को छोड़कर अन्य सभी में सामान्यतया निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

यदा-कदा प्राकृतिक आपदाओं, विद्युत उपकरणों, लाइनों में आई तकनीकी खराबी के कारण अथवा एस.एल.डी.सी. के निर्देशानुसार विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आता है, जिसे शीघ्रताशीघ्र दूर कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(2) विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में मार्च, 2015 से 31 जनवरी, 2017 तक 11 के.वी. फीडरों पर हुए विद्युत व्यवधान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उक्त विधानसभा क्षेत्र के "विद्युत छीजत आधारित आपूर्ति व्यवस्था" (LBSM) में सम्मिलित फीडर को छोडकर अन्य सभी ग्रामीण फीडरों पर सामान्यतया 18 से 22 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत करंट से 05 घातक व 03 अघातक दुर्घटना के प्रकरण हुए हैं। उक्त प्रकरणों में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र खैरथल फेज-2 की स्थापना

452. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़बास के औद्योगिक क्षेत्र खैरथल में नये उद्योग स्थापित करने हेतु भूखण्ड उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र खैरथल फेज-2 नया विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा अलवर जिले में अलवर से खैरथल आने वाले रेल्वे ट्रैक के साथ-साथ नया औद्योगिक क्षेत्र खैरथल फेज-2 ग्राम पंचायत बाघौड़ा व बृंसगपुर में उपलब्ध राजकीय भूमि पर विकसित करने हेतु कोई सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिये सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले की विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में खैरथल संतृप्त औद्योगिक क्षेत्र है एवं इस औद्योगिक क्षेत्र में सभी नियोजित औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। वर्तमान में क्षेत्र खैरथल फेस-2 विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) खैरथल से अलवर आने वाले रेल्वे ट्रेक के साथ-साथ ग्राम पंचायत बाघौड़ा व बृंसगपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र खैरथल फेस-2 विकसित करने की कोई योजना वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(3) खैरथल से अलवर आने वाले रेल्वे ट्रेक के साथ-साथ ग्राम पंचायत बाघौड़ा व बृंसगपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र खैरथल फेस-2 विकसित करने की कोई योजना वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पांचौली (मण्डरायल) में विद्युत करन्ट से मृत्यु होने पर आश्रितों को सहायता

466. डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला करौली की पंचायत समिति मण्डरायल के ग्राम पांचौली में रामदयाल पुत्र फोसू जाटव की 11 के.वी. विद्युत लाइन के झूलते तारों से चिपक जाने के कारण दिनांक 11 अक्टूबर, 2016 को मृत्यु हो गई? यदि हां, तो सरकार द्वारा परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। जिला करौली की पंचायत समिति मण्डरायल के ग्राम पांचौली में दिनांक 11.10.2016 को 11 के.वी.विद्युत लाइन से श्री रामदयाल पुत्र श्री फोसू जाटव की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि श्री रामदयाल के पुत्र श्री चन्द्रभान की मृत्यु होना बताया गया है। दुर्घटना की जांच एवं गवाहों के बयानों के अनुसार श्री चन्द्रभान ने पारिवारिक समस्याओं के कारण दिनांक 11.10.2016 की रात में छत से लगभग 4 फुट दूर से गुजर रही 11 के.वी. लाइन को स्पर्श कर लिया जिससे करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के आश्रितों द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है।

चूंकि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही से घटित हुई है एवं निगम का कोई सेवा दोष नहीं है। अत: नियमानुसार मृतक के आश्रितों को मुआवजा देय नहीं है।

प्रश्न संख्या 467

(स्थगित)

दो से अधिक सन्तान होने पर पदोन्नति के नियमों में संशोधन

468. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 1 जून, 2002 के बाद में दो

(श्री निर्मल कुमावत)

से अधिक संतान वाले राज्य कर्मचारियों/ अधिकारियों की पांच पदोन्नति/भर्ती रोकने एवं ए.सी.पी. भी पांच वर्ष रोकने का प्रावधान नियमों में किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों से भी इस तरह के प्रावधानों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सूचना मांगी गई थी? यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों से कब-कब और क्या-क्या सूचना प्राप्त हुई? प्रेषित एवं प्राप्त पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्राप्त जानकारी के अनुसार किन-किन राज्यों में दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति रोकने हेतु प्रावधान किये गये हैं और किन-किन में नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कई विभागों/संवर्गों में कम पद होने के कारण प्रतिवर्ष पदोन्नति नहीं होने से कर्मचारियों को पांच वर्ष के स्थान पर अधिक वर्षों तक पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में एकरूपता रखते हुए पदोन्नति वर्ष/भर्ती वर्ष के स्थान पर वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार को उक्त नियमों को हटाने के सम्बन्ध में विगत तीन वर्षों में विभिन्न जनप्रतिनिधियों/ संस्थाओं/व्यक्तियों से ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो प्राप्त पत्रों एवं ज्ञापनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त नियम को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त प्रावधान करने का मूल उद्देश्य राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करना है। जो कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(2) जी हां। यह सही है कि इस तरह के प्रावधानों के संबंध में अन्य

(कार्मिक मंत्री)

राज्यों से सूचना मांगी गयी थी, परन्तु अन्य राज्यों के संबंध में इस प्रकार की सूचना प्राय: संकलित नहीं की जाती है तथापि विशेष निर्देश के तहत एकत्र की गई कतिपय राज्यों से संबंधित सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 2 अनुसार।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां। प्राप्त पत्रों/ज्ञापनों के आधार पर की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-

1. ऐसा कोई अभ्यर्थी/व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया हो और ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा तीसरी संतान का जन्म हुआ हो तो ऐसे अभ्यर्थी/व्यक्ति को दो से अधिक संतान होने के आधार पर राजकीय सेवा में प्रवेश/पदोन्नति हेतु निर्योग्य नहीं माने जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 20.11.2015 को जारी की चुकी है।
2. ए.सी.पी. पर पूर्व में जो पूर्ण सेवाकाल तक रोक का प्रावधान था, उसे परिवर्तित कर, अब पांच वर्ष तक ही रोक प्रभावी रहने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.10.2015 जारी किया जा चुका है।
3. राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियमों के तहत दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर देय दण्डात्मक प्रावधान (नियम 25सी) को विलोपित किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 11.05.16 को जारी की जा चुकी है।

   साथ ही राज्यकर्मियों के दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति/एसीपी 05 भर्ती वर्ष/पांच वर्ष रोके जाने संबंधी विद्यमान प्रावधान में संशोधन संबंधी प्रकरण भी वर्तमान में विचाराधीन है।

(6) जी नहीं। वर्तमान में उक्त नियम को पूर्ण रूप से विलोपित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष बिन्दु संख्या 1 अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में शीघ्रलिपिक/कनिष्ठ लिपिक के पदों को भरने की योजना

469. श्री हीरालाल (निवाई): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शासन सचिवालय व अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शीघ्रलिपिक व कनिष्ठ लिपिक के पदो पर भर्तियां नहीं होने के कारण राजकार्य प्रभावित हो रहा है तथा आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्रलिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक चयन बोर्ड को भिजवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1. शासन सचिवालय में शीघ्रलिपिक के 87 पद एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 800 पद रिक्त है।

2. शासन सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक के 547 पद एवं राज्य में अधीनस्थ कार्यालयों में 15844 पद रिक्त है।

(2) जी हां।

1. शासन सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक के 195 रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को दिनांक 04.07.2014 को भिजवाई गई है एवं 329 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को दिनांक 20.07.2016 को भिजवाई गई है।
2. शासन सचिवालय में शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों एवं राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों के शीघ्रलिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को भिजवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

पुलिस थाना लाडनूं में परिवादियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार

470. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को आसोरा गांव स्थित पैट्रोल पम्प लूटकर भागे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाना लाडनूं, जिला नागौर में पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज न कर उनके साथ मारपीट कर थाने में बंद कर दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिस कर्मियों/ अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) पुलिस थाना लाडनूं में वर्तमान में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदों पर कार्मिक पदस्थापित हैं? एक थाने में किसी कार्मिक के कितने समय तक पदस्थापित रहने के नियम हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त थाने के पुलिस कार्मिकों के दुर्व्यवहार के कारण लाडनूं, सुजानगढ़ एवं जसवंतगढ़ दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को बंद रहे? यदि हां, तो वहां के नागरिकों द्वारा दिये ज्ञापन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 14.12.2016 को खानपुर गांव स्थित पैट्रोल पम्प पर गाड़ी में डीजल भरवाकर बिना पैसे दिये गाड़ी भगा ले जाने की रिपोर्ट पर पुलिस थाना लाडनूं मुकदमा नं. 328/16 अन्तर्गत धारा 384 भा.द.स. में दर्ज कर बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा चार्जशीट नं. 6 दिनांक 22.01.2017 को कता की जाकर नतीजा दिनांक 16.02.2017 को पेश न्यायालय की जा चुकी है। इसी संदर्भ में प्राप्त परिवाद की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीडवाना द्वारा जांच करने पर परिवादी पक्ष व पुलिस कर्मियों के बीच फोटोग्राफी करने व एफ.आई.आर. की प्रति समय पर नही देने की बात को लेकर हुए विवाद को आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने पर दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध

(गृह मंत्री)

विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परिवाद/एफ.आई.आर. की प्रतियां परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

क्र.सं.	नफरी	पुलिस निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कान्सटेबल	कान्सटेबल
1	स्वीकृत नफरी	1	0	3	6	30
2	वर्तमान नफरी	1	1	3	2	29

(2) प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग एक निश्चित समय अवधि पूर्ण होने पर बदलनें के नियम बने हुए हैं। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के पत्रांक 788-937 दिनांक 28-01-2015 द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण नीति में नियम निहित है, जिनका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। कस्बा लाडनूं एवं निम्बी जोधा का बाजार आंशिक बंद रहा व कस्बा जसवन्तगढ़ बंद नही रहा। घटना के विरोध में कस्बा सुजानगढ़ बंद रहा। ज्ञापन पर दोषी पुलिस कर्मियो के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत निम्न 4 पुलिस कर्मियो को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये गये:-

1. सुमेर सिंह उ.नि.
2. लालचन्द उ.नि.
3. रामनिवास स.उ.नि.
4. गोपाल राम कानि. 328

एवं निम्न 4 पुलिस कर्मियो को लाईन हाजिर किया गया है:-

1. सुमेर सिंह उ.नि.
2. रामनिवास स.उ.नि.
3. जेठाराम हैड कानि. 474

(गृह मंत्री)

4. सोहनराम कानि.

इनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी उपखण्ड मुख्यालय पर यातायात कर्मियों का पदस्थापन

471. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार फलौदी पुलिस थाने में नफरी बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि फलौदी उपखण्ड मुख्यालय पर अत्यधिक यातायात रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार यातायात पुलिसकर्मी लगाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फलौदी पुलिस थाने में नफरी बढ़ाने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(2) जी हां। यह सही है कि फलौदी उपखण्ड मुख्यालय पर यातायात का दबाव रहता है। यातायात नियन्त्रण हेतु थाना की नफरी के अतिरिक्त फलौदी उपखण्ड मुख्यालय के लिए पृथक् से यातायात नफरी स्वीकृत नही है। फलोदी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए थाने की नफरी के अलावा जिले की यातायात नफरी से 1 हैड कॉनिस्टेबल, 4 कॉनिस्टेबल एव 6 होमगार्ड लगाए हुए हैं एवं 1 हाईवे मोबाइल वाहन भी तैनात है।

पुलिस की विभिन्न शाखाओं में विशेष भत्ता देने की योजना

472. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आवास पर कितने पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाती है तथा वर्तमान में उनके कार्यालयों में कितना स्टॉफ स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस की किस-किस शाखा में कितना विशेष भत्ता किस आधार पर दिया जाता है?

(श्रीमती सोनादेवी)

(3) क्या यह सही है कि जिन शाखाओं में भत्ता नहीं दिया जाता है व जिन शाखाओं में भत्ता दिया जाता है, उक्त दोनों के कार्यकलापों में विशेष अन्तर नहीं है?

(4) क्या सरकार अन्य शाखाओं में भी विशेष भत्ता स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आवास पर पुलिसकर्मी का कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा समस्त जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वर्तमान में स्वीकृत स्टॅाफ का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) पुलिस विभाग में आरएसी, विशेषीकृत वैज्ञानिक यूनिट, सीआईडी, जिला विशेष शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुलिस वायरलैस, एमबीसी, डॉग स्क्वाड, इमरजेंसी रेस्पोंस, एसएसडब्ल्लू, एटीएस, राज्य विशेष शाखा एवं स्पेशल क्राईम एंड इकोनोमिक ओफन्सेज सैल (एसओजी) में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाता है। विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है कि जिन शाखाओ में भत्ता नहीं दिया जाता है तथा जिन्हें दिया जाता है, दोनो में विशेष अन्तर नहीं है। शाखाओं की कार्य की प्रकृति में अन्तर होने के कारण भत्ता दिया जाता है।

(4) ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना के तहत स्वीकृत राशि

473. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या ग्रामीण विकास (नरेगा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो उक्त योजना में प्रति ग्राम बजट आवंटित करने के क्या प्रावधान हैं? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उक्त योजनान्तर्गत अब तक कुल कितने गांवो को उक्त योजना का लाभ मिला तथा उनमें कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि व्यय की गई? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। "मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना" वर्तमान में राज्य की 2 हजार "खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.)" पंचायतों में चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है।

यह योजना ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा "महात्मा गांधी नरेगा योजना", "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" तथा राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु उपलब्ध राशि के कन्वर्जेन्स से लागू की जा रही है। आवश्यकता होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं यथा राज्य वित्त आयोग, क्षेत्रीय विकास योजनाओं, एम.एल.ए. लैड, एम.पी.लैड, जल ग्रहण विकास आदि की निधि से भी कन्वर्जेन्स किया जा सकता है।

इन पंचायतों के लिए राज्य मद की राशि का आवंटन संबन्धित जिलों को किया जा चुका है।

योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में अभी तक योजना प्रारम्भ नही हुई है। अत: सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिला परिषद द्वारा सांसद कोष से स्वीकृत सीमेन्ट की बैंचें

474. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला परिषद, जालोर द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2016 की अवधि में सांसद मद से विभिन्न ग्राम पंचायतों में सीमेन्ट बैंचे लगवाई गई है? यदि हां, तो उक्त अवधि में लगाई गई सीमेन्ट

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बैंचों की स्वीकृतियां, आदेश कार्यालय टिप्पणियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में सांसद मद से सीमेन्ट बैंच/स्टील बैंच स्थापित करने अथवा लगाने के लिये एक ही ग्राम पंचायत को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया था? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में सांसद मद में सीमेंट बैंचों की स्वीकृतियों की कार्यकारी ऐजेन्सी एक ही ग्राम पंचायत को बनाने से वित्तीय हानि हुई है? यदि हां, तो कार्यकारी ऐजेन्सी की बी.एस.आर. एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की बी.एस.आर. दर का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अवधि में जिला परिषद, जालोर द्वारा सांसद मद से सीमेंट बैंच/स्टील बैंचों को शहरी क्षेत्रों मे लगाने की स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो स्वीकृतियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या शहरी क्षेत्र में सीमेंट बैंच लगाने की कार्यकारी एजेन्सी किसी ग्राम पंचायत को बनाया गया है? यदि हां, तो किस-किस नियम/आदेश के अन्तर्गत तथा उक्त नियम विरुद्ध कार्य के लिये दोषी अधिकारी कौन है? नाम एवं पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद, जालोर में दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2016 की अवधि में सीमेंट बैंचों को विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगवाने हेतु सांसद मद से स्वीकृतियां जारी की गई, जिसके स्वीकृति आदेश की प्रतियां परिशिष्ट 1 एवं कार्यालय टिप्पणीयां की प्रतियां परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त अवधि में सांसद मद से सीमेंट बैंच स्थापित करने अथवा लगाने हेतु एक ही ग्राम पंचायत को कार्यकारी एजेन्सी माननीय सांसद महोदय की अनुशंषा पर बनाया गया है। अनुशंषा परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। योजना एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के विरुद्ध कार्यकारी एजेन्सी एक ही ग्राम पंचायत बनाये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जा रही है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) सीमेंट बैंचों के निर्माण कार्य की बी.एस.आर. दरें निर्धारित नही होने से यह कार्य संबंधित कार्यकारी अभिकरण के द्वारा निविदा प्रक्रिया अपनाई जाकर स्वीकृतियां जारी की गई हैं। वित्तीय हानि होने के सम्बन्ध में जांच दल गठित कर जांच कराई जा रही है।

(4) जी हां। जिला परिषद, जालोर द्वारा सांसद मद से दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2016 की अवधि में सीमेंट बैंचों को शहरी क्षेत्रों में लगाने हेतु सांसद मद से स्वीकृतियां जारी की गई, जिसके स्वीकृति आदेश की प्रतियां परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(5) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के संयुक्त कार्य में एक ही ग्राम पंचायत को कार्यकारी एजेन्सी माननीय सांसद महोदय की अनुशंषा पर एवं योजना के दिशा-निर्देशों एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के विपरीत कार्यकारी एजेन्सी निर्धारण में दोषी अधिकारियों की जांच कराई जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में शौचालय निर्माण की बकाया राशि का भुगतान

475. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र जायल (नागौर) में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक उक्त विधानसभा क्षेत्र में कितने शौचालयों की स्वीकृतियां जारी की गई तथा उनमें से कितने शौचालय बने व कितने शौचालयों की राशि का वितरण किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के उपरान्त भी कई लाभार्थियों को आज तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं कौन-कौनसी पंचायतों में? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. मंजू बाघमार)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में शौचालय निर्माण के उपरान्त जिन लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उनको शीघ्र भुगतान दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जायल में 23515 शौचालयों की स्वीकृतियां जारी की गई है तथा 10628 शौचालय बने तथा 4171 शौचालयों का भुगतान किया गया है। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जायल में शौचालय निर्माण के बावजूद कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र अप्राप्त होने/अपूर्ण सूचना होने के कारण भुगतान नही हुआ है। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(3) जी हां। भुगतान नियमानुसार प्रक्रियाधीन है, शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति बनेड़ा (भीलवाड़ा) में कराये गये विकास कार्य

476. श्री सुखाराम (मेड़ता): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आमदनी से विकास एवं निर्माण कार्य कराये जाते हैं? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक कुल कितनी आमदनी विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण प्रस्तुत करें।

(2) उक्त आमदनी से प्रत्येक वर्ष में किस-किस दिनांक को, कितनी-कितनी धनराशि, किस-किस विकास एवं निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत की गई व उक्त कार्य को पूर्ण करने की अवधि क्या निर्धारित की गई?

(3) क्या यह सही है कि विकास एवं निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राशि का समायोजन किया जाता है? यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि के कार्यों का समायोजन हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुखाराम)

(4) क्या यह भी सही है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में धनराशि का समायोजन नहीं हो पाया है? यदि हां, तो कितने कार्यों का कितनी धनराशि का समायोजन नहीं हो पाया? प्रत्येक निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और उसका नियमानुसार कब तक समायोजन कर लिया जायेगा? विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति बनेड़ा द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आमदनी से विकास एवं निर्माण कार्य कराये जाते हैं। पंचायत समिति बनेड़ा में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति में प्राप्त आमदनी से प्रत्येक वर्ष दी गई धनराशि, देने की तारीख, स्वीकृत कार्यों एवं कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्य का समायोजन किया जाता है एवं शेष राशि कार्यकारी संस्था को जारी की जाती है। समायोजित हुये कार्यों की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कुछ कार्यों का समायोजन नही हो पाया है। कार्यों एवं धनराशि जिसका समायोजन नही हो पाया उसकी सूची परिशिष्ट स पर संलग्न है। प्रत्येक निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की सूचना परिशिष्ट स पर संलग्न है। बकाया कार्यों का दो माह मे समायोजन करने की संभावना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में स्वीकृत पशु चिकित्सा केन्द्र

477. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कुल कितने पशु चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने नये पशु चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां खोले गये और किन-किन पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सा केन्द्रों के लिए चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत पदों में किस- किस प्रकार के कितने पद कहां कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कुल 44 पशु चिकित्सा संस्थायें स्वीकृत है। जिनका स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2013 तक एवं 1 जनवरी 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक स्वीकृत नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रो एवं क्रमोन्नत संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 409 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी गई है तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों के 35 पदों एवं पशुधन सहायकों के 1789 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की ग्राम पंचायतों मे पशुओं के नि:शुल्क टीकाकरण कैम्प

478. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किन-किन ग्राम पंचायतों एवं अधिक आबादी वाले ग्रामों में पशु उप-केन्द्र नहीं हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(2) प्रदेश में जिन अधिक आबादी वाले गांवों में पशु उप केन्द्र नहीं है, क्या सरकार उनमें पशु उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में पशुओं में समय-समय पर फैलने वाली मौसमी बीमारियों के लिए नि:शुल्क टीकारण दवा वितरण के कैम्प प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की ग्राम पंचायतों एवं अधिक आबादी वाले गांव जहां पशु चिकित्सा संस्था वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2017-18 अनुसार आगामी दो वर्षों में प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 4160 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है।

(3) जी हां। प्रदेश में पशुओं में समय समय पर फैलने वाली मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा संस्थाओं, पशु चिकित्सा शिविरों एवं घर घर जाकर आवश्यक टीकाकरण एवं पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना अन्तर्गत प्रदेश की समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं जिला पशुधन आरोग्य चल ईकाईयों के माध्यम से पशु चिकित्सा शिविरों का नियमित आयोजन कर बीमार पशुओं का नि:शुल्क उपचार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम मे आर्गेनिक खेती हेतु सब्सिडी

479. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्रीन शेड (ऑरगेनिक खेती) के लिए सरकार द्वारा कोई सब्सिडी दी जा रही है? यदि हां, तो क्या व कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में गत तीन वर्षों में उक्त सब्सिडी के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनों को सब्सिडी आवंटित की गई है? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस स्थापना पर लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक अनुदान देय है। अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

ग्रीन हाउस व शैडनेट हाउस में ऑर्गेनिक खेती करने के लिए पृथक से कोई अनुदान देय नहीं है। ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन हेतु जैविक खेती अपनाने, जैविक प्रमाणीकरण, वर्मी कम्पोस्ट इकाई व एचडीपीई वर्मी बैड इकाई हेतु देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2016-17 में भीम विधान सभा क्षेत्र में ग्रीन हाउस अनुदान के 8 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से 2 आवेदन स्वीकृत किये गये है। शैडनेट के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृती जारी की गई है। नामवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय मे रखा गया)

बिलाड़ा (जोधपुर) में रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना

480. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बिलाड़ा तहसील में घायल वन्य जीवों के उपचार हेतु रेस्क्यू सेन्टर स्थापना की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब एवं कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना कर दी गई? यदि हां, तो कब व कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रेस्क्यू सेन्टर स्थापित करने के बाद वन्य जीवों को

(श्री अर्जुनलाल)

लाभान्वित किया गया है? यदि हां, तो कितनों को कब एवं कहां-कहां? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 14वीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र में दिनांक 25.2.2015 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में जोधपुर के बिलाड़ा में रेस्क्यू सेंटर के निर्माण का उल्लेख किया गया था।

(2) बिलाड़ा तहसील में घायल वन्यजीवों के उपचार हेतु दो स्थानों पर, वन विभाग की नर्सरी बिलाड़ा में व पशु चिकित्सालय परिसर, ग्राम बाला में रेस्क्यू वार्ड की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जावेगा।

(3) बिलाड़ा तहसील में घायल वन्यजीवों के उपचार हेतु दो रेस्क्यू वार्ड का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही वन्यजीव इनसे लाभान्वित हो सकेगें।

रणथम्भौर नेशनल पार्क व सरिस्का टाईगर रिजर्व में स्वीकृत पद

481. श्री रमेश (सपोटरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के रणथम्भौर नेशनल पार्क एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद किन कारणों से कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) रणथम्भौर नेशनल पार्क में कौन-कौनसे अधिकारी कब से कार्यरत हैं व उक्त अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल कितने समय तक रणथम्भौर नेशनल पार्क में पदस्थापित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बडी़ संख्या में वन अधिकारियों का उनके गृह जिले में पदस्थापन किया गया है? यदि हां, तो क्यों? अधिकारी एवं गृह जिले के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का कारण सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" एवं "बी" अनुसार है।

(वन मंत्री)

(2) रणथम्भौर नेशनल पार्क में पदस्थापित अधिकारियों का कार्यकाल के अनुसार विवरण संलग्न परिशिष्ट "सी" अनुसार है।

(3) जी नहीं। गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "डी" अनुसार है।

वन विभाग में वन अधिकारियों को प्राय: उनके गृह जिले में फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है। किन्तु कतिपय क्षेत्र में विशेषज्ञता या उपयुक्तता अथवा वन्यजीव क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं अन्य वन्यजीव कार्यों में रूचि तथा कार्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को गृह जिले में फील्ड पोस्टिंग दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले के गांवों मे वन प्रबन्धन समिति का गठन

482. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना में प्रदेश को जापान या किसी अन्य देश ने राशि दी है? यदि हां, तो कब व कितनी? उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो नागौर जिले में किन-किन गांवों में उक्त समिति का गठन कर लिया तथा किन-किन गांवों में गठन करना शेष है? ग्राम वार व समितियों के सदस्यों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नागौर जिले में किस-किस ग्राम की वन प्रबंधन समिति को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा किस-किस समिति द्वारा आवंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना - 2 की कुल लागत 1152.53 करोड़ रुपये में से JICA (जापान) द्वारा 884.77 करोड़ रुपये का ऋण वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक उपलब्ध कराया जाना है। जनवरी 2017 तक 655.44 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। जिसके विरुद्ध JICA (जापान) से 612.70 करोड़ रुपये पुनर्भरण के रूप में रिलिज हो चुके हैं।

(2) साझा वन प्रबन्धन की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।

(3) जी हां। नागौर जिलें में परियोजना अंतर्गत 25 समितियों का गठन कर लिया गया है। परियोजना के लक्ष्यों के अनुसार अब और समितियों का गठन किया जाना शेष नहीं है। मण्डल प्रबन्धन इकाई, नागौर अधीन गठित समितियों का, सदस्यों के नाम सहित, ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(4) नागौर जिलें में गठित 25 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को वर्ष 2016-17 (माह फरवरी 2017) तक आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले मे उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने की कार्यवाही

483. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जालौर में कितने उद्योग/लघु उद्योग ग्रेनाईट इकाईयां संचालित हैं? उक्त में से कितने व कौन-कौन से उद्योग प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की श्रेणी में आते हैं? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(2) क्या सरकार उक्त जिले में प्रदूषण रोकने हेतु कोई कारगर उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में 804 ग्रेनाईट इकाइयां पंजीकृत हैं। उद्योगों को इनसें प्रदूषण संभावना के आधार पर लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेनाईट उद्योग नारंगी श्रेणी में वर्गीकृत है। नागौर जिले में ऐसी 357 इकाइयों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ग्रेनाईट उद्योगों से मुख्यत: प्रदूषण का स्त्रोत ग्रेनाईट स्लरी उत्पन्न होना है स्लरी का निस्तारण जालौर जिले में स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित भूमि पर किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बुनकर समितियों एवं बुनकरों के लिये संचालित योजनाएं

484. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा बुनकर समितियों एवं बुनकरों के उत्थान व रोजगार देने के लिए कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में गत तीन वर्षों में कितनी बुनकर समितियों एवं बुनकरों को उक्त योजनाओं के माध्यम से क्या-क्या लाभ दिया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) गत तीन वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बुनकर समितियों एवं बुनकरों के उत्थान व रोजगार के लिए कितनी राशि किस मद में विभाग को जारी की गई? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बुनकर समितियों एवं बुनकरों के उत्थान व रोजगार देने के लिए निम्नांकित योजनाऐं संचालित की जा रही हैं

भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं (एनैक्सर 1)

1 राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

2 महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं (एनैक्सर 2)

1 बुनकर पुरस्कार योजना

2 उत्पाद विविधिकरण योजना (अध्ययन यात्रा)

3. राजस्थान हाथकरघा विकास निगम द्वारा राज्य सरकार के आर्थिक सौजन्य से डिजाईन विकास, तकनीकी उन्नयन, विपणन प्रोत्साहन हेतु बुनकरो से वस्त्र खरीददारी, प्रचार प्रसार, मेले /प्रदर्शनी में भागीदारी योजनाओ का संचालन कर रहा है।

4. राजस्थान खादी एवं ग्रामोउद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनायें।

(2) भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

1 भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है। यह योजना वर्ष 2015-16 में लागू की गई है।

2 महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजनान्तर्गत तीन वर्ष में लाभान्वित बुनकरों की सूची संलग्न है। (एनैक्सर 3)

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं (एनैक्सर 4)

1 बुनकर पुरस्कार योजनांतर्गत तीन वर्ष में लाभान्वित बुनकरों की सूची संलग्न है।

2 उत्पाद विविधिकरण योजनांतर्गत (अध्ययन यात्रा) तीन वर्ष में लाभान्वित बुनकरों की सूची संलग्न है।

3 राजस्थान हाथकरघा विकास निगम द्वारा विगत तीन वर्षो में तकनीकी उन्नयन एवं विपणन प्रोत्साहन हेतु बुनकरो से वस्त्र खरीददारी योजनाओं के अन्तर्गत 725 बुनकरों को सीधा लाभान्वित किया गया।

4 राजस्थान खादी एवं ग्रामोदयोग बोर्ड द्वारा लघु खादी परियोजना के अन्तर्गत 15 खादी विकास फण्ड अन्तर्गत 67 एवं कताई बुनाई सेड योजना के अन्तर्गत 41 संस्थाओं/ समितियों को लाभाविन्त किया गया है। कताई बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 12 सस्थाओं के

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

141 कत्तिन बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया।

(3) भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाऐ

1 विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ अत: योजना में कोई राशि भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई।

2 महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजनांतर्गत विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा जारी की गयी राशि की सूचना संलग्न है। (एनैक्सर 5)

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाऐं (एनैक्सर 6)

1. बुनकर पुरस्कार योजनांतर्गत सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में जारी की गयी राशि की सूचना संलग्न है।

2 उत्पाद विविधिकरण योजनांतर्गत (अध्ययन यात्रा) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा जारी की गयी राशि की सूचना संलग्न है ।

3 राजस्थान हाथकरघा विकास निगम को विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा जारी की गयी राशि की सूचना संलग्न है ।

4 राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को विभिन्न योजनाओं में विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी राशि की सूचना संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के महेन्द्रा सेज में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयां

485. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जयपुर के महेन्द्रा सेज में कौन-कौन से उद्योग संचालित हो रहे हैं? उक्त में से कौन-कौनसी देशी कम्पनियां एवं कौन-कौनसी विदेशी कंपनियां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में महेन्द्रा सेज जयपुर में कौन-कौनसे नये उद्योगों ने स्थापना के लिए एम.ओ.यू. किये हैं? उक्त उद्योग कब तक स्थापित होकर उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संजना आगरी)

(3) उक्त नये लगने वाले उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा? औद्योगिक इकाईवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. द्वारा स्थापित परियोजना में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) एवं Domestic Tariff Area (DTA) शामिल है। इस परियोजना में संचालित देशी एवं विदेशी कम्पनियों की सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) महिन्द्रा सेज में दो नये उद्योग ग्लोबल स्टोन्स प्रा0 लि0 एवं मैसर्स मेक्सोप इन्जिनियरिंग कम्पनी प्रा. लि. के साथ क्रमशः दिनांक 23-01-2017 एवं 24-02-2017 को महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। विकास आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति एवं Letter of Approval (LoA) जारी होने के पश्चात ही उद्योग स्थापित हो सकेंगेA Letter of Approval (LoA) की शर्तों के अनुसार इन उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जायेगा।

(3) उक्त नये उद्योगों से लगभग 142 लोगों को प्रत्यक्ष एवं लगभग 355 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार संभावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 486

(स्थगित)

ग्राम पंचायत कानुजा (पाली) में राशन डीलरों द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच

487. श्रीमती अनीता (नगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में बायोमेट्रिक मशीनों के द्वारा किस वर्ष से खाद्य सामग्री का वितरण प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति रायपुर की किस-किस पंचायत व पटवार हलके में बायोमेट्रिक मशीन से राशन डीलरों द्वारा राशन सामग्री वितरित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनीता)

(3) ग्राम पंचायत कानुजा में राशन डीलर के द्वारा कितने बी.पी.एल. व कितने ए.पी.एल. कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा किस-किस माह में कितनी-कितनी सामग्री वितरित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के राशन डीलर के द्वारा कार्ड धारकों को उनका नाम बायोमेट्रिक मशीन में नहीं होना बताकर सामग्री वितरित नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशन डीलर की जांच कराकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि राशन डीलरों द्वारा गेहूं व अन्य सामग्री निर्धारित लोहे के बाट के स्थान पर पत्थर के बाट बनाकर तोला जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी डीलर के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में बायोमैट्रिक मशीनों के द्वारा वर्ष 2016 से खाद्य सामग्री का वितरण प्रारम्भ किया गया।

(2) पंचायत समिति रायपुर की सभी ग्राम पंचायतों में बायोमैट्रिक मशीन से पात्र लाभार्थीयों को खाद्य सामग्री उनके क्षेत्राधीन राशन डीलरों के द्वारा माह सितम्बर, 2016 से फरवरी, 2017 तक कुल 3647.302 मै.टन गेहूं, 123.464 मै.टन चीनी एवं 424.363 किलोलीटर केरोसीन का वितरण किया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) ग्राम पंचायत कानुजा में राशन डीलर द्वारा 373 बी.पी.एल., 125 स्टेट बी.पी.एल., 118 अन्त्योदय एवं 66 अन्य पात्र परिवार(ए.पी.एल.) को बायोमैट्रिक मशीन के द्वारा 91440 किग्रा. गेहूं, 3579 किग्रा. चीनी एवं 13399 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया, जिसका माहवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। उक्त क्षेत्र के राशन डीलर द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

सत्यापित सूची के आधार पर सभी पात्र लाभार्थियों को बायोमैट्रिक मशीन द्वारा ही खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

यदि किसी राशनकार्डधारी का नाम खाद्य सुरक्षा में समावेशित नहीं होता है, तो मशीन में नाम नहीं आता है। इस कारण डीलर द्वारा ऐसे उपभोक्ता को राशन सामग्री नहीं दी जाती है। वंचित पात्र व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु उपखण्ड अधिकारी के यहां अपील का प्रावधान है तथा उपखण्ड अधिकारी के यहां से आदेश प्राप्त होने पर जिला रसद कार्यालय द्वारा राशनकार्डधारी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में समावेशित किया जाता है, उसके पश्चात उपभोक्ता का नाम पोस मशीन में प्रदर्शित होने पर नियमानुसार राशन सामग्री देय होती है। साथ ही उक्त क्षेत्र के बिना गैस कनेक्शन वाले राशनकार्डधारी को नियमानुसार बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर केरोसीन का वितरण किया जाता है।

(5) पाली जिले में अधिकांशत: राशन डीलरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे द्वारा राशन सामग्री वितरित की जा रही है। पत्थर से तौलने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रों का पुन: सर्वे

488. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र परिवारों को 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं वितरित किया जा रहा है जबकि उक्त योजना के पात्र परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के पात्र व्यक्तियों का पुनः सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चयनित अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह एवं अन्य पात्र परिवारों को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह 2.00 रुपये प्रतिकिलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन हेतु दिनांक 05.11.2015 से अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति सादा कागज पर प्रार्थना पत्र लिखकर उसके साथ यथासंभव दस्तावेज संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 05.11.2015 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाचना व मोहनगढ़ (जैसलमेर) तहसील में धारा 88 के तहत प्रस्तुत दावे

489. श्री गुरजण्ट सिंह (सादुलशहर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचना और मोहनगढ़ में राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत दावे पेश हुये हैं? यदि हां, तो कितने? वर्ष 2014 से फरवरी, 2017 तक तहसीलवार दर्ज दावों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त दर्ज दावों में से किन-किन चकों में कितनी-कितनी जमीनों का किन-किन नियमों के तहत निर्णय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निर्णय सरकार के विरुद्ध हुये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णीत दावों की अपील की गई हैं?

(4) राजस्व नियम 88 के तहत किये जाने वाले फैसलों संबंधी नियम की प्रति एवं समय-समय पर संशोधन की प्रमाणित प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना, सहायक आयुक्त उपनिवेशन मोहनगढ़ ए व बी से प्राप्त सूचना के अनुसार जैसलमेर की उपनिवेशन तहसील नाचना नं. 1, 2 व मोहनगढ़ नं. 1 व 2 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188, 15ककक(2क) राजस्थान

(राज्य मंत्री, राजस्व)

काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत दावे प्रस्तुत हुए हैं। वर्ष 2014 से फरवरी, 2017 तक प्रस्तुत दावों का विवरण तहसीलवार निम्नानुसार है:-

1. उपनिवेशन तहसील नाचना नं. 1 में 143 दावे प्रस्तुत हुए।
2. उपनिवेशन तहसील नाचना नं. 2 में 461 दावे प्रस्तुत हुए।
3. उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 1 में 51 दावे प्रस्तुत हुए।
4. उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 2 में 11 दावे प्रस्तुत हुए।

इस प्रकार उक्त तहसीलों में कुल 666 दावे प्रस्तुत हुए।

तहसीलवार सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) जी हां। बिन्दु संख्या 1 में अंकित दावों में से 126 प्रकरण न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा निर्णय किये गये हैं। उक्त निर्णय धारा 88, 188, 15 ककक (2क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित किये गये हैं, जिसका तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. उपनिवेशन तहसील नाचना नं. 1 में 13 प्रकरणों में निर्णय हुए, प्रभावित रकबा 2124.15 बीघा।
2. उपनिवेशन तहसील नाचना नं. 2 में 110 प्रकरणों में निर्णय हुए, प्रभावित रकबा 14951.85 बीघा।
3. उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 1 में 3 प्रकरणों में निर्णय हुए, प्रभावित रकबा 1436.15 बीघा।
4. उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 2 में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है।

इस प्रकार उक्त तहसीलों में कुल 126 दावे निर्णित किये गये। जिनमें कुल रकबा 18513.07 बीघा प्रभावित हुआ। उक्त निर्णय श्री अरूण प्रकाश शर्मा आर.ए.एस. तत्कालीन उपायुक्त, उपनिवेशन नाचना जिनके पास तत्समय सहायक आयुक्त उपनिवेशन मोहनगढ़ ए व बी का अतिरिक्त कार्यभार था, के द्वारा किये गये। नामवार, चकवार, मुरब्बा नम्बरवार

(राज्य मंत्री, राजस्व)

विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। उक्त सभी प्रकरणों में पारित निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी जैसलमेर में अपील दायर की जा चुकी है।

(3) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188, 15 ककक (2क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत दावों के फैसलों के विरुद्ध संबंधित उपनिवेशन तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी जैसलमेर में अपील दायर की की है। विवरण परिशिष्ट-ख में दर्ज है।

(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188, 15 ककक (2क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने का माध्यम है। उक्त नियमों की पुस्तक में प्रकाशित प्रति परिशिष्ट ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चोहिलावाली (हनुमानगढ़) में जोहड़ पाईतन की भूमि का आवंटन

490. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चक 2 सी, गांव चोहिलावाली जिला हनुमानगढ़ में जोहड़ पाईतन की भूमि थी? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि आवंटित कर दी गई है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कब-कब, कितनी-कितनी भूमि किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चक 2 सी, गांव चोहिलावाली जिला हनुमानगढ़ में जोहड़ पाईतन पत्थर नं. 117/355 भूमि किसको व किस नियम के अन्तर्गत आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त चक में पत्थर नं. 117/355 की किला नं. 21 से 25 की भूमि में आवंटन से पूर्व कोई आम रास्ता था? यदि हां, तो कब से व

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

अब उसे किस आधार पर बंद किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जोहड़ पाईतन की भूमि के आम रास्ते को बंद किया जा सकता है? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या पत्थर नं. 117/355 के किला नं. 21 से 25 में आवंटी को रास्ता काटकर भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पर्चा खतौनी मुताबिक चक 2 सी गांव चोहिलावाली में जोहड़ पायतन की भूमि दर्ज नहीं है।

(2) जी नहीं। जैसा कि बिन्दु संख्या 1 में अंकित किया गया है चक 2 सी गांव चोहिलावाली में जोहड़ पायतन की भूमि दर्ज नहीं है। जोहड़ पायतन भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(3) तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 2 सी के प.नं. 117/355 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर्चा खतौनी अनुसार आराजीराज नहरी दर्ज थी। जिसे डीसीसी हनुमानगढ़ वजिरये मि.नं. 66/99 दिनांक 26.04.1965 के आदेश दिनांक 24.11.1972 द्वारा कि. नं. 1 ता 25 में कुल 24 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन रामचन्द्र वल्द मोटाराम जाट, नि. नोरंगदेसर को किया गया।

(4) तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जरिये मि.नं. बिला नम्बरी डीसीसी सूरतगढ़ के आदेशांक 765 दिनांक 31.01.1978 द्वारा प.नं. 117/355 कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2 गठ्ठा रास्ता मंजूर किया गया। जो आर.ए.ए. बीकानेर द्वारा दिनांक 26.04.1980 को खारिज किया गया व पत्रावली रिमाण्ड की जिस पर दिनांक 29.11.1982 डी.सीसी सूरतगढ़ ने उक्त रास्ता पुन: मंजूर किया। उक्त निर्णय की अपील आर.ए.ए. बीकानेर कैम्प गंगानगर में हुई व निर्णय दिनांक 03.08.1989 द्वारा उक्त रास्ता खारिज हुआ। जिसके विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील हुई

(राज्य मंत्री, राजस्व)

जो दिनांक 19.03.1996 को खारिज हुई आर.ए.ए. बीकानेर का निर्णय दिनांक 03.08.1989 यथावत रखा। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में आदेश क्रमांक 95 दिनांक 31.01.2017 व 131 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा इन्तकाल नम्बर 101 दिनांक 02.03.2017 को स्वीकृत किया जाकर रास्ता का अंकन हटाकर रामचन्द्र के खाते में दर्ज किया गया है।

(5) जैसा कि बिन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित किया जा चुका है। उक्त वर्णित भूमि जोहड़ पायतन की नहीं है।

(6) प्रश्नगत भूमि में आवंटन के समय रास्ता मंजूर नहीं था।

बीकानेर जिले के टी.सी. आवंटियों को पुख्ता आवंटन

491. श्री भवंरसिंह (कोलायत): क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बीकानेर जिले के गैरखातेदारों को 15 एएए 2(क) के तहत खातेदारी व नियम, 1970 के तहत आवंटित भूमि के आवंटियों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बीकानेर जिले के टी.सी. आवंटियों को पुख्ता आवंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर द्वारा गत पन्द्रह माह से एक भी आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उपनिवेशन क्षेत्र में गैरखातेदारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 एएए 2(क) व राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत आवंटन नियमों की पालना करने पर नियमों में खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों का गुणावगुण के आधार पर

(राज्य मंत्री, उपनिवेशन)

आवंटन अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जावेगा।

(2) जी हां। उपनिवेशन क्षेत्र में नवसृजित उपनिवेशन तहसील गजनेर में रिकार्ड राईटिंग कार्य के पश्चात टी.सी. से पुख्ता आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति की आहूत कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

शेष क्षेत्र में टी.सी. आवंटियों के प्रकरणों में आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित शर्तों की पालना करने पर नियमानुसार पुख्ता आवंटन किया जाता है।

(3) जी हां। सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर द्वारा गत पन्द्रह माह में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि बीकानेर जिले में नवसृजित उपनिवेशन तहसील गजनेर मु. कोलायत के क्षेत्राधिकार के सभी गांव सीएडी चक प्लानों से प्रभावित है तथा रिकार्ड राईटिंग के पश्चात शुद्ध आवंटन योग्य भूमि का श्रेणीवार आरक्षण किया जावेगा। इसके पश्चात श्रेणी अनुसार भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर आवंटन सलाहकार समिति में आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

ईंट भट्टे के लिये आवंटित भूमि पर डेयरी का संचालन

492. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खेमावास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में नियम विरुद्ध विद्यालय एवं उच्च जलाशय के पास ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भट्टे के लिए आस-पास की सरकारी जमीन से मिट्टी निकाली जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि खसरा नं. 150 की भूमि जो ईंट भट्टे के लिए ली गई थी के स्थान पर अन्य भूमि पर ईंट भट्टा चलाया जा रहा है

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

तथा ईंट भट्टे के लिए आवंटित भूमि पर पक्का निर्माण कर डेयरी चलाई जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम खेमावास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। उक्त ईंट भट्टे की दूरी विद्यालय से 40 मीटर एवं पानी के उच्च जलाशय (गै.मु. तलाई) से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।

(2) जी नहीं। उक्त ईंट भट्टे के लिए आस-पास की सरकारी जमीन से मिटटी नहीं निकाली जा रही है।

(3) जी नहीं। खसरा नम्बर 150 की भूमि में से ईंटों के लिए मौके पर मिट्टी खुदी हुई है। वर्तमान में ईंट भट्टा खसरा नम्बर 187 में संचालित है। खसरा नम्बर 150 से 300 व.मी. भूमि पर चारदीवारी बनाकर पशु बाड़ा बना हुआ है पक्का निर्माण कर डेयरी नहीं चलाई जा रही है। ईंट भट्टे के लिए कोई भूमि आवंटन नहीं हुई है और न ही कोई संपरिवर्तन कराया गया है। खसरा नम्बर 150 रकबा 1.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 187 रकबा 0.83 हैक्टयर की खातेदारी जगदीश कल्याण अर्जुन पिता रघुनाथ हि. 1/2 रामकरण पुत्र रघुनाथ, गीता देवी पत्नि रघुनाथ हि. 1/3 राहिन एसबीबीजे शाखा जमवारामगढ़ मूर्तहीन कमलेश पुत्र रघुनाथ हि. 1/6 कोम हरियाणा ब्रा. सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

खातेदारी कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य करने पर भूमिधारी (तहसीलदार) ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत वाद बाबत् बेदखली एवं सिवायचक करने हेतु प्रस्तुत कर रखा है जिसमें वर्तमान में कार्यवाही जैरकार है तथा उक्त वाद में अग्रिम तारीख पेशी 3.4.2017 नियत है।

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सलूम्बर के माइनिंग व वन क्षेत्र में सड़क निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, तहसील सराडा, तहसील सेमारी व उप तहसील झल्लारा माइनींग क्षेत्रों व वन क्षेत्रों में कई मार्बल की माईन से सोफ स्टोन की माइनिंग पत्थर, चूना पत्थर आदि काफी तादाद में है। इन जनजातिय क्षेत्र में भारी मात्रा में खनन होता है व खनन कर विक्रय हेतु वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के माध्यम से आवागमन होता है। जिसमें लगभग 100 टन के बराबर मार्बल भरा रहता है। उपरोक्त क्षेत्रों से मार्बल लाया व ले जाया जाता है, जिससे मार्गों की सड़के टूट व खतम हो गई हैं तथा सर्म्पक भी टूट गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के निवासियों को आवागमन करने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन ढाणियो, मजरों व गांवों के लोगों को आज तक सड़क कैसी होती है, देखी नहीं है पूरा पहाड़ी भाग है। क्षेत्र पूरा वन क्षेत्रों में फैला हुआ है व इसी क्षेत्र में-

1. सम्पर्क सड़क माताजी का खेड़ा से बुजा अपटू पुनावली (नठारा) सड़क का डामरीकरण 275 लाख रु. में 6 कि.मी. का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि इस सड़क मार्ग पर लगभग 8 सोफ स्टोन माइन्स हैं। जिसमें महादेव माइन्स प्रमुख है तथा सत्ता बिलकुल नहीं है, पूरा पहाड़ी भाग है, दर्रे हैं व बड़े-बड़े अरावली पर्वत मालाए हैं व जनजाति निवासियों का आबादी क्षेत्र है।
2. सम्पर्क सड़क डेलवास से वागदरा (नठारा) ग्राम पंचायत डेलवास के अन्तर्गत आता है, जो कि 3 कि.मी. लम्बी है। जिसमें भी घनी आबादी है। कच्चे रास्ते टेढ़े-मेढ़े है। आने जाने का रास्ता नहीं है। इस मार्ग पर चार सोफ स्टोन की माइन्स हैं। इस मार्ग पर वन क्षेत्र भी

आता है। इस मार्ग को निकालना अति आवश्यक है। जिससे आने जाने में ग्रामवासियों को आसानी होगी व छोटे वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चल सकेगा।

3. सम्पर्क सड़क कैवड़ा से बाबरमाल का ग्रे मार्बल भारी मात्रा में निकलता है। इस मार्ग पर अनेक गांव बसे हुए हैं। रास्ता बिलकुल टूट गया है। जो कि लगभग 5 कि.मी. लम्बी है। बनी हुई सड़कें मुश्किल से छः माह भी नहीं चल पाती भारी मात्रा में मार्बल को लाया व ले जाया जाता है। जिससे सड़कें बिलकुल मार्गों से साफ ही हो जाती हैं।

4. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन डामर सड़क सलूम्बर मैन रोड से मोरेला-सरवेडी-वेण खनन क्षेत्र की सड़क मरम्मत की अनुमानित लागत का लखमीना भिजवाया जाये ताकि सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। जो कि लगभग 5 कि.मी. लम्बी है।

अत: मा. मंत्री खान, वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त सड़कों का निर्माण अति शीघ्र करवाकर क्षेत्र के ग्रामीण निवासियों व किसानों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद

श्री अमृतलाल
(सलूम्बर)

रानीवाड़ा के राजी का बास बांध की मरम्मत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में बरसात के दिनों में पहाड़ी से निकलने वाले पानी के संग्रह के लिए करीब 20 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत राजी का वास बांध का निर्माण करवाया गया। बांध का भराव क्षेत्र करीब 300 हैक्टेयर का है।

बदलते संसाधन एवं नीतियों के तहत 300 और उससे कम भराव क्षेत्र वाले बांधों को जल संसाधन विभाग से पंचायतीराज विभाग को सुपुर्द कर दिया गया।

जल संसाधन के अधीन यह बांध जब तक था, तब तक उसका नियमित रख-रखाव होता रहा है। मगर पंचायती राज विभाग में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नियमित रख-रखाव के अभाव में वर्ष 2015 की अतिवृष्टि में बांध का ओवरफ्लो क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण बांध का पानी बहकर खेतो में चला गया और आमजन को नुकसान उठाना पड़ा। बांध में पानी का भराव नहीं होने से आसपास के गांवों का जलस्तर घट रहा है। क्षेत्र में पीने के पानी की भी समस्या हो रही है। बांध का ओवरफ्लो टूटे हुये डेढ़ वर्ष हो गया है।

राजी का वास बांध की मरम्मत कराये जाने के लिये बार-बार मांग किये जाने पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया और मंत्री महोदय के द्वारा विभाग को निर्देशित किये जाने पर विकास अधिकारी जसवंतपुरा के द्वारा अनापति भी जारी कर दी गई है, मगर विभागीय अधिकारियों की उदासीनता की वजह से पत्रावली सर्वे, एमओयू और डिजाइन के बीच में ही झूल रही है।

आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर समय रहते बांध के ओवर फ्लो की मरम्मत नहीं कराई गई तो आगामी बरसात के मौसम में बांध में पानी नहीं रुकेगा और किसानों को अपने खेतों की भूमि के कटाव और रहवासी मकान की क्षति भुगतनी पड़ेगी।

आपके मार्फत पुन: निवेदन करता हूं कि जनहित में राजी का वास बांध को विभाग में झूल रही पत्रावली की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की जावे ताकि समय पर बांध की मरम्मत हो सके और आमजन को राहत मिले।

श्री नारायण सिंह देवल
(रानीवाड़ा)

भीलवाड़ा में अतिवृष्टि एवं सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान

मान्यवर,

निवेदन है कि राज्य सरकार किसानों पर समय पर मुआवजा भुगतान

नहीं कर पा रही है। अकेले भीलवाड़ा जिले में खरीफ-2015 के दौरान अतिवृष्टि/खराबा एवं सूखा प्रभावित ऐसे छोटे किसानों को जिनकी फसलों में 33 से 50 प्रतिशत तक खराबा हुआ था, प्रभावित 11,000 किसानों का 1.25 करोड़ रुपये और 2015-16 रबी में 33 से 50 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 33 से 50 प्रतिशत खराबे वालें मामलों में सीमान्त व लघु कृषकों को मुआवजा भुगतान हेतु बजट तो आवंटित कर दिया गया। किन्तु वित्त विभाग ने आईएमएफएस पोर्टल पर राशि नहीं डालने के कारण उनका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार भीलवाड़ा जिले में खरीफ 2016 की फसल में हुए खराबे के सम्बन्ध में 1.70 किसानों का 40 करोड़ का मुआवजा बाकी चल रहा है। जिले की कोटड़ी सहित 4 तहसीलों को सरकार ने दिसम्बर 2016 में बाढ़ प्रभावित घोषित कर रखा है लेकिन अभी तक मुआवजा जारी नहीं किया गया। आश्चर्यजनक है कि खरीफ 2015 के बाद, खरीफ 2016 व रबी 2016 की फसल निकल चुकी है तथा अब 2017 खरीफ फसल की तैयारियों में किसान जुट चुके हैं। इस प्रकार भीलवाड़ा जिले के 1.81 लाख किसानों को 41.25 करोड़ रुपये के घोषित मुआवजे का इंतजार है।

जहाजपुर व कोटड़ी की तहसील में पटवारियों एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा विदेषतापूर्ण तरीके से की गई फर्जी गिरदावरी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता व आम किसानों ने मेरे नेतृत्व में 105 कि.मी. पैदल न्याय यात्रा का आयोजन कर 40,000 से अधिक किसानों ने कलेक्टर कार्यालय को घेराव किया। सरकार ने झूठी दिलासा देकर केवल तहसीलदारों को एपीओ कर किसानों के हकों पर डाका डाला है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदया, आपदा मंत्री महोदय सहित मुख्य सचिव महोदय सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को समय-समय पर ज्ञापन एवं स्मरण दिये हैं। सदन के छठे सत्र में लगभग 10 प्रश्न लगाये थे, जिनका सरकार ने एक (फर्जी गिरदावरी पर) वर्ष की समयावधि व्यतीत होने के बावजूद आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं दिया है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह वर्ष 2015-16 खरीफ, रबी तथा वर्ष 2016-17 खरीफ व रबी के दौरान अतिवृष्टि/ खराबा एवं सूखा प्रभावित सभी श्रेणी के किसानों को मुआवजे का तत्काल भुगतान

करें तथा इस प्रकरण में जहाजपुर व कोटड़ी तहसील के किसानों की वाजिब मांग के सम्बंध में पुनर्विचार कर उक्त प्रकरण स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी के रखकर उन्हें भी कम्पनसेट करने की कृपा करें।

श्री धीरज गुर्जर
(जहाजपुर)

नसीराबाद में निर्मल भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बनाये गए शौचालयों की अनुदान राशि

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण करवाया जाना था। ग्रामीणों द्वारा जिन घरों में शौचालय नहीं थे उन घरों में शौचालय निर्माण करवा लिये गयो। निर्मित प्रत्येक शौचालय के लिए 12 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिये जाने थे। शौचालय का तो निर्माण हो चुका है, लेकिन सरकार द्वारा अनुदान राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जानकारी लेने पर राज्य सरकार द्वारा अब यह बताया जा रहा है कि बैसलाईन 2011-12 में नाम नहीं होने के कारण निर्मित शौचालयों का भुगतान नहीं किया जावेगा। जबकि शौचालयों का निर्माण जब करवाया गया था तब ग्रामीणों को बैसलाईन 2011-12 की कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

मेरी विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति पीसांगन अकेली में ही ऐसे 10555 व श्रीनगर पंचायत समिति में 1491 शौचालय बन गये हैं जिनकी अनुदान राशि 14 करोड़ 45 लाख 52 हजार रुपये का अभी तक संबंधितों को भुगतान नहीं किया गया है। एक तरफ तो भारत सरकार करोड़ों रुपये के विज्ञापनों पर रुपया खर्च स्वच्छ भारत के अन्तर्गत प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण कराने का संदेश दे रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार गांव व ढाणियों में निर्मित शौचालय निर्माण की अनुदान राशि का भुगतान न कर स्वच्छ भारत योजना की हवा निकाल रही है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि गांव व ढाणियो में निर्मित शौचालयों

की अनुदान राशि का संबंधित व्यक्ति को भुगतान शीघ्र दिलवाने की कार्यवाही कर अनुगृहीत करावें।

श्री रामनारायण
(नसीराबाद)

बिलाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 112 की बर-बिलाड़ा-जोधपुर सड़क को फोरलेन बनाना

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-112) पर स्थित बर-बिलाड़ा-जोधपुर सड़क के कि.मी. 41/0 से 51/0 (खारिया मीठापुर-बिलाड़ा-पिचियाक) तक फोरलेन सड़क के कि.मी. 41/0 से 51/0 के बिलाड़ा शहर का बाइपास जो कि खारीया मीठापुर से सीधा पिचियाक पर मिलता हैं जो NH-112 का भाग हैं एवं NH-112 के Km. 0/0 (बर) से 100/0 (डांगियावास) तक फोरलेन सीमेन्टेड सड़क का कार्य 849 करोड़ का स्वीकृत हो चुका है तथा इस स्वीकृति में बाइपास निर्माण की स्वीकृति भी सम्मिलित नहीं है। इसके Left Portion में बिलाड़ा शहर का Portion भी छूट गया हैं तथा इसकी भी स्वीकृति 11.00 करोड़ का डबल लेन सड़क की मरम्मत हेतु हो चुकी हैं। अत: NHAI द्वारा बिलाड़ा बाइपास का निर्माण भी न्यायालय की रोक के कारण नहीं हो पायेगा तथा यह Left Portion डबल लेन में ही रह जायेगा शेष सड़क पूरी फोरलेन बन जायेगी। अत: कि.मी. 41/0 से 51/0 जो कि वर्तमान में डबल लेन ही है इसे भी फोरलेन बनवाने की अत्यावश्यकता होगी, अन्यथा यह 10 कि.मी. सड़क जो कि पूर्व में Black Spot में भी चिन्हित है। इस Portion में गत दस दिनों में अलग-अलग स्थानों पर 14 मौते हो चुकी हैं, Accidental Zone भी हैं। अत: इस Left Portion का बाइपास नहीं बनता तब तक फोरलेन सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी करावें ताकि भविष्य में इस ब्लैक स्पॉट (Accidental Zone) में फोरलेन सड़क निर्माण करने से घट रही दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। अत: इसके लिए पूर्व में स्वीकृत 11.00 करोड़ रुपयों की राशि में 10.00 करोड़ अतिरिक्त राशि जारी करवाये ताकि पूरी सड़क फोरलेन में निर्मित हो जायेगी।

श्री अर्जुनलाल
(बिलाड़ा)

पीलीबंगा के गांवों में सड़क निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित गांव अभी तक सड़क मार्ग से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जिस कारण से आमजन का आवागमन में भारी परेशानी होती है।

(1) गन्धेली से लालपुरा तक 3 किमी, (2) चक 2 एन.जी.एम. से 99 आर.डी. तक 1.5 किमी, (3) केशरदेशर से हरदासवाली पूर्वी तक 4 किमी, (4) रावतसर से चक 12 के.डब्यूडी. तक 4 किमी, (5) खेदासरी से ठेठार तक 3 किमी, (6) चक 1 टी.के.डब्लू. से केवलावाली ढाणी तक 4 किमी, (7) उमेवाला से कुम्हारा वाली ढाणी तक 3 किमी, (9) रावतसर मेघा हाइवे से चक 27 डी.डब्यू.डी. तक 4 किमी, (9) चक 32 आर.डब्लू.डी. से चक 1 एन.डब्लू.डी. वाया न्योलखी तक 3 किमी. (10) चक 2 सी.एल.डी. से जैसाभटटी तक 7 किमी।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की उपरोक्त सड़कों को शीघ्र बनवाकर आमजन को राहत प्रदान करने का श्रम करावे।

श्रीमती द्रोपती
(पीलीबंगा)

जे.एल.एन. मार्ग से मोती डूंगरी तक मिसिंग लिंक रोड का निर्माण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के विकास, यातायात सुविधा, जनसंख्या दबाव एवं भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जयपुर महानगर का मास्टर प्लान 2025 अनुमोदित किया गया है।

जयपुर शहर स्थित जे.एल.एन. मार्ग एवं टोंक रोड पर क्षेत्र के निवासियों की आवाजाही के लिए इन दोनों मार्गों का बहुतायत से उपयोग किया जाता है जिसके कारण न केवल रामनिवास बाग में प्रदूषण होता है बल्कि यातायात का दबाव भी बढ़ जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 681/83 में वर्ष 1993 में निर्णय देते हुए कहा था कि इस क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने के लिए पैरेलल रोड बनाई जावे। इसके अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू मार्ग एवं मोतीडूंगरी रोड के लिए मिसिंग लिंग रोड बनाई गयी। जयपुर शहर के वर्ष 2025 के लिए बनाए गए मास्टर प्लान में भी जवाहर लाल नेहरू मार्ग से मोतीडूंगरी रोड के लिए मिसिंग लिंग रोड को सम्मिलित किया गया है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री से निवेदन करता हूं कि मास्टर प्लान 2025 में सम्मिलित जवाहर लाल नेहरू मार्ग से मोतीडूंगरी रोड के लिए मिसिंग लिंग रोड को शीघ्रातिशीघ्र बनाकर चालू करवाये जिससे जनता को राहत मिल सके।

श्री कैलाश भंसाली
(जोधपुर)

कपासन शहर के लिए कपासन तालाब से शुद्र पेयजल उपलब्ध कराना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन में नगरपालिका कपासन के चेयनमैन के पदभार समारोह में माननीय किरण जी जन स्वास्थ्य मंत्रीजी के रूप में पधारी थी। पदभार समारोह में कपासन शहरवासियों की मांग पर कपासन शहर की पेयजल योजना के नवीनीकरण की घोषणा की तथा कपासन पेयजल योजना के पानी स्रोत के लिये कपासन तालाब से 40 एमसीएफटी पानी का आरक्षण करा करके 11 करोड़ रुपये की योजना की डीपीआर बनाई गई है। लेकिन जल संसाधन मंत्री एवं जन स्वास्थ्य मंत्री की आज तक मिटिंग नहीं होने से कपासन तालाब के पानी के आरक्षण की स्वीकृति नहीं हो सकी। इसलिये मंत्री महोदय की घोषणा आज तक कागजों में अटकी हुई है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि कपासन शहर की पेयजल योजना के लिये कपासन तालाब के पानी का आरक्षण करने हेतु दोनों मंत्रियों को अतिशीघ्र मिटिंग करके कपासन शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का श्रम करें।

माननीय किरण जी ने इसी समारोह में भटटों का बामनीयां, मुंगाना, सिंहपुर, पारी, ताणा, राशमी, आकोला, आरनी, रूद, नेवरिया, भालोटा की खेडी, बारू एवं चाकूडा की पेयजल योजना की स्वीकृति की भी घोषणा की है। उक्त सभी योजनाओं को अतिशीघ्र स्वीकृति कराने की कृपा करावें।

धन्यवाद

श्री अर्जुन लाल जीनगर
(कपासन)

सहकारिता विभाग (कॉन्फैड) में खाद्य एवं उपभोक्ता सामग्री खरीद में घोटाला

महोदय,

सहकारिता विभाग (कॉन्फैड) द्वारा जुलाई, 2016 से मार्च, 17 में एक निजी फर्म से विभिन्न खाद्य सामग्री एवं उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की गई जिसमें सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व का घोटाला किया गया है। जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित बालिक छात्रावास, जिला-चूरू में खाद्य सामग्री की सप्लाई की गई एवं शिकायत मिलने पर उक्त सामग्री की गुणवत्ता की जाँच तत्कालीन जिला कलेक्टर चूरू के आदेश से एफ.एस.एस.एक्ट 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसमें आटे के सेम्पल असुरक्षित एवं निम्न स्तर के पाये गये तथा जिला चिकित्सा अधिकारी चूरू द्वारा उक्त प्रकरण को यह कहते हुये खारीज कर दिया गया था कि उक्त सप्लाई नि:शुल्क की गई है। जबकि सत्यता यह है कि उक्त सप्लाई का भुगतान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कॉन्फैड को ओर कॉन्फैड ने किसी अन्य निजी फर्म को उसका भुगतान किया है ऐसी स्थिति में उक्त स्पलाई कैसे निशुल्क हो सकती है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में पी.आई.एल भी दाखिल होकर

संबंधित विभागों को नोटिस भी जारी किये गये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चूरू एवं महाप्रबन्धक, कॉन्फैड द्वारा मिलीभगत कर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है।

मान्यवर, कॉन्फैड द्वारा निर्धारित ब्राण्ड की सामग्री न देकर लोकल व हल्की किस्म की सामग्री की सप्लाई की गई है। जबकि ब्रांड को बदलने का अनुमोदन जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नियमानुसार राज्य सरकार से लेना था। इसी प्रकार उक्त समयावधि में खाद्य सामग्री की सप्लाई के चालानों में भी अनेकों प्रकार से हेराफेरी कर फर्जी तरीके से चालान पेश किये गये और उसका भुगतान भी उठा लिया गया। जिसकी शिकायत खुद सहकारिता विभाग के प्रबन्धक द्वारा श्रीमान् महाप्रबन्धक, कॉन्फैड को भी की गई परन्तु उक्त प्रकरण की सरकार द्वारा जाँच न करवाकर उसे नजरअंदाज कर आज तक भी सामग्री की आपूर्ति निजी फर्म द्वारा सहकारिता विभाग के माध्याम से सामग्री न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में सप्लाई कर फर्जी चालानों के माध्यम से अवैध बिलों का भुगतान करवाया जा रहा है एवं भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

अत: मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की अविलम्ब उच्च स्तरीय जाँच करवाई जावे तथा इस घोटाले में लिप्त दोषी अधिकारियों एवं फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुये बिलों के भुगतान को रोकने के आदेश फरमावें ताकि गरीब छात्रों का गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध हो सके।

श्री दर्शन सिंह
(करौली)

कोटा शहर में बिजली कम्पनी द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाने से आमजन को हो रही समस्या

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूर्व कोटा, अजमेर, भरतपुर शहर की विद्युत व्यवस्था को फ्रेन्चाईजी मॉडल पर निजी कम्पनियों को सौंपा गया।

इसके पीछे राज्य सरकार की ये मंशा थी कि इन शहरों में बिजली की छीजत और चोरी को रोका जाएं, लोगों को 24 घण्टे निर्बाध आपूर्ति मिले। कोटा शहर की विद्युत व्यवस्था कोलकाता की सी.एस.ई. कम्पनी को सौंपी गयी। लेकिन यह निजी कम्पनी ही बिजली व्यवस्था के नाम पर घन्टों को शट डाउन लेकर शहरवासियों को अकारण परेशान कर रही है। इस कम्पनी ने आते ही अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से तकनीकी कर्मचारियों को लगाया। नये कर्मचारी जिन्हें अनुभव नहीं था उनके कन्धों पर शहर की विद्युत व्यवस्था को सौंपा गया। ये नये कर्मचारी कोटा शहर की विद्युत वितरण प्रणाली से अनजान है इसलिए एक मामूली फॉल्ट आ जाने पर इन्हें घंटों का समय लग जाता है फाल्ट ढूंढने के चक्कर में कम्पनी के ये अनुभवहीन कर्मचारी आस-पास के सभी इलाकों की भी लाईट बन्द कर देते है और शहर का आम नागरिक घन्टों बिजली की आस में जगता रहता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 25 लाख की आबादी पर विद्युत वितरण व्यवस्था करने हेतु मात्र 2 सहायक अभियंता लगा रहे हैं और कम्पनी द्वारा बिजली सुधार हेतु पर्याप्त टेक्निकल स्टाफ भी नहीं है। एक बरसात होते ही इनका विद्युत तंत्र बिगड़ जाता है। कम्पनी ने विद्युत शिकायत निस्तारण हेतु टोल फ्री नम्बर जारी कर रखा है जो कि कलकत्ता में संचालित कॉल सेन्टर पर जाता है। लेकिन कॉल सेन्टर पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थानीय भाषा एवं क्षेत्र का ज्ञान न होने के कारण शिकायत दर्ज होने में काफी समय लग जाता है और न उपभोक्ताओं को कर्मचारी द्वारा संतोषप्रद जवाब दिया जाता है। कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं से मनमाने तरीके से बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं और लाईट की कम्प्लेंट करने पर उपभोक्ताओं से उनके समाधान के लिए 100-200 रुपये प्रति शिकायत के लिये जा रहे हैं। जो अत्यन्त गंभीर विषय है। कम्पनी द्वारा लोगों के घरों पर लगे हुए लाईट के सही मीटरों को अकारण बदला जा रहा है और तेज गति से चलने वाले मीटर लगाये जा रहे है। अत: मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि कोटा शहर के उपभोक्ताओं की इन समस्याओं को देखते हुए उक्त कम्पनी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर आमजन को राहत दिलवाने की कृपा करें।

श्री संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)

उपखण्ड कार्यालय पीपलू की ग्राम पंचायत गहलोद में रपटे की जगह पुलिया निर्माण

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड पीपलू की ग्राम पंचायत गहलोद के अन्तर्गत बनास नदी में गहलोद रपटा कई बार सभी सरकारों के द्वारा बनवाया गया। किन्तु वर्षा के दौरान हर बार बीसलपुर बाँध से पानी छोड़े जाने के कारण टूट जाता हैं। यहाँ तक की उक्त रपटा इस प्रकार उलट जाता हैं जैसे कोई खटियां बहाव में उलट गई हो। ऐसी स्थिति में गहलोद पंचायत के साथ-साथ डोडवाडी, ज्वाली, नानेर, पांसरोटिया, नाथडी एवं पीपलू तहसील के ग्रामों का टोंक मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। जिससे लम्बी दूरी का चक्कर लगाकर जाने वाले बीमार व्यक्ति, दुर्घटना में घायल व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ टोंक मुख्यालय पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

अत: आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बनास नदी के बहाव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गहलोद में रपटे की जगह पुलिया निर्माण करवाकर जनता को राहत प्रदान करावें।

सादर।

श्री हीरालाल
(निवाई)

राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही पर अंकुश हेतु न्यायिक आयोग का गठन

महोदय,

निवेदन है कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों की स्थिति बड़ी ही लचर चल रही है। तहसीलों में प्रशिक्षित तामील कुनिन्दा नहीं है। राजस्व न्यायिक अधिकारियों का कोई पृथक से सेवा कैडर नहीं होने से राजस्व न्यायिक अधिकारियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण राजस्व विवादों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उक्त न्यायिक अधिकारी प्रशासनिक अहम में डूबे रहते हैं तथा न्याय के बेसिक सिद्धान्तों से भी अनभिज्ञ होकर मनमाने आदेश व निर्णय पारित करते रहते हैं। कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया का कोई पालन नहीं हो रहा है।

राजस्व मण्डल में हजारों प्रकरण पांच-पांच वर्षों से तामील एवं तलबी में चल रहे हैं। अधिकारियों की जबावदेही हेतु कोई तन्त्र विकसित नहीं हैं। अधिकारी बेपरवाह होकर खुल्ले आम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

राजस्व न्यायालयों में अधिकारियों व कार्मिकों के आधे से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। फैसल रिकार्ड वर्षों से रेकार्ड रुम में जमा नहीं हो पा रहा है। पुराने कार्यालयों में रेकार्ड रुमों में फाईल रखने की जगह नहीं है तो नये कार्यालयों में कोई रेकाई रुम ही संधारित नहीं है। अधिकारियों के पास अपने आदेश/निर्णय लिखाने तथा बयान लेने हेतु कोई स्टेनों नहीं है। रेकार्ड कीपर नहीं है। आज भी सरकार को प्रतिवर्ष गांवों में जाकर कैम्प लगाने पड़ते हैं तथा लाखों मामलों के निस्तारण के गलत दावे करते रहे हैं। प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु सरकार के पास अधिवक्ता/पैरोकार ही नहीं है। नायब तहसीलदार/तहसीलदारों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। एक-एक पटवारी के पास तीन-तीन सर्कल के चार्ज दे रखे हैं। पटवारियों के सहयोग हेतु कोई कर्मचारी नहीं लगाये जा रहे हैं। तहसील के राजस्व रेकार्ड का प्रत्येक 20 वर्ष पश्चात् सेंटलमेंट होना चाहिए किन्तु अनेक तहसीलों में 50-50 सालों से सैंटलमेंट नहीं हो रहे हैं। सरकारी एक्सपॉयिरी डेट दवाइयों से पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान करा कर जनता के सिर फुटवा रही है। सिलिंग कानूनों की विसंगतियों को दूर करने हेतु कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। राजस्व न्यायालयों के लिए लिंक ऑफिसर भी नियुक्त नहीं कर रखे हैं। कुल मिलाकर राजस्व न्यायालयों के क्रियाकलापों से जनता उब चुकी है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राजस्व न्यायिक अधिकारियों का पृथक से कैडर बनाया जाकर इनकी गुणवत्ता में सुधार किया जावें। राजस्व न्यायालयों की सभी अधिकारिताओं को ग्राम न्यायालयों में स्थानान्तरित करने पर सरकार उच्च स्तरीय विचार करने राजस्व न्यायालयों के क्रियाकलापों की समीक्षा हेतु एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाकर प्राप्त सुझावों के अनुसार सुधार किये जाने की कृपा करावें।

श्री घनश्याम

(टोडाभीम)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या -28 मुख्य शीर्षक **ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

1. ग्रामीण विकास में काश्तकार को अपनी जमीन के चारो तरफ चारदीवारी एवं तारबंदी कराने के लिए अनुदान के रूप में नरेगा में कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

2. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्रामों में विभिन्न आयोजनों हेतु कम्यूनिटी सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

3. प्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं में आवंटित बजट को समयबद्ध तरीके से व्यय करने की कार्य योजना नहीं बनाने से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अन्तिम माह में लक्ष्यों के नाम पर अत्यधिक बजट आवंटित किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
4. अकाल राहत घोषित वर्ष की तर्ज पर महानरेगा योजनान्तर्गत उपयोग में ली जाने वाली ग्रेवल, चुनाई पत्थर, सड़क निर्माण सामग्री, गिट्टी आदि रॉयल्टी राशि से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. सामुदायिक परिसम्पति, खेल मैदान एवं मुक्ति धाम विकास कार्यों में पक्की चारदीवारी निर्माण कार्य मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करवाने के लिए राज्य वित्त आयोग तथा पन्द्रहवां वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में अनुमत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. महानरेगा अन्तर्गत हरित राजस्थान योजना में किसानों को सम्मिलित कर काश्तकार के माध्यम से उसी की भूमि पर पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

7. विधान सभा क्षेत्र टोडीभीम में मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों को उचित समय पर भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. विधान सभा क्षेत्र टोडीभीम में मनरेगा का कार्य धीमी गति से चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

9. मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्य यथा निदाण, निराई जुताई, गुड़ाई, पिलाई, फसल निकलाई हेतु लघु एवं सीमांत काश्तकारों को कृषि मजदूर हेतु मस्टर रोल उपल्बध कराकर सहायता प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने हतु खेत की तारबन्दी/चारदीवारी कार्य को सम्मिलित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

11. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित ग्राम पंचायतों में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कराये गये विद्युत कनेक्शनों के बिलों का समय पर भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित प्रत्येक ग्राम पंचायत केन्द्र पर खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में ग्राम पंचायतों के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का मूल्यांकन एक माह में कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित सभी ग्राम पंचायतों में रिक्त सचिव एवं अन्य पदों पर नियुक्तियां करने के संबंध में चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में प्रत्येक ग्राम पंचायत केन्द्र पर हाट बाजार के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

16. पंचायत समिति रायसिंहनगर एवं श्री विजयनगर में विकास अधिकारी नहीं होने से विकास कार्य ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. चक 3 एनजेडपी, पंचायत समिति रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) के ग्रामीणों को आवंटन पत्र दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायतों में रिक्त चल रहे पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनता जल योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में अपना खेत-अपना काम, शौचालय निर्माण व अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान अधिकारियों द्वारा समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

21. जिलाधीशों व मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण द्वारा 75% जोब कार्डधारकों को 80 या 90 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, उनके खिलाफ उनके सर्विस रेकार्ड में विपरीत इन्द्राज किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. वर्ष 2008 में मनरेगा कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा 6579 करोड़ की राशि व्यय की गई थी, उसे वर्ष 2017-18 में 250% अधिक खर्च कर सभी व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के व्यक्तियों को लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. मनरेगा कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, सीमान्त किसान व छोटे किसानों के खेतों में पर्याप्त संख्या-2 में जल-कुण्ड बनवाकर उन्हे व्यक्तिगत लाभ न पहुचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. वर्ष 2008 के बाद मनरेगा कार्यक्रम में किए गए खर्च में निरन्तर आ रही गिरावट के संबंध में चर्चा के लिए।

25. मनरेगा में दिए जा रहे मनरेगा कर्मियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

26. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में मीणा बाहुल्य क्षेत्रों को माडा योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधायक कोष की स्वीकृतियों पर जिला कलक्टर के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में नदियों के किनारे बसे डाकू उन्मूलन क्षेत्र को डाग योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंशाली (जोधपुर):

29. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में विधायक कोष के कार्य शीघ्र पूरे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

30. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की ग्राम पंचायत साहोडी पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर में अटल सेवा केन्द्र भवन निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम पंचायत बेलाका पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर में अटल सेवा केन्द्र भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

32. प्रदेश में गौशालाओं के विकास हेतु गौशाला के कार्य को मनरेगा में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

33. ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को जनसंख्या अनुपात से मिल रहे फंड को जल स्वावलम्बन में दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

34. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय बनाने के बाद भी भुगतान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

35. प्रधान मंत्री आवास योजना के सर्वे में पक्षपात की जाचं कर वंचित लोगों का नाम जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में अधिक आबादी के बड़े गावों में पानी निकासी के लिए नाली निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):</u>

37. विधान सभा क्षेत्र कपासन में नरेगा योजना को कृषि कार्य के साथ जोड़ कर किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से रक्षा हेतु कांटेदार तार लगाने पर छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश धाकड (बेगूं):</u>

38. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत में 60-40 का रेशो समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):</u>

39. राज्य में मनरेगा की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):</u>

40. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित सफाई व्यवस्था, पेयजल एवं चरागाह विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

41. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. छितरी आबादी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के आबाद गांव में विकास कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ग्राम पंचायतों में नालियों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):</u>

44. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को फंड बढ़ाने एवं नरेगा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):</u>

45. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में भूमि विहिन पात्र परिवारों को आवासीय एवं कृषि भूमि आवंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री नाना लाल अहारी)

46. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पंचायत समिति खैरवाड़ा, ऋषभदेव एवं सेमारी में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना में शौचालय की राशि आवंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित चौदहवां वित्त आयोग की राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत मनरेगा में केटेगरी 4 एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सड़कों, पुल, श्मशान घाट, पशु आश्रय स्थलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

49. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों से पट्टे दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

50. प्रदेश में रोजड़ों से फसलों को बचाने हेतु किसानों को बाड़ा बन्दी करने के लिए अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

51. विधान सभा क्षेत्र मावली में ग्राम पंचायतों में पानी की निकासी हेतु नालियां बनाने व ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र मावली में सामुदायिक भवन, श्मशान एवं चौराहों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र मावली में आरसीसी व इन्टसर लॉक ईटों द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र मावली में पंचायत समितियों में रिक्त सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व ग्राम सेवकों के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र मावली में की ग्राम पंचायतों में पानी, बिजली तथा सड़क कार्य को विशेष योजना से जोड़कर प्रभावी बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

56. प्रदेश की ग्राम पंचायतो में शहरी निकायों की भांति मास्टर प्लान बनाने, आबादी भूमि में स्थित चौक, पार्को, सार्वजनिक शौचालयों के अधिकतम निर्माण एवं रख-रखाव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. प्रदेश में आबादी भूमि एवं अन्य भूमियों पर बने सार्वजनिक भवनों एवं व्यक्तिगत भवनों की छतों से बरसाती पानी संग्रहण करने की कार्ययोजना बनाकर इसे मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. प्रदेश की विशेषकर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा इत्यादि में प्राधिकरणों के अधीन आई हुई ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि के विस्तार के सम्बन्ध में ठोस कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. ग्रामीण विकास के अधीन पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों, ग्राम पदेन सचिवों के रिक्त पदों को भरने तथा राजस्थान ग्रामीण सेवा (आरडीएस) अधिकारियों के पदोन्नति के चेनल एवं ग्रामीण सेवा से अन्य विभागों में मर्ज/समायोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

60. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में मनरेगा योजना में अनियमितताओं एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

61. प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत किसानों, उद्यमियों व सरकारी/गैर सरकार संस्थाओं मे मजदूर लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. प्रदेश में टांका निर्माण का लाभ अन्य किसी संस्था को नही मिलकर सीधा स्वयं प्रार्थी को मिले के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

63. पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को दिये गये बांधों का रख-रखाव व विकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों के पद भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

65. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़ को पंचायत समिति बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):</u>

66. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की नवसृजित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, अटल सेवा केन्दों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. चाकसू कस्बे में सीवर लाइन का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):</u>

68. भीलवाड़ा जिले में अण्डरपासों के बरसाती पानी के निकास की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

69. पंचायत समिति कोटड़ी एवं पंचायत समिति जहाजपुर में प्रधान मंत्री आवास योजना के सर्वे में वंचित गांवों का पुन: सर्वे कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):</u>

70. प्रदेश में निर्बन्ध की राशि व विधायक कोष की राशि को मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):</u>

71. पंचायत समिति एवं तहसील क्षेत्र अरांई (अजमेर) के अधीनस्थ 21 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों एवं किसानों को समुचित नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अरांई कस्बे में नवीन फायर स्टेशन खोलने की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के अनतर्गत तहसील अरांई के अधीनस्थ ग्राम पंचायत मुख्यालय बोराड़ा एवं तहसील रूपनगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालय हरमाड़ा को उप तहसील घोषित कर स्थानीय वाशिंदों को समुचित राजस्व सुविधाऐं एवं ग्रामीण विकास की महत्ति योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति कर लाभान्वित कराने की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री भागीरथ चौधरी)

73. ग्रामीण एवं गरीब युवाओं को सुगम, समुचित एवं समग्र रोजगारोन्मुखी शिक्षा हेतु पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) कस्बे में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण इलाकों यथा बोराडा, अराई, हरमाडा एवं सलेमाबाद में सुचारू गैस सिलेण्डर आपूर्ति हेतु नवीन पेट्रोल कम्पनियों की नवीन गैस ऐजेन्सी की स्थापना कराने की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. अजमेर संभाग में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालय निर्माण के अन्तर्गत निर्माणकर्ताओं को बकाया भुगतान की राशि शीघ्र दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):</u>

76. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के गांवों में विशेष पैकेज देकर गांवों का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामचन्द्र (डग):</u>

77. विधान सभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत में सफाई की व्यवस्था मनरेगा में करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मान सिंह (गंगापुर):</u>

78. प्रदेश में जिन पंचायतों में सामुदायिक भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, वहां वाचनालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. डांग विभाग योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु गंगापुर सिटी क्षेत्र की समेलपुर, कुनकरा कलां एवं अन्य पंचायतों को डांग विकास योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. गंगापुर सिटी में वजीरपुर, मदुकलां को स्मार्ट विलेज बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चौधरी (बायतू):</u>

81. बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नवगठित मरू विकास बोर्ड की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री कैलाश चौधरी)

82. टीएफसी और एसएफसी के वर्तमान बजट को बढ़ाकर ग्रामीण विकास के आयाम स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. मनरेगा योजना में महत्वपूर्ण कच्ची सड़कों का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. गुरू गोल्वलकर ग्रामीण योजना से पूर्व की भांति 30% राशि से सार्वजनि स्थलों का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

86. प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए स्वीकृत कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. प्रत्येक ग्राम में सड़क से पहले पानी के निकासी के लिए नालियों का निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. ग्रामीण क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों के विकास के लिए डी.पी.आर. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कंवर लाल (मनोहर थाना):

89. घरों व खेतों तक जाने के रास्तों के अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. ग्रामीण क्षेत्र में बने तालाब एवं एनिकटों को ठीक करने के संबंध में चर्चा के लिए।

91. ग्राम पंचायत को आर्थिक आधार पर मजबूत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

92. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ग्राम पंचायत दरबारपुर में सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

93. किसानों को अपनी फसलों तथा बगीचों की रोजड़ों से सुरक्षा के लिए मेड बन्दी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम सचिवों, जे.टी.ओ., जे.ई.एन., ए.ई.एन., लेखाकार, पंचायत प्रसार अधिकारियों सहित पटवारियों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

95. ग्रामीण स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत बनने वाले व्यक्तिगत शौचालयों का (दौसा जिले में) भौतिक सत्यापन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. दौसा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मिशन का बजट आवंटन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. दौसा जिले में जल स्वावलंबन के अन्तर्गत एजेन्सी चयन की पारदर्शिता की जाचं के संबंध में चर्चा के लिए।

98. मनरेगा में मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

99. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

100. ग्राम पंचायतों में लम्बे समय से खाली पड़े सचिवों के पदों को तत्काल भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. मनरेगा कार्ययोजना में कच्चे कार्यों की जगह ग्राम पंचायतों में पक्के कार्य कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों को विधायक कोष की तरह बजट आवंटन कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. मनरेगा की कार्यों में 40-60 अनुपात की जगह 60-40 के अनुपात में बजट आवंटित कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

104. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के इन्दिरा गांधी नहर के पानी के लिए मनरेगा में पक्के खालों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. ग्रामीण विकास के कार्य आपणा खेत-आपणा काम, कैटल शेड, खेतों में पानी संग्रह हेतु कुण्डों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. मनरेगा में समय पर टास्ट की पैमाईश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

107. तहसील सुजानगढ़ एवं तहसील बीदासर में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. तहसील सुजानगढ़ एवं तहसील बीदासर में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम फेज में सार्वजनिक पक्का जोहड़/कुण्ड के स्थान का गलत चयन होने के कारण इनमें पानी का भराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

109. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के तहसील कार्यालय गनोडा मुख्यालय पर पंचायत समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

110. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ओ.डी.एफ. हुई ग्राम पंचायतों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु विशेष प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पंचायतों में पिछले वर्ष निर्बन्ध राशि के वितरण एवं उपयोग के संबंध में चर्चा के लिए।

112. नियम 157 के अन्तर्गत पुराने भवनों का विनियमितिकरण कर पट्टे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है, जिसमें कब्जाशुदा मकान पर भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हमीरसिंह भायल)

113. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास से बाड़मेर जिले को जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्व-विवेक एवं ग्रामीण गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में किए गए कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):</u>

115. गांवों के विकास के लिए सरकार के विशेष कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा के लिए।

116. पंचायत समिति गलियाकोट के पंचायत समिति भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

117. ग्राम पंचायत खड़कदा में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):</u>

119. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बर योजना में चयनित ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

120. श्रीगंगानगर पंचायत समिति में निर्बन्ध राशि योजना एवं तेहरवां वित्त आयोग अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

121. श्रीगंगानगर पंचायत समिति में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

122. श्रीगंगानगर में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्रता के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

124. पंचायत समिति भादरा (जिला हनुमानगढ़) के क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवन को तोड़कर नये भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. प्रदेश में ग्राम पंचायतों में पुरानी परिसम्पत्तियों (भवन, कुण्ड आदि) के मरम्मत कार्य हेतु 10 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करने का अधिकार पंचायत समितियों को दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. प्रदेश में ग्राम पंचायतों को बी.एस.आर. दर पर सामग्री क्रय करने के अधिकार दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. मनरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य (केटेगरी-IV) जैसे:- खेत में जल कुण्ड, शौचालय, केटल शेड, डिग्गी आदि में पंचायति समितियों की प्रशासन एवं स्थायी समिति को स्वीकृतियां जारी करने का अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. मनरेगा योजना में पंचायत समितियों की प्रशासन एवं स्थायी समिति को 10 लाख रुपये तक की स्वीकृतियां जारी करने का अधिकार/शक्तियां दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर):

129. विधान सभा क्षेत्र नगर में मेवात विकास बोर्ड से सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

130. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की ग्राम पंचायतों में नहरों एवं धोरों को पक्का कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नवीन ग्राम पंचायतों के भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. ग्राम पंचायतों में नरेगा के अन्तर्गत किए जा रहे पक्के कार्यों में मेटेरियल के भुगतान में हो रही देरी के संबंध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की ग्राम पंचायतों में सभी वर्ग के लोगों को भूमि समतलीकरण एवं पशु शैड निर्माण की स्वीकृतियां देने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री अमृतलाल)

134. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ग्राम पंचायत स्तर पर कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

135. राज्य में नरेगा कार्य सभी पंचायत समितियों में चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की ग्राम पंचायतों में नरेगा के अन्तर्गत गांवों के मुख्य मार्गों में सी.सी. सड़क व नाली निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

137. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का जीर्णोद्धार एवं तालाबों का पानी सिचाई के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विकास में बाधक एवं निगरानी सही नहीं करने वालों के लिए आवश्यक नियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समिक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी उसी क्षेत्र के कार्मिकों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण (नसीराबाद):

142. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में नरेगा के अन्तर्गत लोगों को रोजगार नहीं मिलने एवं शौचालयों का भुगतान नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भँवरसिंह (कोलायत):

143. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आबंटित राशि का पंचायत समिति कोलायत के द्वारा निर्धारित नियमों के विपरित स्वीकृति जारी करने एवं नियमों के विपरित पंचायत समिति कोलायत को कार्यकारी एजेन्सी बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट):

144. जिला करौली की ग्राम पंचायत नानपुर एवं महस्वास में नरेगा के तहत किए गए व्यापक घोटाले के संबंध में चर्चा के लिए।

145. राज्य के जनजाति क्षेत्र में पेसा एक्ट की पालना नहीं कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. जिला दौसा की ग्राम पंचायत उकरूंद में विकास कार्यों में किए गए व्यापक घोटाले के संबंध में चर्चा के लिए।

147. जिला करौली, सवाईमाधोपुर एवं दौसा की जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा SFC, TFC, FFC की अपने हिस्से की राशि का समान रूप से वितरण नहीं किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

148. नरेगा योजना में राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार 05 वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी को नहीं रखा जाएगा के स्थान पर 10-15 वर्षों तक लगातार प्रतिनियुक्ति पर रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

149. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में स्थानीय योग्य अभ्यार्थियों को जिसके परिणाम में ज्यादा अंक आये उन्हें साक्षात्कार में न्यूनतम अंक न देकर नियुक्ति से बाहर किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में लगभग 22 गैर सरकारी कर्मियों को उच्च वेतन पर रखकर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री मनोज कुमार)

151. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के Chief Operating Manager के पद पर एक भ्रष्ट व्यक्ति को नियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

152. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में मुख्य ओपरेटिंग मैनेजर व अन्य नियुक्त सेवादारों को मनचाहा वेतन व वेतन वृद्धि दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

153. प्रदेश में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत पंचायतीराज में ग्रामों में बढ़ रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

154. पंचायत समितियों में V.A. व JEN स्टाफ की कमी की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

155. पंचायती राज की योजनाओं की मोनीटरिंग (एक्समेन आर्मी) सेवानिवृत कर्मचारियों से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. जैसलमेर जिले में नरेगा योजना के अन्तर्गत गांवों में जल कुण्ड, बावड़ी व जल के स्त्रोतों का कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. जैसलमेर में पंचायत से जुड़ने वाली मूलभूत योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

158. जैसलमेर के गांवों में S.C., S.T. एव BPL के परिवार के आवास निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

159. ग्रामीण पंचायत राज की मूलभूत योजनाओं में जैसलमेर जिले के लिए विशेष पैकेज देकर चारागाह तैयार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

160. स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोलायत पंचायत समिति की कोलायत, गुड़ा, कोटड़ी, माणकासर हेंदा सहित दर्जनों ग्राम पंचायातों में शौचालय निमार्ण के बावजूद पात्रता रखने वाले परिवारों को सहायता राशि आवंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री भंवरसिंह)

161. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चिन्हित ग्राम पंचायतों का विकास करवाने हेतु अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. पंचायत समिति कोलायत में ग्राम सेवकों के रिक्त पदों का कार्यभार कनिष्ठ लिपिकों को देने में विकास अधिकारी के द्वारा नियमों की अवहेलना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

163. विधायक निधि कोष से स्वीकृत कार्यों को पंचायत समिति कोलायत के द्वारा समय पर नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

164. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में डांग योजना में राशि आबंटन एवं राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत कराये जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता व जिला स्तर से मॉनिटिरिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. ग्राम पंचायतों को अतिक्रमण हटाने के लिये विशेष अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बच्चू सिंह (बयाना):

168. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बीपीएल सूची का सर्वे कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति/ संविदाकर्मी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र बयाना में प्रधान मंत्री आवास योजना में चयनित परिवारों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

171. ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली सीसी सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती सुशील कंवर)

172. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में ग्राम सेवक के रिक्त पदों को तुरन्त भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):</u>

173. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायतें जिनमें अधिकांश लोग वन विभाग व जोहड़ पायतन की भूमि पर बसे हुए है को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के संबंध में चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री दर्शन सिंह (करौली):</u>

175. करौली जिले की तहसील मासलपुर में नवीन पंचायत समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन):</u>

176. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में नवीन पंचायत समिति का गठन सूरौठ में करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):</u>

177. जल ग्रहण कार्यक्रम में बरती जा रही अनियमितताओं से नागौर जिले में योजना का पूर्ण लाभ नही मिल पाने के संबंध में चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की ग्राम पंचायतों का मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का भुगतान शीघ्रता से संबंधित पंचायत/कार्यकारी फर्म को करने के संबंध में चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की गांवों में आम रास्तों पर पानी की निकासी हेतु योजना बनाकर शहर की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. मनरेगा योजना के कार्य श्रमिकों के माध्यम से स्वीकृत मजदूरों से ही करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के गांवों व ढ़ाणियों में ग्रामीण विकास के समस्त कार्यक्रमों की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

182. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के बड़े कस्बों में रोड लाइटे एवं आर.ओ. प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

183. प्रधान मंत्री आवास योजना में हुई अनियमितता की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में ग्रामीण लोगों को पीने का पानी, सड़के, पानी की निकासी हेतु नालियां, रोड लाइटों की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

185. जालोर जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना से वंचित वर्ग जिनके द्वारा सर्वे सूची में नाम जोड़े जाने की गई अपील पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. ग्राम पंचायत और पटवार मण्डल एक इकाई की गई के ग्रामों को उसी के अनुरूप समायोजन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में स्वरोजगार योजना में उप खण्ड मुख्यालयों पर ग्राम हाट बाजार विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा सहित ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए ग्रामों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

189. प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

190. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की पंचायत मुख्यालयों में सर्वेक्षण कर बी.पी.एल., अन्त्योदय परिवारों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

191. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न ग्रामों में सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री निर्मल कुमावत)

192. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न गांवों में श्मशान की चारदीवारी तथा टीनशेड व चबूतरा निर्माण कराने तथा वृक्षारोपण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न गांवों में मुख्यमंत्री खेल मैदान योजना में कार्य स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नौसाल (ग्राम पंचायत कांकरा) स्थित श्मशान की जमीन से अतिक्रमण हटाने, चारदीवारी, टीनशेड, चबूतरा निर्माण एवं वृक्षारोपण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

195. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित ग्राम पंचायत के रंगपुर में सड़क के डामरीकरण न होनें से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

196. ग्राम रंगपुर कोटा में खेल मैदान विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

197. रंगपुर पंचायत में चम्बल नदी के तट पर महिला व पुरुष घाट का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

198. मनरेगा में कृषि कार्य के लिए किसानों को मजदूर उपलब्ध करवाने व आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी के कार्य को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए जारी सैकड़ों परिपत्रों को समाहित कर एक स्पष्ट परिपत्र/दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों का नियम विरुद्ध लाभ उठा रहे अपात्र व्यक्तियों/परिवारों को गलत रूप से ले रहे लाभ से वंचित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंयाचती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-**49** मुख्य शीर्षक **स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

1. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में ग्राम पंचायत के वार्ड पंच का बैठक भत्ता नहीं बढ़ाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

2. विधान सभा क्षेत्र वैर की पंचायत समिति में कम्यूनिटी सेंटर नहीं खोले जाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

3. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करवाई गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय-सीमा निर्धारित करने एवं समय-सीमा में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की मरूस्थलीय ग्राम पंचायतों को विकास के लिये अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. जिला परिषद जोधपुर को वर्ष 2011-12 से 2016-17 में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी गई धनराशि के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष 2011-12 से 2016-17 में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करवाई गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

7. पंचायत समिति सांगोद एवं सुल्तानपुर में एस.एफ.सी एवं टी.एफ.सी से प्राप्त अनुदानों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

8. ग्राम पंचायत मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा को ग्राम पंचायत में सफाई नहीं होने एवं लाईट नहीं लगाने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम पंचायत बहादुरपुर तहसील अलवर में सफाई एवं लाईट की व्यवस्था नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

10. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पंचायतीराज में जिला प्रमुख, प्रधानों को नाम मात्र का अधिकार नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंद सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

11. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को पूरा पैसा नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

12. पंचायत मुख्यालय पर सफाई कर्मी नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

13. ग्रामीण क्षेत्र में समय पर मुआवजा दिलवाना व समनुदेशन राशि को विकास कार्यों पर खर्च कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं):

14. पंचायती राज संस्थाओं को जिला परिषद सदस्य, पंचायत मुख्यालय सदस्य एवं सरपंचों के मानदेय में वृद्धि नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

15. प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर पंचायतों को विकास के लिए अतिरिक्त अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

(डॉ. फूल चन्द भिण्डा)

16. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्षों पूर्व बिछाई गयी पानी की पाईप लाईन बदल कर विस्तार करके पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पंचायतों को देय अनुदान की राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ग्राम पंचायतों में अवैध खनन व खनिज क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

18. जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को भू-रूपान्तरण शुल्क के संबंध में चर्चा के लिये।

19. पंचायतों को चुंगी तथा अन्य करों के पेटे से दी जाने वाली राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरु):

20. अटरु उपखण्ड मुख्यालय की तीन ग्राम पंचायतों में कच्ची गलियों को पक्का नहीं करने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

21. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों को नहीं भरने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

22. विधान सभा क्षेत्र मावली के पेराफेरी में आ रही ग्राम पंचायतों को अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र मावली में खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाली रायल्टी का एक निश्चित हिस्सा स्थानीय ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र मावली में पंचायतों के विकास के लिये अतिरिक्त अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

25. ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र में निजी आय बढ़ाने ग्राम पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री जोगाराम पटेल)

26. प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे विकास के कार्य की बी.एस.आर को सार्वजनिक निर्माण विभाग के समकक्ष कर एकरूपता नहीं लाने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

27. ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का समय पर निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा अंकेक्षण नहीं करवाने, पूर्व में लंबित शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं करने के बावजूद भी देय अनुदान को औचित्य पर चर्चा के लिये।

28. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करवाई गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय-सीमा में नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

29. प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था नहीं होने, रोड लाईट्स, सीवरेज व्यवस्था करने के लिए देय अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

30. पंचायत समिति सुजानगढ़ एवं पंचायत समिति बीदासर की ग्राम पंचायतों में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. पंचायती राज संस्थाओं को राज्य प्रवर्तित योजनाओं में अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. पंचायत समिति सुजानगढ़ एवं पंचायत समिति बीदासर की ग्राम पंचायतों में शमशान घाटों एवं कब्रिस्तानों का विकास नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल एवं सफाई व्यवस्था नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. जिला परिषद चुरू को वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

35. ग्राम पंचायत सवाई माधोसिंहपुरा को निर्विरोध निर्वाचन पर देय प्रोत्साहन राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

36. पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत बई के कई प्रार्थियों को शौचालय निर्माण का भुगतान नहीं करने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37. जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों को विकास निधि देने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. पंचायत समिति कोटड़ी में नवीन सभागार का निर्माण नहीं कराने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

39. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्जन स्थानों पर स्थित ग्राम पंचायतों से सोलर लाईटें चोरी कर ली गई है, उक्त स्थानों पर पुन: सोलर लाईट नहीं लगवाने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए पंचायतों को अलग से राशि की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. प्रदेश में कस्बों की भांति बसावट वाली ग्राम पंचायतों को विकास के लिए अलग से अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई):

42. विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू के पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर पंचायत समिति का नवसृजन कार्यालय स्थापित नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

43. ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना में देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

44. सिणधरी ग्राम पंचायत (चौसीरा) में गन्दे पानी की निकासी नहीं करने पर देय अनुदान औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री हमीरसिंह भायल)

45. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सिवाना, सिणधरी एवं समदड़ी पंचायत समितियों के ग्राम सेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सिवाना पंचायत समिति के आवासीय परिसर की साफ-सफाई, पानी की निकासी, लाईट व्यवस्था सौर ऊर्जा प्रबंधन एवं पुराने सभी आवासों की मरम्मत नहीं कराने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):</u>

47. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्य नहीं करने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

48. गलियाकोट पंचायत समिति की समर्थ ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास नहीं करने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा पंचायती राज (सभी ग्राम पंचायतों) के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. पंचायतों के उत्थान व उनके विकास के लिये पंचायतों को अधिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजीव कुमार (भादरा):</u>

51. प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पास आबादी भूमि के नक्शे उपलब्ध नहीं होने की वजह से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अमृतलाल (सलूम्बर):</u>

52. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की ग्राम पंचायत को विशेष अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):</u>

53. प्रदेश में ग्राम पंचायत द्वारा मोटर पम्पसेट के माध्यम से पीने के पानी के लिए जो पनघट योजना लगाई जाती है उनके विद्युत बिल हेतु अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. पंचायत समिति डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत बड़वई को अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):</u>

55. प्रदेश में ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अधिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):</u>

56. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किये गये कार्यों की स्वतंत्र एजेंसियों से जांच करा कर जिम्मेदारी तय करना एवं कार्य की उपयोगिता की समीक्षा नहीं कराने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. प्रदेश में पंचायतों द्वारा मनमाने टेण्डर करना तथा पारदर्शिता के बिना पहले काम शुरू कराने व बाद में टेण्डर करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):</u>

59. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का रख-रखाव सही नहीं रखने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):</u>

60. पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अधिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भंवरसिंह (कोलायत)</u>:

61. निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि को पुन: शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में विकास कार्य करवाने हेतु ग्राम पंचायातों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):</u>

63. ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग एवं पंजीयन शुल्क के रूप में दी जाने वाली राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर)</u>:

64. खनन से होने वाली रॉयल्टी का कुछ हिस्सा संबंधित पंचायत को देकर मजबूत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पंचायतों को फ्लोराईड से मुक्ति दिलाने हेतु विशेष अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)</u>:

66. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की 2000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना में अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. पंचायती राज सम्पति का आंकलन कर उनका संरक्षण एवं सम्वर्धन नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

<u>श्री नवीन पिलानिया (आमेर)</u>:

68. नवगठित ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

<u>श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा)</u>:

69. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पंचायत राज द्वारा जन कल्याणकारी कार्यक्रम की जानकारी नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की पंचायत में चरागाह, बिलानाम भूमि को विकसित नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पंचायत राज संस्थाओं को अधिक मुआवजा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा)</u>:

72. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर पंचायत समिति के नये भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं करने पर देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की बधाल, काजीपुरा, नरैना, काचरोदा ग्राम पंचायतों की अधिक आबादी को देखते हुए अधिक राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री निर्मल कुमावत)

74. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्रामों में पंचायती राज के 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान के संबंध में चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की कांकरा ग्राम पंचायत के नौसाल ग्राम में संचालित पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के खर्चे पर संचालित नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

76. ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष बजट आवंटित करने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

77. ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्त्रोतों/ योजनाओं के संचालन-संधारण व विद्युत खर्च के लिए समुचित राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।